राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 70 वां दिवस संख्या 32

बुधवार,

दिनांक 27 मार्च, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-04 को विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, नगर विकास, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, गृह, विधि, उद्योग, चिकित्सा व विद्युत् विभाग]

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

चूने के भट्टे

872. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर में जनता कालोनी के मध्य में कुछ चूने व कली के भट्टे स्थित हैं?

(2) क्या इनसे निकलने वाले विषैले धुएं से कालोनी में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल और हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इन भट्टों को वहां से हटाने की व्यवस्था करेगी?

(4) यदि हां, तो कब तक?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) जी हां, पहले से ही चले आ रहे हैं।

(2) जी हां, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(3) जी हां।

(4) जल्दी ही।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह जनता कालोनी में जो चूने के भट्टे हैं इनको जल्दी ही आप यहां से हटाने की कार्यवाही करेंगे तो इनको कितने दिनों में लगभग सरकार का हटाने का आश्वासन है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : दिनों का तो नहीं बता सकती लेकिन जल्दी ही इसका प्रावधान किया जायेगा। चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई है, जो आसपास के गावों में से जमीन लेकर वहां पर इन चूने के भट्टों को हस्तान्तरित करने के लिए प्रयत्नशील है और जैसे ही जमीन मिल जायेगी तुरन्त ही हस्तान्तरित कर दिये जायेंगे और उसमें इसको देखा जायेगा कि जल्दी ही यह कार्य सम्पन्न हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस कमेटी के चीफ सेक्रेट्री की अध्यक्षता में निर्माण

Page No. 2

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
हुआ था क्या उसने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: उन्होंने निरीक्षण किया है आसपास की जगह का लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं आई है।

श्री मूलचन्द डागा: इन पब्लिक न्यूसेन्स को दूर करने के लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या कार्यवाही करना चाहती हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न, श्री प्रश्नकर्ता

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जयपुर की नगरपरिषद् ने भट्टों के जो लाइसेन्स थे भट्टे चलाने के लिए उनका रिन्यूअल नहीं किया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : हो सकता है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ऐसी स्थिति में राज्य सरकार इस संबंध में विचार करेगी कि जो भट्टे बिना लाइसेन्स अनधिकृत रूप से चल रहे हैं उनको तुरन्त म्युनिसिपल एक्ट के तहत बन्द करने की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कर दी जाये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: यह रिपोर्ट आने पर म्युनिसिपैलिटी को आदेश दिये जायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जनता कालोनी एक बहुत बढ़िया कालोनी बन गई है और लोगों ने अच्छे अच्छे मकान बना लिये हैं और वहां इस प्रकार से चूने के भट्टे चल रहे हैं जो कि 25–30 की संख्या में हैं उनके कारण से हालत यह है कि आज कोई आदमी छत पर बैठ नहीं सकता, घरों में सो नहीं सकते और डाक्टर्स ने सारी रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने लिखा है।

"Amongst the diseases which might Occur as a result of the aforesaid Bhattas are anthracosis, Silicosis, Chalicosis as well as siderosis, the signs and symptoms of which are close to tuberculosis of lungs".

इसलिए जो इतनी गम्भीर स्थिति है इस सम्बन्ध में मैं सरकार से चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में इस सदन को आश्वासन दें कि वहां जब ऐसी गम्भीर स्थिति पैदा है और जन स्वास्थ्य को खतरा है इस सारे मामले में हाइएस्ट लेवल पर टेक-अप करके और म्युनिसिपैलिटी और यू.आई.टी. से बात करके इनके हस्तान्तरण की कार्यवाही करें और जो भट्टे बिना रिन्यूअल आफ लाइसेन्स के चल रहे हैं उन्हें नोटिस तुरन्त दिया जाये।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आपको मैंने स्वयं ही प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में कहा है कि इसका प्रतिकूल स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है इसलिए जल्दी से जल्दी कोशिश की जायेगी कि इनको यहां से हटाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न, श्री आईदान सिंह।

जालोर में सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन

873. **श्री आईदानसिंह** (भीनमाल) :क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री आइदानसिंह)

(1) क्या नगरपालिका जालोर ने सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आवास हेतु, गृह निर्माणार्थ भूमि आवंटन की कोई योजना बनाई थी ?

(2) अगर हां, तो कितने सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन की गई ?

(3) अगर नहीं, तो क्या कारण हैं, और यह भूमि कब तक आवंटित करदी जायेगी ?

उप-मंत्री, नगर विकास न्यास (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री आईदानसिंह: धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शिवनाथसिंह ।

सहरिया मल्टीपरपज हायर सेकेंडरी स्कूल कालाडेरा

874. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहरिया मल्टीपरपज हायर सेकेन्डरी स्कूल कालाडेरा को ग्रान्ट–इन–एड मिलती है तथा इस स्कूल पर ग्रान्ट–इन–एड रूल्स लागू होते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस स्कूल के लिये एक ट्रेक्टर खरीदा गया था जिसमें सरकारी रकम भी लगी थी ? यदि हां, तो उस ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ट्रेक्टर बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के बेच दिया गया है तथा ट्रेक्टर की रकम का मेनेजमेन्ट ने अपने घर के काम में उपयोग किया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस स्कूल के विद्यार्थी फण्ड की रकम से एक जीप खरीदी गई है और उस जीप को प्रबन्धक सेठ व्यक्तिगत काम में लेता है ? उक्त जीप का रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है ?

(5) क्या यह सही है कि विद्यार्थी फण्ड के रुपयों का उपयोग छात्र संघ की अनुमति से नहीं किया जाकर इस स्कूल के प्रधानाध्यापक अपनी मर्जी से सेठ की इच्छा-पूर्ति के लिए करते हैं ? यदि हां, तो इस फण्ड से जुलाई 65 से दिसम्बर, 67 तक के खर्चे का विवरण दिया जावे ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर):

(1) जी हां।

(2) यह सही नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) यह भी सही नहीं है।

(5) यह सही नहीं है अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शिवनाथसिंह : क्या वहां कोई विद्यार्थी फण्ड नाम की कोई रकम जमा हुई है या नहीं ? ऐसा फण्ड है या नहीं ?

श्री शिवचरण माथुर : विद्यार्थी फण्ड तो है और उसके खर्च का विवरण आप चाहें तो मै दे सकता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह: दीजिए।

श्री शिवचरण माथुर: विद्यार्थी फण्ड में अलग अलग तौर पर 65–66 के खर्च हैं उसके लिए यह जानकारी दी गई है कि यह खर्चा सारा स्कूल की यूनियन है उसकी अनुमति से किया जाता है और उसकी एप्रूवल ली जाती है। इसमें गेम्स में 1965–66 में 3144 रुपये की आमदनी हुई विभिन्न मदों में लोकल टूर्नामेन्ट्स में 500 रु. स्टेट टूर्नामेन्ट में 1000 रु. और इक्विपमेन्ट्स में 1500 रु. इस प्रकार से कुल 3000 रु. खर्च हुए और शेष 144 रु.। इसी तरह से यूनियन की हैड में पूअर वायज फण्ड और स्टुडेन्ट्स एक्टीविटीज में आमदनी हुई 1928 रु. की और खर्चा हुआ 1700 रुपया और बचत हुई 228 रु. की। इसी तरह से रीडिंग रूम और लाइब्रेरी में आमदनी 5516 रु. की खर्चा 5000 रु. का और बचत 516 रु. की, सोशियल गैदरिंग में 1608 रुपये की आमदनी हुई 1600 रुपये का खर्च और 8 रु. की बचत हुई। इसमें मेरी जानकारी के अनुसार वहां के यूनियन के मंत्री और दूसरे अधिकारियों द्वारा एप्रूव्ड है।

श्री शिवनाथ सिंह: क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि विद्यार्थी फण्ड में से कोई रकम जीप के चलाने में खर्च नहीं हुई है?

श्री शिवचरण माथुर: जी नहीं मेरी जानकारी के अनुसार जीप सेठ साहब की खुद की जीप थी और स्टूडेन्ट फण्ड में से कोई पैसा उसके पैट्रोल पर खर्च नहीं किया गया।

श्री शिवनाथ सिंह: उस संस्था के नाम से कोई जीप पर पैट्रोल का खर्चा नहीं हुआ?

श्री शिवचरण माथुर: मैंने उत्तर में कहा कि फण्ड से कोई पैट्रोल नहीं खरीदा गया और ट्रैक्टर भी सेठ साहब की खुद की सम्पत्ति है और वह उन्होंने अपने पैसे से खरीदा है।

श्री शिवनाथ सिंह: रजिस्ट्रेशन खुद के नाम से है या संस्था के नाम से है जीप और ट्रैक्टर का··

श्री शिवचरण माथुर: इसमें मैंने जवाब दिया है कि रजिस्ट्रेशन जब संस्था के नाम से नहीं है और प्रापर्टी भी संस्था के नाम से नहीं है तो उनके नाम रजिस्ट्रेशन के होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शिवनाथ सिंह: सेठ साहब के व्यक्तिगत नाम से है?

श्री शिवचरण माथुर: जी हां।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न:

प्रश्न संख्या 875

श्रीमती कान्ता खतूरिया

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया।

रामनिवास बाग, जयपुर पर व्यय

876. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर के रामनिवास बाग की मेन्टीनेन्स, बिजली, पानी व कर्मचारियों पर वार्षिक कितना खर्चा है व इस बाग में दिन रात कितने कर्मचारी किस किस वेतन के काम करते हैं?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(2) इस बाग में वार्षिक कितनी आमदनी है ?

(3) क्या दूब का ठेका दिया जाता है ? यदि हां, तो गत पांच साल की ठेके की आय बताने की कृपा करें ?

(4) क्या यह सच है कि बाग के बीच में सन् 67-68 में नया फव्वारा बनाया गया और उसके चारों ओर सड़क के किनारों पर लोहे के पोलस कटघरा लगाया गया था जिसको अब हटा दिया गया है ? यदि हां, तो पहले किस की राय से कटघरा लगाया गया था और फिर क्यों हटाया गया ? इस कटघरे के लगाने में कितना खर्चा हुआ था ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनउद्दीन अहमद): (1) वर्ष 66-67 में बिजली पर 9595) रु. पानी पर 2413) रु.····

श्री जयनारायण सालोदिया : 2413 या 431 ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : 2413) रु. मैंने कहा है।

तथा मजदूरों पर 1,71,444) रु. व्यय किया गया है और इस तरह सधाहरण पर कुल धनराशि 1,83,452 रु. खर्च की गई है। 154 कर्मचारी कार्य करते हैं। केज्युअल लेबर 52-50 रु. प्रति मास पर तथा अस्थाई और अर्ध-अस्थाई कर्मचारी 50-1-70 की वेतन-शृंखला में काम करते हैं।

(2) वार्षिक आमदनी वर्ष 66-67 में 10,441) रु. हुई है ।

(3) जी हां ठेके से आय निम्न प्रकार से हुई है :—

वर्ष			ठेके की रकम
			रु.
1963-64	..	..	2849)
1964-65	..	..	3061)
1965-66	..	..	3501)
1966-67	..	..	5600)
1967-68	..	..	5617)

(4) जी हां, फव्वारे के चलने से जनता सडक पर चारों ओर इकट्ठी होजाती थी और यातायात को आवागमन में कठिनाई होती थी उसे रोकने को रेलिंग-व्यवस्था की गई थी, किन्तु जनता ने रेलिंग का उपयोग न कर फव्वारे के निकट सडक के मध्य खडा रहना जारी रखा। अतएव रेलिंग यातायात व्यवस्था के हित में पुनः दुवारा हटा दिया गया । इस कटघरे के लगाने में 4286) रु. खर्च हुआ है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : नम्बर (2) में आपने फरमाया कि 10,441) रु. की आमदनी हुई है 66-67 में तो यह किस चीज की आमदनी है। दूब से तो आमदनी 5 हजार और कितने की ही होती है।

श्री अमीनुद्दीन : यह दूब के ठेके की आमदनी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक साल की।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : बाग की।

श्री जयनारायण सालोदिया : दूसरे सोर्सेज क्या हैं ?

Page No. 6

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह पूछते तो बता देता, और बता दूंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने पूछा है कि वार्षिक आमदनी कितनी होती है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब दे दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : लेकिन किस से होती है ? दूब के ऐसे ठेके से होती है उसका तो आपने बता दिया कि 63-64 में 2849 रु., दूसरे 64-65 में 3071) रु. इस तरह से बतलाया है तो फिर बाकी की आमदनी किस चीज से होती है ?

श्री अमीनुद्दीन : और किस चीज से होगी फल-फूल की होगी, पेडों की होगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या वहां बाग में फल के पेड हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर फल के पेड नहीं हैं, मन्त्री महोदय ने वैसे ही कह दिया है। मैं पूछता हूं किससे आमदनी होती है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसके बारे में पूछा जाता तो मैं जवाब दे देता।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने पूछा कि एक साल की आमदनी क्या है ? तो आपको बताना चाहिये था ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसमें नहीं आया है तो मैं बता दूंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : दूसरा प्रश्न यह है कि आपने यह बताया है कि चार हजार रुपये लगाकर आपने एक कटघरा बनवाया, और उस को हटा दिया। उसका कारण आपने बताया कि फव्वारे के चारों तरफ भीड इकट्ठी हो जाती है तो यह बात गलत है न मालूम क्या बात थी ? आपके इन्जीनियरों का इसमें कुछ ऐसा लगता है। कटघरा इतना नजदीक नहीं है कि लोगों की भीड हो जाती है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : लोगों की भीड होजाती है।

श्री दुर्गालाल बादृदार (हवा महल, जयपुर) : क्या यह सत्य है कि रामनिवास बाग में कुछ दुकानें है जो मिठाई और चाट बेचती हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री जयनारायण सालोदिया : प्रश्न नं. 4 में आपने कहा है कि 5 हजार रुपया लगाकर कटघरा बनवाया और उसको हटवा दिया तो क्यों ?

श्री अमीनुद्दीन : हमने सोचा कि यह मुनासिब नहीं है तो हमने हटा दिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : पहले किसकी राय से लगाया था और मुनासिब समझ कर लगाया था ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : किसी की सूचना पर नहीं लगाया था। हमने लगाया था और हमने ही हटा दिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह आपकी मरजी की बात नहीं है कि एक काम करें उसमें 10,000) रु. लगादें और फिर उसको हटादें। यह राजस्थान का पैसा है इस लिये आज आप यह करें कि 10 हजार का निर्माण करें और कल उसको तुड़वादें तो इस तरह की आपकी मरजी नहीं चलेगी।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसी बात नहीं है। वह कटघरा हमारे पास मौजूद है। जहां और मुनासिब समझा जायगा उसको इस्तेमाल किया जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : कहां है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हमारे पास मौजूद है। जहां और जगह मुनासिब समझा जायेगा लगा दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ?

राजलदेसर में हुए कत्ल का मामला

877. **श्री रावतराम** (छापरा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत जुलाई, 67 के अन्तिम सप्ताह में जगूराम खाती, निवासी राजलदेसर (जिला चूरू) को उनके घर पर रात्रि को किसी ने कत्ल कर दिया ? यदि हां, तो पुलिस मौके पर कब पहुंची और रिपोर्ट कब दर्ज की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कत्ल के मामले में स्थानीय पुलिस तफतीश करने में नाकामियाब रही और अभी तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी।

उप मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं, कत्ल नहीं हुआ। श्री जगूराम ने आत्म-हत्या की ऐसा तफतीश से पाया जाता है। दिनांक 27-7-67 को 11½ बजे दिन में रिपोर्ट थाना, रतनगढ़ में प्रेषित हुई और उसी रोज शाम को चार बजे एस. एच. ओ., रतनगढ ने मौके पर पहुंच कर तफतीश शुरू करदी थी

(2) जी नहीं। थाना रतनगढ में मुकद्दमा नं. 55 दिनांक 27-7-67 धारा 307 ताजीराते हिन्द में दर्ज किया जाकर एस. एच. ओ., रतनगढ ने शीघ्र ही मौके पर पहुंच कर जेर निगरानी सी. ओ. रतनगढ के तफतीश की। तफतीश से पाया गया कि वास्तव में श्री जगूराम ने आत्म हत्या की थी और किसी व्यक्ति द्वारा उसका कत्ल नहीं किया गया। इस तफतीश से सन्तोष न होने पर मृतक के भाई श्री हुलासचन्द की दरख्वास्त पर यह केस सी. आई. डी. को वास्ते पुनः तफतीश सुपुर्द किया गया था। किन्तु सी. आई. डी. आफिसर भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि यह आत्म-हत्या का ही मामला था। अतः किसी को गिरफ्तार करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): आत्म हत्या के क्या कारण तफतीश से जाहिर हुए ?

श्री खेतसिंह : यह ऐसा था कि जगूराम का कुछ ताल्लुक उसके लडके की धर्मपत्नी से था।

श्री रावतराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल गलत है। माननीय उपमन्त्रीजी ने जो कहा है वह उनको नहीं कहना

(श्री रावतराम)

चाहिये था। मैं आपसे अर्ज करूं कि जगूराम खाती का कत्ल हुआ और उसका दूसरा कारण था, क्योंकि आत्महत्या का प्रश्न पैदा नहीं होता है, और उसमें पुलिस भी इन्वाल्व्ड है, और दूसरे प्रभावशाली लोग हैं जो कि इसमें शामिल हैं। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस मामले की दुबारा तफतीश होनी चाहिये। और जैसा कि कहा गया है कि एस. एच. ओ., रतनगढ़ ने इसकी तफतीश की है तो एस. एच. ओ., रतनगढ़ दो दिन बाद पहुंचा है, और वहां जाकर प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर इसको सुसाइड का मामला घोषित करके इसको इस तरह से रफा-दफा करने की कोशिश की है। इस तरह से मरडर हो जाय और सरकार अपने आदमियों को इस तरह से प्रोटेक्शन देती है कि वह मरडर नहीं है और सुसाइड है तो इसमें गवर्नमेन्ट को क्या मिलता है। आपको इसकी दुबारा तफतीश कराना चाहिये। वास्तव में यह मरडर हुआ है। इसकी तफतीश होना चाहिये।

श्री **उपाध्यक्ष** : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री **खेत सिंह** : माननीय उपाध्यक्षजी, गवर्नमेन्ट को इसमें क्या इन्ट्रेस्ट है। यदि कत्ल हुआ है तो उसकी दुबारा भी जांच सी. आई. डी. से करवा ली है। यहां से डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस भी गये थे। उन्होंने काफी छानबीन की है और वे भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं जिस नतीजे पर एस. एच. ओ. पहुंचे थे।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या यह सही है कि मृतक की लाश का पोस्टमार्टम हुआ था?

श्री **खेतसिंह** : पोस्टमार्टम हुआ था।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : उसमें क्या कारण पाये गये?

श्री **खेतसिंह** : उसकी गरदन पर चोट आई हुई थी। उसी वजह से उसकी मृत्यु हुई थी।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : गरदन पर चोट किस प्रकार की थी और किस प्रकार के हथियार की थी?

श्री **खेतसिंह** : जई होती है और जई पर सींग लगता है जो कि वहां पर बरामद हुई है व जई का सींग भी खून से डूबा हुआ था?

श्री **रावतराम** : मन्त्री महोदय ने यह कहा कि उसका नाजायज ताल्लुक था यह बात कैसे मालूम हुई। पुलिस को इन बातों का कैसे पता चला है। वहां का एक भी निवासी ऐसा नहीं है कि जिसने यह बात कही हो।

श्री **खेतसिंह** : डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने तफतीश की और सी. आई. डी. ने की तो आखिर क्या कारण हो सकता है कि आत्म-हत्या का तो उस पर बतलाया है कि इस प्रकार का लोगों में यह ख्याल था।

श्री **रावतराम** : पुलिस वालों ने यह कहा है या दूसरों ने।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह जो सी. आई. डी.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
जांच की तो यह किसी व्यक्ति की शिकायत पर की ?

श्री खेतसिंह : जी हां, उसके भाई की शिकायत पर करवाई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके भाई के बयान कलमबन्द किये गये ?

श्री खेतसिंह : उसके बयान तो कलम बन्द किये गये ही होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सी. आई. डी. ने दुबारा जांच तो जांच के लिये जो कम्प्लेन्ट करता है उसके बयान रेकार्ड नहीं किये तो जांच बेकार है वह। खास तौर से जब माननीय सदस्य ने इतना सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट बताती है कि गर्दन के पास चोटों के निशान थे तो आत्म हत्या करने वाला हथियार से इस तरह की चोटें खायगा यह इम्प्रोबेल थ्योरी है। इसकी दुबारा जांच करावाने में आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

श्री खेतसिंह : पहले एस. एच. ओ. से सी. ओ. की निगरानी में जांच करवाई गई फिर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस ने जांच की। यदि आप चाहें और आपको इससे सेटिसफैक्शन होता हो तो फिर से जांच करवाई जा सकती है लेकिन इससे कोई खास नतीजा नहीं निकलने वाला है।

श्री रावतराम : उसका मरडर हो गया और यह कहना कि उसके लडके की औरत से उसके नाजायज ताल्लुक थे, शोभा नहीं देता। पुलिस ने यह बात आज कही है...

श्री खेतसिंह : आज नहीं, पहले भी कहा था।

श्री रावतराम: मर्डर केस को आप आत्म हत्या में बदल रहे हैं यह उचित नहीं है।

श्री खेतसिंह : हम मर्डर केस को आत्म हत्या में नहीं बदलना चाहते। अगर होना आप बताते हैं तो सबूत लाइये।

श्री रावतराम : गांव के मौजिज आदमी कहते हैं कि मर्डर हुआ है। आप इन्क्वायरी कराने में क्यों झिझकते हैं।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : जो सुसाइड होता है उसका भी तरीका होता है उसमें सरल तरीका अख्त्यार करते हैं लेकिन जेई से कोई आदमी अपने हाथ से आत्म हत्या करले यह सम्भव नहीं है ? कोई चाकू होता, उस्तरा होता तो बात और थी लेकिन जेई से यह संभव नहीं कि अपने हाथ से कोई आत्म हत्या करले।...

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें !

गृह मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले की पहले स्थानीय पुलिस ने जांच की, फिर एस. पी. ने जांच की। मेरे नोटिस में जब यह मामला आया तो मैंने खुद ने एस. पी. से बात की। मुझे उससे सन्तोष नहीं हुआ चुनांचे मैंने क्राइम ब्रान्च के एस. पी. से जांच करवाई। जांच के दो नतीजे निकले एक तो यह कि मर्डर का ट्रेस एविडेन्स से नहीं होता। अब उसने सुसाइड किया या नहीं किया, अन्दाज लगाया जाता है कि सुसाइड किया। कोई देखने वाला तो नहीं

(श्री गृह मंत्री)
था । मरडर के कारण नजर नहीं आये, एविडेन्स नहीं थी, कोई निशान नहीं थे। सुसाइड का फाइन्डिंग आल्टरनेटिव फाइन्डिंग है। पूरी तफतीश के बाद मरडर होना साबित नहीं होता। रावतरामजी कहते हैं कि तफतीश दूबारा करवाई जाय जांच सी. आई. डी. से करवाली, लोकल पुलिस पर मामला नहीं छोडा, पूरी छानबीन करली, मर्डर का कोई ट्रेस नहीं है, एविडेन्स नहीं, कारण नहीं है, मौके पर कोई फुट प्रिन्टस् नहीं हैं। कयास यह है कि सुसाइड हुआ है। सुसाइड होने के कई कारण हो सकते हैं। यह भी कारण ध्यान में आया है जो मन्त्रीजी ने बताया ।

श्री दौलतराम सारण : मैं खुद वहां गया था । वहां पर आम राय यह है कि इस आदमी को मारा गया है । एक भी आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि उसने आत्म हत्या कर ली ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप मरडर होना साबित नहीं कर सके इसलिये यह कह कर कि सुसाइड किया है उसके पीछे स्टोरी मोटिवेट की गई है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य खुद वकील हैं, ऐसे केस में क्या हो सकता है ? कोई पार्टी आकर कहे कि हमारे पास सबूत है तब तो उसकी पैरवी की जा सकती है, दुबारा तफतीस करवाई जा सकती है ।

श्री रावतराम : उसके परिवार के लोगों का कहना है कि उसकी लड़की का संबंध बालासर गांव में किया गया था यह उन लोगों की शरारत है, उनका कोई आदमी पुलिस में मुलाजिम है ।

श्री खेतसिंह: इस मामले की भी तफतीश करली । आप बताते हैं वह सही नहीं है ।

श्री लाभचन्द वैद : जेई से कोई सुसाइड करले, आपको विश्वास होता है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

प्रश्न संख्या 878

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये) ।

स्थानान्तरण का मामला

879. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहायक सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एस्टे. एम. एफ. 18 ए. 2 डी. एल./बी./67/13909-16 दिनांक 19-5-67 द्वारा श्री गुरुप्रकाश सिंह कपूर का स्थानान्तरण नगरपालिका, नोखा से नगरपालिका, नीम का थाना में हो गया था ?

(2) क्या यह सही है कि नोखा नगरपालिका से श्री कपूर को रिलीव करने का आदेश दे दिया गया था ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है कि इस अधिकारी के खिलाफ गम्भीर शिकायतें होने के बाद भी दिनांक 29-5-67 को टेलीग्राम द्वारा उक्त आदेश के अन्तर्गत केवल श्री कपूर का स्थानान्तरण पुनः रद्द कर दिया गया ?

Page No. 11

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

(3) क्या मंत्री महोदय उक्त व्यक्ति के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच स्वयं करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या जांच करने से पहले इनको सस्पेंड किया जायेगा ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां।

(2) जी हां, प्रशासनिक कारणों से ।

(3) जांच उप जिलाधीश बीकानेर (साउथ) से करवाई की जा रही है ।

(4) जांच के परिणामानुसार कार्यवाही की जावेगी

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या इस व्यक्ति को सस्पेन्ड कर दिया गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां ।

टोपीदार बन्दूकों के लाइसेन्स

880. श्री **देवीलाल** (सराड़ा) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर की तहसीलों के आदिवासी क्षेत्रों के लोग अशिक्षित होने के कारण निर्धारित अवधि में टोपीदार बन्दूकों के लाइसेन्स लेने से वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो कितने ऐसे व्यक्तियों के नाम पुलिस थानों में दर्ज हैं ?

(2) क्या सरकार इस प्रकार के लाइसेन्स लेने की अवधि को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक बढ़ा दी जावेगी ?

उप मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (1) यह सही है कि काफी व्यक्ति टोपीदार बन्दूकों के लाइसेन्स समय पर न कराने से वंचित रहे हैं। व्यक्तियों के नामों की सूची पुलिस थानों में उपलब्ध नहीं है।

(2) यों यह विषय केन्द्रीय सरकार के अधिकार का है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के आग्रह के बावजूद भी 31-12-64 से आगे की मयाद बढ़ाना मन्जूर नहीं किया है। फिर भी राज्य सरकार एक बार और स्थानीय कठिनाइयों को महसूस करते हुए केन्द्रीय सरकार को निवेदन कर रही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या सरकार को यह विदित नहीं है कि टोपीदार बन्दूकों का लाइसेन्स लेने की प्रथा मध्यप्रदेश में बिल्कुल बंद कर दी गई है। क्या सरकार यह नहीं उचित समझती कि आज के अणु युग में टोपीदार बंदूक का लाइसेन्स सिस्टम जारी रखना लोगों को उत्पीड़न और तवालत पहुंचाना है और बिल्कुल बेकार व्यवस्था है। क्या आप इस व्यवस्था को बंद करने की कोशिश करेंगे खास करके जब मध्यप्रदेश ने ऐसी व्यवस्था करदी है कि उनको लाइसेन्स नहीं लेना पड़ता।

श्री खेतसिंह : मध्यप्रदेश ने लाइसेन्स बंद कर दिया यह आपने सूचना दी मुझे मालूम नहीं था। यह मामला आर्म्स लाइसेन्स से ताल्लुक रखता है और यह भारत सरकार का प्रश्न है, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं। जो ये बंदूकें रखना चाहते हैं उनको लाइसेन्स लेना पड़ता है, जो नहीं रखना चाहते वे जमा करा सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ये अधिकांश बंदूकें एक नाली की ओब्सलीट हैं, मस्केट की श्रेणी में नहीं आती। आपको लाइसेन्स करना है तो जाकर देखिये आदिवासी क्षेत्र में कितनी तवालत होती है। सलूम्बर में तहसीलदार लाइसेन्स रिन्यू करने नहीं आये। सारी रात हजारों आदिमियों को तवालत उठानी पड़ी, बन्दूकों के कुन्दे जला कर अपने को सेका या गर्म रख सके तब रात व्यतीत कर सके। ऐसी स्थिति में आप लाइसेंसिंग रखें दो नाली मस्केट हों तो उनके लिये रखें। एक नाली बंदूक बिल्कुल ओब्सलीट है जिसकी मार 50 फुट से आगे नहीं बढ़ती। मेरे खयाल से उसके लिये सन् 68 में लाइसेन्स की व्यवस्था एक अत्याचारी व्यवस्था है, लोगों को इससे तकलीफ होती है। यह सरकार केन्द्रीय सरकार से आवेदन निवेदन कर सकती है और कह सकती है कि यह व्यवस्था बिल्कुल निरर्थक है। यह एन्टी डिल्यूम है आप इसको तुरन्त बन्द करवाने की कोशिश किजिये।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : टोपीदार बंदूकों के लाइसेन्स रिन्यूवल का जहां तक सवाल है यह भारत सरकार से संबंध रखता है। माननीय विरोधी दल के नेता ने सुझाव दिया है कि मध्य प्रदेश में इसको हटा दिया गया है। वहां पर किन सूरतों में हटाने की परमिशन भारत सरकार ने दी है यह जानकारी हमको नहीं है। इसकी जानकारी करके भारत सरकार को इसे हटाने के लिये सुझाव दिया जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी भी जानकारी नहीं है। मैंने पेपर्स में देखा। मध्यप्रदेश में भी ऐसी ही समस्या है। वहां भी आदिवासी क्षेत्र हैं। प्रश्न कर्त्ता ने प्रश्न पूछा है वे भी आदिवासी क्षेत्र से आये हुए हैं। आदिवासियों के पास कहीं प्रिन्ट लोक बंदूकें हैं कहीं मेच लोक हैं। मेरे खयाल से इनका लाइसेन्स सिस्टम रखना ठीक नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे अर्ज किया कि आपने जो सुझाव दिया, भारत सरकार ने किन सूरतों में एग्जेम्पशन दिया है उसकी जानकारी करके सुझाव पर विचार करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्रीजी से इतना ही निवेदन है कि जानकारी प्राप्त करें यदि आप उचित समझें तो मेरा पुरजोर निवेदन है कि तवालत से लोगों को बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार से निवेदन करें।

श्री प्रेमसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यह जो बन्दूकों, टोपीदार बन्दूकों की लाइसेन्स प्रथा है, इस प्रथा में सरलीकरण होना चाहिए, जो आदमी अपनी रक्षा के लिए लाइसेन्स लेना चाहता है उसके लिए

श्री उपाध्यक्ष: अलग प्रश्न ! प्रश्नकर्त्ता !

श्री प्रेमसिंह : इससे संबंधित है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : संबंधित नहीं है।

श्री प्रेमसिंह : लोगों के साथ में बुरी तरह व्यवहार होता है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न ! प्रश्नकर्त्ता !

श्री देवीलाल : मैं जवाब चाहता हूं कि आदिवासियों को कई आदिवासी इलाके में इस

(श्री देवीलाल)
मामले में तकलीफ होती है पुलिस द्वारा हर प्रकार से आदिवासियों को परेशान किया जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि लाइसेन्स का सिस्टम न रख कर ऐसा कोई तरीका रखा जाय ताकि बन्दूकों का नम्बर कर लिया जाये, उससे पहचान हो सकती है। लाइसेन्स प्रथा से लोगों को बड़ी परेशानी होती है........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आपकी बात समझ में आ गई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसकी अवधि पांच साल तक रिन्यू करने के लिये क्या हो रहा है।

श्री विट्ठल भाई : आदिवासियों को बांसवाड़ा में बड़ी परेशानी होती है, लोगों को आठ आठ मील जाना पड़ता है, तीन तीन बार चक्कर लगाना पड़ता है....

श्री उपाध्यक्ष : आपने बात कह दी, वह समझ में आ गई।

श्री विट्ठल भाई : लोगों को इससे बहुत परेशानी होती है इसलिये इस लाइसेन्स को खत्म करना चाहिए। पहले भी क्योंकि आदिवासी जंगलों में रहते थे इसलिये वह रखते थे, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार यह हालत करना चाहती है कि किसी व्यक्ति को टोपीदार बन्दूक भी नहीं रखने दे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : कोई नई बात हो तो फरमायें। जो बात कही जा चुकी है उनको दोहराने से क्या लाभ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आदिवासियों के लिये यह एक जटिल समस्या है, कई लोग समय पर लाइसेन्स नहीं ले पाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी राय दी। इस लाइसेन्स के मामले में, मजल लोडिंग गन्स के लिये आदिवासी क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अर्ज किया था, विरोधी दल के माननीय नेता के प्रश्न पर कि इस सारे मसले पर विचार करके भारत सरकार को हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कहें और जितनी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

बेगूं सब डिवीजन में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण

881. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चित्तौड़गढ़ जिले में न्याय पालिका व कार्यपालिका को अलग अलग कर रखा है ? यदि हां, तो इस जिले के पांचों सब डिवीजन हेतु क्या अलग अलग कोर्ट कायम कर रखी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बेगूं सब डिवीजन में कार्यपालिका व न्यायपालिका का अलग से पृथक्करण नहीं हुआ है ? यदि

(श्री रामकुमार नन्दवाना)
हां, तो क्या बेगूं में यह योजना लागू किए जाने का राज्य सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो बेगूं में कब तक यह योजना लागू होगी ?

उप-मंत्री विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की स्कीम चित्तौड़गढ़ जिले में आंशिक रूप से लागू की गई है। इस जिले के चार सब डिवीजनों में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की आदलतें कायम हैं जो उच्च न्यायालय के अधीन हैं एवं भारतीय दंड संहिता से संबंधित अपराधों के मामलों की सुनवाई करती हैं। बेगूं सब डिवीजन में यह योजना अभी तक लागू नहीं की गई है।

(2) जी हां। बेगूं डिवीजन में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले लिया गया है।

श्री रामकुमार नन्दवाना : यह कोर्ट कब तक कायम हो जायेगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वित्तीय वर्ष में कायम हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्री सूरजमल !

सूरजगढ़ की जल प्रदाय योजना

882. **श्री सूरजमल** (सूरजगढ़ सु.) : क्या जल स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सूरजगढ़ शहर, जिला झुंझुनूं में कोई जल स्वास्थ्य योजना शुरू की गई थी ? यदि हां, तो अब उसकी क्या स्थिति है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नगर की जनता जल कष्ट से अत्यधिक पीड़ित है ? यदि हां, तो उसके वास्ते राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? और यदि नहीं कर रही है तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि वहां पर इस योजना के अन्तर्गत कुछ कार्य हुआ है ?

(4) उक्त जलप्रदाय योजना को राज्य सरकार कब तक पूरी कर देगी ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां, योजना का निर्माण कार्य चालू है।

(2) ऐसी कोई सूचना नहीं है। राज्य सरकार ने पानी की कठिनाई को दूर करने के लिये रुपये 4.70 लाख की लागत की योजना स्वीकृत की है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां।

(4) धन व आवश्यक सामग्री की उपलब्धि पर योजना का निर्माण कार्य अब आगामी 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री सांवरमल बासोतिया : अब तक इस स्कीम में कितना रुपया लग चुका है ?

श्रीमती सुमित्रा : अब तक इस स्कीम में 99 हजार और 46 हजार मिल कर लग चुका है।

श्री सांवरमल वासोतिया : और कितना रुपया है ?

श्रीमती सुमित्रा : 4 लाख 77 हजार है।

श्री **सूरजमल** : क्या भूमि अवाप्ति की पावर दे दी गई है ?

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं, भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अभी पूरी नहीं **हुई** है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मेघराज पंवार !

ग्रामीण औद्योगीकरण परियोजना

883. **श्री मेघराज पंवार**, (चूरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर, चूरू ग्रामीण औद्योगीकरण परियोजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों के लिये पिछले तीन वर्ष से जो भी सबसिडी की रकम प्राप्त हुई है वह रकम इस संबंधी सबसिडी नियम राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाये जाने के कारण लाखों रुपये की स्कीमों में नहीं लगी एवं लेप्स हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस तरह के सबसिडी नियमों हेतु परियोजना समिति चूरू ने ड्राफ्ट रूल्स बना कर संबंधित विभाग की मार्फत राज्य सरकार को आज से करीब 2।। वर्ष पूर्व भेजे थे, जिस पर भी उद्योग विभाग की कार्य शिथिलता के कारण इस तरह के सबसिडी यूटिलाइजेशन रूल्स अब तक नहीं लागू किये हैं ? यदि यह सही है तो राज्य सरकार अब इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप मंत्री उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) जी नहीं। 1964-65 में 21,975 रु. की राशि का उपयोग किया गया था परन्तु नियम न बनने के कारण और महा-लेखापाल, राजस्थान, जयपुर के ऐतराज होने पर 1965-66 एवं 1966-67 में कोई खर्चा नहीं किया गया।

(2) क्या यह सही है कि इस संबंध में परियोजना अधिकारी, चूरू द्वारा बनाये गये ड्राफ्ट रूल्स अक्टूबर, 1965 में राज्य सरकार को प्राप्त हुए थे। यह नियम जारी कर दिये गये हैं।

श्री मेघराज पंवार : कुल कितनी रकम लेप्स हुई ?

श्री भीमसेन : मैंने बतलाया कि 1964-65 में 95 हजार का प्रावीजन था और 1965-66 में 95 हजार का प्रावीजन था, उसमें से 21,975 रु. की राशि का उपयोग हुआ।

श्री रावतराम : दो साल तक रूल्स नहीं बने उसके कारण जो परियोजना की धनराशि थी वह वहां खर्च नहीं हुई, वह धनराशि लेप्स हो गई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जैसा अभी उप-मंत्रीजी ने बतलाया कि पहले दो वर्षों में था प्रावीजन, मगर पिछले वर्ष में प्रावीजन नहीं था इसलिये लाखों रुपये के लेप्स होने का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्री रतनलाल रोत !

श्री रावतराम : क्या यह सही नहीं है··

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न पूछ लिया गया है, आपका उत्तर आ गया है काफी।

श्री मेघराज ंवार : क्या यह सही है ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न पूछ लिया गया है ।

आदिवासी छात्रावासों में साइन्स व गणित के विषयों का कोचिंग

884. **श्री रतनलाल रोत** (चौरासी सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने आदिवासी छात्रावासों के छात्रों के लिए साइन्स और गणित में कोचिंग करने के लिए योजना की घोषणा की है ? यदि हां, तो यह सुविधा अगले सत्र में अथवा इसी वर्ष में लागू करने का इरादा है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकारी होस्टलों में सरकारी सहायता प्राप्त होस्टलों की संख्या अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनमें भी साइंस और गणित में कोचिंग की स्कीम लागू करने का इरादा रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) इस विभाग की जानकारी में नहीं है कि इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया है। अर्थाभाव के कारण इस प्रकार के विशेष अध्यापन की सुविधा उपलब्ध करना इस विभाग के लिये सम्भव जान नहीं पड़ता।

(2) यह सही है कि सरकारी होस्टलों से सहायता प्राप्त होस्टलों की संख्या अधिक है। इनमें जो छात्र हैं उनके लिये कोचिंग की योजना प्रारम्भ करना आवश्यक मालूम नहीं पड़ता क्योंकि विभाग की चेष्टा यह रहती है कि विद्यार्थियों को आवश्यक शिक्षण शालाओं में दे दिया जाय ।

श्री रतनलाल रोत : पिछले वर्ष के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी, क्या वह इस विभाग पर लागू नहीं होती है, और इसकी देरी के क्या कारण हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य, जो समाज कल्याण का होस्टल चला है, उनका जिक्र कर रहे हैं शिक्षा विभाग के होस्टलों में साइंस के कोचिंग की घोषणा हमारी तरफ से नहीं की गई। आप समाज कल्याण होस्टल का जिक्र कर रहे हैं।

श्री रतनलाल रोत : वे दोनों होस्टल, सरकार चलाती है और जो सरकार नहीं चलाती है। उनसे मतलब है।

श्री शिवचरण माथुर : साइंस के कोचिंग देने की व्यवस्था के संबंध में मैंने उत्तर में निवेदन किया कि इस प्रकार के कोचिंग को देने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते। ऐसी सारी सुविधा हम शालाओं में उपलब्ध करते हैं, वहां व्यवस्था की जाती है और वहां इस प्रकार का कोचिंग दिया जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या साइंस शिक्षा आदिवासियों को देना कोई पाप है, क्या आदिवासी इन्सान नहीं हैं, उनको साइंस शिक्षा प्राप्त करने का उस हद तक अधिकार नहीं है ? यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों ?

श्री शिवचरण माथुर : विरोधी दल के माननीय नेता पूरे प्रश्न को समझ नहीं पाये हैं। प्रश्न यह था कि क्या होस्टल में साइंस कोचिंग की व्यवस्था की जाती है या नहीं। साइंस शिक्षा स्कूलों में देने का सवाल है, वह दी जाती है लेकिन एक्स्ट्रा कोचिंग होस्टल में देने का प्रश्न है उसका यह उत्तर दिया है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : यह व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा करवाई जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या आप चाहते हैं कि पिछड़ी जातियों के लिए कोई खास व्यवस्था की जाय? पिछड़ी हुई जातियों को आप ऊपर लाना चाहते हैं तो खास-तौर से आधुनिक युग में साइंस शिक्षा अनिवार्य है। आप साइंस शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करते जब कि लाखों रुपये खर्च करते हैं तो आदिवासियों के लिये साइंस कोचिंग की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हर काम में आदिवासियों के लिए, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये यह कह कर दूर हो जाते हैं कि अर्था-भाव है, अर्थभाव है।

श्री शिवचरण माथुर : सवाल को समझिये, उसके बाद इसको समझने की चेष्टा कीजिये। सवाल यह है कि होस्टल में साइंस कोचिंग, एक्स्ट्रा साइंस कोचिंग का अरेन्जमेंट है या नहीं। मैंने अर्ज किया, जो शालाओं में उपलब्ध है, तो यह आवश्यक नहीं है कि एक्स्ट्रा कोचिंग किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक प्रश्न और करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह होस्टल्स इतने बड़े हैं तो क्या एक दो होस्टल में लेबोरेट्री सेट अप नहीं कर सकते और वहां साइंस की शिक्षा देने का प्रबन्ध नहीं कर सकते।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात हो सकती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह सुझाव अच्छा है।

कुशलगढ़ बांसवाड़ा सड़क पर पुलों का निर्माण

885. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) कुशलगढ़ बांसवाडा सड़क पर कितने नदी नालों पर पुल बनवाये जाने की आवश्यकता है और कौन कौन से?

(2) क्या इनमें से कुछ पुलों के निर्माण की स्वीकृति भी हुई थी? यदि हां, तो कौन कौन से पुलों की?

(3) क्या यह सही है कि इन पुलों के अभाव में वर्षा के मौसम में आवागमन रुक जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इनका निर्माण शीघ्र कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (1) दो। एक मील 29/7 से 30 तथा दूसरा मील 31 के मध्य में।

(2) जी नहीं।

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) अधिक वर्षा पर यातायात में कठिनाई होती है। जी नहीं अर्थाभाव के कारण।

श्री हीराभाई : सुनाई नहीं दिया।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने प्रश्न का उत्तर दुबारा पढ़ा)

श्री हीराभाई : कठिनाई होती है, यह तो आप मानते हैं, पर यह कठिनाई कब तक होती रहेगी, इस कठिनाई को दूर कब तक करेंगे ?

श्री अमीनुद्दीन : कठिनाई नहीं हो पाये, जल्दी से जल्दी दूर हो जाय यह हमारी कोशिश होगी।

श्री हीराभाई : पुलों के निर्माण की योजना कब से निर्धारित की है ? योजना पूरी करने में क्या कठिनाई आई। धन का अभाव तो अकाल का बहाना ले कर बता रहे हैं। आज से बुराकुआं नाला और गिट्टी नदी के नाले के टेन्डर बहुत पहले निकाले थे। धनाभाव था तो ये टेन्डर क्यों निकाले ? इस प्रकार के छोटे छोटे पुलियाओं की नींवें खुदाई जा चुकी हैं ? जब इनकी नींव वगैरह खुदवाई जा चुकी है तो क्यों नहीं पूरा किया जाता, अगर धनाभाव था तो टेन्डर क्यों निकाले और इनकी नींवें क्यों खुदवाई ? आपका डिपार्टमेंट यह क्या कर रहा है ?

श्री अमीनुद्दीन : टेन्डर का तो मुझे मालूम नहीं पर इस सड़क पर 25 मील तक पुल पुलियाएं बन गई हैं। आगे दो नदियां आती हैं, ज्योंही इनकी बारी आयेगी, इनको शुरू किया जायगा और इस कठिनाई को जितना जल्दी हो सके दूर किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री हीराभाई : एक पुल पर तो गत साल से काम आरम्भ है, नींव खुदी हुई है, वह काम थोड़ा थोड़ा धीरे-धीरे चला कर बन्द कर दिया, भूरा कुआ और गिट्टी नदी पर पुल क्यों नहीं बनवाया ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर मन्त्री महोदय ने दे दिया है। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 336।

श्री बृजवल्लभ !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह !

विजय द्वार मोहल्ले की सडक

887. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि 1959 में नगरपालिका मकराना ने विजय द्वार मोहल्ले की सडक जो करीब 250 फुट है, बनाने की मंजूरी दी थी ? यदि हां, तो सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ ?

उप मंत्री स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : जी नहीं।

श्री **विजयसिंह** : क्यों नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा . 1959 में नगरपालिका मकराना ने 250 फुट सड़क निर्माण सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पास नहीं किया क्योंकि विजय द्वार मोहल्ला ठिकाने का निजी क्षेत्र

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
है, जनता द्वारा इसे काम में नहीं लिया जाता ।

श्री विजयसिंह : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री विजयसिंह : 59 में कैसे नहीं हुआ हैं । विजय द्वार मोहल्ले में लोग रहते हैं, आप कैसे कहती हैं कि निजी क्षेत्र है । फिर यह 250 फुट सड़क बनाने का काम क्यों नहीं हाथ में लिया गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसलिये नहीं लिया कि वह निजी क्षेत्र है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या विजय द्वार विजयसिंहजी मकराना के नाम से बना है ?

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि मकराना में यह नीति रही है कि एक भी हिन्दू मोहल्ले में सड़क नहीं बने ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो जो वहां सड़कें बनी हैं, उनकी लिस्ट दे सकती हूं ।

श्री विजयसिंह : इस मोहल्ले में लोगों की बस्ती है, लकड़ियों की गाड़ियां, धान की बोरियों की गाड़ियां आती हैं तो उनको चढ़ाने में जनता को बड़ी मुसीबत रहती है । 59 में, प्रस्ताव पास किया पर हिन्दू मोहल्लों में सड़क नहीं बने, ऐसी नीति अपनाई जा रही है इसलिये यह सड़क नहीं बनी । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस 250 फुट की सड़क को बनाया जाय ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : माननीय सदस्य जो आक्षेप लगा रहे हैं उसमें तथ्य प्रतीत नहीं होता फिर भी यदि यह ठिकाने का निजी क्षेत्र नहीं है तो, इसकी जांच करवा ली जायगी ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : 59 में प्रस्ताव पास हुआ, तो 250 फीट के टुकड़े को बनाने के लिये क्या आपत्ति है सरकार को ?

श्री उपाध्यक्ष : यह नगरपालिका क्षेत्र है । अगला प्रश्न ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह उत्तर में बता दिया है ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका उत्तर चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है ।

श्री विजयसिंह : अभी आश्वासन दिया है, विधान सभा का सत्र समाप्त हो जावेगा और कोई कार्यवाही नहीं होगी । खेतसिंहजी ने डी. वाई. एस. पी. के लिये आश्वासन दिया था पर वह हमारी छाती पर मूंग दल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आश्वासन खत्म नहीं होता । आश्वासन समिति बनी हुई है ।

अगला प्रश्न !

श्री ओमदत्त भाटी ।

अस्पतालों में मरीजों का इलाज

888. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर व उदयपुर के सरकारी अस्पतालों

(श्री ओमदत्त भाटी)
द्वारा 1956 व 57 और 1966-67 में कितने आउटडोर और कितने इनडोर मरीजों का इलाज किया गया ?

(2) ऊपर लिखित अस्पतालों में छोटे बड़े मिला कर कुल कितने आपरेशन इसी अवधि में किये गये ?

(3) इन अस्पतालों का बजट इन्हीं दो सालों का कितना था ? उसमें से दवाइयों का कितना बजट था ?

(4) क्या बजट बनाते वक्त मरीजों की संख्या और मूल्य सूचक अंक का ध्यान रखा जाता है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा सिंह) : (1) चाही गई सूचना की तालिका संलग्न है।

(2) चाही गई सूचना तालिका में अंकित है।

(3) चाही गई सूचना भी तालिका में अंकित है।

(4) जी हां। जहां तक सम्भव होता है। पर मुख्यतः बजट प्रावधान संस्थाओं की आवश्यकता को ध्यान में रख कर बनाया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी : मन्त्री महोदय, कृपया बतायें कि अजमेर में रेकार्ड नष्ट क्यों कर दिया गया ? क्या यह स्टेन्डिंग आर्डर है कि इतने वर्षों बाद रेकार्ड नष्ट किया जाता है, यह पहले ही कैसे नष्ट कर दिया गया ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह: यह राजस्थान के मर्जर के पहले का रेकार्ड है जो उपलब्ध नहीं है और न हम पूछ सकते हैं कि क्यों रेकार्ड नष्ट किया गया।

श्री ओमदत्त भाटी : अजमेर का मर्जर कब हुआ ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 5 नवम्बर 56 में।

श्री ओमदत्त भाटी : मैंने 56-57 का पूछा है, कृपया सूची देखें, सोच के जवाब दें, तैयार हो कर नहीं आई हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने आपका प्रश्न सुना नहीं। 5 नवम्बर को अजमेर का मर्जर हुआ था। वहां इस प्रकार का पहले का रेकार्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिये मैं यह बताने में असमर्थ हूं।

श्री ओमदत्त भाटी : दूसरा सवाल यह है कि क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि उदयपुर और जोधपुर के अस्पतालों का आउटडोर, इन्डोर पेशेन्ट्स का नम्बर देखें तो जोधपुर का उदयपुर से ढाई गुना ज्यादा नम्बर है फिर भी बजट चौदह, चौदह लाख का दोनों जगह बराबर रहता है, यह भेदभाव क्यों है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस सम्बन्ध में, मेरा निवेदन है कि अलग अलग अस्पतालों के बजट लगभग हमारे यहां से स्वीकार किये जाते हैं। प्रिंसिपल मेडिकल कालेज को अधिकार होता है कि वह मरीजों पर, दवाइयों पर या इक्विपमेंट पर इनमें से किस पर ज्यादा खर्च करे, किस पर कम खर्च करे। संख्या का आधार कहा तो मरीजों की संख्या जहां बीमारी कम होगी वहां संख्या कम हो

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
जायगी और जहां बीमारी ज्यादा होगी वहां संख्या ज्यादा हो जायगी।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : यह बजट का अलोटमेंट किस आधार पर किया जाता है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री जी की मरजी पर।

श्रीमती सुमित्रासिंह : क्लासिफिकेशन के आधार पर किया जाता है।

श्री शंकरलाल : बजट किस आधार पर अलॉट किया जाता है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : क्लासिफिकेशन और बजट दोनों ही मरीजों की संख्या के आधार पर किया जाता है। स्टेट्स थीं तो अलग अलग संख्या और अलग बजट प्रावधान थे।

श्री शंकरलाल : मरीजों की संख्या को आधार बतलाते हैं तो उदयपुर से जोधपुर होस्पिटल के मरीजों की संख्या ढाई गुना ज्यादा है, फिर भी आपने वहां बजट क्यों नहीं बढ़ाया ? मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जोधपुर में पेशेन्ट्स की हालत खराब है, दवाइयों की कमी है, दूसरे इक्विपमेंट्स की कमी है, जोधपुर में होस्पिटल के लिये बजट में कमी है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : दवाइयों का प्रतिशत सबसे कम जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल का है।

श्री ओमदत्त भाटी : मैं टोटल बजट का ता हूं, मरीजों की संख्या के आधार पर बजट अलॉट करते हैं तो जोधपुर में उदयपुर से ढाई गुना मरीजों की संख्या ज्यादा है, फिर यह भेदभाव क्यों है ?

श्री शंकरलाल : जयपुर का बजट अधिक है यह मैंने नहीं पूछा है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर का सबसे कम है।

श्री शंकरलाल : जोधपुर में कम है उदयपुर से इसके लिये पूछता हूं...

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि जोधपुर का दवाइयों का बजट सबसे अधिक है।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि आप जोधपुर दौरे पर गई तो आपने खुद ने देखा था कि वहां अस्पताल में मरीजों के नीचे गद्दे नहीं हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : गद्दे इक्विपमेंट में आते हैं, दवाइयों में नहीं आते।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि आपने जोधपुर का दौरा किया तो देखा कि मरीजों के नीचे गद्दे नहीं बिछाये जाते थे, यह सही है या नहीं ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : कहीं दवाइयों की कमी है, कहीं गद्दों की कमी है, कहीं और साधनों की कमी है।

श्री जगन्नाथ : आपको यह भी मालूम है कि हमारे यहां दो महीने से दवाइयां नहीं आई हैं.....

श्री डूंगाराम : आपने जयपुर के लिए सबसे कम बजट बताया दवाइयों के लिए इसका क्या कारण है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अस्पताल में गद्दों की कमी है लेकिन मंत्रियों में तो गधों की कमी नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल जैतारण।

हायर सेकेन्डरी स्कूल जैतारण का भवन

889. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की जैतारण तहसील के मुख्यालय पर हायर सेकेन्डरी स्कूल का भवन जनता द्वारा चंदे से खडा किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस स्कूल भवन का बीच का हाल व कमरे अधूरे पड़े हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस स्कूल भवन के लिए सरकार की तरफ से कुछ भी रकम कभी भी नहीं दी गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस स्कूल भवन का अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के भी सुपुर्द नहीं किया गया है ?

(5) इस स्कूल भवन को सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुपुर्द कराने के लिए व अधूरे भवन को पूरा कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) यह सत्य नहीं है सरकार की तरफ से पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा 10,000) की लागत से 2 कमरे बनाये गए हैं।

(4) यह सही है।

(5) दान पत्र जनता द्वारा भरा जा चुका है। भवन के देखरेख की जिम्मेवारी पी. डब्ल्यू. डी. की है जिसके लिए मुख्य अभियन्ता को प्राथमिक व माध्यमिक निदेशालय के पत्र संख्या शिविरा योजना (5) 2476 12166, दिनांक 19-5-66 को ही लिया जा चुका है और पंजीकृत दान पत्र की प्रति भी भेजी जा चुकी है। जनता से सहयोग देकर भवन को पूरा करने के लिए निवेदन किया गया है।

श्री शंकरलाल : हाल को पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजना है ? जनता ने कितना पैसा दिया और सरकार ने कितना ?

श्री शिवचरण माथुर : सरकार ने 10 हजार रु. दिया और बाकी सारा पैसा जनता ने लगाया है। आर्थिक संकट की वजह से इसको पूरा नहीं किया गया है। जब सुविधा होगी पूरा किया जायेगा।

श्री शंकरलाल : जनता का चंदा कितना था ?

श्री शिवचरण माथुर: 10 हजार के अलावा जनता का ही था।

श्री उपाध्यक्ष: श्री लाभ चन्द बैद !

दुकानदार की पिटाई

890. **श्री लाभचन्द बैद** (सुजानगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ नगर में तारीख 26 जनवरी, 1968 को थानेदार द्वारा एक दुकानदार को पीटा गया ?

(श्री लाभचन्द बैद)

(2) क्या यह सही है कि तारीख 26 जनवरी, 1968 को इस दुकानदार को पीटने के कारण पुलिस विरोधी जलूस निकाला ? अगर हां, तो थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप मंत्री गृह (श्री खेतसिंह): (1) दिनांक 26-1-68 को राजगढ़ नगर में थानेदार द्वारा किसी दुकानदार को नहीं पीटा गया ।

(2) दिनांक 26-1-68 को पुलिस द्वारा मारपीट के विषय में कोई जलूस राजगढ़ में नहीं निकला । थानेदार के बिरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री लाभचन्द बैद : हर चीज की सीमा होती है । यह जबाब तो एकदम सीमा से परे है । जनता का बडा जलूस निकला, दुकानदार को पीटा गया और दोनों चीजों से ग्राप मुकर रहे हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: क्या मंत्री महोदय के झूठ की कोई सीमा है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल: क्या यह सही है कि 26-1-68 को राजगढ़ के ग्रन्दर कोई जलूस निकला था, प्रदर्शन निकला था ?

श्री उपाध्यक्ष: इसका जवाब तो दे दिया ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: उन्होंने कहा कि थानेदार के विरुद्ध नहीं निकला ।

श्री खेतसिंह: सवाल था कि थानेदार ने दुकानदार को पीटा, इसलिए कोई जुलूस निकला, मैंने जबाब दिया है कि ऐसा कोई जलूस नहीं निकला ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जुलूस तो निकला ?

श्री खेतसिंह: यह ग्रलग से प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष: (मंत्री महोदय से) ग्रगर जुलूस निकला है तो सिर्फ टेक्नीकल पोइन्ट पर अवाइड मत करें ।

श्री खेतसिंह : मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर कैसे कहते हैं कि पीटने के मामले में जुलूस नहीं निकला, यह इम्प्लाइड है कि जुलूस निकला लेकिन थानेदार के विरुद्ध नहीं निकला ।

श्री खेतसिंह : मैंने जुलूस निकालने का नहीं कहा । वह गणतंत्र दिवस था, इस दिन पाठशालाओं के ग्रन्दर कई समारोह मनाए जाते हैं, लड़के जुलूस निकालते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : गणतंत्र दिवस पर जुलूस में ये नारे लगते हैं क्या किसी का नाश हो ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि थानेदार के विरुद्ध नारे लगाते कोई जुलूस नहीं निकला । इससे ध्वनी निकलती है कि जुलूस निकला लेकिन थानेदार के विरुद्ध नहीं । दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जानकारी नहीं कि जुलूस निकला या नहीं ! तो ग्राप यह नहीं कह सकते कि थानेदार के विरुद्ध निकला । उत्तर पर्याप्त नहीं है । ग्रगर जुलूस निकला तो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
किसके विरुद्ध निकला ? क्या नारे लगा रहे थे ? अगर थानेदार के विरुद्ध आपको कहने में आपत्ति है ? पहले तो जुलूस के लिए आप इन्कार कर रहे हैं ।

श्री खेतसिंह : मैंने बिल्कुल साफ जवाब दिया दिया है । मैंने जवाब दिया है कि न तो कोई पीटा न थानेदार के खिलाफ जुलूस निकला । वह दूसरा प्रश्न है कि 26 जनवरी थी, उस दिन कई समारोह राजगढ़ में हुए, अगर उसमें कोई जुलूस निकला होगा तो मुझे मालूम नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री दुर्गालाल बादृदार: आप कहते हैं कि कई समारोह हुए । कौन 2 से समारोह हुए ? कोई रामनोमी का मेला था या और कोई मेला था ।

श्री खेतसिंह: 26 जनवरी को हर शहर के अन्दर ऐसे समारोह हुआ करते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : काले झंडे लेकर ?

श्री लाभचन्द बैद : मैं स्वयं राजगढ़ गया था, मैं छान बीनकर आया हूं, पुलिस के खिलाफ जुलूस निकला । एक ऐसे भले आदमी को पीटा गया जिससे सारी जनता में रोष पैदा हुआ और उसके विरुद्ध नारे लागाए ।

श्री उपाध्यक्ष (मंत्री महोदय से) : आप और जानकारी ले लें ।

श्री खेतसिंह : मेरी जानकारी है कि वहां डी. वाई. एस. पी. ने सारे मामले की जांच की और जिस आदमी के लिए बताते हैं कि उसको पीटा, उसके खुद के बयान हैं और उसने इन्कार किया है ।

श्री लाभचन्द बैद : अगर मंत्री महोदय वहां पधारें तो मैं उनके साथ चलूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उप मंत्री महोदय का उत्तर मैं समझता हूं कि एक हद तक स्मार्ट है और प्रश्नकर्त्ता के साथ क्या उपमंत्री महोदय जाकर इस मामले में छानबीन करने को तैयार हैं कि 26 जनवरी को जुलूस निकला या नहीं । अगर निकला तो क्या नारे लगा रहा था । लेकिन क्या उदारतापूर्वक प्रश्न के प्रति सहानुभूति रखकर आप कन्डसेंड करके वहां जाकर दरयाफ्त करवायेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप एक जवाब दें । यह जो जांच की किसको शिकायत पर जांच की ?

श्री खेतसिंह : जांच श्री देव किशन की शिकायत पर की गई । उन्होंने शिकायत की थी कि हमारे यहां पर राजगढ़ में ओंकारमल ब्राह्मण को पीटा है और जब ओंकारमल से बयान लिया गया तो उसने साफ कहा कि मुझे नहीं पीटा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसी जांच अधिकारी की रिपोर्ट है कि कोई जुलूस नहीं निकला ?

श्री खेतसिंह : जी हां, डी. वाई. एस. पी. । उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उनके बयान लिए गए । हालांकि श्री देव किशन ने अपने बयान में यह बात कही है कि उसको पीटा था लेकिन जिसको पीटा उसने खुद ने कहा कि उसकी मारपीट नहीं हुई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो जांच की गई वह केस रजिस्टर कर के की गई ?

श्री खेतसिंह : यह तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो जब पीटने की शिकायत की गई तो केस रजिस्टर क्यों नहीं किया गया।

श्री खेतसिंह : मामूली वाका हुआ, ऐसे केसेज रजिस्टर नहीं होते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मामूली वाके पर डी. वाई. एस. पी. जांच करने नहीं जाता।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जब डी. वाई. एस. पी. के पास शिकायत आई तो उसका कर्तव्य था कि जांच करे। अगर जुर्म बनता तो केस रजिस्टर करे। किसी भी सरकारी मुलाजिम द्वारा किसी भी आदमी से इस प्रकार का व्यवहार करे तो ऐसी हालत में डी. वाई. एस. पी. का कर्तव्य था कि वह जांच करे।

श्री लाभचन्द बैद: वहां पर जिस व्यक्ति ने पीटा वह थानेदार था। आप एक साधारण आफीसर को भेजकर जांच करवाना चाहते हैं तो कैसे हो सकता है ?

श्री खेतसिंह : डी. वाई. एस. पी. एक साधारण व्यक्ति है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे एक बात का उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : आपके स्थान पर यदि वह अधिकारी बैठे तो अच्छा है क्योंकि आप जानकारी उनसे करवाते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : तीन दिन पहले जैसे खेतसिंहजी ने कहा सदन में, नोहर में जो सिंधी को जलाया गया उसको नहीं पकड़ा गया...

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

जयपुर नगर में ग्रान्ट-इन-एड से चलने वाले स्कूल

891. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : (हवामहल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में कितने स्कूल ऐसे चल रहे हैं जिनको राज्य सरकार से कोई ग्रांट-इन-एड नहीं दी जाती तथा आठवीं श्रेणी तक कुल कितने विद्यार्थी इनमें शिक्षा पा रहे हैं ?

(2) क्या नगर की वर्तमान जन-संख्या व विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार स्कूलों की संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं तो क्या प्रति वर्ष बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर सरकार स्कूलों में वृद्धि का विचार रखती है ?

(3) सरकारी ग्रांट-इन-एड से चलने वाले स्कूल जयपुर नगर में कितने हैं और प्रत्येक स्कूल को कितनी कितनी ग्रांट-इन-एड दी जाती है और इनमें कितने कितने विद्यार्थी प्रति वर्ष शिक्षा पा सकते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जयपुर नगर में कुल 41 ऐसी मान्यता

(श्री शिक्षा मंत्री)
प्राप्त शालाएँ हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया जा रहा है। इन संस्थाओं में आठवीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की स्थिति निम्न प्रकार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लिस्ट रख दीजिए, पढ़ने की क्या जरूरत है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर दें, ये जो 41 संस्थायें हैं जिनका राज्य सरकार ग्रांट-इन-एड नहीं देती है...

श्री शिवचरण माथुर : इनमें कुल मिला कर 7031 छात्र संख्या हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इनको ग्रांट-इन-एड न देने का क्या कारण है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं सारा जवाब पहले पढ़ लूं।

(12. मध्यान्ह)

क्रमांक	शालाओं का प्रकार	संख्या	छात्र संख्या लड़के	छात्र संख्या लड़कियां	योग
(1)	उच्च माध्यमिक विद्यालय	1	920	..	920
(2)	माध्यमिक विद्यालय	4	810	510	1321
(3)	प्राथमिक शालायें	36	5301	935	6236
	योग ..	41	7031	1446	8477

(2) जी हां, प्रतिवर्ष बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या के शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा (1) नई निजी संस्थाओं को मान्यता देकर शालाओं की संख्या में वृद्धि की जाती है, (2) आवश्यकतानुसार अध्यापकों की संख्या में वृद्धि की जाती है, (3) शालाओं को दो पारियों में चलाया जाता है, (4) प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में और माध्यमिक शालाओं को उच्च माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत कर शिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, (5) इसके साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उनमें बढ़ती हुई छात्र संख्या के आधार पर अनुदान स्वीकृत कर प्रोत्साहन दिया जाता है।

(3) जयपुर नगर में कुल 64 ऐसी शालाएं हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है। इसमें उच्च।उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 13, माध्यमिक विद्यालय 17 और प्राथमिक विद्यालय 34 हैं। प्रत्येक स्कूल को उसके कुल मान्य व्यय का 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक दिया जाता है। इनमें 21186 छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त करते हैं। सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: मेरा तो निवेदन करना यह है कि 41 संस्थायें हैं जिनको राज्य सरकार ग्रान्ट–इन-ऐड नहीं देती। इसका क्या कारण है। 41 संस्थायें हैं जिनमें 8,477

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनको ग्रान्ट इन-ऐड नहीं देने का क्या कारण है?

श्री शिवचरण माथुर : राजस्थान में बहुतसी मान्यता प्राप्त संस्थायें हैं जिनको ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जाती है धना–भाव के कारण। और फिर एक ग्रान्ट-इन-एड कमेटी है, उसकी सिफारिशों पर दी जाती है। राजस्थान में ऐसी और भी संस्थायें हैं, जिनको अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक बात और बता दीजिये, प्रत्येक स्कूल में हर क्लास में आप अधिक से अधिक कितने छात्रों को बैठा सकते हैं। आपने यह तो कहा कि जितनी आवश्यकता हो उसकी सुविधा देख कर करते हैं, आप यह भी कहते हैं कि मास्टर बढ़ा देते हैं, स्कूल का प्रमोशन कर देते हैं, किन्तु सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक कमरे में आप अधिक से अधिक कितने छात्रों को बैठा सकते हैं।

श्री शिवचरण माथुर: यह मैं स्वीकार करता हूं कि अरबन ऐरियाज में यह समस्या····

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: जयपुर शहर में एक कमरे में····

श्री शिवचरण माथुर: यह तो कमरे की लम्बाई चौड़ाई पर निर्भर करता है। 24 बाई 20 का कमरा है तो उसमें 40 विद्यार्थी बैठ सकते हैं और इससे कम है तो 25–30 बैठ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपके केबिनेट के मंत्रियों के बच्चों के लिये ऐडमिशन डेज आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन जयपुर शहर के रहने वाले गरीब आदमियों के बच्चों के लिये विचार करिये, उनके बच्चों को ऐडमिशन में बड़ी दिक्कत आती है। कमरे इससे बड़े नहीं जिसमें 20–25 और अधिक से अधिक 40 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। क्या आप पढ़ते हुये छात्रों की संख्या के आधार पर कमरों की एकमोडेशन को देखते हुये नये कमरे नहीं बनवा सकते क्या? मिडिल स्कूल हैं, उसको आप मैट्रिक स्टेन्डर्ड तक कर देते हैं, मैट्रिक स्टेन्डर्ड तक के स्कूलों को आप हायर-सेकेन्डरी में कर देते हैं। जब तक आप स्कूल नहीं बढ़ायेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है। इसके लिये क्या आप यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि जयपुर में जितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार कम से कम 5–7 स्कूल बढ़ायेंगे।

श्री शिवचरण माथुर: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट निवेदन किया है कि स्कूल की शार्टेज होती है, कमी होती है तो हम स्कूलों को 2–3 शिफ्टों में चलाते हैं। आज की हालत में नये स्कूलों को खोलना, उनके लिये नये भवन बनवाना सम्भव नहीं है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि स्कूल को कई शिफ्टों में काम में लिया जाय। हमारे यहां जयपुर में जो स्कूलों का औसत है वह एक लाख की हर जन संख्या पर चार हायर सेकेन्डरी स्कूल और फी एक लाख पर 7 माध्यमिक शालायें और 82 प्राइमरी स्कूलें हैं जबकि राजस्थान के सारे ऐरियाज में हाई स्कूल हायर सेकेन्डरी स्कूल और

(श्री शिवचरण माथुर)
प्राइमरी स्कूल्स कम हैं। इसलिये आज यह कहना कि स्कूल बढ़ा दिये जायें, मेरे लिये सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: एक छोटा सा प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय। मैंने जो कुछ कहा उसकी सहानुभूति है लेकिन····

श्री उपाध्यक्ष: आप संक्षेप में कहेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: लेकिन आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि जयपुर नगर में आपका सचिवालय है। आपके कई कार्यालय यहां हैं इस दृष्टि से यहां पढ़ने के लिये कितने छात्र हैं ज्यादा हैं इसके अनुपात में लेने की चेष्टा न करें। आप आंकड़ों के आधार पर·····

श्री शिवचरण माथुर: जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार····

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: कम से कम बढ़ते हुये छात्रों की संख्या के आधार पर स्कूलों की व्यवस्था करने की चेष्टा करें।

श्री शिवचरण माथुर: मैंने स्पष्ट निवेदन किया है कि आवश्यकता के अनुसार सरकार व्यवस्था करती है लेकिन आप चाहते हैं कि कितने स्कूल नये खोल देंगे, यह सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुये। स्थगित प्रश्न।

श्री राजवी रूप सिंह !

श्री राजवी रूपसिंह: In view of the statement made by the Law Minister and the Finance Minister, don't want to raise this question further.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप इस प्रश्न को वापिस लेना चाहते हैं। मैं यह कहना चहता हूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कब तक तरमीम करने की बात है और सी.आर. में नेसेसरी अमेन्डमेंट कब तक हो जायेंगे।

श्री हरिदेव जोशी: क्वेश्चन ही पुट अप नहीं किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वह जवाब मैंने पूछ लिया है अभी तो आप एक्जीक्यूटिव के आर्डर से करेंगे मैं तो हाऊस के रेकार्ड में लाना चाहता था।

श्री दामोदरलाल व्यास: वह तो कल कह दिया था।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न 474।

स्थगित प्रश्न
(6-3-68)

बोर्डर पब्लिसिटी के लिए सामान की खरीद

474. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): कृष्णकुमार गोयल (कोटा) द्वारा पूछा गया: क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) सन् 1965-66 में बोर्डर पब्लिसिटी के लिये कितना रुपया भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ और उक्त मद से कितनी कितनी कीमत का क्या क्या सामान कब कब, किस किस फर्म से

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
खरीदा गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सामान जिन फर्मों से खरीदा गया है उनमें से कुछ फर्मे ऐसी भी हैं जो विभाग द्वारा ब्लेक लिस्ट की गई थीं? यदि हां, तो कौन कौन सी फर्में हैं और उनसे कितना कितना कब कब सामान खरीदा गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त सामान खरीदने के लिये यदि कोई टेन्डर आमंत्रित किये गये हों तो टेन्डर मांगने के नोटिस की प्रति मय शर्तों व आये हुये टेन्डरों तथा मंजूर किये जाने के आदेशों की प्रतियों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार को उक्त सामान की खरीद के बारे में कोई अनियमित कार्यवाही होने की जानकारी मिली? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई और उसमें कौन कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही कब कब की गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क (श्री जय कृष्ण): (1) भारत सरकार द्वारा सन् 1965-66 में बार्डर पब्लिसिटी के लिये कोई धनराशि विशेष तौर पर स्वीकार नहीं की गई थी। राज्य सरकार द्वारा ही इसके लिये 1,45,000 रु. की धनराशि स्वीकार की गई थी। इस राशि में से केवल 71,970,-50 रु. का सामान खरीदा गया। जिन जिन फर्मों से जो सामान खरीदा गया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जनसम्पर्क निदेशालय की खरीद विषयक पत्रावली खोई गई है अतः टेन्डर मांगने के नोटिस की प्रति इत्यादि प्रस्तुत सम्भव नहीं है। आदेशों की प्रतियां जो उपलब्ध हैं की सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(4) जी हां, इन अनियमितताओं के बारे में जांच अभी जारी है।

(सूची दिनांक 6-3-68 की कार्यवाही में लगा दी गई है)

श्री कृष्ण कुमार गोयल: क्या यह सही है कि मैसर्स टाक स्टूडियो से सामान खरीदा गया है।

श्री जयकृष्ण: जी हां।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: क्या यह सही है कि 64 में जनरेटर सप्लाई न करने के कारण इस फर्म के खिलाफ कार्यवाही की गई थी?

श्री जयकृष्ण: इस फर्म ने सामान सप्लाई नहीं किया था। इसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये हमने होम डिपार्टमेंट को कार्यवाही करने के लिये हमने डिपार्टमेन्ट को लिख दिया था।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: क्या यह सही है कि इस डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्यवाही करने के बाद होम डिपार्टमेंट के लिख देने के बाद टाक स्टूडियो से सामान खरीदा गया है?

श्री जयकृष्ण : कार्यवाही नहीं की है, लिखा गया है। जिस समय सामान खरीदा गया उस समय अधिकारी ने फाइल दबा ली थी इसलिये वह सामान खरीद लिया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: क्या यह सही है कि 64 में खरीद इस स्टूडियो से की गई थी वह भी इसी विभाग द्वारा की गई थी ?

श्री जयकृष्ण: जी हां।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: क्या यह सही है कि इस सारे सामान के क्रय के लिये एक विशेष समिति का गठन किया गया है ?

श्री जय कृष्ण: जी हां।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: क्या यह सही है कि इस जनरेटर की खरीद के लिये इस क्रय समिति की कोई अनुमति या सलाह नहीं ली गई ?

श्री जयकृष्ण : जी नहीं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या माननीय मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं 22 हजार रुपये का जो जनरेटर खरीदा था उसको परचेज करने के लिये समिति ने सिफारिश कर दी थी ?

श्री जयकिशन शर्मा: जी ऐसा नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: तो फिर किस तरह से खरीदा।

श्री जयकिशन: चूंकि वह फाइल अवेलेबल नहीं थी इसलिये यह कहना कि उस कमेटी में तय हुआ या नहीं यह संभव नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: यह फाइल किस अधिकारी के पास थी ?

श्री जयकिशन : अकाउन्ट्स आफिसर के पास।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: तो उनके खिलाफ क्या मामला इन्क्वायरी के लिये दे दिया ?

श्री जयकिशन: इन्क्वायरी के लिये क्रिमिनल ब्रान्च को दे दिया है। वे पहले से ही सस्पेन्ड हैं ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल: इस जेनरेटर के संबध में टैक्निशियन्स की रिपोर्ट थी कि यह जनरेटर काबिल काम नहीं है इसलिये इसको नहीं खरीदा जाय ?

श्री जयकिशन: ऐसी कोई इनफोरमेशन नहीं है। वह फाइल ही अवेलेबल नहीं है तो यह कहना कि जनरेटर खराब है या अच्छा यह कैसे कहा जा सकता है। इस बात पर कमेटी की क्या राय थी यह बताने में असमर्थ हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: जिस अधिकारी के लापरवाही के कारण यह फाइल गायब हुई है उस अधिकारी की जिम्मेदारी आयत करके जांच करा रहे हैं ?

श्री जयकिशन : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल: क्या यह सही है कि जो अधिकारी जांच कर रहे थे उनके पास जो फाइल थी वह भी गायब हो गई है ?

श्री जयकिशन: एक अफसर को जांच करने के लिये लगाया था उसने जांच शुरू ही की थी वह फाइल भी गायब हो गई।

श्री कृष्णकुमार गोयल: मैं निवेदन कर दूं जिस पर जिम्मेदारी आयद करने के लिये फाइल बनायी गई थी वे सारे कागजात गायब हो गये। इसके अलावा जो परचेज करने के लिये समिति बनाई गई थी उसकी भी सलाह नहीं ली गई वे सारे कागजात गायब कर दिये जिस फर्म को ब्लेक लिस्ट करने के बारे में कार्यवाही चल रही थी उस संबंधी कागजात गायब कर दिये और उसके बाद उसी फर्म से माल खरीदा गया आज तक किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की है ?

श्री जयकिशन: ऐसी बात नहीं है ये जो दो फाइलें हैं पहले जो आपने कहा वह फाइल टेन्डर वगैरह की थी उसके लिये विभागीय इन्क्वायरी बिठा दी गई, एक अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल शुरू कर दी गई वह फाइल भी गायब होगई। इसके गायब होजाने के बाद वह केस पुलिस को दे दिया गया। इससे पहले वाली फाइल के बारे में विभागीय जांच हो रही थी वह हुई। जिसके पास फाइल थी उस अकाउन्ट्स आफिसर को जो पहले ही किसी मामले में ससपेन्ड है और उसको डबल ससपेन्ड तो कर नहीं सकते इसके सिवाय और क्या कार्यवाही हो सकती है यह आप ही सोच सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सामान्य घोटाले और सामान की खरीद में गड़बड़ी तो राज्य सरकार में हुआ ही करती है। लेकिन यह जो गड़बड़ हुई है यह उन कारणों से संबंध रखती है जो 1965-66 में इन्डो-पाक संघर्ष हुआ था उससे ताल्लुक रखने वाली बात है। बोर्डर एरियाज में पब्लिसिटी के लिये करीब डेढ़ लाख रुपये का अलोकेशन राज्य सरकार ने किया था। उसमें मकसद यह था कि राज्य सरकार की तरफ से अच्छी पब्लिसिटी हो ताकि राज्य की ओर खास तौर बोर्डर इलाके की जनता को उस आक्रमण के बारे में शिक्षित किया जाय इसलिये यह बोर्डर पब्लिसिटी का प्रोग्राम बनाया उसके लिये सामान खरीदने में जो घोटाला हुआ वह सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं बोर्डर पब्लिसिटी के लिये जो सामान खरीदा जाय उसमें भी घोटाले होजांय इससे ज्यादा लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जांच वांच इस विभाग की होने वाली नहीं जब तक कि इस डिपार्टमेन्ट के हेड आफ दी डिपार्टमेन्ट राजेन्द्रशंकर भट्ट हैं। जिनके खिलाफ काफी अरसे से जांच चल रही थी वह जांच पूरी नहीं हुई। सचिव चले गये, जांच करने वाले चले गये, होम सेक्रेटरी चले गये, इन्क्वायरी आफिसर बदल गये लेकिन अभी तक उनकी जांच का परिणाम नहीं आया। इनका तो हाल ही अजीब है। इनके द्वारा अखबारों को एडवरटाइजमेन्ट में गड़बड़ी भयंकर घोटाले लेकिन इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। एडवरटाइजमेन्ट के लिये कमेटी बनाने का सवाल था लेकिन उसकी आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। एडवरटाइजमेन्ट देते हैं तो अपने मरजीदान अखबार को देते हैं, कमेटी की मीटिंग नहीं, जिनके प्रदर्शनियों के अकाउन्ट नहीं, सामान की खरीद में घोटाला इससे ऐसा लगता है कि डी.पी. आर. का जो महकमा है वह एक तरह से घोटालों का महकमा होगया। इस विभाग की जांच होने वाली नहीं। ससपेन्ड करते हैं तो ए. ओ. करते हैं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
आप डी. पी. आर. को ससपेन्ड क्यों नहीं करते जब कि वह आफिस का हैड है।

श्री हरिदेव जोशी: माननीय सदस्य इस तरह से जो जोर से बोलकर हवा बनाने की कोशिश न करें·····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन डी.पी.आर. के ऐसे कारनामे हैं जिनकी कोई जांच नहीं कर पाता।

श्री हरिदेव जोशी : आप इस मामले में पोलिटिक्स मत लाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान के कई पत्रों की शिकायत आयी है एडवरटाइजमेन्ट के बारे में ये सब गड़बड़ियां श्री भट्ट के कारण हो रही हैं। इनके कार्यकाल में बहुत घोटाले हुए हैं जिनकी जांच पन्द्रह साल से चल रही है लेकिन जांच पूरी नहीं होती एडवरटाइजमेन्ट के लिये जो एडवाइजरी कमेटी बनाई उसकी एक भी मीटिंग नहीं बुलाई।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक इस परचेज का सवाल है मैं यह कहना चाहता हूं यह राजेन्द्रशंकर भट्ट के समय का नहीं था यह परमानन्द जी के समय का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो मुझे भी मालूम है।

श्री हरिदेव जोशी : तो आपको रेफर नहीं करना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो डी.पी. आर. है इन्होंने ब्लिट्ज के सम्पादक को यहां बुलाकर उनको चार हजार की शराब पिलाई।

श्री हरिदेव जोशी : बिल्कुल गलत।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनका काम ही यह है बाहर के सम्पादकों को बुलाकर शराब पिलाना।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य की ब्लिट्ज के सम्पादक से राय नहीं मिलती तो उनके हिसाब से उनको बुलाना ही नहीं चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बुलाने के विरोध में नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं डी. पी. आर. ने जो प्रेस कान्फ्रेंस बुलायी थी उसमें उन्होंने चाइना के साथ मेल-मिलाप करने की बात कही थी इसलिये हम इसके विरोधी हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जो मामला है उसके बारे में प्राइमाफेसी इन्क्वायरी कर ली गई जैसा कि मैंने सदन में आश्वासन दिया था प्राइमाफेसी इन्क्वायरी कम्प्लीट कर ली जायगी वह करदी गई है। अब कौन रेस्पोन्सिबल है और कौन नहीं यह सारी चीजें डिपार्टमेन्ट के देखने की है। डिपार्टमेन्ट इन्क्वायरी करके अपोइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा जा रहा है, केस पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद एक्शन लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

स्थगित प्रश्न

(7–3–68 व 20–3–68)

अभिवर्शकों की वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति

513. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में सन् 1950 के बाद नियुक्त हुए अधिदर्शकों में से कितने स्थायी पद पर कार्य कर रहे हैं और कितने अस्थायी पद पर ?

(2) इनमें से कितनों को अब तक स्थायी किया जा चुका है जिन्हें स्थायी नहीं किया गया है उसके क्या कारण हैं और कब तक करने का विचार है ?

(3) राज्य सरकार के निर्धारित कोटे के अनुसार 25 प्रतिशत अधिदर्शकों की पदोन्नति को ध्यान में रखकर क्या पदोन्नति की गई है ?

(4) जिन अधिदर्शकों का सेवा काल 10 वर्ष से अधिक हो चुका है उनकी पदोन्नति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ? अगर नहीं, तो क्या कारण हैं ?

(5) क्या इस प्रकार के कर्मचारियों की कोई वरिष्ठता पंजिका (सीनियोरिटी लिस्ट) तैयार की गई है ? अगर हां, तो अब तक आउट क्यों नहीं हुई ?

(6) क्या ऐसे लोगों की भी पदोन्नति की गई है जिन्हें सरकार द्वारा प्रमाणित डिप्लोमा प्राप्त नहीं है अथवा डिप्लोमा पास किये हुए नहीं हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद): (1) सन् 1950 के बाद नियुक्त किये गये अधिदर्शकों में से 322 व्यक्ति स्थायी पदों के स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तथा 261 व्यक्ति अस्थाई पदों के स्थान पर कार्य कर रहे हैं।

(2) सन् 1950 के बाद नियुक्त हुए अधिदर्शकों में से केवल तीन को स्थायी किया था शेष अभी तक अस्थायी हैं। स्थायीकरण के लिये अधिदर्शकों को विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य है किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक सरकार का कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ। मामला सरकार के विचाराधीन है।

(3) अधिदर्शक की पदोन्नति करने का 10 वर्ष की सेवा काल का कोई नियम नहीं है।

(5) सन् 1950 के पूर्व वाले अधिदर्शकों की वरिष्ठता सूची (सिनियोरिटी लिस्ट) पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है। सन् 1950 के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये गये अधिदर्शकों की वरिष्ठता सूची तैयार करली गई है और शीघ्र ही प्रकाशित की जा रही है।

(6) सन् 1950 के बाद नियुक्त हुए अधिदर्शकों में से अभी तक किसी की पदोन्नति नहीं की है।

श्री जयनारायण सालोदिया: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दो बार स्थगित होने के बाद भी जो उत्तर दिया गया है उसमें भाग दो और छः का जो उत्तर दिया गया है वे आपस में मेल नहीं खाते। इसका क्या मतलब ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: यह जो जवाब दिया है जो मेरे पास था। यह सही है कि इसका अभी प्रोसेस बन रहा है और बना लिया गया है जो बाकी रह गया है उसको पूरा करने की कोशिश की जावेगी।

श्री जयनारायण सालोदिया: आपने भाग दो में कहा कि पचास के बाद तीन ओवरसीयरों को पदोन्नत किया गया है और छः में

(श्री जयनारायण सालोदिया)
कहा है कि पचास के बाद एक को भी पदोन्नत नहीं किया गया है। अब इनमें से कौनसा उत्तर सही है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसका मालूम करके बता दूंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं बताऊं यह जो पदोन्नत किया है इसका क्या माप दंड है जैसे नम्बर 67 को किया है जो नान मैट्रिक है जनवरी में किया है। नम्बर 74 जो फेल है उसको किया है। यह मापदण्ड क्या है ? यह बीच में छोड़ छोड़ कर क्यों किया, बीच वालों का और पहले वालों का क्यों नहीं किया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : पहले तीन का कनफर्मेशन किया है। बाद के केसेज दूसरे होंगे ?

श्री जयनारायण सालोदिया : इसका मतलब यह सीनियोरिटी लिस्ट है। इसमें से पहलों को छोड़ दिया बीच में से 67 नम्बर की पदोन्नति करदी और फिर बीच वालों को छोड़ दिया और आगे 74 वाले की करदी।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह प्रश्न स्थगित किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अगली टर्न पर उत्तर दें माननीय मन्त्री जी।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : चार बार स्थगित किया जाय कोई प्रश्न और सरकार उत्तर न दे पावे तो क्या वह सरकार है या क्या है। डिसगस्टिंग स्टेट आफ अफेयर्स है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : भानमती का पिटारा है यह तो महाराज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे किसी एकाध मन्त्री को बाहर निकाल दो तो ठीक हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष: विचार करेंगे।

स्थगित प्रश्न

(20–3–68)

ए. एम. आई. ई. की परीक्षा

696. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नवम्बर, 1966 की ए.एम.आई.ई. की परीक्षा का परिणाम कब घोषित किया व उसमें कितने कनिष्ठ अभियन्ता पास हुए ?

(2) कितनों ने उनमें से डिग्री ग्रेड के लिए एप्लाई किया और उनमें से कितनों को कितने समय बाद यह ग्रेड दे दिया गया ? व कितनों को ग्रेड किन कारणों से नहीं दिया गया ?

राज्य मंत्री, विद्युत् विभाग (श्री जयकिशन): (1) 28 जनवरी, 1967 को।

(2) दो कनिष्ठ अभियन्ताओं ने फरवरी, 1967 में और एक कनिष्ठ अभियन्ता ने जनवरी, 1968 डिग्री ग्रेड के लिए एप्लाई किया था एक को तो डिग्री ग्रेड दे दिया गया लेकिन बाद में यह आवश्यक समझा गया कि इस मामले में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का पालिसी डिसीजन हो, ऐसा फैसला होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

श्री विजयसिंह मकराना : सन्तोषप्रद साहब।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोतर

गांव गाड़ियाला की जल-प्रदाय योजना

875. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोलायत निर्वाचन क्षेत्र के गांव गड़ीयाला के सिवाय आस पास के गांवों में मीठा पानी उपलब्ध नहीं है ?

(2) क्या गांव गड़ीयाला में करीब 2 साल पहले डग–कम–बोर से कुएं में मीठा पानी निकला है ?

(3) क्या यह सही है कि कुए के लिये वाटर सप्लाई स्कीम के तहत गांव वालों से रकम भरवाई जा चुकी है ?

(4) क्या यह स्कीम राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब तक पम्प व जनेरेटिंग सेट वहां पर फिट कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

(2) जी हां, पानी पेय-योग्य निकला है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। प्रश्न ही नहीं उठता।

रेण से आकेला बी. सड़क पर व्यय

878. श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1966–67 में रैण से आकेला बी. कोई सड़क मंजूर हुई थी ?

(2) अब तक इस सड़क पर कितना रुपया खर्च हुआ है व कितने मील सड़क बन चुकी है ?

(3) अब इस सड़क का काम कब से शुरू हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 9326) रु. व्यय हुआ है। ग्रेवल खान पर एकत्रित किया गया है।

(3) कार्य पुनः कब आरंभ होगा अर्थाभाव के कारण नहीं कहा जा सकता।

हाई स्कूल कैथून की इमारत

886. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कैथून में हाई स्कूल की इमारत के कमरे की एक पट्टी टूटी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस पट्टी के टूटे होने से विद्यार्थियों को कभी भी खतरा हो जाने की आशंका है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस स्कूल की इमारत की दीवारों में बड़े बड़े बिल हैं और उनमें जहरीले जानवर प्रवेश करके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं ?

(4) यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक की जावेगी ?

Page No. 36

(श्री शिक्षा मंत्री)

उत्तर

1. दरार पड़ी हुई है।

2. आशंका होने के कारण इस कमरे में आवश्यक मरम्मत कराने के बाद ही बालकों को पढ़ाने के लिये कहा जा रहा है।

3. जी हां।

4. अभी तक यह भवन पंचायत समिति ने निर्माण विभाग से फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करके शिक्षा विभाग को नियमानुसार नहीं सौंपा है। पंचायत से जब तक यह कार्यवाही नहीं हो भवन की मरम्मत के लिये कहा जा रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरदार शहर तहसील के ग्रामों को बिजली

461. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरदारशहर तहसील के ग्राम कल्याणपुर बीदावतान, कल्याणपुर पुरोहितान, रामसरा और उदासर चारणान रेल्वे लाइन और बिजली की लाइन के पास ही बसे हुए हैं?

(2) क्या इन गांवों के लोगों ने मौके का नक्शा शामिल करते हुए और कंजम्पशन दिखलाते हुए कृषि उत्पादन हेतु इन गांवों में बिजली की मांग की है? यदि हां, तो कब?

(3) राज्य सरकार इन गांवों को कब तक बिजली देने का विचार रखती है?

(4) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि ये ग्राम रेगिस्तानी एक फसली क्षेत्र में हैं जहां प्रायः अकाल पड़ते हैं? यदि हां, तो क्या बिजली देकर कुओं से सिंचाई का अवसर देकर उत्पादन बढ़ाने और अकाल निवारण के लिये इनको प्राथमिकता से बिजली दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। तारीख 7–2–68 को।

(3) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(4) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

लघु उद्योगों को लोहे की व्यवस्था

462. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि भारत सरकार ने लोहे से कन्ट्रोल समाप्त कर दिया है? यदि हां, तो जो लघु उद्योग अब तक सरकार से लोहे का कोटा प्राप्त कर रहे थे उनके लिये राज्य सरकार ने लोहा सस्ता व सहूलियत से मिल सके इसकी क्या व्यवस्था की है?

उत्तर

जी हां। कन्ट्रोल समाप्त होने पर भी केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान के लिये लोहे का कोटा अलाट किया जाता है जिसको लघु उद्योग निगम द्वारा मंगवाकर लघु उद्योगों को वितरण किया जाता है।

अवैधानिक तौर से बिजली लेने का मामला

463. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री गंगा सहाय)

(1) क्या यह सही है कि उमरेन, अलवर के एक व्यापारी के खेत पर बिजली के खम्भे से अवैधानिक तौर से बिजली प्राप्त किये जाने का केस पकड़ा गया है? इस व्यापारी का क्या नाम है?

(2) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है? यदि हां, तो क्या परिणाम रहे?

उत्तर

(1) जी नहीं। चोरी करते हुए कोई केस नहीं पकड़ा गया है। एक व्यापारी के खेत से ऐसे कुछ साधन मिले हैं जो कि बिजली की चोरी के लिये प्रयोग में लिये जा सकते हैं। उस व्यापारी का नाम श्री जयन्ती लाल है।

(2) इस सम्बन्ध में जांच जारी है।

स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति

464. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में नगरपालिकाओं के क्षेत्र के लिए कोई अलग से खाद्य एवं स्वास्थ्य निरीक्षक नियुक्त किया हुआ है और प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों के स्वास्थ्य निरीक्षकों को उनके क्षेत्र में खाद्य निरीक्षकों का कार्य सौंपा हुआ है? यदि हां, तो किन किन क्षेत्रों में तथा नगरपालिकाओं के लिये अलग से रखने का क्या कारण है?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त निरीक्षकों में से किसी एक को प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के अलावा नगरपालिका क्षेत्र का भी कार्य सौंपा गया है? यदि हां, तो किस को और इन एक के लिए ही यह व्यवस्था कैसे की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं, जिला नागौर में केवल नगरपालिकाओं के क्षेत्र के लिए इस विभाग द्वारा अलग से कोई भी खाद्य एवं स्वास्थ्य निरीक्षक नियुक्त नहीं किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हैल्थ स्टाफ के दो स्वास्थ्य निरीक्षक हैं, जिनमें से एक का मुख्यावास नागौर तथा दूसरे का मेडता सिटी है। इन दोनों को खाद्य निरीक्षक के अधिकार हैं तथा नगरपालिकाओं के आग्रह पर ये निम्नलिखित नगरपालिकाओं के क्षेत्र में खाद्य निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं :—

1. स्वास्थ्य निरीक्षक, नागौर 2. स्वास्थ्य निरीक्षक, मेडता	ये दोनों स्वास्थ्य निरीक्षक नागौर जिले के डीडवाना नगरपालिका क्षेत्र के अतिरिक्त शेष सभी नगरपालिकाओं के क्षेत्र में कार्य करते हैं।

इस निदेशालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वास्थ्य निरीक्षकों को खाद्य निरीक्षकों के अधिकार दिये गये थे। पंचायत समिति अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारों का उपयोग करेंगे तथा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हैल्थ के स्वास्थ्य निरीक्षक नगरपालिका क्षेत्र जहां

(श्री चिकित्सा मंत्री)

नगर पालिकाओं के खाद्य निरीक्षक नहीं हैं नगरपालिका के आग्रह पर कार्य करेंगे। इसी आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रामीण क्षेत्र जो नीचे अंकित हैं में कार्य करते हैं:

1. स्वास्थ्य निरीक्षक, प्रा.स्वा.केन्द्र, देह, पंचायत समिति क्षेत्र जायल
2. " " " बासनी " " नागौर
3. " " " डेगाना " " डेगाना
4. " " " कुन–कुन वाली " " कुचामनसीटी
5. " " " गच्छीपुरा " " मकराना
6. " " " खवासर " " मूंडवा
7. " " " बडू " " परबतसर
8. " " " जसवन्तगढ " " लाडनूं
9. " " " भूलासर " डीडवाना तथा नगर पालिका क्षेत्र डीडवाना

(2) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मूलासर के स्वास्थ्य निरीक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के अलावा नगरपालिका डीडवाना क्षेत्र का कार्य सौंपा गया है प्रशासनिक कठिनाइयों की वजह से।

ग्राम खेडली के खारवाल किसानों द्वारा फसल काटे जाने सम्बन्धी शिकायत

465. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील छबडा (जिला कोटा) के ग्राम खेडली में नवम्बर, 67 के माह में खारवाल जाति के निर्धन किसानों ने किन्हीं व्यक्तियों द्वारा 8-10 बीघा खेत की खडी फसल को काटकर ले जाने सम्बन्धित रिपोर्ट छबडा पुलिस में की थी ?

(2) क्या यह सही है कि छबडा पुलिस ने खारवाल जाति के किसानों की उक्त रिपोर्ट को समय पर नहीं लिखी और न हीं किसी प्रकार की कोई उचित कार्यवाही की ? यदि हां, तो किन कारणों को लेकर पुलिस ने कार्यवाही नहीं की ?

(3) क्या यह सही है कि 17 नवम्बर, 1967 को खारवाल जाति के किसान किसी बदमाश व्यक्ति को रंगे हाथों फसल काटते हुए मय माल के पकड कर छबडा पुलिस में लाए थे ? यदि हां, तो पुलिस ने उसके ऊपर क्या कार्यवाही की ?

(दिनांक 3-4-68 को पुनः पूछा गया)

हरिजन महिला का अपहरण

466. **श्री लाभचन्द सेठ** (सुजानगढ) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि चूरू नगर में तारीख 16 फरवरी, 1968 को एक हरिजन महिला का अपहरण व बलात्कार हुआ ? अगर हां, तो पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

1. जी नहीं। पुलिस जिला चूरू को ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है ?

Page No. 39

(श्री गृह मंत्री)

इसलिये किसी कार्यवाही के लिये किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

औग्जीलरी हैल्थ वर्क्स की ट्रेनिंग

467. **श्री नाथीलाल** (नदबई-सु.): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान सरकार ने औग्जीलरी हैल्थ वर्क्स की ट्रेनिंग को सन् 1954 में केन्द्रीय सरकार द्वारा जो सुझाव दिया गया था उसी के अनुसार राजस्थान में लागू किया ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस औग्जीलरी हैल्थ वर्क्स की ट्रेनिंग को, डाक्टरों की अत्यन्त कमी को पूरा करने के लिये, राज्य में आरम्भ किया गया था ? यदि हां, तो डाक्टरों की कमी पूरी होने के बाद फिर इनका क्या होगा ? क्या ये किसी दूसरे पद की कमी पूरी करने के लिये उपयोग में लाये जायेंगे ?

(3) क्या औग्जीलरी हैल्थ वर्क्स राज्य सरकार की 5 वर्ष तक सेवा करने के बाद किसी विभागीय उच्च शिक्षा के लिये जा सकता है ? यदि हां, तो वह कौनसी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सत्य है कि राज्य के अन्दर सेवा कर रहे एल. एम.पी. या एल एस. एम. एफ. डाक्टर्स जिनकी बुनियादी शिक्षा केवल हाई स्कूल ही होती है, को कन्डेन्स्ड कोर्स (एम.बी.बी.एस.) में दाखिला दे दिया जाता है ? यदि हां, तो इन हाई स्कूल पास औग्जीलरी हैल्थ वर्क्स को भी प्रथम वर्ष एम. बी. बी. एस. में दाखिला देने में क्या आपत्ति है ? क्या सरकार इस पर अब विचार करेगी ?

(5) क्या औग्जीलरी हैल्थ वर्क्स अपने राज्य सेवाकाल में किसी भी पदोन्नति के अधिकारी हैं ? यदि हां, तो आज तक किसी को पदोन्नति विभाग ने दी क्या ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। इनको जिस कार्य के लिये प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्र में कार्य के लिये भेजा जाता है उसका ब्यौरा संलग्न है।

(3) व (4) जी नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एल. एम. पी. अथवा एल. एस. एम. एफ. को जब तक विज्ञान विषय सहित इंटरमीडियेट न हो तो राजस्थान विश्व विद्यालय में कन्डेन्स कोर्स के लिये भर्ती नहीं किया जाता है। एल.एम.पी. या एल. एस. एम. एफ. के प्रशिक्षण में व ए. एच. डब्ल्यू. के प्रशिक्षण में इतना भारी अन्तर है कि बराबरी का प्रश्न ही नहीं उठता। एम.बी.बी.एस. के भर्ती के लिये इण्डियन मेडिकल काउन्सिल द्वारा कायदे कानून निर्धारित किये गये हैं सरकार को आपत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी हां। राजस्थान मेडिकल एण्ड हैल्थ सबोर्डिनेट सर्विस नियमों (1965) के अन्तर्गत औग्जीलरी हैल्थ वर्क्स को 5 वर्ष की सेवा करने के पश्चात हैल्थ एजुकेटर

(श्री चिकित्सा मंत्री)

पद पर पदोन्नति करने का प्रावधान है। पदोन्नति अभी तक किसी को नहीं दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

नोहर भादरा तहसील की सड़कों पर लगे मजदूर

468. श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नोहर भादरा तहसील में जो सडके हैं उन पर लगे दैनिक मजदूरों व बेलदारों को बगैर नोटिस दिये ही काम से पृथक कर दिया गया है। यदि हां, तो कुल कितने मजदूरों व बेलदारों को हटाया गया है व उनको नोटिस नहीं देने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह सही है कि ये मजदूर व बेलदार 2-3 साल से सडकों पर बराबर काम कर रहे थे? यदि हां, तो उनको किस नियम से पृथक किया गया है?

(3) कुल कितने मजदूर व बेलदार हटाये गये हैं?

उत्तर

(1) 7 कैज्युअल मजदूरों को जिनका सेवा काल 1 वर्ष से कम था काम से हटाया गया है ऐसे मजदूरों को नोटिस का प्रावधान नियमों में नहीं है।

(2) यह सही नहीं है।

(3) सात।

सीसवाली अन्ता की सड़क में निर्माण योजना

469. श्री **बेनीव्रत नाहिया** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 67-68 के बजट में तहसील मांगरोल में सीसवाली अन्ता सडक बनाने के लिये योजना रखी थी?

(2) यदि हां, तो कितने रुपयों की लागत से कितनी लम्बी डामर सडक बनने वाली थी?

(3) क्या इस सडक का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो किस कारण से और अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 50,000) रु. की मैटल्ड रोड निर्माण का प्रस्ताव था।

(3) जी हां। नवीन कार्यों पर प्रतिबन्ध होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं कराया जा सका है आशा है कार्य आगामी वर्ष आरम्भ हो जायगा।

कच्ची सड़कों को कंकरीट कराना

470. श्री **विजयसिंह राठत** (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नसीराबाद चुनाव क्षेत्र में फेमिन विभाग द्वारा बहुत

(श्री विजयसिंह रावत)

सी कच्ची मिट्टी की सडकें पिछले तीन वर्षों में बनाई गई हैं। यदि हां, तो सडकें कितनी लम्बी व चौडी बनाई गईं व कहां से कहां तक बनाई गईं? और वे किस किस डामर की पक्की सडकों से जोडी गईं?

(2) उक्त सडकों पर राज्य सरकार का पिछले तीन वर्षों में कितना रुपया खर्च हुआ?

(3) क्या राज्य सरकार यह महसूस करती है कि इन कच्ची मिट्टी की सडकों को पक्की कंकरीट करवा दी जाय और जिन सडकों पर बसों का आना जाना अधिक है, जैसे कानपुरा से तिहारी सडक, रामसर से लोहरवाडा, गोला से पुष्कर सडक, गोला से जेठाना सडक, श्रीनगर से हाथीपट्टा बेवन्जा से मण्डानी व फारकिया सडक, भीमपुरा से अनसरी सडक पर डामर करवा दिया जाय जिनसे राज्य सरकार का लगाया हुआ पैसा व्यर्थ नहीं जाये? यदि हां, तो कब तक यह काम पूरा हो जायेगा?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सडकों के लिये कुछ पक्की कंकरीट भी जगह जगह इकट्ठे करके रखी हुई है? यदि हां, तो इसे क्यों नहीं शीघ्र काम में लिया जाता?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) लगभग 10,18,000 रुपया व्यय किया गया है।

(3) यह सडकें स्टेट प्लान में स्वीकृत नहीं हैं तथा अकाल राहत विभाग से इन सडकों को पक्का अथवा डामर कराये जाने को धन राशि इस विभाग को नहीं दी गई है।

(4) एकत्रित मिट्टी पर्याप्त नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल, सवाई माधोपुर के भवन निर्माण कार्य

471. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वित्तीय वर्ष सन् 67-68 में डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल सवाई माधोपुर के भवन निर्माण हेतु कोई धनराशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या सहायक अभियन्ता ने इस भवन निर्माण के लिए इस वर्ष टेन्डर आमन्त्रित किए? यदि हां, तो सर्वप्रथम किस तारीख के लिए?

(3) क्या यह सही है कि कई ठेकेदारों ने इस हेतु टेन्डर देने को टेन्डर फार्म भी खरीद कर लिए? यदि हां, तो कितनी राशि के?

(4) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता सवाई माधोपुर ने उस तारीख को टेन्डर लेना कैन्सिल कर दिया? यदि हां, तो किसके आदेश से और क्यों?

(5) क्या इस हेतु पुनः टेन्डर मांगे गये हैं? यदि हां, तो किस तारीख को टेन्डर लिया जाना अभीष्ट है?

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(6) क्या राज्य सरकार का चालू वित्तीय वर्ष में यह निर्माण कार्य चालू करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 1967-68 में 25,000) रु. स्वीकृत किये गये थे जो इस वर्ष चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं।

(2) जी हां।

(3) सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, सवाई माधोपुर द्वारा टैन्डर फार्म नहीं बेचे गये।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) अधीक्षण अभियन्ता भवन व पथ, टौंक द्वारा टेन्डर दिनांक 15-1-68 को आमन्त्रित किये गये थे जिनकी तिथि 5-2-68 तक बढाई गई थी।

(6) जी नहीं।

छबड़ा तहसील में मिडिल स्कूल

472. श्री प्रेम सिंह सिंघवी (छबडा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) कोटा जिला की छबडा तहसील में कितने मिडिल स्कूल हैं?

(2) क्या सरकार छबडा तहसील में मिडिल स्कूल खोलना चाहती है? अगर हाँ, तो कब तक और कौन कौन से गांवों में और नहीं तो क्यों?

(3) क्या पंचायत समिति छबडा ने छबडा तहसील के ग्राम जैपला में मिडिल स्कूल खुलवाने की मन्त्री महोदय के पास कार्यवाही चला रखी है? और क्या जैपला ग्राम के निवासी भवन देने को तैयार हैं?

उत्तर

1. कोटा जिला की छबड़ा तहसील में कोई भी माध्यमिक शाला नहीं है?

2. छबड़ा तहसील में माध्यमिक शाला खोलने के प्रस्ताव 67-68 में प्राप्त नहीं हुए।

3. आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार किया जावेगा।

डिग्री कालेज, सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल

473. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य सरकार इस वर्ष डिग्री कालेज व सेकेन्डरी, हायर सेकेन्डरी स्कूल कितने व कहां कहां पर खोल रही है?

(2) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने डिग्री कालेज व सेकन्डरी, हायर सेकन्डरी तथा मिडिल स्कूल का प्रावधान है?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष आम चुनाव से पहले डिग्री कालेज व सेकेन्डरी व हायर सेकेन्डरी तथा मिडिल स्कूल बहुत अधिक तादाद में खोले गये थे?

(4) यदि हां, तो कितने व कहां कहां पर खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No. 43

उत्तर

1. 1967-68 में 21 स्थानों पर राजकीय माध्यमिक शालाओं को उच्च माध्यमिक स्तर पर व एक उच्च माध्यमिक शाला को उच्चतर माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किया गया । सूची संलग्न है। एक कालेज राजगढ़ में खोला गया।

2. चौथी पंचवर्षीय योजना में शालाएं एवं कालेज खोलने का निम्न प्रावधान है :—

1. माध्यमिक शालाएं 347 ।

2. उच्च माध्यमिक।उच्चतर माध्यमिक शालायें 131 ।

3. महाविद्यालय 5 ।

3 व 4. आम चुनाव से पहले 1966-67 में 275 राजकीय प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक स्तर पर एवं 129 राजकीय माध्यमिक शालाओं को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

1966 में पांच कालेज (बारां, जालोर, भीनमाल, प्रतापगढ़ व नीम का थाना) खोले गये।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चाड़वास में मिडिल स्कूल एवं बालिका विद्यालय भवनों की देखभाल

474. **श्री लाभचन्द** **दैव** (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या चूरू जिला स्थित चाडवास में जनता ने अपने पैसे से मिडिल स्कूल व बालिका विद्यालय बनाया है? अगर हां, तो क्या उन इमारतों की देख भाल सरकार कर रही है?

उत्तर

1. यह सही है कि जिला चूरू स्थित चाडवास जनता ने अपने पैसे से माध्यमिक शाला व बालिका विद्यालय बनाया है। इन भवनों को क्योंकि निर्माण-कर्ताओं द्वारा विभाग को अभी नहीं सम्भलाया गया है इसलिये सरकारी देखभाल की व्यवस्था नहीं की जा सकी है।

सिरोही में छात्रावास भवन निर्माण कार्य

475. **श्री मोतीलाल परमार** (रेवदर-सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सिरोही राजकीय महा विद्यालय के नव निर्मित होने वाले छात्रावास भवन के लिए इस वर्ष में 25,000) रु. स्वीकृत हुए थे परन्तु अभी तक यह कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया है?

उत्तर

1. इस महा विद्यालय के छात्रावास के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई। धनाभाव के कारण फिलहाल इस कार्य को किया जाना सम्भव नहीं है।

सिरोही में लड़कियों के लिए मिडिल स्कूल

476. **श्री मोतीलाल परमार** (रेवदर-सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सिरोही शहर में लडकियों के लिये इस वर्ष में मिडिल स्कूल अलग से खोलने का बजट में प्रावधान था तो फिर अब तक यह स्कूल क्यों नहीं खोला गया ?

उत्तर

1. लडकियों के लिये मिडिल स्कूल खोलने के आदेश सबके मध्य में प्रसारित किये गये थे अतः लड़कियां प्रवेश नहीं ले सकीं। आगामी सत्र में छठी कक्षा खुल जावेगी जिसके लिये सामग्री भी खरीदी जा चुकी है।

रतनगढ़ में सरकारी मिडिल स्कूल

477. **श्री लाम चन्द वैद** (सुजानगढ) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रतनगढ शहर में सरकार द्वारा संचालित सिर्फ एक ही मिडिल स्कूल है ?

(2) क्या उस मिडिल स्कूल के छात्रों के बैठने के लिये स्थान की कमी के कारण दो शिफ्ट लगती हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार की वहां पर नये कमरे बनाने की योजना है ?

उत्तर

1. जी, हां।

2. जी, हां।

वर्तमान में वित्तीय कठिनाई के कारण सरकार द्वारा नए कमरे बनवाने की कोई योजना नहीं है।

फैक्ट्रियों को टीन की चद्दरों का कोटा

478. श्री **गंगासहाय** (कठूमर-सु.) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में गत पांच वर्षों में टीन की चद्दरों का कोटा कितना दिया गया है ? तथा वह कोटा किन किन फैक्ट्रियों को कितना कितना दिया गया है ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी फैक्ट्रियां आज भी कार्यरत हैं। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या सरकार द्वारा इन सभी फैक्ट्रियों से दिये जाने वाले टीन के कोटे की उपयोगिता के प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाते हैं ?

(4) इनमें कितनी सहकारी समितियों को कितना कोटा दिया जाता है ?

(5) क्या इस टीन के कोटे के प्राप्तकर्ताओं में परिगणित जाति व परिगणित जन जाति के लोग भी हैं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) केवल 5 फैक्ट्रियां कार्यरत नहीं हैं उनके बन्द होने के कारण विभाग में उपलब्ध नहीं हैं।

(3) जी हां।

(4) सन् 1964-65 में केवल एक सहकारी समिति को 3 टन 250 किलो चद्दरें दी गई

Page No. 45

(उद्योग मंत्री)

थीं तत्पश्चात् किसी सहकारी समिति की मांग प्राप्त न होने के कारण चद्दरों का कोटा नहीं दिया गया।

(5) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)।

जोधपुर नगरपालिका द्वारा ठेकेदारों को भुगतान

479. श्री **ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1960 से आज तक किन किन ठेकेदारों का सडक व नालियां बनाने का जोधपुर नगरपालिका द्वारा भुगतान किया जाना शेष है? सूची मय ठेकेदारों के नाम व रकम सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इस बकाया के रहने के क्या क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि इन ठेकेदारों द्वारा नगरपालिका को कानूनी कार्यवाही करने संबंधी नोटिस दिये गये हैं?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण नगरपालिका, जोधपुर को काफी आर्थिक हानि और बदनामी की संभावना है? यदि हां, तो क्या सरकार नगरपालिका को इस संबंध में उचित निर्देश देने के प्रश्न पर विचार करेगी?

उत्तर

(1) सन् 1960 से नहीं वरन् सन् 1964 के बाद के कुछ कार्यों के बिलों का भुगतान करना शेष है जो नगरपालिका की वित्तीय स्थिति ठीक न होने से चुकारा नहीं किया जा सका है। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) केवल संगतराश श्रमिक ठेका सहकारी समिति द्वारा नगरपालिका को कानूनी नोटिस दिया गया था।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

पेय जल योजना

480. श्री **आईदानसिंह** (भीनमाल) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर के ग्राम पांथेडी, मोदरा, मोरसिम व बाकरा में पेय जल योजना के अन्तर्गत नल लगाने तय किये थे?

(2) अगर हां, तो इनमें से कितने ग्रामों में नल लग चुके हैं?

(3) अगर नहीं, तो क्या कारण हैं? और काम कब तक शुरू हो जायेगा?

उत्तर

(1) केवल पांथेडी में ही नल लगाने की योजना मंजूर की जा चुकी है बाकी मोरसिम व बाकरा की योजनायें बनाई जा चुकी हैं तथा मोदरा की योजना बनाई जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) केवल पांथेडी की जल योजना स्वीकृत हुई है और काम चालू है।

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

(3) ग्राम मोरसिम, बाकरा व मोदरा की योजनाओं पर धन की राशि उपलब्ध होने पर ही विचार किया जा सकता है।

(4) सूची संलग्न है। आबंटित भूखंडों का विक्रय निर्धारित दर से तथा निलामी के भूखंडों का विक्रय निलामी द्वारा किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

बीकानेर के आसपास उप नगर बसाने की योजना

481. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर विकास न्यास के क्षेत्र में बीकानेर के आस पास उपनगर बसाने की कितनी योजनायें सरकार द्वारा स्वीकृत की गईं ?

(2) इन उपनगरों में किस किस साईज के प्लाट काटे गये हैं और उनकी किस किस उपनगर में क्या क्या संख्या है ?

(3) इन उपनगरों में आबाद किये जाने के लक्ष्य की तिथि क्या निर्धारित की गई है ?

(4) अभी तक कितने प्लाट किस किस उपनगर में बिक चुके हैं ? और उनका विक्रय निर्धारित दर से किया गया है या नीलामी से ?

उत्तर

(1) 2 योजना - प्रथम जयनारायण व्यास कालोनी एवं द्वितीय मुक्ता प्रशाद कालोनी।

(2) सूची संलग्न है।

(3) तीन वर्ष।

नीबला ट्यूब वेल से जल वितरण योजना

482. श्री **वृद्धिचन्द जैन** (बाडमेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नींबला ट्यूब वेल से शिव तहसील के आगोरिया, शिव एवं गूंगा ग्राम के लिये जल वितरण योजना के लिए मंजूरी हो गई है ?

(2) क्या यह सही है कि इन ग्रामों में इस वर्ष अकाल है और पानी का भयंकर संकट है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों की ओर से अधिकांश राशि विभाग के पास जमा हो चुकी है ?

(4) इस योजना को कार्यान्वित कब तक कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, यह सही है कि इन ग्रामों में इस वर्ष में अकाल घोषित कर दिया गया है जिससे पानी का संकट होना स्वाभाविक है।

(3) उपरोक्त ग्रामों की पंचायत अनुदान की राशि पूर्णतया विभाग के पास जमा हो चुकी है।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(4) स्कीम को शिव तक पूरा करने के आदेश दे दिये गये हैं व कार्य शुरू कर दिया गया है।

बाड़मेर में जल पेय योजना

483. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाडमेर नगर में किन किन ट्यूब वैल्स से जल वितरण किया जा रहा है?

(2) उन ट्यूब वैल्स से बाडमेर नगर को प्रतिदिन कितना जल वितरित किया जाता है?

(3) क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि यह जल की मात्रा बाडमेर नगर की आधी जन संख्या की आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं करती?

(4) क्या सरकार इस जल समस्या को हल करने के लिये कोई ठोस कदम उठा रही है?

(5) अगर हां, तो वह किस प्रकार?

उत्तर

(1) निम्नलिखित ट्यूब वैलों से बाडमेर नगर को जल वितरण किया जारहा है?

(1) बोथिया (I)

(2) बोथिया (II)

(3) बोथिया (III)

(4) झाटका (II)

(2) लगभग 1-25 लाख से 1-50 लाख गेलन जल प्रतिदिन वितरित किया जाता है।

(3) जी हां।

(4) धन के अभाव के कारण इस समस्या को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है।

(5) उत्तर 4 देखें।

नगर सुधार न्यास जयपुर की स्कीम

484. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर सुधार न्यास, जयपुर के द्वारा शहर से बाहर किस किस नाम से कितनी योजनायें बनाई गई हैं और उनमें से कितनी पूरी हो चुकी हैं, कितनी अधूरी पड़ी हैं और कितनी शुरू की जाने वाली हैं? अलग स्कीम की जानकारी देने की कृपा करें?

(2) अब तक की योजनाओं (स्कीमों) में हर में कितने प्लाट लोगों को दिये गये और उनमें से अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों की हर स्कीम में कितने प्लाट किस दर से दिये गये। अलग अलग आंकडे सदन की मेज पर रक्खें।

(3) क्या जयपुर शहर का कोई मास्टर प्लान बना है? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास के गठन के

(स्वायत शासन मंत्री)

पश्चात् 17 योजनाएं बनाई गई हैं जिनमें से 8 योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं तथा शेष 9 योजनाओं का क्रियान्वयन चालू है। सूची संलग्न है।

(2) न्यास द्वारा बनाई गई योजनाओं में आवन्टित भूखन्डों की सूची संलग्न है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये भू आवन्टन के नियमों में अनुसूचित एवं जन जाति को अलग से भू आवंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा बनाये गये प्राथमिकता के नियमानुसार भूआवन्टन किया गया था अतः उनकी सूची अलग से बनाया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं। मास्टर प्लान का प्रारूप बना है। जिसके नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 5 के तहत राजस्थान राजपत्र में जनता के सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु शीघ्र ही प्रकाशित किया जायगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्रामीण जल योजनायें

485. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चालू वित्तीय वर्ष में कितनी ग्रामीण जल योजनायें स्वीकृत हेतु केन्द्रीय सरकार के पास भेजी गई और उनमें से कितनी स्वीकृत हो चुकी हैं ?

(2) 5 लाख रु. तक की लागत की कितनी ग्रामीण जल योजनायें राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकार की गई ?

(3) क्या प्रश्न के भाग (1) व (2) में स्वीकृत योजनाओं का कार्य चालू हो गया ? यदि हां, तो कहां कहां पर व कब कब प्रारम्भ हुआ ?

उत्तर

(1) दो योजनाएं भेजी गई हैं अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में कोई नई ग्रामीण योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाली तहसील के गांवों में पानी की व्यवस्था

486. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली तहसील में किन किन गावों में गर्मियों में पीने के पानी की कतई व्यवस्था नहीं रहती है ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि गांव पेणावा, सूदेलाव काकदडा, साली गांडी डूंगरपुर व बींजा में गर्मियों में पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं रहती ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों में पानी की व्यवस्था जवाई केनाल से करने की सोच रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार जिन गावों को जवाई बांध से गर्मियों में पानी देती है उन गांवों को पानी पहुंचाने की कच्ची नालियां

(श्री मूलचन्द डागा)
को सीमेंट की बनाने की योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक इस योजना को कार्यान्वित करेगी ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां। योजना बनाई जा रही है।

(3) जी हां, योजना बनाई जा रही है। योजना को कार्यान्वित करने के बारे में निश्चित समय बताना मुश्किल है क्योंकि यह धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(20-3-68)

एप्रोच रोड, चोलुखा गांव की मरम्मत

321. श्री रजो राम बुरडक (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि एप्रोच रोड, चोलुखा गांव, तहसील डीडवाना, जिला नागौर में सन् 66-67 में 9000 रु. सड़क की देख रेख व मरम्मत पर खर्च किये गये ? यदि हां, तो यह सड़क कब बनाई गई थी और कितने माइल की तथा इसमें कितने रुपये किस मद से खर्च हुए थे तथा यह किसके द्वारा बनाई गई थी तथा योजना किसके द्वारा कब बनाई गई थी और योजना की स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी ?

(2) इस प्रकार की एप्रोच रोड्स नागौर जिले में कहां कहां पर कब कब किस किस के द्वारा कितने कितने माइल की तथा कितने रुपयों में किस किस बजट हैड से बनवाई गई और बनाने के बाद कितना रुपया उन पर मरम्मत व देख रेख का कब कब खर्च किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं, ऐसी रोड इस विभाग की जानकारी में नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(12-15 म० प०)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(1) श्री रामकिशन व श्री नत्थीसिंह तथा श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा ने दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं जिसमें जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के निवासियों की मांगों का हल न होने तथा उस सम्बन्ध में कच्ची बस्तियों के एक प्रतिनिधि द्वारा अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

(2) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल से प्राप्त हुई है जिसमें राष्ट्रदूत दैनिक समाचार पत्र के मजदूरों द्वारा हड़ताल करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

ये दोनों मामले अविलम्बनीय लोक महत्व

(श्री उपाध्यक्ष)

के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर उन पर विचार किया जाय। अतः इनको सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी जाना सम्भव नहीं होगा। यह उपयुक्त होगा यदि इन विषयों में सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा आज या कल तक स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य दिए जाएं।

(3) श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा व श्री जुझारसिंह सदस्य विधान सभा ने दिनांक 22 मार्च, 1968को ग्राम बडोदिया, थाना असनावर, जिला झालावाड़ में हुई डकैती के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इसे सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी जाना सम्भव नहीं होगा। चूंकि पुलिस की मांग पर आज ही सदन में विचार किया जा रहा है। माननीय गृह मन्त्री जी भी आज ही उत्तर देंगे, माननीय गृहमंत्री जी इस विषय में भी अपने उत्तर के दौरान प्रकाश डालने की कृपा करें।

(4) श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा ने डिप्टी इनसपैक्टर गर्ल्स स्कूल्स भरतपुर द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के धन का गबन करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला ऐसा अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर सदन में विचार किया जाय अतः इसको प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी जाना सम्भव नहीं होगा। शिक्षा मन्त्रीजी कल शिक्षा की मांग पर बहस का उत्तर देते समय इस विषय में भी प्रकाश डालने की कृपा करें।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित माननीय सदस्यों से भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :

(5) श्री हरजीराम बुरडक व श्री रामचन्द आर्य सदस्य विधान सभा ने ग्राम जसवन्तगढ़ और खानपुर तहसील लाडनूं जिला नागौर की सरहद में चूना बनाने की कॉबर निकाल कर असिस्टेन्ट इन्जीनियर माइन्स मकराना द्वारा बेचे जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) श्री रामकिशन सदस्य विधान सभा ने उदयपुर स्थित पिछौला झील में प्रतिदिन 10 हजार की मछली गैर कानूनी ढंग से पकड़ी जाकर बाजार में बेचने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(7) श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना में दिनांक 10-3-68 को करौली में हुए साम्प्रदायिक दंगों का उल्लेख किया है।

ये स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रतीत नहीं होते। अतः इनको सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी जाना सम्भव नहीं होगा।

(8) एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री गंगा सहाय, श्री श्रवणलाल व श्री प्रेमसिंह सिंघवी व श्री मदनसिंह सदस्य विधान सभा ने दी है जिसका सम्बन्ध हिण्डौन करौली में चम्बल योजना से जो बिजली प्राप्त हो रही है इसकी उपभोक्ताओं से पुरानी दर से वसूली की जाने से है। इस मामले में कल ही व्यवस्था दी जा चुकी है। अतः इसको प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी जाना सम्भव नहीं होगा।

श्री रामकिशन (वैर) : यह पिछौला झील वाला मामला बड़ा गम्भीर है और भारत और राजस्थान सरकार के लिये बड़ा नुकसान इससे हो रहा है। इसलिये निवेदन है कि स्थिति जल्दी ही स्पष्ट करें। राज परिवार के लोग बलवे करते हैं और सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है। उदयपुर में तो बहुत ही हुआ है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु.) : जैसी व्यवस्था दी गई है उस पर केवल इतना ही कहूंगा कि मुझे एक मन्त्री महोदय आश्वासन दें कि दो साल व्यतीत होने पर भी चम्बल की योजना के द्वारा बिजली सप्लाई जो की जा रही है उसमें किसानों से और बिजली के उपभोक्ताओं से पुरानी रेट से पावर के अनुसार रेट वसूल की जा रही है जिसके कारण पावर हाउस के सामने लोगों ने धरना शुरू कर दिया है 9 आदमियों ने मेरी सूचना के अनुसार। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि उसका स्पष्टीकरण आज ही कर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ऐसी मान्यता है और इस सम्बन्ध में मैं बाद में निवेदन करूंगा कि हर प्रस्ताव के संबंध में यह बहुत सारे मसले ऐसे हैं कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या अन्य माध्यम से इस सदन में आ सकते हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो नियमानुसार एडजर्नमेन्ट मोशन का महत्व सदन में होना चाहिए वह एडजर्नमेन्ट मोशन का महत्व इस प्रकार के कई मसलों पर एडजर्नमेन्ट मोशन देकर यह घटता जा रहा है और इसलिए रूल्स के अनुसार एडजर्नमेन्ट मोशन बनता है या नहीं, बनता है जो इस विचार से चलते हैं वह इसमें घाटे में रहते हैं और नतीजा यह होता है कि कोई भी इन्सीडेन्ट जिसको हम उठा भी सकते हैं कई बार उसके बारे में भी हम एडजर्नमेन्ट मोशन देते हैं और एडजर्नमेन्ट मोशन की जो एडमीसिबिलिटी की कन्डीशन्स हैं आप इसके लिए बड़े लिबरल हैं इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और सदन के माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है इसके लिए भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं इस संबंध में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे कि इस समस्या का हल निकल सके नहीं तो क्या होता है कि एडजर्नमेन्ट मोशन्स आये, आपने उनको पढ़ दिया और आपने अस्वीकार कर दिया और कुछ पर वक्तव्य हो गये और उसमें हम दो घन्टे खर्च कर सकते हैं। ऐसा भी हुआ है कि एक एक दिन में एक ही माननीय सदस्य के चार-चार एडजर्नमेन्ट मोशन्स आते हैं और वह अस्वीकार हो जाते हैं और नतीजा कुछ निकलता नहीं। मैं किसी को कन्डैम नहीं करना चाहता हूं लेकिन ऐसे इश्यूज जो कई बार हाउस में आ गये उस पर तो हम दो घन्टे लगा कर विचार कर सकते हैं लेकिन वास्तविक रूप से जिन चीजों पर समय देना चाहिए वह समय नहीं रहता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मामले पर विभिन्न दलों की तरफ से उनके नेताओं को बुलाकर ऐसी प्रक्रिया निकाली जानी चाहिए कि जो एडजर्नमेन्ट मोशन आते हैं उनका महत्व किसी प्रकार से कम न हो। नहीं तो एक एक सदस्य के 4-4 एडजर्नमेन्ट मोशन आते हैं, ऐसे इवेन्ट्स जो आपके ध्यान में सुप्रीम हैं और जिनके ऊपर हाउस एडजर्न होना चाहिए लेकिन होता क्या है कि 4 इश्यूज तो फैंक दिये,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आपने उनको पढ़ दिया, 2 रिजेक्ट हो जायेंगे, 2 पर स्टेटमेन्ट हो जायेगा और कुछ वैसे ही निकल जायेंगे। मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य क्षमा करें मैं भी अखबार पढ़ता हूं और कई बार सोचता हूं कि एडजर्नमेन्ट मोशन दूं लेकिन मैं देता नहीं हूं इसलिए कि मैं जानता हूं उनका यहां क्या महत्व है। मैंने पिछली बार 11 काल अटेन्शन नोटिस दिये। मैं आपसे उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था चाहूंगा कि काल अटेन्शन नोटिसेस अगर रेगुलरली आते रहें और उन्हीं को हम आखिर कन्वर्ट करते हैं एडजर्नमेन्ट मोशन में क्योंकि हमें तो उसका जबाव चाहिए लेकिन उनका जो नतीजा होता है वह हम सब जानते ही हैं। इसलिए इसमें कुछ प्रक्रिया निकालनी चाहिए। हम सवाल करते हैं सवालात के जवाब भी आते नहीं। रात तक और कल शाम तक हमें जवाब मालूम पड़ता नहीं कि जवाब आया कि नहीं। हम सवेरे उठते ही तैयारी करते हैं, रोटी खाते नहीं और भागे हुए यहां आते हैं, उसके परिणामस्वरूप पेट में दर्द हो जाये और यहां आकर मंत्री जी कहते हैं कि उत्तर नहीं आया है स्थगित कर दिया जाये। अगर यही जवाब देना था तो फिर हमें क्यों भगाया था? कभी उत्तर दिया तो कह दिया जी हां, जी नहीं और फिर हम कहते हैं कि उत्तर गलत है तो कहते हैं उत्तर अगली बार दे दिया जायेगा। यदि हम हाउस का डेकोरम मेन्टेन करना चाहते हैं, हाउस का स्टेन्डर्ड हम बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सरकार की तरफ से सहयोग चाहिए और सारे विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को आप बुला लें और ऐसी प्रक्रिया लायें जिससे एडजर्नमेन्ट मोशन की व्यवस्था और जो उसका प्रोसीजर है जो कि इतना चीप बनता चला जा रहा है और महत्व कम होता जा रहा है उसकी व्यवस्था की जाये और उसमें आवश्यक चीज हो, इसके लिए आप कुछ तरीका निकालें। इतना निवेदन करता हुआ एक एडजर्नमेन्ट मोशन के सिलसिले में निवेदन करते हुए जैसे उदाहरण के लिए कच्ची बस्तियों का मसला है वह दसियों बार सदन में आ चुका है और उसके लिए 10 बार एडजर्नमेन्ट मोशन आया है। मैं जानता हूं कि यह एडजर्नमेन्ट मोशन का सवाल नहीं हो सकता। आज इस मसले को लेकर भूख हड़ताल हो रही है और इससे उसमें और भी अहमियत आई है। जो एडजर्नमेन्ट मोशन माननीय सदस्य देते हैं वह ध्यान आकर्षण करने के लिए होता है। आप इन सारे मामलों का कोई नतीजा निकालें। ऐसे कुछ मसले हैं जिनके संबंध में जैसा कि कच्ची बस्ती का मसला है एक सदस्य भूख हड़ताल पर बैठा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मसले को हल करना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि इस कच्ची बस्ती के मसले पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष दोनों एक हैं। सब कच्ची बस्तियों का हल चाहते हैं और सरकार उसको हल नहीं कर पा रही है और इस समस्या का हल कैसे निकाला जाये उसके लिए मैं कहूंगा कि इस हाउस की एक कमेटी बनाकर और मंत्री महोदय और सीनियर मिनिस्टर श्री दामोदरलाल जी व्यास यहां बैठे हैं वह प्रतिनिधियों के साथ बैठकर इस समस्या के समाधान के लिए कोई हल निकालें तब तो इस समस्या का हल निकल सकता है नहीं तो आज हड़ताल पर एक बैठा है कल 4 बैठेंगे और इस समस्या का हल नहीं निकल पायेगा। यह आये दिन सवाल आता है चाहे ध्यान आकर्षण से आये,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

स्थगन प्रस्ताव से आये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में जो कच्ची बस्तियों का सवाल है जिनमें एक लाख लोग रहते हैं उन कच्ची बस्ती वालों ने ज्ञापन जिलाधीश को दे दिया, सरकार को दे दिया और यू. आई. टी. को दे दिया। तहसीलदार नोटिसेस दे रहा है और गरीबों की झोपड़ियों को फड़वा रहा है। यह बड़ी अहमियत का सवाल है इसके लिए मंत्री महोदय बैठकर इस समस्या का समाधान विशेष रूप से जहां तक जयपुर का सवाल है वह निकालने का प्रयास करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। यह तो कोई शासनरूढ़ दल का या विपक्षी दल का प्रश्न नहीं है। यह तो सदन का प्रश्न है और कन्वेन्शन का प्रश्न है; मेरे ख्याल में अगर आप लोकसभा की व्यवस्था को भी देखेंगे तो साधारणतया एडजर्नमेंट मोशन दो से अधिक नहीं आने चाहिये। माननीय सदस्यों को अधिकार है कि एडजर्नमेन्ट मोशन मूव करें, इसके लिए कोई दो राय नहीं हो सकती है लेकिन हमारे रूल्स के अन्दर भी व्यवस्था है और जनतंत्र के अन्दर एक बड़ी नाजुक और डेलीगेट व्यवस्था है काल अटेन्शन मोशन। वह एक तरह से गवर्नमेन्ट के ऊपर तीर फूल का छोड़ना है। स्थगन प्रस्ताव के द्वारा अगर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाये तो वह भी व्यवस्था करीब करीब एकसी है। जैसे माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं उन्होंने जो प्रश्न सदन के समक्ष रखा उसके लिए मेरी एक हद तक सहानुभूति है और यह सभी दलों के प्रतिनिधियों को आसन बुलाये इस सम्बन्ध में कोई चर्चा करे और गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं तो मेरे ख्याल में सदन की कार्यवाही के लिए भी अच्छा होगा, सदन की शोभा के लिए अच्छा होगा, जनतंत्र की स्वस्थ प्रणाली के भी उचित होगा। यह निर्णय अगर सदन के द्वारा होता है हम एडजर्नमेन्ट मोशन एक से अधिक या दो से अधिक एडमिट नहीं करें, काल अटेन्शन मोशन की व्यवस्था को विशेष महत्व देकर आवश्यकताओं की पूर्ति करें। मेरे ख्याल में यह शोभनीय व्यवस्था है। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैं भी कुछ कहना उचित समझूंगा। ज्यादा एडजर्नमेन्ट मोशन देने की प्रवृत्ति इसी सैशन में हुई है। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन मामूली सा मैटर जो पुराना मैटर है वह भी यहां देखने में आता है और यहां पर आसन उनको रिजेक्ट कर देता है। फिर भी माननीय सदस्य दो मिनट में बोलकर अपना संतोष प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। परन्तु इसमें तो खासकर विरोधी पक्ष के नेता हैं इन्हीं से मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके जरिये कहना चाहूंगा कि वही समस्या का समाधान करें तब ही होगा क्योंकि इस पक्ष से एजडर्नमेन्ट मोशन देने का तो प्रश्न ही नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): आपको मना है क्या?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं और मैं आश्वासन दिलाता हूं कि आसन के साथ हम पूर्ण सहयोग करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई: हम ऐसा नहीं रखते हैं इसलिए विरोधी पक्ष के माननीय सतीशचन्द्रजी और विरोधी पक्ष के नेता यहां बैठकर गम्भीरता से विचार करें और माननीय उपाध्यक्षजी आपके समक्ष बैठकर इसका समाधान किया जाय, तो मेरे ख्याल से आधा, पौन या एक घंटा बचता है। इस अमूल्य समय को दूसरे महत्वपूर्ण विचारों के लिए दिया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: माननीय उपाध्यक्ष जी,····

श्री उपाध्यक्ष: कृपया संक्षेप में कहें अपनी बात।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मेरे स्थगन प्रस्तावों को लेकर कुछ चर्चा हुई·····

श्री उपाध्यक्ष: आपके स्थगन प्रस्तावों को लेकर नहीं हुई। सुझाव दिया है।··

श्री रामानन्द अग्रवाल: जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि चार स्थगन प्रस्ताव आये········

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैंने किसी व्यक्ति विशेष के ख्याल से नहीं किया है। मैं कई दिनों से इस चीज को फील कर रहा था और मैंने अपनी फीलिंग अध्यक्ष महोदय को भी बताई थी।

श्री उपाध्यक्ष: आपसे मेरी भी बातचीत हुई थी इसके बारे में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: डिप्टी स्पीकर साहब से भी मैंने कहा था। मैं कई दिनों से इस बात को फील कर रहा था।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये जाते हैं वे भी टाइम पर स्वीकृत नहीं होते हैं। रूल्स में एडजर्नमेन्ट मोशन ही का दिया हुआ है। एक दिन में एक ही लाने का नियम है, लेकिन घटना हमारे और आपके हाथ की नहीं होती है। बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो एक साथ एक ही दिन में घटित हो जाती हैं और उनके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना हमारा फर्ज हो जाता है। यह अलग बात है कि आप उनका उल्लेख एक दिन में न करें तो दो दिन में करें। लेकिन मैं यह निवेदन अवश्य करूंगा कि स्थगन प्रस्तावों पर यह होगया है कि उनका जवाब उनकी अहमियत, इमीजियेटनेस को छोड़कर 2–4 दिन में और हफ्ते तक में आता है जिससे उनकी अहमियत को कम करके आंका जाता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि वक्तव्य भी जो दिलायें तो उसी दिन दिलायें या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन तो हो ही जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामकिशन जी।

श्री रामकिशन: उपाध्यक्षजी, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा उसके पीछे किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में तो कोई बात नहीं है ऐसा हम भी महसूस करते हैं लेकिन असल बात तो यह है कि नियमों में दूसरी व्यवस्थाएं हैं। उनका इस सदन में उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार है।

लोकतन्त्र में तो समस्याएं उत्पन्न होंगी और होती ही चली जायंगी तो उनके निराकरण का माध्यम तो निकालना पड़ेगा। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव कम से

(श्री रामकिशन)

कम लाये जायं। कितने लाये जायं उसका आज नियमों में प्रावधान है। उतना हम कुछ करते हैं, लेकिन सदन और सारी व्यवस्थाओं को सोचना पड़ेगा कि दूसरे तरीके से आ सकते हैं तो स्थगन प्रस्तावों को लाने की आवश्यकता ही नहीं है और न हम इसको करना चाहते हैं लेकिन ऐसी स्थिति में इस सदन की जो परम्पराएं रही हैं उसको बन्द नहीं करना चाहिए।

एक सुझाव आया है कि सरकारी पक्ष और विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मिलें और मिलने के बाद क्या कर सकते हैं, लेकिन कोई रिजिड एटीट्यूड लेकर नहीं चल सकते हैं कि चूंकि हम लोग लाते हैं और वे नहीं लाते हैं जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा तो उनको लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप राज्य करते हैं और आप कम में हैं और हम...

श्री रघुनाथ विश्नोई : राज्य करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में इसको वाद-विवाद में न पटकें।

श्री रामकिशन : आपको भी छूट है। आप भी ला सकते हैं। आप अपने अधिकारों को प्रयोग में नहीं लाते हैं और दोष हम पर लगाते हैं। आप नहीं करते हैं क्योंकि अकर्मण्य हैं। हिन्दुस्तान में कांग्रेस दल आम तौर से निष्क्रिय हैं। कर्मशील दल नहीं है। मिलजुल कर अगर कोई इसका समाधान हो सके तो इसमें हमारा पूरा समर्थन है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मदनसिंह ! लम्बा भाषण नहीं होगा।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : हमारी पार्टी के नेता की तरफ से सुझाव रखा गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक पब्लिक में घटना होती है और इतनी घटनाएं होती हैं तो इसके लिए अगर आप स्पेसिफिक फरमायें कि इतनी घटना हों तो ही स्थगन आ सकता है यानी कोई आदमी मर जाय तो होगा। उसको स्पेसिफिक कर दें ताकि उसकी इम्पोर्टेन्स मालूम हो कि इसमें यह चीज हो सकती है, अन्यथा कम से कम स्थगन प्रस्ताव लाना जरूरी हो गया है आज की परिस्थितियों में ताकि हमारी सुनवाई हो चाहे छोटी सी बात हो। आयन्दा ऐसा होगा तो पब्लिक की मेन्टेलिटी ऐसी बढ़ गई है कि उससे भी सुनवाई नहीं होती है तो और तरीके अपनाएं।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर, आर्डर।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृहमंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक स्थगन प्रस्ताव का सवाल है मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव जिस तरह से पेश होते हैं और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा तो इसमें कोई शक नहीं है कि स्थगन प्रस्तावों का कोई स्टेन्डर्ड कायम नहीं है अपने यहां और हर छोटी सी बात को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश हो जाता है, चाहे लोक महत्व की बात हो या नहीं पर हर चीज पर स्थगन प्रस्ताव अपने यहां पर पेश होता है। पेश होने के बाद उसको नामंजूर करते हैं फिर भी स्थगन प्रस्ताव पर पूरी बहस हो जाती है, क्योंकि मंत्रियों को स्टेटमेंट देने के लिए कहते हैं तो बजाय इसके कि उनको इन्टेरोगेट करें उस पर मेरे ख्याल से माननीय सदस्य सब बहस कर लेते हैं।

Page No. 56

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह बात सही है कि कोई न कोई तरीका ऐसा अपनाना चाहिए कि जिससे स्थगन प्रस्ताव का जो महत्व है वह कायम रहे और उसके लिए जैसा कि सुझाव दिया है जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और विरोधी दल के नेता ने तो मैं इस बात से सहमत हूं कि इसके ऊपर आपस में सब लोग सोचकर आपके कक्ष में इस पर विचार कर लिया जाय कि आयन्दा क्या तरीका अख्त्यार किया जाय, चाहे स्थगन प्रस्ताव हो, चाहे काल अटेन्शन मोशन हो। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि खुशी होगी कि स्थगन प्रस्तावों को तभी पेश किया जाय और उनको जो महत्व होना चाहिए वह कायम रहे, तो इससे अच्छी बचत क्या हो सकती है।

रहा सवाल माननीय सदस्य जो जयपुर से आते हैं कुछ सवाल उठाये कि स्थगन प्रस्ताव जो दिये जाते हैं उनका जवाब समय पर नहीं आता है। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर डिपार्टमेंट के पास में जवाब तैयार नहीं हो सका तो उसकी सूचना असेम्बली को दी जाती है और असेम्बली सेक्रेटेरियेट से सूचना माननीय सदस्यों को मिल जाना चाहिए कि उनके सवाल का जवाब आज नहीं दिया जायगा जिस प्रकार कि कोई प्रश्न यहां पूछा जाता है और सप्लीमेन्ट्री के अन्दर इन्कम्पलीट सूचना होती है तो वह स्थगित किया जाता है। उसके लिए पहले सूचना दिया जाना मुमकिन नहीं है। अगर असेम्बली सेक्रेटेरियेट को सूचना देने में दिक्कत होगी तो हम इस प्रकार का इन्तजाम करेंगे कि जवाब तारीख मुकर्रर पर नहीं दे सके तो उसकी सूचना असेम्बली के साथ साथ माननीय प्रश्नकर्ता को भी दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में सभी दलों के नेता साथ बैठकर इस पर जल्दी से जल्दी कुछ कार्यवाही करेंगे।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि पोलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट अनिश्चित काल के लिए बन्द है और यहां पर एडजोर्नमेन्ट मोशन आया और चर्चा हुई। उसमें शिक्षा मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि प्रिन्सीपल्स और स्टूडेन्ट्स के नुमायन्दों से बात करके हल निकाला जाना चाहिए। मुझे जानकारी मिली है कि कल उस सम्बन्ध में कोई फैसला हो गया है तो हमारा यह अधिकार है कि यदि कोई फैसला हो गया है तो उसकी सूचना हमको मिलनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी अभी नहीं हैं। वापिस आयेंगे तब पूछकर माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जायगा।

श्री रामकिशन: काम से गये हैं या सोने गये हैं।

कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं सदन द्वारा उस पर विचार—

श्री उपाध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृहमंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं

Page No. 57

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री भवनलाल (हिन्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके द्वारा मंत्री महोदय से बिजली के सम्बन्ध में किया था तो मंत्री महोदय से....

श्री उपाध्यक्ष: और किसी अवसर पर, एप्रोप्रियेशन बिल पर, अभी जो डिमान्ड चल रही है वह डिमाण्ड है नहीं उस दिन जब बहस हो तो उसमें बोल लें।

श्री भवनलाल: मैं उत्तर चाहूंगा थोड़े में, मंत्री महोदय हां या ना में उत्तर देदें। 10 आदमी वहां पर पावर हाउस में अभी तक धरना दिये हुए हैं और उसके बाद में भूख हड़ताल चालू होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी जानकारी के लिए मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट अलग से प्रस्तुत होगा उस वक्त उस मुद्दे पर कह लें और इस बात को देखा जायगा और आपके प्रश्न का उत्तर उस वक्त दिया जायगा।

श्री भवनलाल: उपाध्यक्ष महोदय, उसमें सवाल इस बात का है।

श्री उपाध्यक्ष: आपको कह दिया। आप क्या चाहते हैं ? क्या मंत्री महोदय उत्तर दें ? इसके लिये व्यवस्था देदी गई है कि वे इस रूप में उत्तर नहीं देंगे। इस बारे में एप्रोप्रियेशन बिल के समय कह दें, मंत्री महोदय से कह देंगे कि क्या स्थिति है वह बतावें। इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड का बजट आ रहा है उस समय कह सकते हैं।

श्री भवनलाल : आप जो कह रहे हैं वह ठीक है पर वहां पर जिस प्रकार से जनता का धरना चल रहा है, भूख हड़तालें होंगी, मार्केट बंद होगी इससे मतलब क्या होगा। मंत्रीजी जो कुछ कहना चाहें कहदें।

श्री उपाध्यक्ष: बाध्य नहीं कर सकते।

श्री मूलचन्द चौधरी।

श्री मूलचन्द चौधरी (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियम 131 के तहत विद्युत मंत्रीजी का ध्यान पंचायत समिति दूदू क्षेत्र के किसानों के कृषि संबंधी कार्य के लिये जो बिजली विभाग द्वारा कमी रही है उसके संबंध में मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति क्षेत्र दूदू के ग्राम उग्रसर, गुढाबेरसल के किसानों को बिजली देने के विषय में पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें काफी समय से सुझाव देती आई हैं, प्रस्ताव पास किया है और निवेदन किया है कि इन गांवों के किसानों को कूओं के लिये बिजली उपलब्ध कराई जाय। उनके यहां खंभे लग गये और जितनी आवश्यकता किसानों को बिजली की थी उतनी नहीं मिल सकी। इसकी वजह से काफी गांवों में जो खेती का धंधा हम लोग कर रहे

Page No. 58

(श्री सूवालाल चौधरी)

हैं और खास करके सिंचाई का काम इस बिजली के माध्यम को लेकर चला रहे हैं, गत वर्ष खरीफ और रबी की फसल इस बिजली प्रबन्ध की कमी की वजह से और आवश्यकता के अनुसार बिजली नहीं मिलने से सिंचाई के साधनों में बाधा पड़ी और उस बाधा की वजह से जितना गल्ला हम पैदा करना चाहते थे वह नहीं कर सके। इस बारे में मैंने कई बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महोदय से और अधिकारियों से निवेदन किया, पंचायत समिति ने प्रस्ताव भेजा लेकिन सरकार और विद्युत् मंडल ने उस पर ध्यान नहीं दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास जितनी मात्रा में बिजली देने के लिये है या जितनी सामग्री है उतने ही ग्रामों के कुओं को और अन्य धंधों को बिजली देनी चाहिये : ग्राम उग्रसर, गुढावेरसल आदि में बिजली ले गये तो उसके साथ साथ करीब एक वर्ष पहले बिजली के खंभे लगा दिये गये और उन खंभों को देख कर करीब 500 कुओं के किसान यह महसूस करने लगे और उन्होंने तय भी कर लिया कि सिंचाई का साधन अब बिजली हो गई है इसलिये उनके पास जो सिंचाई के दूसरे साधन थे बैल वगैरा या अन्य साधन थे वे खत्म कर दिये और बिजली के खंभों की ओर देखने लगे। लेकिन मैं आज मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि करीब 1 साल से खंभे लगे हुए हैं और इन खंभों को लगाने में खर्चा करीब 50,000) रु. का हुआ होगा लेकिन इससे न तो किसान को लाभ हुआ है और न बिजली विभाग को लाभ हुआ। तो मेरा निवेदन यह है कि जिस गांव में बिजली लगाने की आपकी इच्छा है वहां पर आप सब स्टेशन बनावें और जितनी टेक्निकल कमियां हों उनको पूरा करें...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहिये।

श्री सूवालाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यकता के अनुसार बिजली न देकर कभी दिन में 1 घंटा बिजली देते हैं कभी 2 दिन तक करेन्ट बिल्कुल बंद हो जाता है इस प्रकार की व्यवस्था है। खास करके सिंचाई के लिये पानी समय पर मिलना बहुत आवश्यक है और बिजली का कार्य शुरू होने के बाद किसान दूसरे साधन खत्म कर देते हैं इसलिये उनको बिजली पर ही आश्रित रहना पड़ता है और समय पर बिजली नहीं मिलती है तो सिंचाई के लिये पानी भी नहीं मिलता इससे खेती को नुकसान होता है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि बिजली बराबर मिलती रहे ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिस गांव में कुओं के लिये बिजली मिल गई वहां पर आपके विभाग का कर्मचारी हर समय रहना चाहिये क्योंकि किसान बिजली के बारे में अभी तक अनभिज्ञ हैं इसलिये हर 10 कुओं के पीछे सरकार का कोई जानकार आदमी होना चाहिये ताकि उनको यदि किसी किस्म की दिक्कत आवे तो वह दूर की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा। जो आपकी समस्याएं हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित कर दें।

श्री सूवालाल चौधरी : मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि किसी अन्य धंधे में रिश्वत चलें लेकिन किसानों को बिजली के कनेक्शन देने के काम में तो कम से कम कमी करनी चाहिये। इसमें यदि कमी नहीं हुई तो इससे न तो सरकार को लाभ होगा,

Page No. 59

(श्री सूवालाल चौधरी)
न किसान को लाभ और न बिजली विभाग को लाभ होने वाला है।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं कि जिस गांव में बिजली देनी है उस वर्ष में जिस गांव में लाइन चली गई उससे 10-15 मील से अधिक आगे नहीं बढ़ना चाहिये चाहे कितनी ही आवश्यकता है। बिजली की लाइन के बीच में जो गांव पड़ते हैं और जो गांव खंभों से एक दो मील के फासले पर पड़ते हैं उन गांवों के किसानों को भी कुओं के लिये बिजली उपलब्ध करानी चाहिये। आपके जो टेकनिकल इंजीनियर्स, इन्सपेक्टर्स हैं उनकी कमी है अधिक लोगों को काम पर लगावें तो उनको भी काम मिल सकता है और कमी भी दूर हो सकती है। मेरे चुनाव क्षेत्र के गांव उगरियावास, गुढ़ावेरसल, महला बोराज के 500 किसान अपने कुओं में बिजली लगाना चाहते हैं। पहले आप उनको बिजली दीजिये। उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसके बाद आप आगे बढ़ें। आप 15 मील की दूरी पर भाखरोटा से बगरू तक बिजली ले गये लेकिन रास्ते में एक भी किसान को बिजली नहीं मिली और सरकार का 1 लाख रुपया खर्च हो गया। बीच में जो गांव महला, बोरास, आदि पड़ते हैं, वहां के किसान बिजली चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मिली . . .

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें। आपने बात कह दी कि छोटी लाइन बिछानी चाहिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है इसमें तो ये बातें कहनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। थोड़े में कहदें।

श्री सूवालाल चौधरी : मंत्री महोदय का ध्यान इस लाइन की ओर ले जाना चाहता हूं। बिजली विभाग के जो सचिव महोदय हैं उन्होंने हमारी पंचायत समिति को पत्र लिखा है उसके नंबर तारीख बता देता हूं . . .

श्री जयकिशन (राज्य मंत्री) : आप तो यही बतादें कि क्या लिखा है नंबर तारीख की जरूरत नहीं है।

श्री सूवालाल चौधरी : फुलेरा से मालपुरा तक 33 के. वी. की लाइन ले जाना चाहते हैं उस बारे में लिखा है कि फुलेरा से मालपुरा तक जो 33 के. वी. की लाइन ले जायेंगे उस संबंध में हमने उनसे कहा था कि आप इस लाइन को ले जायेंगे उसके बीच में दूदू क्षेत्र पड़ता है क्या आप दूदू क्षेत्र के गांवों को बिजली उपलब्ध कर सकते हैं? उन्होंने हमें उसका जवाब दिया है और कहा है कि हम 68-69 में काम शुरू करेंगे और दूदू क्षेत्र के गांवों के किसान चाहेंगे तो विद्युतिकरण करके आवश्यकतानुसार बिजली देंगे। विद्युत् मंडल के सेक्रेटरी की चिट्ठी है उसके आधार पर हम मानकर चलते है कि मंत्री महोदय की जो नीति दूदू क्षेत्र के बारे में है और हमारी समस्या को हल करने के लिये मंत्री महोदय को सहानुभूतिपूर्वक हमारी तरफ ध्यान होगा।

श्री जयकिशन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, दूदू क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जाने के संबंध में राज्य सरकार का ध्यान दिलाया है। मैं इस संबंध में कुछ बताऊं उससे पहले निवेदन करना उचित समझता हूं कि हमारे यहां विधान सभा क्षेत्र के अनुसार किस किस क्षेत्र को बिजली का कनेक्शन दिया जाता है . . .

(श्री जयकिशन)

(1 म. प.)

ऐसा कोई विधान सभा क्षेत्र का आज लेखा जोखा नहीं होता परन्तु जैसा कि उन्होंने अपने स्थगन प्रस्ताव में रखा और अपने विचारों में रखा उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम उमरियावास व गुढ़ावेरसल का गत मार्च, 1967 के ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतिकरण किया गया। इन ग्रामों के कुछ किसानों ने कुओं पर बिजली लगाने के लिए प्रार्थना-पत्र मय 5 रु. की वांछित फीस के साथ साथ जमा किये थे। इन लोगों से कोई सीक्योरिटी डिपोजिट व अन्य चार्जेज जमा नहीं कराये गये थे। धनाभाव के कारण कुओं को बिजली देने में देरी हो रही है। इन गांवों में लगभग 30 कुओं पर बिजली देने की एक योजना बनाई जा रही है। लेकिन योजना के लाभप्रद होने व तकनीकी दृष्टि से उचित होने पर और पर्याप्त धनराशि के उपलब्ध होने पर ही इनका विद्युतिकरण किया जा सकेगा।

ग्राम राकरी ढानी जोहरा व आसलपुर को बिजली फुलेरा पर लगे हुए 500 के. वी. ए. ट्रान्सफारमर से दी जानी थी इस ट्रान्सफारमर पर अत्यधिक कृषि भार क्षमता से भी बहुत अधिक लोड हो गया था। इसलिये पिछले दिनों लोड का स्टैरिंग करना जरूरी होगया था। जिस कारण से प्रत्येक कुए को पूरे दिन व रात बिजली नहीं दी जा सकती थी। इन क्षेत्र की इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु इस 500 के.वी.ए. के ट्रान्सफारमर की जगह पर 1000 के.वी.ए. का ट्रान्सफारमर लगा दिया गया है जिससे स्थिति में सुधार की आशा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, पिछले तीन वर्ष में बिजली की बहुत अधिक कमी थी और बिजली के साथ साथ पानी की भी कमी थी और कोई भी स्कीम जो लागू की जाती है उस स्कीम के लाभप्रद होने की भी जरूरत पड़ती है। इसलिये सिंचाई के साधनों के लिये बिजली देना यह तो हमारा सबसे पहला कर्त्तव्य है परन्तु इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसा उन्होंने बताया कि पंचायत समिति की तरफ से प्रस्ताव आया। इस सदन में पहले भी बताया है और माननीय सदस्य से अब फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक पंचायत समिति इस बात के लिए बहुत उत्सुक है कि उसके इलाके में बिजली आये, हर एक पंचायत समिति से हमारे पास प्रस्ताव आते हैं, वह इतने अधिक मात्रा में लम्बे चौड़े आते हैं कि धनाभाव के कारण उतने गांवों को हम बिजली नहीं दे पाते। इस लिये पंचायत समिति से प्रस्ताव आया होगा इस बात को मैं स्वीकार करता हूं परन्तु इन बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। जैसा उन्होंने बताया कि उनके यहां बिजली की देखभाल करने के लिए कुछ कर्मचारी लगाने चाहियें। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विभाग की ओर जहां जहां बिजली लगाई जाती है उस इलाके का विद्युतिकरण करके उसके अन्दर कुछ कर्मचारी लगाये गये हैं, जिनमें जे.ई.एन, लाइन मैन और दूसरे कर्मचारी होते हैं इसलिये जैसा उन्होंने सुझाव दिया, वह तो पहले से ही व्यवस्था विभाग की ओर से है। अगर कहीं इसके अन्दर लापरवाही बरती जाती हो तो माननीय सदस्य का अधिकार है कि वह इस बारे में ध्यान दिलायें, हमारे विभाग का ध्यान

(श्री जयकिशन)

दिलाये और विभाग उसके बारे में आवश्यक कार्यवाही करे। इसलिये मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने बताया कि जो बिजली चली गई है और उसको कनेक्शन नहीं मिला है वह अगर राज्य सरकार के नियमों की पूर्ति करते हैं किसान तो उसके बाद किसानों को कनेक्शन दिया जायगा। इस साल बिजली की इतनी अधिक कमी नहीं है इसलिये जो उनको कनेक्शन देने की मांग है, जिन्होंने सीक्योरिटी डिपोजिट करादी है, एल फार्म दे दिया है तो उन किसानों को बिजली देने के लिये राज्य सरकार बहुत जल्दी कार्यवाही करेगी।

इसके साथ साथ एक बात बताई, फुलेरा से मालपुरा को लाइन लाई जा रही है उससे रास्ते में किसानों को या गांवों को बिजली दी जाय। जैसा कि माननीय सदस्य का सवाल है और उन्होंने इस बातको रखा है कि उसके बीच के गांवों को बिजली मिलनी चाहिये, तो यह ग्रिड सिस्टम है तो मालपुरा के अन्दर उस गांव के अन्दर बिजली कम पहुंचनी चाहिये। बिजली फुलेरा से मालपुरा पहुंचानी है तो जो ऐसे गांवों में किसान रहते हैं जो इस की टेल पर हैं तो उनको यह बिजली नही पहुंचायी जा सकती। फुलेरा से मालपुरा जो लाइन आती है, उसकी टेल पर बिजली नहीं जा सकती। उस गांव को बिजली देने के लिए आपके यहां जो बिजली गई है उस साधन को, बढ़ायेंगे जैसे ही हमारे पास में साधन उपलब्ध होंगे।

एक आपने प्रश्न रखा कि एक लम्बी लाइन खींची जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक लाइन को खोलने के पहले देखते हैं कि वह लाइन लाभप्रद है या नहीं। अब तो भविष्य की स्कीम है, उनको किसी प्रकार कार्यान्वित करना है, किस प्रकार लगाएं, आगे के लिये जो गांवों का विद्युतिकरण करना है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इसलिये इन सब बातों को देखते हुए गांवों को बिजली दी जाती है। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने बातें रखी यहां पर उसमें किसी प्रकार की कमी हो तो वह ध्यान दिलायें तो उसमें आवश्यक सुधार या आवश्यक कार्यवाही जो हो वह की जा सकती है। ऐसा मैं उनसे अपनी-ओर से कहना उचित समझता हूं और स्वयं मेरा उनसे निवेदन है कि हमनें जो कुछ आपके यहां विद्युतिकरण लाइट वगैरह जो कुछ करनी है, उसके बारे में जैसे ही हमको उपलब्ध होगा धन और जैसे ही हमारे पास प्रचुर मात्रा में बिजली उपलब्ध होगी वैसे ही आपके गांवों को बिजली कनेक्शन दे दिया जावेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमीलाल !

श्री जयकिशन शर्मा : अमीलालजी का 28 का है।

श्री सूवालाल चौधरी : एक प्रश्न मन्त्री महोदय ने बताया कि फुलेरा से मालपुरा तक के एरिया के किसानों को बिजली की आवश्यकता है, फुलेरा से मालपुरा के बीच का फासला है, मेरे ख्याल से, वह अस्सी मील का पड़ता है।

श्री जयकिशन शर्मा : वह आपका फर्माना ठीक मालूम पड़ता है।

श्री सूवालाल चौधरी : दूदू तहसील के सारे गांव उसमें आते हैं और मालपुरा और दूदू तहसील के मिलने की जगह जो गांव हैं,

(श्री सूवालाल चौधरी)

उनकी सरहद है वैसे मालपुरा को बिजली दी जाय, मालपुरा के गांवों को बिजली दी जाय मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन जिन ग्रामों से मालपुरा तहसील शुरू हो जाती है फुलेरा से मालपुरा लाइन जो है उसमें यह गांव सिरे पर है, वहां पर बिजली की आवश्यकता है। इसलिये हमारे गांवों की आवश्यकता है बिजली की खेतों के लिये उसको पूरा किया जाय। मालपुरा की जो स्कीम है उसको वहां लाया जाय इसमें हमें ऐतराज नहीं है लेकिन जो गांव बीच में पड़ते हैं उनका भी ध्यान रखा जाय। मालपुरा को जो प्राथमिकता दी जा रही है वह वहां की आवश्यकता को ध्यान में रख कर दी जाती है सरकार की ओर से लेकिन जो दूदू के रहने वाले किसान हैं, सरकार को यह किसान बिजली का पैसा देंगे, उनको भी बिजली दी जाय। संक्षेप में मैंने अपनी बात कही है इसलिये आपको इन बातों पर विचार करना चाहिये।

श्री जयकिशन शर्मा : कोटा से बिजली आ रही है उसके बीच में गांव रहेंगे, क्योंकि ग्रिड सिस्टम को राजस्थान में करना है, और उस सिस्टम में एक बड़ी लाइन आ रही है तो उससे हर एक गांव को बिजली नहीं दे सकते। माननीय सदस्य इस बात का भी ख्याल रखें।

श्री सूवालाल चौधरी : कोटा से आने वाली लाइन है उससे दे सकते हैं।

श्री जयकिशन शर्मा : वह भी बड़ी लम्बी लाइन है।

श्री सूवालाल चौधरी : कौनसी बड़ी लाइन है ?

अनुदानों की मांगों पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! अनुदान की मांगों पर विचार! माननीय गृह मन्त्रीजी।

श्री जय नारायण खालौदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : अभी प्रस्ताव प्रस्तुत करदें।

श्री जयनारायण खालौदिया : गृह मन्त्री जी गृह गये शायद!

श्री खेतसिंह (उप मंत्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं (गृह मन्त्री के आने पर) अब आ गये!

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : मैं माफ़ी चाहता हूं।

श्री प्रेमसिंह : होड लग रही है दोनों में।

श्री खेत सिंह : होड नहीं लग रही है, एक दूसरे का कोपरेशन है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,44,81,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को

(श्री दामोदरलाल व्यास)

समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,01,12,000 . तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : स्वायत्त शासन मन्त्री !

श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,65,38,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 38, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94, जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,00,50,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

उपरोक्त मांगों पर निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

मांग संख्या 16,

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) :

1. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जोधपुर मेडिकल कालेज व अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

2. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जोधपुर क्षेत्र में पेय जल के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16,

श्री **जयनारायण लालोड़िया** (निवाई) :

3. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग में घोर अव्यवस्था व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (निवाई सफाखाने में डाक्टर के अवकाश पर रहने पर दूसरे डाक्टर की व्यवस्था न होने से रोगियों की परेशानी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

5. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (निवाई में जच्चा खाना नहीं होने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (निवाई नगरपालिका क्षेत्र में नल योजना क्रियान्वित करने में देरी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

7. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

(श्री जयनारायण वासोदिया)
के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (निवाई नगरपालिका क्षेत्र में नल योजना क्रियान्वित करने में देरी पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 12

8. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (टोंक जिले में चोरियों व अन्य जुर्मों में पुलिस की लापरवाही पर चर्चा के लिये) ।

9. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस के छोटे कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

10. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 16

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

11. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के बारे में चर्चा के लिये) ।

12. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में चिकित्सा सुविधा के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

13. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (रायसर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर काफ़ी अर्से से डाक्टर की नियुक्ति नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 17

14. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर की जल समस्या के प्रति सरकार की घोर उदासीनता के बारे में चर्चा के लिये) ।

15. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (मरुस्थलीय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा के लिये) ।

16. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बायतू, कवास, मुट्टीया, कानोड, कोसरीया (बाड़मेर तहसील) में जल समस्या को हल करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नौबला ट्यूब वेल (शिव तहसील) से शिव एवं गूंगा पाइप लाइन स्कीम को क्रियान्वित करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

18. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर की जल समस्या

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
के बारे में राज्य सरकार की घोर उपेक्षा के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

19. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

20. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बाडमेर नगर में चोरियों के मुकदमात की जांच करने में पुलिस की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना):

21. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अवकाश ग्रहण करने के क्रम में मेल नर्सिंग स्टाफ़ एवं फ़ीमेल नर्सिंग स्टाफ़ में भेदभाव बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भरतपुर अस्पताल को प्रथम श्रेणी के अस्पतालों को मिलने वाली सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भरतपुर अस्पताल में गन्दगी, लैट्रिनों की दुर्दशा व उनसे बहने वाले गन्दे पानी सम्बन्धी अव्यवस्थाओं पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भरतपुर अस्पताल में P.M.O. की अनुपस्थिति से पैदा हुई हालत पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कस्बा रूदाबल (जिला भरतपुर) के अस्पताल में काफ़ी अर्से से डाक्टर न भेजने से पैदा हुई हालत पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

26. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (धौलपुर सब डिवीज़न में पुलिस अधिकारियों एवं डाकुओं के गठबन्धन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजाखेड़ा के थानेदार द्वारा डकैत के इलाज कराने एवं डकैत के अच्छे हो जाने की खुशी में मन्दिर का निर्माण कराने से पैदा हुई हालत पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (डकैतों को एम. जी. गन एवं दीगर कारतूस व स्वचालित हथियारों की लगातार होने वाली सप्लाई पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम मुरारी के 7 व्यक्तियों को डकैतों से झूठा मुकाबला बताकर गोली से हत्या

Page No. 66

(श्री मुकुट बिहारी लाल)
करने का प्रयास करने से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (शहर भरतपुर में चोरी डकैती, अपहरण, हत्याओं, जुर्मों व सट्टों का जोर बढ़ने से पैदा हुई हालत पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भ्रष्टाचार विभाग की अकर्मण्यता व होने वाली देर व विभाग के ढांचे पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बांसवाडा जिले में फ़रवरी, 1968 के अन्तिम सप्ताह में संसोपा कार्यकर्ता की पिटाई पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बयाना पुलिस की हिरासत में ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री प्यारे लाल शर्मा की मृत्यु व उसकी आत्म हत्या का झूठा केस बनाने से पैदा हुई हालत पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कस्बा उच्चैन में पुलिस स्टेशन की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चित्तौडगढ जिले में मार्च, 1967 से फरवरी, 1968 तक होने वाली 11 हत्याओं से पैदा हुई हालत पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (छापर सु.) : 36 मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम जीली तथा भीवसर पुलिस स्टेशन (जिला चूरू) की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (दिनांक 11-2-68 को चाडवास और छापर के क्षेत्र में सडक पर मोटर दुर्घटना से घासीराम नायक की औरत व उसके लडके के मारे जाने एवं इस सम्बन्ध में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जुलाई, 1967 के अन्तिम सप्ताह में श्री जगूराम खाती, निवासी राजलदेसर (जिला चूरू) को अपने ही घर में सोते हुए को किसी ने कत्ल कर दिया और पुलिस हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर सकी इस सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

39. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (श्रीमती उमराव देवी धर्म पत्नी श्री भींवराज लूणिया, निवासी सरदार शहर की हत्या दिनांक 3-6-65 की रात्रि को हुई, इस सम्बन्ध में आत्महत्या मान कर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पर चर्चा के लिए)।

40. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (दिनांक 11-8-66 को ग्राम शामियां (थाना भवानी मण्डी) में नातूराम के कत्ल के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री राम कुमार नन्दवाना (चित्तौडगढ):

41. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (प्रतापगढ में लेडी डाक्टर नहीं होने तथा चित्तौडगढ, अस्पताल की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चित्तौडगढ जिले के होस्पिटलों मे डाक्टरों का अभाव तथा उसकी पूर्ति किए जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

43. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत चित्तौडगढ जिले की स्कीमों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

44. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चित्तौडगढ जिले में पुलिस अपने कर्तव्य को निभाने में असमर्थ रही है, इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री फतेह सिंह (ब्यावर) :

45. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नवम्बर माह में गांव मोयाना में हुए मृत्यु-भोज के सम्बन्ध में डी. एस. पी. ब्यावर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

46. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस थाना टाडगढ के अधिकारियों द्वारा ग्राम रोडियाना के श्री पनासिंह से रिश्वत लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा):

47. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (Sub-Standard medicine) के खरीदने (जैसे मल्टीविटामिन की गोलियां, फोरस सल्फेड गोलियां आदि के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (रेट कान्ट्रेक्ट के अधीन कन्डोन की खरीद के संबंध में बिना स्टोर पर्चेज कमेटी की स्वीकृति के किसी एक फर्म का माल एप्रूव करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (स्टोर पर्चेज ओर्गेनाइजेशन के सचिव के पद पर मर्जीदान अफसर को लगाकर विभाग द्वारा खरीद में अनियमितताएं करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मांग संख्या 17

50. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन विभाग द्वारा की जाने वाली खरीदों में भारी घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

51. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजनैतिक आन्दोलनों के दमन हेतु पुलिस के अनुचित उपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर):

52. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम जाट बहरोड तहसील मुंडावर, जिला अलवर) में डिस्पेन्सरी खोलने में अनावश्यक देरी पर चर्चा के लिए)।

53. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन विभाग में धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बीकानेर के पैथोलोजी के प्रोफेसर के विरुद्ध चल रहे अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (श्री खेरातीलाल कम्पाउण्डर थानागाजी डिस्पेन्सरी, जिला अलवर से संबंधित राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले दिनांक 21-12-55 और राजस्थान सरकार की आज्ञा नं. डी. 11574। एफ. 13 (18) (76) एम. पी. एच.। 57।जी. आर, दिनांक 22-9-60 को लागू न करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय कर्मचारी संघ, अजमेर द्वारा सरकार को प्रस्तुत विज्ञापन के संबंध में सरकार के उदासीन रवैये पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अलवर के जनरल अस्पताल को 'ए' क्लास घोषित किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में,से 100) रु. कम कर दिया जाय (सरकारी अस्पताल निम्वाहेडा में डाक्टर का जनता के साथ दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

59. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जोधपुर जिले में सितम्बर, 1967 में मनाये गए पखवाडे में नसबन्दी और लूप के सम्बन्ध में झूठे आंकडे देने पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया

Page No. 69

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जाय (जिला परिवार नियोजन अधिकारियों द्वारा नसबन्दी के आपरेशन न करने एवं अपने दौरे मोबाइल टीम के साथ न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला परिवार नियोजन अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों के सम्बन्ध में पारस्परिक विवाद पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी एवं लूप के लिए किये जाने वाले खर्च के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में परिवार नियोजन केन्द्रों में डाक्टरों की नियुक्ति में धांधली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

64. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (करौली में पुलिस सब इन्सपेक्टर द्वारा दुराचरण पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (निम्बाहेडा में 21-9-67 को कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय पर गुण्डों द्वारा किये गए आक्रमण के संबंध में पुलिस की कार्यवाहियों विषयक चर्चा के लिये)।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) :

66. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (धौलपुर क्षेत्र में कानून की व्यवस्था सन्तोषजनक न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री रामचन्द्र (खण्डेला) :

67. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राज्य में चिकित्सा व्यवस्था अपर्याप्त तथा महंगी है, इस पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सीकर के एस. के. अस्पताल में जिला चिकित्सा अधिकारी की कर्तव्यहीनता के कारण व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

69. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सीकर वाटर वर्क्स की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सरकार देहात व शहरी क्षेत्रों में पीने के जल की सुव्यवस्था करने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

71. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सीकर जिले के पुलिस कर्मचारियों की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

Page No. 70

(श्री रामचन्द्र)

72. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सीकर जिले में पुलिस के अनुसंधान कार्यों में प्रशासन द्वारा राजनैतिक हस्तक्षेप होता है, इस पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100)रु. कम कर दिया जाय (नीमका थाना सब डिवीजन में पुलिस द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों पर झूठे मुकदमें बनाकर उन्हें फंसाने का कुचक्र चल रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :

74. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के बारे में चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चीतलवाना डिस्पेंसरी, तहसील सांचौर में डाक्टर की व्यवस्था करने के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

76. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की समस्या के समाधान के बारे में चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100)रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी हेतु कूप निर्माण पर चर्चा के लिए)

78. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सांचोर पेयजल योजना द्वारा मीठा पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु कम कर दिया जाय (ग्राम हाड़ेचा, सांचोर की पेयजल योजना के क्रियान्विन के बारे में चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नेपड क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के बारे में चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सांचोर पेय जल योजना के लिए अकाल सहायता विभाग से जो धन पिछले साल दिया गया था उसका सही उपयोग नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला जालौर के लिये पिछले साल अकाल सहायता विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग को जो धन राशि दी गई थी उसका सही उपयोग नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

83. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु.

Page No. 71

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) :

84. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अजमेर जवाहर लाल चिकित्सालय में दवाइयां गरीबों को नहीं दी जाती हैं, बल्कि दवाइयों को डाक्टर लोग प्राईवेट प्रेक्टिस में काम लेते हुए बेचते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (मदार सेनिटोरियम को दिये गए अनुदान के दुरुपयोग व मरीजों के साथ दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिए)।

86. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ब्यावर चिकित्सालय की दवाइयां बेचने व अन्य दवाखानों को दी जाने वाली दवाओं में घोटालों पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (रामसर अजमेर के चिकित्सालय में दूध के घोटालों को दबाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम भवानीखेडा, बाघसूरी, फारकिया, कानाखेडी, तहसील अजमेर तथा भाखुपुरा में आयुर्वेदिक दवाखाने तुरन्त खुलवाने पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक औषधियों की खरीद में घोटालों पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक विभाग द्वारा खरीदे गये पोदीने के फल में 0.10 लाख से अधिक की हानि होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (एलोपैथिक चिकित्सालयों में प्रयोग हेतु दवाइयों की खरीद में भारी घोटालों पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जनाना सफाखानों में महिलाओं के साथ कम्पाउण्डरों द्वारा दुर्व्यवहारों पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (टी. बी. चिकित्सालय में मरीजों को निर्धारित खुराक नहीं देकर बीच में ही इसका भ्रष्टाचार किया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चिकित्सा महाविद्यालयों में केवल राजस्थान के ही विद्यार्थियों को जो कम से कम 20 वर्षों से राजस्थान में निवास करते हों, प्रवेश देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

(श्री विजयसिंह रावत)

95. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) . कम कर दिया जाय (सभी भारतीय नागरिकों के लिये न कि केवल एक ही वर्ग के व्यक्तियों के लिये, परिवार नियोजन योजना आवश्यक रूप से लागू करने पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर वाले चिकित्सालय कर्मचारियों को विशेष भत्ते व अन्य सुविधाएं दी जायं, इस संबंध में चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (व्याख्याता डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस तुरन्त बन्द करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जेठाना दवाखाने में रखी गयी दवाइयां गायब करके एक प्राइवेट कैमिस्ट से दवाइयां खरीदने को मरीजों को बाध्य करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नेहरू चिकित्सालय में टिटेनस के मरीज श्री रतना पुत्र रामा की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उसे चार दिन तक किसी भी डाक्टर ने नहीं देखा न उपचार किया इस संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

100. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (स्वास्थ्य महिला शिक्षिका प्रशिक्षण में ली जाने वाली स्त्रियां अधिकतर ग्रामीण भाषा जानने वाली होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (क्षय रोग स्वास्थ्य निरीक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर क्षय रोग मरीजों की चिकित्सा करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामों में जन स्वास्थ्य हेतु लगी नर्सों व लेडी डाक्टर्स के लिये ग्रामीण भाषा जानना अनिवार्य हो, इस संबंधी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

103. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग म से 100) रु. कम कर दिया जाय (बनास पेय जल योजना में लगे पाइप्स में शीशा भरने, सीमेन्ट कोटिंग व अन्य मामलों में भारी घोटालों व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

104. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में 100) रु. कम कर दिया जाय (महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों के समान राजस्थान में पुलिस सब इन्सपेक्टर्स को 'पी कैप' न लगाने देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

(श्री विजय रावत)

105. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस के नादिरशाही व्यवहार से आम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं राजनैतिक लीडर्स के साथ पुलिस की बढ़ती हुई ज्यादतियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (युवतियों व युवकों के अपहरण एवं वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देने में पुलिस की मिली भगत पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बढ़ती हुई चोरियों, डकैतियों, हत्याओं एवं व्यभिचारों में पुलिस की मिली भगत के कारण जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त रिश्वतखोरी पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस सब इन्सपेक्टर्स तथा उनसे उच्च अधिकारियों को उनके होम स्टेशन्स से अविलम्ब स्थानान्तरण पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स, अजमेर सिटी में कान्सटेबलों व हैड कान्सटेबलों के लिये पर्याप्त सरकारी क्वार्टर्स न होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (श्री अमा पुत्र श्री काना को नसीराबाद पुलिस थाने में बहुत पीटा गया जिससे उसके हाथ की दो जगह से हड्डी टूट गई, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री सांवरमल आसोतिया (नवलगढ़) :

113. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम गोठडा में सरकारी डिस्पेंसरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय। (नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में एक भी 'ए' श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालय के न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

116. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम

(श्री सांवरमल वासोतिया)

कर दिया जाय (नवलगढ़ में जल प्रदाय योजना के कार्य की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गिरधरपुरा, भरवाडी, मोहब्बतसरी, सोटवारा, वलरिया आदि गांवों के पेय जल के कुओं को गहरा करवाने तथा उनकी मरम्मत करवाने पर चर्चा के लिए)।

118. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम वसावा में जल वितरण योजना को खटाई में डाल देने पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नवलगढ़ प्रसूति गृह में लेडी डाक्टर न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री शंकर लाल (जैतारण):

120. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पाली जिले के अस्पतालों में स्टाफ की व औषधियों की कमी तथा मरीजों की परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

श्री आलमअली खां (फतेहपुर):

121. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (फतहपुर तहसील के क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजकीय अस्पताल, सीकर में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील फतेहपुर (जिला सीकर) के गांवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

124. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम गोविन्दपुरा, थाना खण्डेला में हुई एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस की अकर्मण्यता के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री भवणलाल (हिन्डोन):

126. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1) रु. कर दिया जाय (अस्पतालों व डिस्पेन्सरियों में दवाईयों व अन्य सुविधायें देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

127. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में 100) रु. कम कर दिया

(श्री श्रवणलाल)
जाय (हिन्डौन शहर की आबादी को देखते हुए जनता को दवाई व अन्य सुविधायें देने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल में डिप्टी सुपरिन्टेडेन्ट के पद पर सीनियर मोस्ट की नियुक्ति नहीं करके व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

129. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु. कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में जनता को नल योजनाएं लागू करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

130. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (हिन्डोन में प्रति वर्ष के जल संकट के निवारण हेतु सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान में ग्रामों व अधिक आबादी वाले कस्बों में जल प्रदाय योजनाएं क्रियान्वित करने हेतु असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

132. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर में डकैतों द्वारा व्यक्तियों को अपहृत करने की समस्या को सुलझाने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

133. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में होने वाली चोरियों को खोलने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

134. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झूठे मुकदमें बनवाकर पुलिस कर्मचारियों द्वारा तंग करने पर चर्चा के लिए)।

135. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर व हिण्डोन में बढ़ती चोरियों को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

136. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर व भरतपुर में बढ़ती हुई डकैतियों को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

137. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (मलारना-डूंगर के थानेदार के खिलाफ पड़ी 15 विभागीय इन्क्वायरी चलते हुए भी विभाग द्वारा कोई एक्शन नहीं लेने पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया

(श्री श्रवणलाल)

जाय (पुलिस थाना मलारना डूंगर के एस. एच. ओ. का बार 2 ट्रान्सफर केंसिल करने पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (हिन्डौन में श्री महावीर जी व कुडगांव के मंदिरों की मूर्तियों की चोरी के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

140. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पाली जिले के चिकित्सालयों में दवाइयों का समुचित प्रबन्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

141. मांग-संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पाली बांगड होस्पीटल में अच्छे डाक्टरों व दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बांगड हास्पिटल के कम्पाउंडवाल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस रोकने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

144. मांग संख्या 17, मुख्य-शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पाली जिले में पेयजल उपलब्ध करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन केन्द्र पर व्यर्थ के भारी खर्चे पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गांवों में पीने के पानी की भयंकर कमी पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पाली तहसील में जिन नालियों में पीने का पानी जवाई केनाल से दिया जाता है, उस पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गांव खैरवा (तहसील पाली) प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर डाक्टर न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

149. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम खैरवा तहसील पाली में जल प्रदाय योजना क्रियान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 38, मुख्य-शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

(श्री मूलचन्द डागा)

के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गांव गुन्दोज, तहसील पाली, की जल प्रदाय योजना पूरी न करने पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पाली शहर में ड्रेनेज स्कीम लागू न करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

152. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

153. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पी. एस. आईज. और पी. आईज. को पुलिस विभाग से अलग करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री **जुझारसिंह** (रामगंज मण्डी) :

154. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग द्वारा आंवा, कनवास क्षेत्रों में दो दो साल से डाक्टर की नियुक्ति नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सलावद, पातल, खेड़ी व पीपल्दिया के मिशन अस्पतालों को ग्रान्ट—इन—एड देने पर चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (रामगंज मन्डी के अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

157. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण जल प्रदाय योजना पर चेचट, खैराबाद, आंवा सुकेत में कार्य आरम्भ न करने पर चर्चा करने के लिये)।

158. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (रामगंज मन्डी नल योजना को चालू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (आंवा प्राइमरी हैल्थ सेंटर को बिल्डिंग के लिये धनराशि उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

160. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस उच्च अधिकारियों व कर्मचारियों पर होने वाली फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों द्वारा

(श्री जुझारसिंह)
नाजायज तौर पर भंडावा थाने पर व्यक्तियों को पीटने से हुई अशान्ति पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

163. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झालावाड के राजकीय चिकित्सालय की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (रटलाई ग्राम जिला झालावाड़ में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

165. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झालरापाटन में पीने के पानी के लिये नल योजना पर चर्चा के लिए)।

166. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम रेटलाई जिला झालावाड में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर न खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

167. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सन् 1966-67 में झालावाड़ के पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा कार्तिक मेले में बेचे गए पुलिस वैलफेयर फण्ड टिकट के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़):

168. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चिकित्सा में व्याप्त अव्यवस्था को हटाने पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (डिस्पेन्सरीज की हालत सुधारने, गांवों में डाक्टरों की तुरन्त व्यवस्था करने तथा गरीबों के लिये औषधियां सुलभ करने पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गांवों में लम्बे अर्से से डाक्टरों का अभाव रहता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

171. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार और शराब खोरी पर चर्चा के लिए)।

172. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस में फैले भ्रष्टाचार

Page No. 79

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

और शराबखोरी को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस में फैले भ्रष्टाचार चोरियों तथा कत्लों का पता नहीं लगने से जो असन्तोष और अराजकता फैल रही है, उसे रोकने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) :

174. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (आयुर्वेद तथा होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति के प्रति बरती जाने वाली उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सरकारी शफाखानों में मरीजों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (लम्बे अर्से तक कई शफाखानों में डाक्टरों व दवाइयों की उचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राज्य में डाक्टरों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चौकड़ी पुरानी बस्ती में आयुर्वेदिक चिकित्सालय के अभाव के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

179. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से पेय जल की कमी तथा सरकार द्वारा योजना के अभाव पर चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (लक्ष्मण डूंगरी जल प्रदाय योजना, जयपुर के अन्तर्गत गन्दे जल के निकास से होने वाली कठिनाईयों पर चर्चा के लि`)।

181. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में पेय जल की पाइप लाइन आबादी व कनेक्शन्स के लिहाज से बहुत छोटो है, इस संबंध में चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में पेय जल के नलों में प्रेशर की कमी के कारण पानी दूसरी मंजिल में भी नहीं पहुंचता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

183. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु.

(श्री दुर्गलाल बाढ़दार)
कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में नियुक्तियों में होने वाले पक्षपात व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

184. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग की पैरोकारी शाखा जुडिशियरी के मातहत किए जाने पर चर्चा के लिए)।

185. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा शान्त प्रदर्शन कारियों पर अनावश्यक बल प्रयोग पर चर्चा के लिए)।

श्री **रामनारायण** (मंडावा):

मांग संख्या 16

186. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) कम कर दिया जाए (प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र भादरवास में डाक्टर की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

187. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राज्य में नये अस्पतालों की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में 100) रु. कम कर दिया जाय (टमकोर गांव में चिकित्सा की उचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

189. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (मंडावा और मलसीसर अस्पतालों में लेडी डाक्टरों व दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झुंझनूं जिले के अस्पतालों में योग्य डाक्टरों कम्पाउन्डरों व नर्सों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गरीब मरीजों को दवाइयों की मुफ्त व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा केन्द्रों में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये)

193. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भगवान दास खेतान राजकीय चिकित्सालय झुंझनूं में पंखों की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 17

194. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30- जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों म पीने के पानी की अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

195. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर

(श्री रामनारायण)

दिया जाय (बिसाऊ जल प्रदाय योजना को पूरा न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

196. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बीदासर-छापर-चाड़ वास तथा राजलदेसर लालगढ़ व जिला चूरू की जल प्रदाय योजनाएं क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

मांग संख्या 16

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया

197. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर की डिस्पेन्सरियों को समय पर पर्याप्त दवाइयों न देने पर चर्चा के लिये) ।

198. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में 100) रु. कम कर दिया जाय (नोखा मण्डी (जि. बीकानेर) की आबादी को व आसपास के देहातों की जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये)

199. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में 100) रु. कम कर दिया जाय (नापासर जि. बीकानेर) के अस्पतालों एवं अधीनस्थ डिस्पेन्सरियों में पर्याप्त दवाइयां एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये) ।

200. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में 100) रु. कम कर दिया जाय (बीकानेर के राजकीय हास्पिटल में मरीजों के लिये अस्पताल में दवाई नही मिलने से मरीजों को बाजार से दवाई खरीदनी पड़ेती है, इस सम्बन्धी जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

201. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय बीकानेर के हास्पिटल में औरतों और पुरुषों को एक साथ वार्ड में रखे जाने से जनता में भारी व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

202. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100 रु. कम कर दिया जाय (बीकानेर के अस्पताल में बीमारों को पलंग व बिस्तर आदि का इन्तजाम करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

203. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बीकानेर के टी. बी. अस्पताल के मरीजों को समय पर भर्ती न करने से मरीजों में भारी व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।)

204. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बीकानेर के जनाना व मर्दाना अस्पतालों में मरीजों को सही ढंग से खुराक समय पर नहीं दी जाती व अच्छा दूध मरीजों को नहीं दिया जाता है जिससे मरीजों में व्याप्त असन्तोष है पर चर्चा के लिये) ।

205. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दियाजाय (नापासर बीकानेर के चिकित्सालय

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

में बीमारों के साथ चिकित्सकों के दुर्व्यहार पर चर्चा के लिये)

206. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नोखा (जिला बीकानेर) के चिकित्सालय में दवाई, बीमारों के आवास व चिकित्सा के काम में आने वाले औजारों का उचित प्रवन्ध नहीं होने के सम्वन्ध में चर्चा करने के लिये) ।

207. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कस्बा देशनोक (जिला बीकानेर के चिकित्सालय में चिकित्सा सामग्री देने से सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये) ।

208. चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम कालू (तहसील लूनकरनसर) के चिकित्सालय में डाक्टरों, नर्सों, दवाईयों में इत्यादि की सुव्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 17

209. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 60 जनस्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कस्वा नोखामण्डी जिला बीकानेर में जल प्रदाय योजनाओं को लागू करने में सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये) ।

210. मांग संख्या 17 मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम जसरासर की (तह. नोखा) में जल संकट की समस्या हल करने में सरकार की असफलता पर चर्चा करने के लिये) ।

211. मांग संख्या 17 मुख्य शीर्षक 30–जनस्वास्थ्य में से 100) कम कर दिया जाय (अधिक आबादी वाले ग्रामों में जल प्रदाय योजनाओं को चालू करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)

212. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम जसरासर, सिजगरू, बेरासर, काकना, सोमलसर, सूरपुरा, रासीसर, मुकाम, देसलसर, पांचू, सारुंडा, देशनोक मण्डी तथा कस्वा देशनोक में पीने के पानी का इन्तजाम करने में सरकार के पक्षपात पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये।)

[213. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम पिथरासर जयसिंह देशर (मूगरा) की जनता द्वारा 5000) रु. सरकार को शुद्ध पानी के लिये अग्रिम जमा करवाने के बावजूद भी सरकार जनता को पानी पिलाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 12

214. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील नोखा में डाकूओं द्वारा की गई हत्याओं व डाकूओं को पकड़ने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये) ।

(श्री चुन्नीलाल ईदलिया)

215. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस स्टेशन नोखा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में होने वाली अनेक चोरियों विशेषतः ग्राम काकडा व हिमसर की चोरियों का पता लगाने एवं चोरी को पकड़ने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला चुरू के पुलिस स्टेशन श्री डूंगरगढ़ के अधीनस्थ ग्राम झुन्झुऊ के 15 हरिजन परिवारों को डाकुओं द्वारा उजाड देने एवं पुलिस डाकुओ को अभी तक भी नही पकड़ पाई, इस पर चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान में डाकुओं द्वारा की गई हत्याओं, विशेषतः हरिजनों की के सम्बन्ध में, तथा ऐसे परिवारों को सरकार द्वारा कोई सहायता न मिलने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)

218. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में 100) रु. कम कर दिया जाय (उनियारा Hospital में Maternity की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम चांदली, तहसील देवली, जिला टौंक में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में 100) रु. कम कर दिया जाय (बनेडी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के वैद्य का लम्बे अर्से तक भी स्थानान्तरण नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

221. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य में से 100) कम कर दिया जाय (उनियारा नगरपालिका क्षेत्र में जल योजना चालू करने पर चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नल योजनाओं के लिये उचित धन राशि की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

223. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में अनावश्यक व्यय पर चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) कम कर दिया जाय (12 नवम्बर, 1967 को नगरथाना (तहसील देवली) पर हमला

(श्री दिग्विजयसिंह)

करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये) ।

226. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला टोंक में मूर्तियों की चोरी की हुई घटनाओं का पुलिस द्वारा पता न चला सकने पर चर्चा के लिये) ।

227. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस थाना आवा (तहसील देवली) के थानेदार द्वारा उस क्षेत्र की जनता पर किये जाने वाले दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 16

228. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु. कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था करने के प्रति सरकार की असफल नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 17

229. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रुपया कर दिया जाय (शुद्ध पेय जल की राज्य में व्यवस्था न हो सकने सम्बन्धी सरकार की असफल नीति का अननुमोदन ।

230. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रुपया कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य हेतु रोग निवारणार्थ विभिन्न योजनाओं में सहयोग और समन्वय बैठाने में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 38

231. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (डूंगरगढ़, बीदसार, छापर व चाडवास में जल प्रदाय योजनाएं लागू न करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 12

232. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार अनैतिकता तथा अत्याचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 16

श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर) ।

233. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा गंगानगर शहर के सरकारी होस्पिटल की अव्यवस्था को ठीक करने में बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 12

234. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1) रु. कर दिया जाय (सरकार पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार कम करने में

Page No. 85

(श्री केदार नाथ)
असफल रही, इस सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 16

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

235. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं में डी. एम. एच. ओ का कार्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (खेतान अस्पताल झुन्झुनू, की सुविधाओं की ओर बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की सूचना सुचारु व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकिसिा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अस्पतालों में दवाइयों तथा स्टाफ की कमी पर चर्चा के लियें)।

मांग संख्या 17

239. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम कानोती जिला झुन्झुनुं में जल योजना का कार्य चालू करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

240. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम छावोली जिला झुन्झुनुं में जल प्रदाय योजना का कार्य चालू करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

241. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

242. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस लाइन, झुन्झुनुं में हथियारों के गबन के बारे में चर्चा के लिये)।

243. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता तथा मनमानी को समाप्त करने एवं जनता की सुनवाई न हो सकने के सम्बन्ध में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 16

श्री गोरधन सोनी (मेडता) :

244. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अस्पतालों में दवाइयों की उचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

(श्री गोरधन सोनी)

मांग संख्या 17

245. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जल वितरण की अधूरी पडी योजनाएं पूरी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

246. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व कर्तव्य की अवहेलना पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) :

247. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (म्युनिसिपल टाउन इन्द्रगढ़ में डाक्टर एवं ट्रेन्ड नर्स के अभाव पर चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औषधालयों में दवाईयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

249. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजकीय औषधालयों में बरती जा रही लापरवाही के कारण मरीज़ों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 16, मुख्य शीषक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (डाक्टरों द्वारा सरकारी औषधालयों में रिश्वत लेकर मरीज़ों को भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट पेशेन्ट्स के अलावा साधारण पेशेन्ट्स के इलाज में बरती जा रही उदासीनता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात वैद्यों द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं मरीज़ों के साथ दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

253. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

254. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स पर डाक्टरों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

255. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (इन्द्रगढ़ म्युनिसिपल टाउन में नल योजना क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

256. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक

(श्री महेन्द्रसिंह)
23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चोरियों के सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा जानबूझ कर बरती गई शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

257. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा कत्ल के केसेज़ में बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

258. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा नक़बज़नी एवं डकैतियों की रोकथाम में असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 16

श्री **कल्याणमल मीणा** (जहाज़पुर-सु) :

259. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (डिस्पेन्सरियों में एक्सरे की व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

260. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जहाज़पुर क्षेत्र में एलोपैथिक डिस्पेन्सरियां खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 17

261. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जहाज़पुर तहसील के ग्राम ईंटून्दा डीटोड़ा शकरगढ़ में पेय जल की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 12

262. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

263. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जहाज़पुर पुलिस स्टेशन तथा शकरगढ़ पुलिस स्टेशन द्वारा रोजनामचा लिखने में जो अनियमितताएं की गई है, उस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 16

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन-सु) :

264. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (लाखेरी, ज़िला बून्दी में 25 हज़ार की आबादी होने पर भी इलाज की सुव्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 12

265. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) . कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 16

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) :

266. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी)

जाय (अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्था तथा दवाओं की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :

267. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (डाक्टरों, नर्सेज, कम्पाउन्डर्स की प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

268. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (गांवों में पेय जल हेतु कुओं के सम्बन्ध में उचित प्रावधान न होने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 16

श्री **हंस राज आर्य** (भादरा) :

269. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान के काफी अस्पतालों में डाक्टरों एवं लेडी डाक्टर्स नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

270. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान के हजारों गावों में आज भी मनुष्य और मवेशी को 10-10 वा 15-15 मील तक पानी पीने के लिये उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

271. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों की कार्य कुशलता में कमी के कारण गांवों में बढ़ रही गुन्डागर्दी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :

272. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) . कम कर दिया जाय (चिकित्सा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अस्पतालों में दवाइयों की चोरियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

273. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) कम कर दिया जाय (पेय जल के सम्बन्ध में जनता को जितनी राहत मिलनी चाहिये वह विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण, उपलब्ध नहीं हो रही है इस पर चर्चा के लिये)।

274. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (रोगियों, डाक्टरों, नर्सों आदि को परिवार नियोजन के अन्तर्गत प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

275. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक

(श्री भगवानदास शास्त्री)

23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बड़े अधिकारियों के मुकाबले में कान्स्टेबिल्स को कम वेतन मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

276. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (हूटूंडी एवं अन्य क्षेत्रों में पुलिस द्वारा किये जाने वाले वैधानिक कार्यों में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री शंकर लाल (जैतारण) :

277. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चिकित्सा के लिये चिकित्सालयों में पूरी दवाइयों का प्रबन्ध नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

278. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ तहसील में नाल में हुए मर्डर के सम्बन्ध में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री केशरी सिंह हाड़ा (हिन्डोली) :

279. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बून्दी के चिकित्सालय में महीनों तक मरीजों को खुराक की व्यवस्था नहीं हो पाती, इस पर चर्चा के लिये)।

280. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बूंदी के चिकित्सालय में सर्जन व लेडी डाक्टर के अभाव के कारण जनता की कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

281. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बून्दी पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. द्वारा क़त्ल के मामले में उदासीनता बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

282. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा निजी व सार्वजनिक मकानों पर कब्जा करने व उनकी मरम्मत नहीं करवाने पर चर्चा के लिये)।

283. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में आये दिन कत्ल की वारदातों के कारण पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) :

284. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (क्षय चिकित्सा सेनिटोरियम तथा क्लिनिक अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(श्री लाभचन्द वैद)

मांग संख्या 17

285. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (छापर, बडवास, दीदासर की जल योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

286. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सुजानगढ़ जल योजना में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

287. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया गया। पुलिस की अकर्मण्यता व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री देबीलाल बुरासिया (केकडी सु.):

288. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चिकित्सीय प्रयोजन के निमित्त अनुदान देने में घोटालों व पक्षपात पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

289. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय ट्रिकोमा कर्मचारियों को चार माह तक वेतन नहीं मिलता, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

290. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री गंगासहाय (कठूमर सु.):

291. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों एवं औषधालयों में स्टाफ तथा दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

292. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजकीय चिकित्सालयों में दवाईयों, स्टाफ एवं अन्य सामान की कमी से जनता की कठिनाइयों के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

293. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में ग्राम जल प्रदाय योजना की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिये)।

294. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र अधिक से अधिक खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री गंगासहाय)

295. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जनता की आवश्यकता व स्थान की उपयुक्तता का ध्यान रखते हुए जल प्रदाय योजना द्वारा आवश्यक कार्यवाही नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

296. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा जनता पर किये जाने वाले दुर्व्यवहारों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) :

297. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला जालोर के अस्पतालों को दवाइयां व अन्य चिकित्सा सामग्री पूरी मात्रा में नहीं मिलती, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

298. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जालोर जिले के कुछ गांवों को पेय जल उपलब्ध नहीं होने के सम्बंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्रीमती मदनकोर (पंचपदरा) :

299. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं दवाइयों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये)।

300. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गत दस वर्षों से बाड़मेर जिले में लेडी डाक्टर न लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

301. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेय जल की समस्या की ओर राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री देवीलाल मीणा (सराडा-सु.) :

302. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गांव थाना व नठारा की पाल तहसील सराडा में आयुर्वेदिक औषधालय की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

303. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा मातहत अधिकारियों पर दबाव डालकर काश्तकारों को परेशानी करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़ सु.) :

304. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ जनरल एवं जनाना अस्पताल में डाक्टरों, लेडी डाक्टर व नर्सों की कमी एवं अन्य अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

305. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ सब डिवीजन के आदिवासी एरिया में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) :

306. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधि के बजट में कमी होने से आवश्यकतानुसार दवा नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

307. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक औषधालय के वैद्यों, उप-वैद्यों द्वारा यूनानी दवा व इंजेक्शन्स के प्रयोग के संबंध में चर्चा के लिये)।

308. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गांव में जन संख्या के आधार पर चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

309. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समिति दूदू के ग्रामों में व दूदू मुख्यालय में सफाखाने व औषधालय नहीं होने से हर वर्ष बिना इलाज मृत्यु हो जाने पर चर्चा के लिये)।

310. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, बीचून में डाक्टर की कमी से बीमारों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

311. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सरकार की पक्षपात पूर्ण नीति के कारण कई क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुधार संबंधी योजनायें क्रियान्वित नहीं हो रही हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

312. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

313. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों में प्रजातंत्र को बलशाली बनाने संबन्धी भावना के अभाव पर चर्चा के लिये)।

(श्री सूवालाल चौधरी)

314. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग चोरी, डकैती, बलात्कार व अन्य अनैतिकता के कार्यों को खत्म करने के सम्बन्ध में असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) :

315. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कस्बा दौसा के होस्पिटल में दवाओं की कमी की वजह से वहां की जनता की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

316. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील जमवारामगढ के कुछ कस्बों में जल प्रदाय योजनाएं चालू नहीं की गई, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

317. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत (कस्बा दौसा में पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता और वहां की जनता पानी के लिये परेशान है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

318. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत (जल प्रदाय योजना के लिए तहसील जमवारामगढ के कस्बा अचरोल की जनता से साढे सात हजार रुपया जमा करवाने पर भी कोई योजना चालू न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

319. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा पिछड़े लोगों के साथ दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) :

320. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (मेडिकल कालेजों में भारी धांधली व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

321. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अस्पतालों में डाक्टरों, लेडी डाक्टर्स व अन्य स्टाफ की कमी तथा दवाइयों आदि की कमी तथा चल रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

322. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कोटा जिले में चिकित्सालयों तथा औषधालयों में डाक्टरों, लेडी डाक्टरों तथा स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

323. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100 रु. कम कर दिया जाय (बारां नल योजना की उपेक्षा तथा शाहबाद क्षेत्र एवं कोटा जिला के कुछ क्षेत्रों में पेय जल की समस्या पर चर्चा के लिये)।

Page No. 94

(श्री देवीदत्त गाडिया)

324. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (खिरणी सवाईमाधोपुर एवं फलोदी आदि स्थानों पर नल योजना में चल रही धांधली एवं उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

325. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन केन्द्रों पर चल रहे भ्रष्टाचार व धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

326. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की जो लागत लगती है, उसका सदुपयोग न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

327. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान पुलिस विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार, पक्षपात व दमन आदि नीतियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

328. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (छबड़ा में कुछ माह पूर्व डी. वाई. एस. पी. द्वारा की गई गिरफ्तारी तथा किसानों की भूमि खाली कराने सम्बन्धी दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

329. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बगड़ (जिला झुंझुनूं) हिन्डौन आदि पुलिस थानों में पुलिस हिरासत में मुलजिमान की हुई मृत्यु के बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) :

330. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर के बीच से टी. बी. क्लीनिक हटाकर टी. बी. होस्पिटल के पास ले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

331. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100), रु. कम कर दिया जाय (बीकानेर मेडिकल विभाग में राजस्थानी नर्सों तथा दाईयों को प्रशिक्षण हेतु भर्ती नहीं कर अन्य प्रान्तों के लोगों को भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

332. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पेय जल से सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में, काफी व्यर्थ खर्चा है, उसे कम किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

333. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (इस मांग के अंतर्गत स्थापना का खर्चा बराबर बढ रहा है, इसमें कमी हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

334. मांग संख्य 38, मुख्य शीर्षक 94-

Page No. 95

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजनाओं में पक्षपात व अनियमितताओं को रोकने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

335. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस की अकर्मण्यता व व्यर्थ खर्च को कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

336. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नरेशों के प्रासादों पर नियुक्त रक्षादल अनावश्यक हैं, इन्हें हटाकर खर्च में कमी की जाय, इस सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

337. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बीकानेर में जस्सर दरवाजे के बाहर एक मकान में सोये हुए एक विद्यार्थी की हत्या के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई पता नहीं लगा सकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

338. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गुप्तचर विभाग में अकर्मण्यता तथा व्यर्थ खर्च को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर):

339. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (अगले बजट में मूविंग अस्पताल की यूनिटें न बढ़ाए जाने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

340. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर सब डिविजन के अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

341. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर कस्बे की जनसंख्या दुगनी हो जाने पर भी इसकी डिस्पेंसरी में सन् 51 की जनसंख्या के आधार पर ही दवाईयों की व्यवस्था होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

342. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (50- बेडेड अस्पताल सवाई माधोपुर के भवन निर्माण में ढिलाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

मांग संख्या 17

343. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

344. मांग संख्या 17 मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (खन्डार जिला सवाई माधोपुर की नल योजना में अप्रत्याशित ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 12

345. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर कम कर दिया जाय (पुलिस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होते हुए भी उसकी रोकथाम न कर सकने के कारण सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

346. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (न्यू पुलिस लाइन्स सवाई माधोपुर में नल एवं बिजली न लगाए जाने पर चर्चा के लिए)

347. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23– पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गत 6 महीनों में सवाई-माधोपुर सब डिवीजन में बढ़ रहे चोरी, नकबजनी, कत्ल जैसे अपराधों की रोक थाम में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये) ।

348. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बडा गांव–भडकोली (थाना लाला) के डबल मर्डर केस में पुलिस द्वारा 10 अभियुक्तों को संरक्षण दिए जाने पर के विषय में चर्चा के लिए)।

349. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गिरधरपुरा (थाना सवाई माधोपुर) के 148–307 ता. हि. के केस मे 39 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा संरक्षण देने पर चर्चा के लिये) ।

350. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23– पुलिस में से 100)रु. कम कर दिया जाय(बडागांव भडकोली (तहसील बोली) थाना मकराना तथा गिरधरपुरा थाना के डबल मर्डर तथा एटेम्प्ट टू कमिट मर्डर केसेज में मुल्जिमों को पुलिस द्वारा संरक्षण दिए जाने पर चर्चा के लिए)।

351. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100 रु. कम कर दिया जाय (26 जनवरी सन् 1968 का गणतंत्र दिवस पर एक सैनिक को रात में अकारण थाना सवाई माधोपुर पुलिस द्वारा थाने में पीटने सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर)

352. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जैसलमेर अस्पताल में डाक्टर व दवाईयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

(श्री बालसिंह सोढा)

मांग संख्या 17

353. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जैसलमेर रेगिस्तान क्षेत्र होने के कारण वहां पेय जल समस्या का समाधान शीघ्र करवाया जाय, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

354. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जैसलमेर की सीमा पर थाने में पुलिस की नफरी में बढोतरी, नई चौकियों के निर्माण और गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों में वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट):

355. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला बांसवाडा की पंचायत समिति पीपल खूंट में चिकित्सा की उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

356. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला बांसवाडा में जन स्वास्थ्य सुधार कार्यों में कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

357. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला बांसवाडा में पुलिस विभाग की ओर से मनमानी करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री हीराभाई (कुशलगढ):

358. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बांसवाडा जिले की आदिवासी जनता को निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था की जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

359. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारी बांसवाडा द्वारा कुशलगढ क्रय विक्रय समिति द्वारा खयानत करने पर भी उनके खिलाफ केस कायम नहीं करने व अपराधियों के संरक्षण पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

श्री महेन्द्रकुमार (पाडवा मु.):

360. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर के औषधालय में दवाइयों की उचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

361. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में पुलिस की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री नाथूराम (बागीडोरा सु.):

362. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बांसवाडा जिले में चिकित्सा की आवश्यक उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

363. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बांसवाडा जिला में जन स्वास्थ्य कार्यों की अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री छबीलाल यादव (बहरोड):

364. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (दवाइयों की कमी के कारण जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

365. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम गिगनाल एवं कुतील (तहसील बहरोड) में नल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

366. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 34-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी कमी के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय P. H. C. Q. P. H. C. Sub-Centres में दवाईयों की कमी एवं उनकी बिल्डिंग अब तक न बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

367. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में डी.आई.जी के पद की उपयोगिता न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री मेघराज (नूह)

368. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बणला हास्पिटल बूह में डाक्टरों के रिक्त स्थान की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

369. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस कस्टडी में मुलजिमों के भोजन व सर्दी से बचाने के लिये बिस्तर इत्यादि देने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

370. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के कान्स्टेबल्स के टी.ए. बिल्स का देरी से भुगतान किये जाने से उत्पन्न होने वाली उनकी कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

371. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में शुतर सवारों

(श्री मेघराज)
को सवारी भत्ता पर्याप्त न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री बाबूलाल करोल (रामगढ़):

372. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सांगानेर डिस्पेन्सरी में रोगियों का ठीक इलाज न होने पर चर्चा के लिये)।

373. मांग संख्या 16, मुख्य-शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल में रोगियों की ठीक ढंग से चिकित्सा न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

374. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में जनता की सुनवाई नहीं हो पाती, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर):

375. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (स्वास्थ्य विभाग द्वारा Electro Medical equipment की खरीद सम्बन्धी approved List को प्रकाशित करने में विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

376. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (इण्डियन मैडिसिन्स बोर्ड के भूतपूर्व रजिस्ट्रार द्वारा बोर्ड की फाइलें गायब कर देने के बावजूद भी सरकार द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

377. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम मीठडी तहसील लाडनूं की डिस्पेंसरी के इन्चार्ज कम्पाउन्डर की गडबडी के कारण हो रही अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

378. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (लाडनूं अस्पताल को रेफर्ड होस्पिटल बनाने के लिए चल रही कार्यवाही पूर्ण करके रेफर्ड होस्पिटल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

379. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (लाडनूं के राजकीय अस्पताल में दवाइयों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये)।

380. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

381. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जलप्रदाय योजना जसवंतगढ़ के लाभ हानि के हिसाब तथा अधिकारियों द्वारा की

(श्री हरजीराम बुरडक)

जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

382. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जलप्रदाय योजना रताऊ जिला नागौर को कार्यान्वित करने हेतु दिये गए जनसहयोग की सरकार द्वारा चिन्ता न कर अब तक कार्य शुरू न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

383. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जनस्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जलप्रदाय योजना निम्बीजोधां, जिला नागौर में जलयोजना अधूरी छोड़ देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

384. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जलप्रदाय योजना जसवन्तगढ़ में मीटर्स गलत रीडिंग करने इत्यादि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

385. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जलप्रदाय योजना लाडनूं के इन्चार्ज की लापरवाही के कारण शहर के सब भागों में पानी नहीं पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

386. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना लाडनूं के कार्यालय, टंकी आदि के लिये प्राप्त भूमि राजस्व रेकार्ड जल प्रदाय योजना के नाम की होने के बावजूद भी गलत रूप से मुआवजा देने की कार्यवाही चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

387. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम जसवन्तगढ़ जलप्रदाय योजना से पानी के कनेक्शन एक इन्ची और आधा इन्ची पाइप द्वारा देने में भेद-भाव-पूर्ण रवैया अपनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

388. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जनस्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, जसवन्तगढ़ के इन्चार्ज की अकर्मन्यता के कारण हो रही अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

389. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस थाना लाडनूं के केस नम्बर 35167 में पुलिस द्वारा असली मुलजिमों को न पकड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

390. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम कसूंम्बी थाना लाडनूं में एक युवती की हत्या के सम्बन्ध में पुलिस पता लगाने में असफल रही, उसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

391. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (लाडनूं शहर में हुई चोरियों का पता लगाने में पुलिस की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

392. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कस्बा लाडनूं में एक युवती को पानी में

(श्री हरजीराम बुरड़क)

डुबा कर मारने के सम्बन्ध में मेडीकल ओफिसर द्वारा थाने में रिपोर्ट भेजने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

393. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाहियों में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

394. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में पदोन्नतियों व नियुक्तियों के मामलों में किये जा रहे पक्षपात के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

395. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (लाडनूं की एक चोरी का माल रेलवे पुलिस रतनगढ़ के द्वारा पकडे जाने के बावजूद भी उक्त मामले को दबाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

396. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सरकारी कार एम. एल. ए. बंगला बी. 4 में से चोरी चली गई, जिसका पुलिस पता नहीं लगा सकी उसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

397. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस थाना लाडनूं में दर्ज चोरी के मामलों में माल बरामद न कर सकने में पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री नन्दलाल इन्दवासी (किशनगंज सु.)।

398. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील शाहबाद के करबा थाना की डिस्पेन्सरी में डाक्टर की नियुक्ति न होने पर चर्चा के लिये)।

399. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29--चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील किशनगंज में मंदरगढ डिस्पेन्सरी में डाक्टर की नियुक्ति न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

400. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील शाहबाद क्षेत्र के प्रमुख गांव राजपुर, शाहबाद, मुहाल, मुझियर, भागोनी, बैठ, गणेशपुर आदि में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के के लिये)।

401. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील किशनगंज में रामगढ़, लहसुनी, बांझ आमली आदि गांवों में पीने के पानी की समस्या पर चर्चा के लिये)।

402. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील शाहबाद के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर केलवाड़ा में एक लम्बे समय से डाक्टर की नियुक्ति न होने पर चर्चा के लिये)।

(श्री नन्दलाल दूधवासी)

403. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील मांगरोल में अमोरी कलां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में एक लम्बे समय से डाक्टर के न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

404. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला कोटा के पुलिस स्टेशन अटरू के थानेदार द्वारा जनता को आतंकित करने पर चर्चा के लिये)।

405. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (शाहबाद तहसील क्षेत्र की डाकू समस्या हल न करने एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा जनता को आतंकित करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर):

406. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29--चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयों की उचित व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

407. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29--चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अस्पतालों में दवाइयों की सुचारू व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

408. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29--चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा हेतु निश्चित राशि के प्रावधान की व्यवस्था पर चर्चा के के लिये)।

409. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29--चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झूठे मैडिकल सर्टिफिकेट दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

410. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29--चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में जनाना अस्पताल खोलने पर चर्चा के लिये)।

411. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29--चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में 3 हजार से ऊपर की आबादी वाले ग्रामों में डिस्पेंसरी नहीं हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

412. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29--चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कस्बा रावतसर के अस्पताल में बिजली नहीं होने से मरीजों को परेशानी होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

413. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29--चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (श्री गंगानगर व बीकानेर के अस्पतालों में भारी गंदगी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

414. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के गांव मांडूसर के वाटर वर्क्स को चालू किये जाने पर चर्चा के लिये)।

415. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में वाटर वर्क्स द्वारा दिया जाने वाला पानी खारा है, अतः नहर से पानी देने का प्रबन्ध किया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

416. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील नोहर, सूरतगढ़, लूणकरणसर के सैकड़ों ग्रामों में पानी खारा है, उनमें राजस्थान नहर से पानी दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

417. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जनस्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

418. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम असफल रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

419. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30--जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में वाटर वर्क्स द्वारा पानी के मीटरों का रीडिंग गलत बता कर अधिक चार्ज करने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

420. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चूंकि सरकार श्री सरदाराराम को गत 12 साल से उसका वेतन न देकर अपना कर्तव्य पूर्ण करने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

421. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के पेन्शन केसेज 10-10 वर्ष तक तय नहीं होते हैं और इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये)।

422. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय पुलिस विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों की जांच में ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

423. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--(पुलिस संबंधित अनुदान की राशि बहुत अधिक है, इसे कम किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

424. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस गुन्डों को पकड़ने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

425. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान कैनाल क्षेत्र, तहसील सूरतगढ़ में गोगिया एण्ड कम्पनी द्वारा गुलाम कैम्प चलाया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

426. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम सहावा तहसील तारानगर) में अ-

(श्री रामचन्द्र आर्य)

एक महाजन के बहुत बडी चोरी हुई है लेकिन पुलिस चोरी का पता नहीं लगा सकी है, इस पर चर्चा के लिये)।

427. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में सीमा क्षेत्र में नाकों पर तैनात पुलिस अनाज का तस्कर करवा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

428. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में वन वासियों के पास नाजायज हथियार हैं जिससे वे काश्तकारों को लूट रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

429. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला श्री गंगानगर में पुलिस महकमें में अधिक तबादलों से पुलिस कर्मचारियों में असंतोष पर चर्चा के लिये)।

430. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (एक मंत्री महोदय की कार चोरी चली गई उसका अभी तक पता नहीं लगा, इस पर चर्चा के लिये)।

431. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में आडुत मल सिंघी को 26 फरवरी को जिन्दा जलाया गया किन्तु मुलजिम नहीं पकड़े गये, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री जयनारायण (लसाडिया सु.) :

432. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (धरियावद, लसाडिया आदि गांवों में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

433. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (धरियावद, पारसोला एवं भवराणा की पेय जल की जटिल समस्या के निवारण पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबडा) :

434. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जनस्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (छीपा बडोद पंचायत समिति में अस्पताल खाना व प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के स्टाफ की नियुक्ति पर चर्चा के लिये)।

435. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.) :

436. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (परबतसर तहसील के गांव गुछपर,

(श्री परसराम गंगाराम)
हुडोडा आदि और बडू ग्राम में जल योजना लागू न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

437. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील परबतसर में पेय जल की सुचारु व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीनिवास (निम्बाहेडा) :

438. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (निम्बाहेडा में प्रसूतिगृह के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

439. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (उनेरा ग्रामीण जल प्रदाय योजना क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

श्री चुन्नीलाल (खण्डार सु.) :

440. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर के ग्राम खण्डार की जल प्रदाय योजना की दयनीय हालत पर चर्चा के लिये)।

श्री दीपचन्द छंगाणी (फलौदी) :

441. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य में से 100) रु. कम कर दिया जाय (फलौदी जल प्रदाय योजना को पूरा न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

442. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नीम के थाने की जल योजना के अपूर्ण रहने पर चर्चा के लिए)।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा सु.) :

443. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत (उदयपुर डिवीजन में गरीब आदिवासियों एवं पिछडी जातियों के क्षेत्र में सार्वजनिक नल लगाने के सम्बन्ध में सरकार के उदासीन रवैय पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

444. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1) रु. कर दिया जाय (राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 38

श्री शोभाराम (सादुलपुर) :

445. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत (चूरू जिले में जिन गांवों में खारा पानी है उनमें मीठे पानी की कब तक सरकार द्वारा कोई योजना नहीं बनाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री सीताराम)

446. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में पुलिस वैलफेयर फंड का पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा दुरूपयोग करना एवं की गई अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री **रतनलाल रोत** (चौरासि सु.)

447. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में आदिवासी क्षेत्र में हुई हत्याओं का पता लगाने में पुलिस का ढिलाई पर चर्चा के लिये:)।

मांग संख्या 17

श्री **लादूराम मुलामिनिया** (फागी)

448. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-स्वास्थ्य में से 100 र. कम कर दिया जाय (फागी, चाकसू क्षेत्र में जन स्वास्थ्य के साधन जुटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री **उपाध्यक्ष**: श्री ओमदत्त।

श्री **डूंगाराम राजोरिया** (दौसा सु): उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अनुदानों की मांगों पर विचार हो रहा है, अनुदान की मांग जन स्वास्थ्य और चिकित्सा की है इनकी प्रगति की रिपोर्ट है यह अभी अभी सदन में मिली है। इस विषय पर आसन द्वारा व्यवस्था कई बार हुई है और कई बार इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया है कि ऐसी रिपोर्ट ऐन टाइम पर मिलती है, इसलिए हम देख नहीं पाये हैं और इनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा जल्दी नहीं हो सके तो एक दिन पहले यह मिल जानी चाहिये। ऐन टाइम पर नहीं मिलनी चाहिए। इसकी व्यवस्था के बारे में कई बार कहा जा चुका है। इस पर आसन आगे के लिये व्यवस्था दें।

श्री **उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य का फर्माना सही है, जैसी यहां से पहले व्यवस्था दी जा चुकी है, समय पर आनी चाहिए और मेरा मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि यह रिपोर्ट जो किसी भी विभाग के सम्बन्ध में हो, वह कम से कम एक दिन पहले माननीय सदस्यों को मिल जाय, ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं, यह व्यवस्था का प्रश्न हमारा है, इस सदन के अन्दर तो किसी मंत्री का हुक्म नहीं चलता है, आपका हुक्म सुप्रीम है। मैं समझता हूं ऐसी सामग्री का आखिर पांच मिनिट, या दस मिनिट या आधे घण्टे पहले वितरण करना एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना है और यह सरकार की तो मेरे ख्याल में नीति है, कन्फ्यूजन वर्स्ट कन्फाउन्डेड। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी सामग्री को सरक्यूलेट करने से रुकवाया जाय ताकि मंत्री महोदय को शिक्षा मिल जाय, वह समझ जाय कि व्यवस्था क्या है और मंत्री का फर्ज क्या है।

श्री **दामोदरलाल व्यास**: उपाध्यक्ष महोदय मुझे वास्तव में खेद है कि यह सामग्री पहले वितरित नहीं हो सकी। आयन्दा इसका पूरा ध्यान रख कर आपकी आज्ञा की तामील करेंगे।

श्री हीरा भाई: आयन्दा क्या अगली साल!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय राज्य सभा के डा. राधाकृष्णन अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने व्यवस्था की थी कि ऐसी सरक्यूलेशन को रोका जाय।

श्री खेतसिंह: रुकवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आयन्दा ऐसी गलती नजर आयेगी तो अपने यहां ऐसा किया जायगा।

श्री ओमदत्त :

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29, जोधपुर मेडिकल कालेज व अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था पर मैं कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। गत सत्र में मैंने कुछ सुझाव दिये थे। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण, मैं फिर से उनको दुहरता हूं। आज कल यह देखा जाता है कि मेडिकल कालेज होस्पिटल्स हैं, एक क्लास होस्पिटल्स हैं, वह ओवर क्राउडेड और कन्जस्टेड हैं। उनमें मरीजों को भरती नहीं किया जाता है। बैड्स का अभाव है। तो मैंने सुझाव दिये थे कि डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल्स और तहसील होस्पिटल्स को डेवलप करें। खैर, डाक्टर तो वहां काफ़ी होते हैं, लेकिन एनेस्थेटिस्ट हैं, न लेबोरेट्री टैक्नीशियन हैं, न एक्स-रे, टैक्नीशियन हैं। और न ब्लड बैंक की सुविधा है। इस वास्ते मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि गत सत्र में मैंने कहा था तो कितने लेबोरेट्री टैक्निशियन तैयार किये। कितने रेडियोलाजी के टैक्निशियन तैयार किये। कितने एनेस्थेटिस्ट को तैयार किया। और वहां ब्लड बैंक की क्या सुविधा है? अब ब्लड बैंक के बारे में कहना चाहता हूं। आपने बताया कि 7 ब्लड बैंक काम कर रहे हैं। नाम तो ठीक है पर बैंक ख़ाली हैं। बैंक में व्यवस्था ठीक नहीं है। इसका क्या कारण है। इसका कारण यह है कि बराबर प्रचार नहीं किया जाता है। मैंने पहले भी यह सुझाव दिया था कि प्रचार के लिए पहले हमारे मन्त्री महोदय ख़ून दें। फिर एम. एल. ए. फिर पब्लिक के आफीसर दें फिर दूसरा जनता के वालिन्टियर्स डोनर्स तैयार करने चाहिये। यह देखा जाता है जो प्रोफ़ेशनल डोनर्स हैं वह मद्रास से आते हैं। ज्यादातर मद्रासी भाई भूख के कारण पैसों के लालच में बीस बीस रुपये में ख़ून देते हैं। वह जयपुर से अजमेर जाकर ख़ून देते हैं। और जयपुर से जोधपुर जाकर ख़ून दिया करते हैं। उसमें भी हालत देखें, आप प्रोफ़ेशनल डोनर्स को 20 रु. देते हैं। दस वर्ष से यही रकम है। इस वास्ते मैं सुझाव दूंगा कि जो उनको बीस रु. देते हैं उस ख़ून देने की रकम में बढ़ोत्तरी की जाये। दूसरे हर एक मेरे मित्र यह कहेंगे कि अमुक डिस्पेन्सरी में डाक्टर नहीं हैं। डाक्टर हैं तो दवाई नहीं है। दवाई हैं तो कम्पाउन्डर नहीं हैं। मैंने सुझाव पहले यह दिया था कि डाक्टरों की कमी तो है क्योंकि परिवार नियोजन में लगाये गये हैं। मैं सुझाव दूंगा डाक्टर एक डिस्पेन्सरी में है उस को जीप दी जाये ताकि शाम के समय में ख़ाली डिस्पेन्सरी में

(1.15 म.प.)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

जाकर काम कर सके भरतपुर के वास्ते

(श्री ओमदत्त भाटी)

प्रश्न पूछा था तो बताया कि 12 डिस्पेन्सरी भरतपुर में हैं। और तीन डिस्पेन्सरी में डाक्टर हैं। बड़े दुख की बात है, 12 डिस्पेन्सरी और तीन डाक्टर-अब कैसे 12 डिस्पेन्सरी चलती हैं। वह मैडिकल एड पोस्ट नहीं है। वह हैल्थ सेन्टर नहीं है। वह डिस्पेन्री है। एक तो यह की डाक्टर की कमी है कृपया इसलिये उनको जीप दी जाए। वह जाकर शाम को मरीजों को देखें। दूसरा सुझाव मैं दूंगा कि मोबाइल सर्जिकल कैम्प, वह अच्छा काम कर रहे हैं। ठंडी के मौसम में सर्दी के मौसम में चलते हैं। गर्मी के मौसम में और रेनी सीजन में वह काम नहीं करते हैं। उनके जो डाक्टर्स हैं उनको उपयोग में लें। यह मेरा सुझाव है।

श्री खेतसिंह : उनको भी कहां लें? आप ने क्या कहा?

श्री ओमदत्त भाटी : उपयोग में लें। यूटिलाइज करें।

जैसा पहले कहा था कि असेन्शियल जो कौमन और सस्ती दवाईयों हैं उसकी लिस्ट रखनी चाहिये, वह हर एक हास्पीटल में हर एक डिस्पेन्सरी में रखी जानी चाहिये रात दिन मिलनी चाहिये। दुर्भाग्य, वह दवाईयां मिलती नहीं हैं। अभी कुछ दिनों पहले रेक्टीफाइड स्प्रीट की हर एक जगह पर कमी थी। आप जानते हैं कि इन्जेक्शन लगाते हैं तो स्प्रिट को काम में लेते हैं। और सर्जिकल साइड में इन्स्ट्रूमेन्ट को साफ़ करने के काम में लेते हैं। तो यह ऐसी कौमन दवाईयां भी नहीं मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे काम चल सकता है? मैंने दूसरा सुझाव दिया था, मेरे मित्र लोग, माननीय सदस्यों का कहना है कि डाक्टरों में भ्रष्टाचार है, मैंने पहले भी कहा था कि सब जगह भ्रष्टाचार है। किस विभाग में भ्रष्टचार नहीं है?

श्री वृद्धिचन्द जैन: डाक्टरों में भ्रष्टाचार मिटाना चाहिये।

श्री ओमदत्त भाटी : डाक्टरों में भ्रष्टाचार है तो डाक्टरों का भ्रष्टाचार मिटाना चाहिए और वकीलों में भ्रष्टाचार बढाना चाहिए। यह कैसे हो सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य है...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपका कहने का मतलब है डाक्टरों के लिए यह गुण है।

श्री ओमदत्त भाटी : मैडिकल का प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है। आप कहते हैं कि यह नोबुल प्रोफेशन है अन्नोबुल ोफेशन बन गया है। मेरा सुझाव है कि आपको भ्रष्टाचार को मिटाना है तो आप नान् प्रेक्टिसिंग अलाउन्स दीजिए यह मैंने पहले भी सुझाव दिया था। आप कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। मुझे तो ताज्जुब है, समाजवाद का नारा लगाने वालों द्वारा 28 फरवरी को कानून लाया गया मन्त्रियों के वेतन और मन्त्रियों की सुविधा के लिए अब उनको विलायत भेजना चाहते हैं इलाज के लिए। दुख की बात है। समाजवाद के नारे की वोट लेते वक्त जरूरत होती है। राजा महाराजाओं को आप ऐसा कहा करते थे। अब आप राजा महाराजा बन गये हैं। दुख की बात है कि आप इलाज के लिए मन्त्रियों को विलायत भेज रहे

(रघुनाथ विश्नोई)

हैं। उसके लिए आप के पास कहां से पैसा आयेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास मन्त्रियों के लिए तो लाखों का बजट होता है। आप जबान से कुछ कहते हैं और अन्दर मन में कुछ और है। जनप्रतिनिधि का और समाजवाद का नारा लगाने वालो यह आपको शोभा नहीं देता है।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : यह तो आई. ए. एस. अफसरों को शोभा देता है।

श्री **जयनारायण सालेदिरा** : आप चिढ़ो मत।

श्री **ओमदत्त भाटी** : मेरे सभी मित्र लोग कहते हैं यह नोबुल प्रोफ़ेशन है। आप गुरुजी बेंगन खावें और दूजों को परमोद बतावें। आप कहते हैं नोबुल प्रोफ़ेशन है। यह अननोबुल हुआ क्यों? तो यह क्या होता है? हमारे डी. एम. एच. एस. अनुशासन मानने वाले बहुत हैं। बहुत डिसिप्लन्ड हैं। लेकिन जब तक पावर नहीं दी जाती अनुशासन करें कैसे? अपाइन्टमेन्ट में, इन्क्रीमेन्ट में, बदल में, हर जगह मन्त्री महोदय का हाथ है। डी. एम. एच. एस. सी. ए. एस. को जयपुर में लागाना चाहें मैडिकल कालेजों में, वह नहीं लगा सकते हैं। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि डाक्टर एक जगह स्थायी रहने के लिए सेक्रेटरिएट जाता है। मन्त्री महोदय के घर पर जाता है तो वह काम में मन नहीं लगा सकता है। यहां स्थायी कुछ चीज नहीं है। आप कहेंगे कि दुनिया भर में हार्ट ट्रान्सप्लान्टेशन, कितनी ट्रान्सप्लाण्टेशन करने की बात हो रही है। लेकिन दुःख की बात है कि उनके साधन क्या हैं, उनको कोई चिन्ता नहीं। वह काम में लवलीन होते हैं। स्पेशलिस्ट होते हैं। उनको चिन्ता नहीं कि बदली हो जाएगी। या पैसा कम मिलना है। उनके सामने यह समस्या हो सकती है। लेकिन स्थायी रूप में नहीं हो सकती।

तो मेरा सुझाव है कि एक चिकित्सा मन्त्री के लिये ही नहीं तमाम केबिनेट मिनिस्टर्स के लिये यह जरूरी है कि वे डिपार्टमेन्ट्स के कार्यों में हस्तक्षेप करना बन्द करदें उनको तो एक ही काम है पोलिसी ले डाउन करने का, उसमें अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसको जरूर सजा दो। इससे मन्त्रियों को भी सुविधा होगी और डिपार्टमेन्ट्स का काम भी अच्छी तरह से चलेगा। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि उनका भी बुढ़ापा है, कांग्रेस का भी बुढ़ापा है और मेरा बोलने वाले का भी बुढ़ापा है। कांग्रेस को तो केन्सर की बीमारी लग गई है, वह अब किसी हालत में जीने की नहीं आप कितने ही घोटाले करो, कितनी ही अनियमितताएं करो जिन्दा नहीं रह सकती मेरी मन्त्री महोदय से निवेदन है कि डिपार्टमेन्ट के कामों में ज्यादा इन्टरफीयर न करें।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : सड़सड़ के मरने से तो चलते फिरते मर जाना अच्छा है।

श्री **ओमदत्त भाटी** : सर्विसेज के लिये इनका इन्टरफ़ीयरेन्स देखो। पहले तो पब्लिक सर्विस कमिशन था, फिर डिपार्टमेन्ट कमेटी हुई और अब तीसरी और कमेटी बन गई: आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे, यूनिवर्सिटी का रूल है कि 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियेन्स प्रोफ़ेसर को होना चाहिये पर आपने

(श्री ओमदत्त भाटी)

कह दिया कि टीचिंग एक्सपीरियन्स की जरूरत नहीं, अगर किसी की 10 साल की सर्विस है तो 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियन्स मान लिया जाय। सी. एस. के लिये 50 परसेन्ट मानलें। कहीं यह नहीं होजाय कि सीनियर कम्पाउन्डर्स जो डाक्टरों से सीनियर हैं, उनको वहां पढ़ाने को लगा दिया जाय। आपको कानून पर स्थिर रहना चाहिये, बार बार जो आप चेंज करते हो यह इस डिपार्टमेन्ट के लिये ठीक नहीं है। बार बार चेंज करें, इस तरह से इन्टरफीयर करें और फिर डाक्टर्स से उम्मीद करें कि वे ईमानदार रहें, अच्छा काम करें, यह पोसिबल नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि अगर मन्त्री महोदय इस तरह से इन्टरफ़ीयर करना छोड दें तो अच्छा है, नहीं छोडें तो बकौल:

"भूखों मरते ही नहीं, हाथ की कमाई वाले।
धोखा खाते ही नहीं दिल की सफ़ाई वाले"

ये डाक्टर्स टैक्निशियन्स हैं, ये भूखों मर नहीं सकते।

Dr. would prefer to work independently rather to become a Subordinate officer.

आज मेडिकल कालेजेज में देखा जाता है कि एक कालेज में एक एक ब्रान्च में पांच पांच प्रोफेसर्स हैं तो कहीं एक भी प्रोफेसर नहीं है। कहीं दो टीचर्स हैं तो कहीं एक भी नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि हर कालेज के लिये केडर फिक्स करना चाहिये। हर एक में लेक्चरार रीडर, प्रोफेसर, ट्यूटर्स होने चाहियें। यह नहीं होना चाहिये कि एक जगह 5 हैं और दूसरी जगह एक भी नहीं है।

दूसरे यह देखा जाता है कि रीडर्स के लिये बैड दिये जाते हैं, पर जयपुर में रीडर्स के लिए सेपरेट बैड नहीं दिया जाता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ओमदत्त भाटी : ठहरिये भाई, अभी तो बहुत टाइम लेऊंगा।

दूसरा मेरा सुझाव है कि सेपरेट कन्वोलेसेन्ट होस्पिटल बनाने चाहियें, इससे बडी सुविधा मिलेगी। जो रिटायर्ड मेन्टल पेशेन्ट्स हैं, एजीटेटेड नहीं हैं, उनके लिये भी एक संस्था होनी चाहिये।

एक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नर्सिंग कालेज को आप बन्द करना चाहते हैं, यह आपका एक रिट्रोगेट स्टैप है। क्योंकि अपनी मैडिकल कौन्सिल आफ़ हैल्थ ने यह कहा है कि एक प्रोविन्स में एक नर्सिंग कालेज होना चाहिये। इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि चार साल का अर्सा भले ही मत रखिये, दो साल का अर्सा रखिये और जो नर्सेज ट्रेन्ड हो रही हैं, उनको ट्रेनिंग दीजिये उनको बाहर भेज कर एम. एस. सी. ऐसा केरल व चन्डीगढ़ में है। जो बी. एस. सी. ट्रेन्ड जयपुर स्टाफ़ है, उनको बाहर भेज कर एम. एस. सी. करवायें।

प्रिवेन्टिव साइड की तरफ़ आप ध्यान दीजिये, प्रिवेन्शन इज बैटर दैन क्योर, यह आप मानते हैं, स्माल पोक्स, मलेरिया है, टी. बी. है यह इन्फ़ैक्शियस डिज़ीजेज

(श्री ओमदत्त भाटी)

हमारे यहां कम नहीं हो रही हैं, इसका कारण यह है कि पैसा तो खूब लगता है पर सुपरविजन ठीक नहीं है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सुपरविजन को ठीक करें।

एन्टी रेबिक यूनिट्स के बारे में मन्त्री महोदय कहेंगे कि हमारे यहां इतने हैं पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप परिवार नियोजन करते हैं तो यह परिवार नियोजन कुत्तों में क्यों नहीं करते हैं, ये कुत्तों की वजह से पेशेन्ट्स के इतने इन्जेक्शन्स लगाने पड़ते हैं, इतना खर्चा करना पड़ता है। मैं कहूंगा कि परिवार नियोजन डोग्स में चलाइये, इस सम्बन्ध में वेटरनरी डाक्टर्स की राय लेकर आपको काम करना चाहिये।

अब मैं परिवार नियोजन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं इसके फ़ेवर में हूं कि परिवार नियोजन ठीक है, पर मैं इस खिचड़ी से नाराज़ हूं। इट मस्ट बी कम्पलसरी, यह हर एक के लिये कम्पलसरी होना चाहिये। इन चार चीज़ों ने देश में भ्रष्टाचार फैलाया है। इलेक्शन, पंचायत राज्य, ब्लाक्स और चौथा यह परिवार नियोजन आ रहा है। इसको कम्पलसरी करने की आपकी हिम्मत नहीं है, यू. पी. में जिस तरह का कानून रखा है, उस तरह का रख दीजिये कि जो लोग परिवार नियोजन नहीं करेंगे उनको सारी फ़ैसेलिटीज़ बन्द कर करदी जायेंगी।

आप हिन्दू कोड बिल की बात करते हैं। मैं इस सेकूलर स्टेट का दम भरने वालों से पूछना चाहता हूं कि आपने यह हिन्दू कोड बिल क्यों बनाया, अगर आपको इस तरह का कानून बनाना हो या तो नेशनल कोड बनाते। उसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी आ जाते, केवल हिन्दुओं के लिये यह क्यों बनाया? हिन्दू एक शादी करे और मुसलमान चार शादी करले, इससे तो हिन्दुस्तान में फिर वही आसाम बंगाल में और दूसरी जगह पाकिस्तान बन जायगा। इसलिये यह आवश्यक है कि जो कुछ आप करना चाहें, सबके लिये बराबर करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री ओमदत्त भाटी : दो मिनिट में जोधपुर के लिये कहे देता हूं। इस पर अस्पताल भवन का जो खर्चा रखा गया है उसमें जोधपुर को पीछे रखा गया है। जयपुर को 75 लाख दिया है, उदयपुर के लिये 25 लाख दिया और जोधपुर में 7 लाख खर्च किया। जोधपुर को जैसलमेर की जगह रखा है। जोधपुर के नर्सिंग होस्टल का सवाल मैंने रखा था कि 24 की जगह है वहां 108 नर्सेज़ को रखा गया है, इसे मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया और कहा कि दूसरा मकान किराये लेने के लिये लिख दिया गया है। मैं कहता हूं कि मकान किराये पर क्यों लिया जाय, नया होस्टल वहां पर नर्सेज़ के लिये बनाना चाहिये, नर्सेज़ के लिये नया होस्टल बनाना चाहिये।

ओपरेशन थियेटर के लिये कहा वहां मैडिकल कालेज स्टूडन्ट्स को देखने के लिये कोई सुविधा नहीं है और

(श्री सोमदत्त भाटी)
उन्होंने वायदा किया था नये थियेटर बनाने का लेकिन एक खंडा भी नहीं पडा।

मैडीकल कालेज के लिये कहता हूं कि हरेक आदमी चाहेगा कि उनके कालेज में सुधार हो, उसमें एक एक्सपीरियेन्सड संचालक हो हमारे यहां जिस प्रकार इन्टेन्शनली या अनइन्टेशनली ऐसे आदमी लगाए जांय जिससे एक क्षेत्र तो आगे बढ़ जाय और दूसरा पीछे रह जाय। अजमेर तरक्की कर गया और जोधपुर पीछे रह गया। लाइब्रेरी में देखिये, जोधपुर में 800 किताबें हैं और अजमेर में 2300 किताबें हैं। यह फ़र्क क्यों ? इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जयनारायण खालोदिया (निवाई) : सभापति महोदय, आज सदन के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग प्रस्तुत हुई है। उस सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, मैं पुलिस के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। पुलिस विभाग को हमने सेवाभावी महकमें के रूप में शुरू किया था और इसी आशय से कि इस विभाग द्वारा आम लोगों के जान माल की हिफ़ाजत हो और हम लोगों को राहत मिले लेकिन धीरे धीरे इस महकमें का रूप बदल गया और आज अगर सबसे ज्यादा किसी से जनता आतंकित है, किसी से भय है तो पुलिस विभाग से है। मैं चाहता हूं कि इस भय के स्थान पर पुलिस अपनी कार्यप्रणाली से लोगों की आत्मा को, आत्मीयता भावना बढ़ाने में योगदान दे तब सच्चे माइनें में लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। पुलिस में आज भ्रष्टाचार चर्मसीमा पर है, सिर्फ़ वह भ्रष्टाचार नहीं है कि पुलिस जनता से पैसे लेती है लेकिन पुलिस में भी एक दूसरे से बडा अधिकारी छोटे अधिकारियों से, थानेदार सिपाहियों से रिश्वत लेता है। इस तरह रिश्वतों का नया दौर पुलिस में शुरू हुआ है। मैं गृह मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें तो आपने लापरवाही बरती, पुलिस ने जनता को, भ्रष्ट तरीके अपनाकर परेशान किया, सही आदमी पर झूठा मुकदमा बनाया और रुपये लेने की कोशिश की लेकिन उससे बढ़कर अब यह रवैया भी होता जा रहा है कि अगर थानेदार का प्रोमोशन कराना है, मुन्शी को थानेदार का प्रोमोशन दिलाना है, तो उनको अपने अधिकारी को रिश्वत देनी पडेगी और यह अनिवार्य रूप से होगा। इसमें होता क्या है ? किसी मुन्शी को थानेदार के पद पर प्रोमोशन करना है, असिस्टेन्ट थानेदार का थानेदार पर प्रोमोशन करना है तो मुझे जानकारी मिली है कि रक़म बंधी हुई है दो हज़ार या ढाई हज़ार की रक़म ....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : नजराना करना पडता है।

श्री जयनारायण खालोदिया : इसी तरह थानेदार के प्रोमोशन में 5 हज़ार बंधा हुआ है। किस तरह से लेते हैं ? इस विभाग में विभागीय परीक्षा चालू की है उसके माध्यम से प्रोमोशन देते हैं। चाहे लोग कितने सीनियर हों उसको जो नम्बर मिलेंगे। यदि कोई एक आदमी 25 साल का पुराना है उसको 15 नम्बर मिलते हैं और नए आदमी को 25 नम्बर मिलते हैं तो नए को प्रोमोशन मिल जायगा। प्रोमोशन उस आधार पर करेंगे जिसका पैसा आपके पास

(श्री जयनारायण सालोदिया)

पहुंचेगा। यह जो दूसरा चरण है वह और भी खतरनाक है। पहला चरण तो यह था कि जनता से रिश्वत ली जाती थी।

इसी के साथ साथ में और निवेदन करूं। क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। पुलिस के सिपाहियों के लिये मैंने कई बार निवेदन किया, थानेदार के नीचे के कैडर के जो लोग हैं उनकी सुविधायें, वेतन और ड्यूटी को देखते हुए, कम हैं। बड़े अधिकारियों को ज्यादा सुविधायें हैं। सिपाहियों, हैड कान्स्टेबुल, एसिस्टेन्ट थानेदार और थानेदार को सुविधायें कम हैं, वेतन कम हैं। हम उनसे ज्यादा काम लेते हैं, उनकी हार्ड ड्यूटी है, लाठी चार्ज में जाते हैं, पिटाई में जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो इमरजेन्सी के काम हैं, उन लोगों से ही लिए जाते हैं। आप उन लोगों की परेशानियों, मंहगाई, पारिवारिक स्थिति और बीमारियों, ब्याह मकानों आदि पर पुनः विचार करें।

(1.38 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

मैं पुलिस का एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। निवाई तहसील में फागी थाने में कुछ काश्तकारों की भानी बांध में जमीन डूब में आ गई, उसके एवज में उनको फागी में मिली। उस मामले पर दो परिवारों में विवाद चल रहा था। इसमें एस. डी. एम. को सांभर से एक आदमी के हक में दिनांक 17-10-67 को फ़ैसला होगा और विवाद के समय जो कुर्क मिला था उसको देने के लिये एस. डी. एम. आदेश हो गया और तहसील में सारा सामान जो 1800) रु. का था उसको दिला दिया। उसके बाद दूसरे पक्ष ने कोई अपील नहीं की और जमीन पर चने काश्त किए, फ़सल बढ़ी तो उनको भयभीत किया गया कि फ़सल को जबरन काटेंगे। उसने थाने में जाकर शिकायत की। थाने में विपक्ष से मिलकर कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद वे जयपुर में आए। मैं उनके साथ एस. पी. के पास गया। एस. पी. ने पुलिस के नाम आदेश दिया कि स्थानीय पुलिस इसकी व्यवस्था करे। आदेश लेकर वे लोग गए और उनके साथ एक पुलिस, मुन्शी और एक कान्स्टेबुल गए और उन्होंने खड़े रहकर चने की फ़सल को कटवाया खलियानों में ले जाकर डाल दिया।

फ़सल की कटाई 8-3-68 को हुई और 16-3-68 को जो दूसरे लोग थे उनके खिलियानों में दिन में गए 7 गाड़ियां लेकर, कुछ आदमियों को साथ लेकर जबरन उस चने को भरकर अपने घर ले जाकर डाल दिया। इसके परिणाम स्वरूप फिर थाने में जाकर प्रार्थना की कि आपने जो फ़सल कटवाई थी, अमुक अमुक आदमी गाड़ी भरकर ले गए हैं। इसलिये उनके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज की जाय, तफ़तीश करके माल बरामद किया जाना चाहिये। इस पर थाने ने कोई कार्यवाही नहीं की और फिर वह यहां आए और एस. पी. ने उनके मामले को डकैती में दर्ज करके सी. आई. को उसकी जांच के लिए आदेश दे दिया। सी. आई. छुट्टी पर गए हुए थे तो दूसरे लोग पुलिस से मिले कुछ दे लेकर उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा उन लोगों ने दायर किया। उनकी

(श्री जयनारायण सालोदिया)
गवाही थी। चने को लाकर के रखने वाले, मना करने वाले ये लोग थे। उसको मुलजिम बनाकर गिरफ्तार किया गया। हथकड़ियां पहना कर उसको लाया गया। जहां तक मेरी जानकारी है वह आज तक पुलिस की कस्टडी में है। उपाध्यक्ष महोदय, अजीब गरीब समस्या है। पुलिस चने को कटवाती है और पुलिस ही गिरफ्तार करती है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

अगर उन लोगों ने चोरी की तो पुलिस ने उसमें साझेदारी की है। पुलिस के सामने चने कटते हैं तो फिर वे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। एक मैंने फैक्ट माननीय गृह मन्त्रीजी को निवेदन करने के लिये कहा है कि इसकी जांच करवायें।

श्री खेतसिंह : पार्टी का नाम बता दीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : दूसरी पार्टी के लोग हैं मूल्या, मंगला, मोती······

श्री खेतसिंह : क्या?

श्री जयनारायण सालोदिया : ये हैं मूल्या, मंगला, मोती, देवकरण, भोंरी लाल, जगन्नाथ, सांवता, भील्या, कालू, अर्जुन आदि।

श्री खेत सिंह : ठीक है। गांव कौनसा है?

श्री जयनारायण सालोदिया : गांव है·· शायद बीची। यह गांव बीची है, फागी तहसील का। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह पुलिस वाले एक तरफ उनके साथ जाकर फसल कटवाते हैं दूसरी तरफ उनको गिरफ्तार करते हैं, जो आज तक पुलिस कस्टडी में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की कार्यवाही जो पुलिस के द्वारा की जा रही है उसका चैक अप होना चाहिये। माननीय गृह मन्त्री जी सर्व प्रथम जब इस हाउस में पधारे थे तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि पुलिस विभाग से ही नहीं, मैं सारे राजस्थान से रिश्वत खत्म करूंगा। उनके बैठे आज यह रिश्वत तो दिन रात चौगुनी फैल रही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ये खत्म होंगे लेकिन रिश्वत खत्म नहीं होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसा कोई जादू का डंडा निकालें जिससे यह रिश्वत खत्म हो जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया : जादू का डंडा एक ही है, आप इन कुर्सियों को छोड़ दीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इससे कोई फरक पड़ने वाला नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फर्क पड़ेगा जब नेशनल गवर्नमेन्ट होगी तब।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस राज्य का और रिश्वत का जो सम्बन्ध है वह दामन-चोली का सम्बन्ध है। हमारा राज्य आयेगा तो रिश्वत जायगी लेकिन एक साल बाद जायेगी। अभी तो रिश्वत दिन दूनी-फैलती जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जुर्मों के सम्बन्ध में आपने जो यह किताब दी है। आरक्षी विभाग की,

(श्री जयनारायण सालोदिया)

उसके हिसाब से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे राजस्थान में हर साल जुर्मों की तादाद बढ़ती जाती है, हर साल इनमें बढ़ोतरी होती जा रही है यह मैं आपकी किताब से निवेदन कर रहा हूं। अपराधों की प्रवृत्ति सन् 1965-66 में राज्य में पंजीबद्ध हुए, तुलनात्मक तालिका वर्ष 65-66 में डकैती 82, 66 में 85 और 67 में 128 इसी तरह से लूट 624 फिर 753····

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मेरी कहने की मंशा यह है कि इस विभाग पर इतना खर्चा करने के बाद भी जो प्राप्त हुआ है इससे लगातार हर साल केसेज बढ़े हैं चाहे वे लूट के हों, अपराध के हों, आगजनी के हों कई तरह के हैं इनमें बराबर वृद्धि हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी घंटी बज रही है यह मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं—यह तो मैंने निवेदन किया है कि सिपाहियों को बहुत कम तनख्वा देते हैं किन्तु हमारे यहां जो प्रहरी हैं विधान सभा में काम करने आते हैं—सी. आई. डी. विभाग के हैं वे बेचारे 9 बजे आते हैं और रात को 10-11 बजे तक जाते हैं इनको कोई आनरेरियम या अलाउन्स आदि की व्यवस्था·············

श्री उपाध्यक्ष : कृपया उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश न करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने तो निवेदन किया है। वे न तो कोई मेरे वोटर हैं और न मेरी कोई इनके साथ रिश्तेदारी है मैं तो वास्तविकता की बात करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ चंद बातें थोड़ी संक्षेप में स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के बारे में निवेदन करूंगा लेकिन मुझे दुख है कि स्वास्थ्य विभाग के न कोई मंत्री हैं, न राज्य मंत्री हैं और न कोई उप मंत्री ही हैं। इनकी चार की लाइन है फिर भी कोई नहीं है। मैं किसको कहूं, किसको नहीं कहूं, मुझे बड़ा दुख होता है, उपाध्यक्ष महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्रियों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : स्वास्थ्य के न मंत्री हैं, न राज्य मंत्री हैं, न उप मंत्री हैं क्या कहा जाय

एक माननीय सदस्य : वे आ गई।

श्री जयनारायण सालोदिया: अब बहनजी जल्दी में पधारी हैं।

श्रीमती सुमित्रा: आप तो कहिये।

श्री जयनारायण सालोदिया: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे निवाई में हास्पिटल है। दो महीने से डाक्टर नहीं है, अगर वे छुट्टी पर हैं तो उनकी एवज में कोई व्यवस्था होनी चाहिये। बहुत ही महत्वपूर्ण सफाखाना है। आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है कि अगर वे लम्बी छुट्टी पर है तो दूसरी व्यवस्था होनी चाहिये। दूसरी बात निवाई में जो कट मोशन दिये हैं उसमें जच्चा खाना की कोई व्यवस्था नहीं है माननीय गृह मंत्री जी उनका काम भी पड़ता है और वे महसूस करते हैं। चुनाव के दिनों में तो आश्वासन दे देते हैं लेकिन क्या पता उनकी क्या मजबूरी है। क्यों नहीं निवाई में जच्चा

(श्री जयनारायण सालोदिया)
खाना खोलना चाहते हैं; जबकि वहां के कई लोग इस बात के लिये तैयार हैं कि मकान बनाकर उसके लिये दे देंगे और वे देना चाहते हैं लेकिन सरकार उस मामले में टस से मस होना नहीं चाहती है, यह उनकी न जाने किस तरह की बात है।

श्री उपाध्यक्ष: समय काफी हो गया है आपके दल का।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं। जो दवा मिलती है सफाखाने में उनको वहां के लोग स्टाफ के लोग बांट देते हैं। और जो घर बुलाकर अलग ट्रीटमेंट करवाते हैं यह दवा उनके उपयोग में आती है, इसके पैसे लिये जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही निन्दनीय दुर्व्यवस्था है। अब एक मिनट में उपाध्यक्ष महोदय, श्री भीखाभाई की सेवा करना चाहता हूं और वह यह है कि निवाई में नल योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू कर रहे थे। उस योजना का प्रारूप भी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से अप्रूव्ड होकर वापिस आ गया था लेकिन निवाई में नल योजना नहीं लगी। 66 में सरकार ने यह कहा कि हम इसको रिवाइज कर रहे हैं और शीघ्रातिशीघ्र लगायेंगे। कभी कहते हैं कि लोन नहीं मिला लोन मिलते ही इस स्कीम को चालू करेंगे तो मैं श्री भीखाभाई से निवेदन करूंगा इस विभाग को जो संशोधित किया है उनसे पूरी उम्मीद करता हूं कि निवाई जल योजना के बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: भाषण समाप्त हुआ। काफी समय ले लिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : बस थोडा सा, उपाध्यक्ष महोदय, जब जब चुनाव होते हैं। मुख्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी पधारते हैं तो कहते हैं कि निवाई में जल योजना लगेगी, लेकिन वह चुनाव तक ही सीमित रह जाती है। इस पर इंसानियत के तौर पर विचार किया जाना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य जयनारायण जी को बोलने दिया जाय मैं तो 5 मिनट माननीय चिकित्सा उप मंत्री जी को अर्ज करूंगा।

श्री रामकिशन: उप मंत्री नहीं साहब, राज्य मंत्री हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मंत्रियों की फौज इतनी लम्बी चौडी है कि कुछ खबर ही नहीं रख सकते हैं

श्रीमती सुमित्रा: महिलाओं में तो केवल दो ही हैं उनको आप याद रख ही सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: अगर नर्सों की कमी है तो फिर नये हास्पिटल क्यों खोले जाते हैं। जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। आपके पास डाक्टर्स नहीं हैं और फिर हास्पिटल खोलने जाना यह दुर्व्यवस्था है जनता के पैसों का दुरूपयोग हो रहा है, यह जनता के प्रति गद्दारी है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो कुछ व्यवस्था करें वह डाक्टर्स और नर्सेज की प्राप्ति के अनुसार करें अन्यथा अस्पताल और डिस्पेन्सरियों की तादाद न बढावें।

श्री रामकिशन (वैर): एक व्यवस्था का प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, लेडी मेम्बर के लिये मंत्रीणी कहना आवश्यक है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री पर्याप्त है।

श्री रामकिशन: मंत्राणी कहने से प्रतिष्ठा गिरती है वे मिनिस्टर से अपने को नीचा समझने लगेंगी। इसलिये मंत्री ही कहना चाहिये। जैसे प्राइम मिनिस्टर को प्रधान मंत्री ही कहते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैंने माननीय मंत्री के लिये मंत्राणी शब्द का प्रयोग किया है उसके लिये मुझे खेद है और मंत्री महोदया से उसके लिये क्षमा चाहता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना): व्याकरण के अनुसार मंत्राणी के स्थान पर मंत्रिणी ही दुरुस्त शब्द है। मंत्राणी उपयुक्त नहीं है। मंत्रीणी कहा जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव जन स्वास्थ्य चिकित्सा तथा पुलिस के सम्बन्ध में रखे हैं उनके बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं।

सर्व प्रथम में चिकित्सा को लेता हूं। चिकित्सा के बारे में मैं कहना चाहता हूं बाडमेर नगर बाडमेर जिले का हैड क्वार्टर है और यह सीमावर्ती नगर है और इसकी आबादी 35 हजार है। इस विभाग द्वारा जो संक्षिप्त प्रगति विवरण पुस्तिका प्रकाशित की गई है उससे यह मालूम होता है कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय अजमेर, अलवर, भरतपुर और कोटा एवं अन्य स्थानों पर जिला चिकित्सालय कार्यालय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय भी हैं, लेकिन झुंझनू, बाडमेर और जैसलमेर इनमें से तो जिला चिकित्सा अधिकारी और न मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय हैं।

श्री रामकिशन: पशु चिकित्सालय तो है?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: ये तीनों राजस्थान के ऐसे जिले हैं इन स्थानों पर इनकी उपेक्षा की है। मैं चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की व्यवस्था इन स्थानों पर जल्दी से जल्दी की जाय।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि बाडमेर में अस्पताल में एक्स-रे की व्यवस्था है लेकिन टेक्नीशियन की व्यवस्था न होने के कारण वह मशीन बेकार पडी हुई है अतः उस स्थान पर टेक्नीशियन की व्यवस्था की जावे। इसके साथ साथ स्टूल एग्जामिनेशन के लिये भी टेक्नीशियन की व्यवस्था होनी चाहिये।

इसके साथ साथ विशेष तौर पर यह देखा गया है कि रात्रि के समय कोई रोगी बीमार पड जाता है तो उसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। नाइट ड्यूटी डाक्टर नहीं है। यह बहुत बडा शहर है यहां आर. ए. सी. रहती है पुलिस का महकमा भी है मिलिटरी का हैड क्वार्टर भी है इस दृष्टिकोण से नाइट ड्यूटी डाक्टर के सम्बन्ध में भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

बाडमेर नगर में डोग बाईटिंग के केसेज भी बहुत ज्यादा होते हैं उनके लिये इन्जेक्शन की व्यवस्था वहां होनी चाहिये।

अब मैं इस जिले की जल समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा बाडमेर में जल की समस्या बडी विकट है। इस बारे में बजट

(श्री वृद्धिचन्द्र)

भाषण पर बोलते हुए मैंने अपने विचार रखे थे। मुझे जो जवाब वित्त मंत्री जी से मिला उन्होंने जो जनरल डिबेट पर बोलते हुए जवाब दिया उसमें उन्होंने विशेष तौर पर बाडमेर नगर के जल की समस्या के बारे में कहा कि वहां पानी की व्यवस्था की जायगी। भाडला से बाडमेर तक पाइप लाइन की व्यवस्था कर रहे हैं उसके लिये रुपयों की मन्जूरी कर रहे हैं यह बहुत सराहनीय कदम है, मैं इस बात के लिये उनकी प्रशंसा करता हूं। खास तौर से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कनेक्शन करती। जब तक बाडमेर नगर में वितरण की व्यवस्था नहीं होगी जब तक वहां पर पाइप लाइन से कनेक्शन नहीं होगा उसकी उपयोगिता नहीं हो सकेगी। जब आपने 13 लाख की पाइप लाइन की स्कीम बनाई है भाडला से बाडमेर नगर तक पाइप लाइन डालते हैं तो इन्डीविज्युअल को कनेक्शन देने के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये। उसमें एक लाख से ज्यादा खर्च नहीं होगा इसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये।

इन दिनों बाडमेर जिले में अकाल है इसलिये गर्मी में पानी की दिक्कत बहुत हो जायगी अतः यह जरूरी है कि इस बारे में जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिये। इस स्कीम के बारे में जो निर्णय ले लिया गया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं पाइप लाइन कनेक्शन के बारे में भी कदम अवश्य उठाया जाना चाहिये।

गांवों में पानी की व्यवस्था के लिये टांके और कुओं की व्यवस्था के लिये दस लाख का प्रोवीजन किया गया है। इस सम्बन्ध में भी मैं प्रकाश डालूंगा मैंने वित्त मंत्री महोदय से निवेदन किया था रेगिस्तानी इलाके में पानी की बहुत कठिनाई है बाडमेर, जैसलमेर, जालौर और झुंझनूं वगैरह इलाके में यह भयंकर समस्या है इसके लिये जो दस लाख का प्रोवीजन किया गया वह कम है उसके लिये एक करोड रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिये। मैंने मास्टर प्लान के फीगर्स देखे हैं इसको चार भागों में बांटा गया है एक मरुस्थलीय, अर्द्ध-मरुस्थलीय, पहाडी और पहाडी और सामान्य क्षेत्र। मास्टर प्लान में 27.98 करोड रुपये का मरुस्थलीय क्षेत्र के लिये प्रावधान किया गया है। इसके लिये चौथी योजना में 14.50 करोड की व्यवस्था की जायगी। पानी की समस्या भयंकर समस्या है इस समस्या को हल करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 30 करोड रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिये। चौथी योजना में इस प्रकार कर सकेंगे तो जाकर 10-15 वर्षों में रेगिस्तानी क्षेत्र की पानी की समस्या हल हो सकती है।

ट्यूब वैल्स के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जहां ट्यूब वैल्स आप बनवाते हैं उसके साथ साथ आपको रिजर्वायर का भी प्रोवीजन रखना चाहिये। जहां भी रखा गया है वह कार्यान्वित नहीं हुआ है। बाडमेर, जालौर और जैसलमेर में ट्यूब वैल तभी उपयोगी हो सकते हैं जब उनके साथ रिजर्वायर हो। ताकि जिस क्षेत्र में पानी की तकलीफ है वहां पानी पहुंचाया जा सकता है। नीमला के अन्दर ट्यूब वैल खोदा गया मैं सरकार से निवेदन करूंगा नीमला से शिव तक और शिव से गूंगा तक जहां की घनी आबादी है और ये बोर्डर विलेजेज है शिव और गूंगा में भी पानी की भयंकर कठिनाई है।

(श्री वृद्धि चन्द जैन)

(2 म. प.)

नाडियों का पानी साफ नहीं होता, पर फिर भी उससे अपना गुजारा लोग करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि यह स्कीम नीपल से शिव गंगा तक इस साल में पारित की जावे। इस क्षेत्र में अकाल भी है तो इस फेमिन फण्ड से पब्लिक हैल्थ से व्यवस्था की जा सकती है। हम किसी तरह से व्यवस्था चाहते हैं। यह आवश्यक है।

बैंसाले में पम्पिंग सेट लगे हैं। पर वे काम नहीं कर रहे हैं। जल्दी से उनसे काम लिया जाय। बैंसाले से मादेजेस छः मील पर है वहां तक पाइप लाइन ले जाई जावे।

बायतू जिसकी आबादी 8 हजार है पूरी तरह से रेलवे टंकियों की पानी की सप्लाई पर निर्भर है। यहां बोरिंग करके पम्पिंग सेट का प्रबन्ध कराया जाय नहीं तो ऊंडू से जहां पम्पिंग सेट सक्सैस हुआ है और 11 हजार गैलन पर आवर की स्पीड से पानी मिल रहा है वहां से लाया जाय, हालांकि यह तीस मील की दूरी पर है। इसको सबाऊ होते हुए बायतू की स्कीम कराई जावे तो रेगिस्तानी क्षेत्र के लिये लाभकारी होगा। नहीं तो 1½ लाख रुपया खर्च हो रहा है रेलवे टंकियों से सप्लाई में जो बायतू रामसर वगैरा तक पहुंचाया जाता है और परमानेन्ट व्यवस्था नहीं है इसलिये परमानेन्ट व्यवस्था की जानी चाहिये।

अब खास तौर से यह भी उल्लेख करना चाहता हूं इन क्षेत्रों में नाडियों में पानी रहता है वह पांच छः महीनों तक रहता है और बाद में भयंकर समस्या पैदा हो जाती है। दस दस बारह बारह मील दूर से लाना पडता है तो इसके लिये कुछ सार्वजनिक टांकों का भी निर्माण कराया जाना चाहिये। कई क्षेत्रों में आज भी अकाल है तो इस बारे में फेमिन विभाग यह करा सकता है।

यह भी चाहता हूं कि शिडूल कास्ट और ट्राइब्स के लोगों के लिए खास तौर से यह प्रबन्ध करना है। क्योंकि और लोग तो जैसे जाटों की स्थिति अच्छी है वे अपने टांके अपने आप बना लेते हैं पर शिडूल कास्ट और ट्राइब्स के पास इसके साधन नहीं हैं, उनको वैसे पानी मिलना बडा दुर्लभ है। फिर उधर सीमाक्षेत्र होने से लोगों का मनोबल बढाना भी आवश्यक है तो इसके लिये उन लोगों को पचास पर्सेन्ट तक सबसिडी देकर वे भी अपने घर में टांके लगा सकें इस में मदद करनी चाहिये। इसलिये इधर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अब पुलिस डिमाण्ड के बारे में आता हूं। इस बारे में दो ही बातें रखना चाहता हूं। एन्टी करप्शन का विभाग बाडमेर में भी था। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट का अच्छा प्रभाव पडा था। लोग रिश्वत लेते भय खाते थे। पर आपने अब उसमें मितव्ययता का एन्टी करप्शन का पैसा कम कर दिया यह मैं उपयुक्त नहीं मानता। इस पर तो अधिक से अधिक खर्चा किया जाना चाहिये। कम से कम जिला हैड क्वार्टर पर तो सब जगह इनकी व्यवस्था होनी चाहिये।

नहीं तो आज शिकायत करने जोधपुर जाना पडता है इससे देरी हो जाती है मामलों में और देरी होने से इन्फोर्मेशन लीक हो जाती है और फिर रेलवे स्टेशन पर पुलिस के आदमी के उतरते ही मालूम भी पड जाता है। तो इस

(श्री वृद्धि चन्द जैन)
लिये इसकी व्यवस्था पहले की तरह रहनी चाहिये ।

बाडमेर जिले में पुलिस ने अच्छे काम भी किये हैं । उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिये । डकैतियां इस इलाके में बहुत होती थीं, वे अब रुकी हैं । मैं पिछले 20 सालों से राजनैतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं पहले बहुत बुरी हालत थी । जैसलमेर से डाकू आते थे और लूट कर ले जाते थे । आज डकैतों का बिलकुल सफाया हो गया है । कानून व्यवस्था अच्छी होने से लोगों को शान्ति की सांस मिली है । पर अभी कुछ बाडमेर नगर और चोहटन में चोरी की घटनाओं से सनसनी फैली है । स्टेशन रोड जो प्रमुख स्थान है वहां चोरियां हुई हैं । जनता पर इसका बुरा असर पडा है । इनकी बरामदगी होनी चाहिये और मुलजिम पकडे जाने चाहिये ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुकुटबिहारी लालजी ।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा 15 मिनिट ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं अपनी पार्टी से अकेला ही बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : पार्टी का समय 15 मिनिट है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : 25 मिनिट कम से कम मिलना चाहिये उपाध्यक्ष महोदय मुझे । मैं टू दी पोइन्ट बोलूंगा । थोडा बोलूंगा । संक्षेप में बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : कटौती प्रस्तावों पर बोलना है, 15 मिनिट का समय काफी है

श्री मुकुटबिहारीलाल : मेरे कटौती प्रस्ताव भी बहुत हैं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दिया हुआ समय भी खतम हो रहा है इस तरह तो ।

श्री खेतसिंह : शुरू तो करिये ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : सर्व प्रथम मेडिकल विभाग की बात कहूंगा ।

आपने कितनी बार घोषणा की कि भरतपुर के अस्पताल को ए. श्रेणी का बनाया जावेगा । पर ए. श्रेणी की सुविधाएं आज तक प्रदान नहीं की गई हैं । मैं मानवीय दृष्टिकोण से निवेदन करूंगा कि ऐसे ए. श्रेणी की सुविधाएं शीघ्र प्रदान करें ।

पी. एम. ओ. का जहां तक सवाल है, कोई भी लगावें, पर ऐसा तो लगावें जो वहां टिक सके । पुरानों ने अवकाश ग्रहण किया, दूसरों को लगाया गया, परन्तु शायद उनको भरतपुर पसन्द नहीं ।

फिर वहां का तमाम प्रबन्ध खराब हो रहा है । बहुत बडी दुर्व्यवस्था है वहां पर । गन्दगी इतनी ज्यादा है कि रोगियों पर उसका असर पड सकता है । नालियां गन्दी हैं, टट्टी घर और पेशाबघरों की व्यवस्था बहुत खराब है । इधर शीघ्रता से ध्यान दिया जाना चाहिये ।

यही नहीं, मानवीय दृष्टिकोण से एक

(श्री मुकुटबिहारी लाल)
और निवेदन करना चाहता हूं हदावल में एक दानी महानुभाव ने तीन लाख रुपया लगाकर बहुत बडी अस्पताल की बिल्डिंग बनाई है। काफी अरसा गुजर गया, मन्त्री महोदय को भी पता है, पर आज तक डाक्टर वहां नहीं भेजा गया। वह व्यक्ति भी अब संसार में नहीं रहा अपनी साथ लेकर चला गया। उसकी अन्तिम अभिलाषा अधूरी ही रह गई कि उसके अस्पताल से जनता की सेवा हो। फिर वह आदमी कोई दूसरा भी नहीं था। पिछले पन्द्रह बीस सालों से कांग्रेस कमेटी का दफ्तर उस व्यक्ति की बिल्डिंग में चल रहा है। बगैर किराये के चल रहा है। इसलिये निवेदन करूंगा कि आप वहां डाक्टर भेजें। फिर वह एरिया बाढ़ ग्रस्त भी रहता है, गरीब लोग हैं।

आपके विभाग में कम्पाऊन्डर और नर्सों को लेकर बहुत बडा असन्तोष है। फीमेल नर्सिंग स्टाफ की रिटायरमेन्ट की उम्र आपने 58 रखी और फीमेल कम्पाउन्डर्स की 55। इससे असन्तोष है। एक ही प्रकार की ड्यूटी वालों में मेल और फीमेल के नाम पर भेदभाव क्यों?

इसके साथ ही इनमें ए. बी श्रेणी में प्रमोशन देने का सवाल है इसमें पी. एन. आर. सी. ट्रेण्ड और अनट्रेण्ड के मामलों में भी घपला है। इन पर ध्यान दें। इसके अलावा मैं पुलिस की डिमाण्ड की तरफ आता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि हम यह बात तो पसन्द करते हैं कि पुलिस के सिपाहियों के हाथ में बन्दुक हो परन्तु वह बन्दुक जनता की सेवा का प्रतीक हो न कि एक तरह से जनता के ऊपर आतंक जमाने की और अत्याचार करने की प्रतीत हो। आज यहां पर पुलिस विभाग का ताल्लुक है मैं ज्यादा शब्दों के जंजाल में नहीं जाना चाहता। मैं तो नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस का विभाग ही अपने आप में एक भ्रष्टाचार का, आतंक का, हत्यायें और डाकेजनी का अड्डा बन गया और मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि जो बात मैं कह रहा हूं उनके उदाहरण देकर एक के बाद एक सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। इस विभाग के द्वारा हम जहां यह उम्मीद करते थे कि इससे हमारा भ्रष्टाचार खत्म होगा आज भ्रष्टाचार को लगातार संरक्षण मिल रहा है और भ्रष्टाचार इस विभाग के साये में पनप रहा है। अब मैं नम्बर वारी आता हूं उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कितने ही दिखाऊ तरीके अपनाये गये हैं। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, पब्लिक ग्रिवान्सेस का ऑफिस कायम किया गया, कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी का कार्यालय स्थापित किया गया, और विजिलेन्स कमिशन की स्थापना की गई। यह 4-5 संस्थान ऐसे हैं कि जिनमें इस प्रकार गडबड घोटाले हैं कि उनमें एक तरह का सामनजस्य नहीं है जिससे वे जनता की कठीनाइयों को दूर कर सकें। एक विभाग से दूसरे विभाग में फुटबाल की तरह से परिवाद लडकते रहते हैं और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग पिछले आलोच्य साल में 1783 के परिवाद पेश किये गये और 1783 परिवाद में 429 के करीब ही जांच के लिये दर्ज किये और 1100-1200 के करीब परीवाद डिपार्टमेन्टल अध्यक्ष के पास भेज दिये गये। आप यह भूल जाते हैं कि एक विभागीय अध्यक्ष नहीं सुनता है जब कहीं सुनवाई नहीं

(श्री मुकुटबिहारी लाल)
होती है तब भ्रष्टाचार निरोधक महकमे के पास भेजते हैं। लेकिन यह महकमा क्या करता है वह केवल दिखाई के लिए महकमा बन गया है। क्या हुआ ? उन्होंने एक प्रक्रिया बना ली और वह प्रक्रिया यह बना ली कि 1600 के करीब तो परीवाद आये, अव्वल तो उन्हें दर्ज नहीं किया और कुछ की प्रिलिमिनेरी जांच की और बाकी को 1200 के करीब तो डिपार्टमेन्टल हेड्स के लिए टरका दिये। डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के लिए और उनमें से कुछ देखने के लिए टरका दिये और केवल 1700 परिवाद में से 22 रख लिये। क्या भ्रष्टाचार निरोधक महकमा हुआ ? एक जिले के पीछे एक भी नहीं आया। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप इसकी प्रक्रिया को दुबारा नया रूप देंगे ? ये 4-5 महकमे आपने खडे किये हैं इनको रियेलिस्टिक ट्रिन्च दीजिये। आप सिर्फ भावनाओं में मत बहो कि हमने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कायम कर दिया, पब्लिक ग्रिवान्सेस आफिस कायम कर दिया, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के लिए कमिशनर नियुक्त कर दिया। यह केवल दिखाने वाली बातें हैं। आपको पैसों की आवश्यकता है तो आप पैसा लीजिए यहां पर पुलिस के बजट पर 10 करोड रुपये का खर्च करते हैं आप 2 करोड रुपया और ज्यादा लें लेकिन आज की जनता में असन्तोष जो फैला हुआ है उसको आप मिटायें जनता दूसरी चीजों को बरदाश्त कर लेगी, बेरोजगारी को बरदाश्त कर लेगी, भुखमरी को बरदाश्त कर लेगी, मंहगाई को बरदाश्त कर लेगी लेकिन वह भ्रष्टाचार को बरदाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं तो यह उम्मीद करता था कि मंत्री मण्डल के स्तर पर बहुत ही फौलादी स्तर के मंत्री आये हैं और उनके संरक्षण में यह पुलिस विभाग बढेगा और राजस्थान की जनता को प्रश्रय मिलेगा, पुलिस के अन्दर से भ्रष्टाचार काफूर होगा जैसा उनसे उम्मीद थी लेकिन उसके विपरीत रहा। आज पुलिस का महकमा लोगों को खाने वाला हो गया और इस तरह का एक जरिया हो गया। मैं एक के बाद ऐसी चीजों के बारे में आऊंगा। आज एक प्रक्रिया चल पडी कि पुलिस आज निर्दयी हो गई है। पुलिस के थानों में हम सुना करते थे कि बाहर हत्यायें हो जाती थी, डाकेजनी बाहर हो जाती थी और जिसके बारे में पुलिस जांच करती थी। अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज तक केवल पुलिस के थानेदार से मिलिये वह अपने आप हत्या कर लेगा और अपने आप बचाव के साधन कर लेगा। आज तो पुलिस के थानों में रात और दिन हत्यायें होने लगी हैं। मैं अपनी इस चीज के बारे में नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा एक के बाद एक देखिये। भीलवाडा के अन्दर एक मिल मजदूर की हत्या थाने के अन्दर की गई। उसको पीटा गया, उसकी धर्मपत्नि को पीटा गया। उसकी धर्मपत्नि के शरीर पर 27 चोटें थीं और उस आदमी को पीटते पीटते निर्दयतापूर्वक मार दिया गया। यही नहीं इसके अलावा 3 हत्यायें हुई। हमारे मनोहर सिंह जी मेहता जिस कान्सटीटूएन्सी से आते हैं उसमें दीगोद का थाना है। इससे अन्तर्गत सन् 67 के अन्दर एक आदमी को इतना पीटा की पीटते पीटते उसकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में कहा कि यह तो कुए में फिसल

Page No. 123

(श्री मुकुटबिहारी लाल)

कर मर गया। और यही नहीं कुए में फिसल कर मर जाने की घटना एक नहीं इसी थाने में 3 घटनायें बन गयी। 3 आदमियों को मौत के घाट उतारा और कहा कि यह ऐसे मरे कि इन्होंने आत्म हत्यायें कर ली, कुए में कुद कर मर गया इसी तरह से रेलमगरा थाना जिला उदयपुर की बात करता हूं। वहां के थानेदार श्री श्यामसुन्दर ने इस कदर पीटा···

श्री **खेतसिंह**: दीगोद वाला 3 आदमियों की हत्या का मामला क्या है? कहां कहां के हैं?···

श्री **मुकुटबिहारी लाल गोयल**: मेरे पास टाइम कम है। मेरे पास पूरी जानकारी है, रेकर्ड है सब बता दूंगा।

रेलमगरा की बात कहना चाहता हूं। एक सांची को वहां के थानेदार श्यामसुन्दर ने इस कदर पीटा कि पीटते पीटते उस आदमी की हत्या हो गई। यह मैं थानों की बात कह रहा हूं, बाहर की बात नहीं कह रहा हूं। पीटते पीटते और तडपते तडपते उसकी हत्या कर दी। इसके ज्यादा जुल्मयानी काम और कोई नहीं हो सकता? पुलिस के प्रांगण में मारा, कहां जाये बेचारा? श्यामसुन्दर का रिलेशन किस मंत्री से क्या क्या है मैं उसको पर्सनल लेवल पर नहीं लेना चाहता हूं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, नामजद नहीं जाना चाहता हूं परन्तु यह वही है जिन्होंने वमेडा 40000 रुपये की रिश्वत ली। फिर इसके साथ ही साथ यही थानेदार जब भीलवाडा में थे तो वहां भी इसी तरह की मारपीट के दौरान इनके खिलाफ कार्यवाही की गई थी पर जब कार्यवाही नहीं होती तो हौंसले बढ़ जाते हैं।

इसके अलावा एक कूदा कंजर चित्तौड शहर के थाने में पीटते पीटते मार डाला गया। यही नहीं भैरुलाल सुनार को थाने में मारते मारते उसकी हत्या कर दी गई। यह वह चीजें जिनको कि मैं आज इसलिए रखना चाहूंगा कि आप थोडा सा देखें तो सही कि आखिर थानों के अन्दर हत्यायें हो रही हैं। मैं अपने जिले बयाना की बात कहना चाहता हूं। बयाना के अन्दर ओमप्रकाश नामक एक युवक को इस कदर यातनायें दी गई कि पुलिस की हिरासत में उसकी मौत हो गई। किन लोगों ने मारा, किन परिस्थितियों में हुई आज पुलिस का पुनीत कर्त्तव्य था कि तमाम चीजों की जांच करती। लेकिन जांच नहीं वह तो नाटक रचना राजस्थान में कम चालू हो गया है। हत्या कर दो और छुपा दो, डाक्टर से मिल जाओ और जलवा दो। पुलिस ने कहा कि उस युवक ने आत्म हत्या कर ली 5 फूट की ऊंचाई पर खूंटी से लटक कर गले में रूमाल डालकर। अब उपाध्यक्ष महोदय, लडके की ऊंचाई 5 फुट 6 इंच और खूंटी की ऊंचाई 5 फुट। आप स्वयं उपाध्यक्ष महोदय सोच सकते हैं कि 5 फुट की ऊंचाई से कैसे फांसी लग सकती है जब कि लडके की ऊंचाई 5 फुट 6 इंच थी मैं इस संबंध में मंत्री जी से मिल चुका हूं उन्होंने भी जांच की बात की है लेकिन वह थानेदार वहीं पर है और जो शहादतें हैं उनके साथ वह केस गढ़ रहा है आज पुलिस के थानों में निर्ममतापूर्वक इनसानों की हत्यायें की जायें तो पुलिस का क्या यही काम है? पुलिस के थानों पर आप जाइये रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। हांलांकि जो रिपोर्ट हमारे सामने पेश की गई है उसके द्वारा भी हत्यायें, डाकेजनी और दूसरे अपराध बढ़ रहे हैं···

(श्री मुकुटबिहारी लाल)

ये आंकड़े इस बात को बताते हैं। परन्तु राजस्थान में एक दूसरी प्रक्रिया दर्ज करने के लिये जारी कर दी है कि वह दर्ज नहीं करते हैं। मुकदमा डकैती का 458 और 457 का है लेकिन दर्ज कर दिया किसी दूसरे अपराध में सेक्शन बदलकर और सेक्शन ऐसा बदलेंगे अपराध का जिससे कोई मामला ही न बने।

यही नहीं, मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की हत्याएं एक ही जगह हों ऐसी बात नहीं है। एक फूलिया कलां एक थाना है भीलवाडा जिले के अन्दर वहां के एक बहुत बड़े मिल मालिक हैं---वह बात मैं नहीं कहना चाहता कि कौन से मिनिस्टर से क्या साझा करते हैं। इसलिए यह मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर एक आदमी की हत्या हुई एक धोबी की। मिनिस्टर का नाम लूंगा तो टाइम बरबाद होगा और माननीय सदस्य मेरे भाषण को रोकना चाहेंगे।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आपके भाषण को रोकना नहीं चाहते हैं लेकिन मिनिस्टर कौनसा है। थोड़ा नाम क्यों नही बताते हैं?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : नाम मैं बता दूंगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : बताइये।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल इस प्रकार से फूलिया कलां में जिनिंग फैक्ट्री में एक आदमी की हत्या हुई और वह हत्या पुलिस के थानेदार ने की और मिल मालिक से मिल कर की। थानेदार को आपने तलब किया है और उसकी डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी हो रही है। वह काम कर रहा है। अगर मान लें कि उसका चालान भी करेंगे तो वे लोग जो कत्ल साजिश हैं वे गवाही देंगे और मामला साफ हो जायगा। आजकल एक टेक्निकल चीज चल पड़ी है। एक तरीके से चल पड़ी हैं। एक छोटा सा मुलाजिम रिश्वत ले ले तो बड़ा हिस्सा ऊपर से ऊपर चला जायगा। सीढ़िया बनी हुई हैं। आज कल तो थानों का नीलाम होने लगा है। इस थाने पर लगायेंगे तो इतना रुपया और चौकी पर लगायेंगे तो इतने रुपया महीना देना पड़ेगा। थानों का नीलाम चौकियों का नीलाम और हमारी धौलपुर साइड में मैंने सुना है कि चोरों से थानों की नीलामी होने लगी है कि 500 रु. महीना ले लूंगा या 2 हजार रुपया महीना ले लूंगा। तुम चोरियां करो चाहे कुछ करो। चोरों का भी नीलाम होने लगा है। इस तरह से शासन चलता है तो किस तरह से राजस्थान की जनता सुरक्षा की भावना लेकर चल सकती है।

गंगानगर म ऊदवा के अन्दर छोना खटीक की कैसे हत्या हुई। किन सरकमस्टान्सेज में हुई और किन बड़े लोगो का हाथ है। चित्तोड जिले में गत 8-10 महीने में 11 हत्याएं हुई हैं। इन 11 हत्याओं का क्या षडयन्त्र है? मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि सादड़ी सोना काण्ड की बात कहूंगा तो गृह मंत्री कहेंगे कि अदालत में मुकद्दमा चल रहा है और आप वकील है इसलिये उस काण्ड की चर्चा नहीं करूंगा परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

उसकी शहादतों को खत्म किया जा रहा है उसके एक अभियुक्त, हीरालाल सरपंच की हत्या हुई है।....

श्री दामोदर लाल व्यास: माननीय सदस्य यह कहकर कि मैं एतराज करूंगा कि यह मुकद्दमा सब जुडिस है यहां पर बहस न करें, इसआड में बहस करना चाहते हैं, यह आपके देखने की बात है कि एक मजिस्ट्रेट के सामने केस चल रहा है वह डिसकस हो या न हो।

श्री रामकिशन: केस पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास: उन्होंने कहा है कि गवाहों को बदला जा रहा है। उनके बयान बदल रहे हैं तो यह केस पर प्रेज्युडिशियल इफेक्ट पटकेगा।

श्री बीजल राम सारण: यह केस डिसकस नहीं कर रहे हैं, फेक्ट्स बता रहे हैं कि गवाहों को कत्ल किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: जो मामला अदालत में है उस पर कृपया कुछ भी न कहें।

श्री रामकिशन: मरने वालों का नाम क्यों नहीं लेंगे। उसमें क्या दिक्कत है।

श्री मुकुटबिहारी गोयल: मंत्री प्रवर ने जो आदेश दिया है और आसन ने जो जो निर्देश दिये हैं मैं उनको मानूंगा। मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं फेक्ट्स के बारे में मैं तो यह कह रहा हूं कि सादड़ी सोना काण्ड में जो अभियुक्त था हीरालाल सरपंच उसको खत्म कर दिया गया है। दूसरा बलवन्तसिंह था उसको गोली से उडा दिया गया है मध्य प्रदेश की सीमा में जाकर और राजस्थान वालों ने मारा है। उसकी हत्या के पीछे क्या षडयन्त्र था। इस षडयन्त्र से सिर्फ एक ही बात का पता चलता है कि धीरे धीरे करके सादडी सोना काण्ड की शहादतों और खोलने वालों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है।

मेनाल के अन्दर हत्या हुई है, अब मैं भरतपुर जिले की तरफ आ जाता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि हत्याएं इतनी ज्यादा तादाद में हो रही हैं कि कहां तक कहूं। आज ही शहर में भरतपुर में एक ही रात में दो हत्याएं हो गई और पुलिस के देखते 2 हो गई। अगर इन्टरप्ट करती तो जो दो हत्याएं आज रात को भरतपुर में हुई हैं वे नहीं हो सकती थी। मैं यह फिर बात क्यों कहूंगा जिन बातों की वजह से भरतपुर शहर में चोरियां हो रही हैं। उसका कारण यह है कि डी. आई. जी. पी. जब कभी भी उधर का दौरा करने जाते हैं और जिस रात को भरतपुर शहर में विश्राम करते हैं उसी रात को एक बडी चोरी हो जाती है। कहा यह जाता है पब्लिक में कि उनकी आवभगत के लिए चोरी हुई है। एक उदाहरण बता दूं कि रामचन्द्र किशनलाल बजाज के यहां चोरी उस रात को हुई जब डी. आई. जी. पी. तशरीफ ले गये थे दौरे पर भरतपुर को। लेखराज भगवानदास के यहां भी चोरी उस रात को हुई जब कि डी. आई. जी. पी. वहां गये थे दौरे पर। 28 व 29 फरवरी को जो चोरियां हुई हैं वे भी उन्ही दिनों में हुई हैं जब कि डी. आई. जी.

(श्री मुकुटबिहारीलाल)
भरतपुर ये जिले का दौरा करने के लिये गये। अरे भाई, आपको दावतों के लिए, शराब खोरी के लिये और दूसरी और आवभगत के लिए पैसे की जरूरत है यह बात तो ठीक है। हमारे भरतपुर के गंगा मंदिर के नीचे रंडियों के मकान में और उनसे पुलिस का महीना बन्धा हुआ है तो 28-29 फरवरी को उसने 100 रुपया न लेकर 300 रुपया वसूल कर लेते, चन्दा ले लेते अगर उनकी खुशामद करनी थी तो, परन्तु चोरियां क्यों करवाते हैं और ले लेते किसी तरह से, जनता से चन्दा दिला देते।

तो इस तरह की चीजें हैं कि जिनसे आंखें खुल जायं। राजस्थान के कुछ डकैत हैं और जिस व्यक्ति के लिये इनाम घोषित किया हुआ है कि जिन्दा या मरा हुआ उसको जो आदमी लायेगा उसको इनाम मिलेगा। वह बीमार पड़ता है। उसका पुलिस के संरक्षण में इलाज होता है। बदली के अन्दर थाने के अन्दर उसका इलाज पुलिस के संरक्षण में किया जाता है। जब वह डकैत अच्छा हो जाता है तो एक बहुत बडा जलसा मनाता है और बड़े बड़े अधिकारी उसमें शामिल होते हैं। वहां पर वह एक राशि देता है कि इससे मन्दिर बनवा दो। वहां का थानेदार राजगढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाता है। जब उसकी प्रतिष्ठा होती है तो बड़े बड़े अधिकारी उसमें शामिल होते हैं। डकैत मन्दिर निर्माण करवाता है तो हमारे धर्म को तो इस तरह से भ्रष्ट मत करो। हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। पुलिस के संरक्षण में डकैतों द्वारा मंदिर का निर्माण होता है। यह ठीक नहीं है।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज एक बड़ा सवाल है डकैतों का....

श्री रामानन्द अग्रवाल: बिरला मंदिर भी डाकुओं द्वारा बनाया हुआ है, यह पता है कि नहीं आपको।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उनके पास हथियार कहां से गये। एम. जी. गन और जो दूसरे हथियार हैं वे पुलिस के हैं या दूसरे लोगों के द्वारा किसी सोर्स से उनके पास पहुंचते हैं। पहले जब मैं इस पर बोला हूं तो आप से पूर्व गृह मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि यह शिकायत आपको नहीं रहेगी, और माननीय सदस्य का सहयोग और आशीर्वाद लूंगा, ये उनके शब्द हैं, तो मुझे कहना पड़ता है कि वह चीज चली जा रही है। आज वे घटनाएं बढ़ती रहती हैं और यह तमाम चीजें चलती रहती हैं। एम. जी. गन, स्वचालित गन डाकुओं के पास पुलिस के संरक्षण में धौलपुर के इलाके में किस ने की, किस के द्वारा की गई, उसका नाम मैं लेना नही चाहूंगा कि आप उसका नाम दे दें। जांच करें। यही नहीं, मेरे पास है तमाम लिखा पढ़ी। इसके अलावा आपको बताऊं.......

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा अर्ज करना है कि आप नाम यहां नही बतावें कोई हर्ज नहीं है लेकिन मेहरबानी करके मुझे तो नाम देंगे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जरूर दूंगा। पूरी हिस्ट्री दूंगा।

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

9-12-67 को तीन बंदूकें बरामद हुई सर मथुरा के इलाके में। उनमें से दो ही रही एक बंदूक को कौन खा गया? वह बदल कर किसके पास चली गई है? डकैत के पास कैसे चली गई.........

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सिर्फ एक बात गांव सतवाडा की और बता देता हूं। ग्राम सतवाडा में एक महिला की हत्या हुई... उसमें केस चलाना चाहते हैं। पुलिस दूसरी दफा में चलाना चाहती है और वह आदमी दूसरी दफा में चलाना चाहता है। वहां के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े आदमी यह नही चाहते कि यह आदमी इस तरह से कोई मुकदमा चलावे। वह मुकदमा चलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके लड़के को डकैतों द्वारा उड़वा दिया गया किस्सा यहीं पर खत्म नही हुआ। इस बोहरे के रिश्तेदार धौलपुर के एक बड़े बोहरे के पास वह पहुंचा। उस छोटे बोहरे ने बड़े बोहरे से कहा कि हमारे लड़के को डाकु उड़ा कर ले गये उस लड़के को किसी तरह से डकैतों से छुड़ाओ। जैसे तैसे करके 12,000) में सौदा तय हुआ। 12 हजार रुपयों की राशि उस बड़े बोहरे के यहां पहुंचा दी गई। किस के यहां पहुंचा दी उसका नाम मैं यहां पर नही लूंगा। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि पुलिस के संरक्षण में गार्ड कैसे लगी है, सभी जानते हैं। ये 12 हजार रुपये उसके यहां पहुंच गये उसके बाद क्या होता है कि उन डकैतों में और यू. पी. की पुलिस में मुठभेड़ हो गई। और वह लड़का दूसरे दिन डाकुओं के कब्जे से भाग गया...

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, यह किस्सा तो पूरा करदूं। वह लड़का डाकुओं के कब्जे से निकल भागा और आगरा पहुंच गया। आगरा से उसने टेलीफोन किया कि वह डाकुओं के कब्जे से निकल आया है। तब उस छोटे बोहरे ने सोचा कि ये 12 हजार रुपये योंही गये। वह दूसरे दिन सुबह उस बड़े बोहरे के पास पहुंचा और उस बोहरे से कहा कि हमने दूसरा इन्तजाम कर लिया है इसलिये हमारे रुपये वापिस दे दो। तब उसने कहा कि हां वापिस कर देंगे फलां आदमी को दे दिये हैं उससे वापिस ले आयेंगे। किस आदमी को दिये तब कहा कि अतरा ठाकुर को दे दिये हैं एक दो दिन में वापिस कर देंगे। इस तरह से मामला टलता रहा और वह रुपये वापिस नहीं किये। अंत में यह मामला एस. पी., भरतपुर और डी. आई. जी. पी. के पास पहुंचा। डी. आई. जी. ने इस बात का जायजा लिया और उस बड़े बोहरे को बुलाया और उससे कहा कि तुम इसके रुपये वापिस करदो। तो उसने कहा कि मैं झूठ थोड़े ही बोल रहा हूं मैं ने इससे कह दिया कि अतरा ठाकुर को रुपये दे दिये हैं, मैं उनसे रुपये ले आऊंगा। डी. आई. जी. ने होशियारी की। उन्होंने अतरा ठाकुर को बुलाकर पास ही दूसरे कमरे में बैठा दिया तब उन्होंने अतरा ठाकुर को बुला कर कहा कि तुम रुपये क्यों नही देते, तो ठाकुर ने कहा कि मेरे पास रुपये कहां हैं, मुझे कब दिये थे। तब फिर उन्होंने उस बड़े बोहरे से कहा कि बोलो

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

अब क्या कहते हो। तब उसने कहा कि रुपये मेरे पास हैं वापिस नहीं देता हूं, नहीं देता हूं, मेरे पास हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि वह बोहरा डी. आई. जी. पी., एस. पी. डी. वाई. एस. पी. सबके देखते हुए अंगूठा दिखाकर भाग गया जब डी. आई. जी. से कहा गया तो कहा कि भाई क्या करें बडे बड़े मिनिस्टर इसके रिश्तेदार हैं, आई. जी. पी. इसके रिश्तेदार हैं। डिप्टी एस. पी. भूरसिंह भाटी ने अपनी डायरी में यह पूरी घटना उतारी है।.......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बस ढाई मिनिट और। देवकिशन बोहरा, बरखेडा उसके 25 हजार रुपये गये, मकान गिरवी रख दिया इसकी सारी घटना बयान करने का समय नहीं है इसी तरह से मैं निवेदन करूं कि गांव सगवाडा का रूपाराम डकैत किस तरह से मिला करता है। ग्राम कुम्हेर का सरपंच है उसका मामला है इस मामले में मंत्री जी को पता है। इसी तरह से प्रधान के मामले का भी पता है। इसी तरह से अमेठा के गंगाधर का मामला है दफा 305 में मामला है उसमें मालदार गंगाधर तो निकल गया और उसकी जगह गरीब गंगाधर को फंसा दिया गया क्योंकि गंगाधर नाम के आदमी को फांसी लगनी चाहिये। वह वहां पर रो रहा है।

नागौर में नेहरूजी की स्टेचु लगी हुई है। किसी ने उस स्टेचु पर लगी उनकी टोपी को लाल कर दिया। वहां पर क्योंकि लाल टोपी पहनने वाला रूपराम मिर्धा है इसलिये उसका ही यह काम होगा इसलिये उसके खिलाफ केस लगादो। लाल टोपी पहनने वाला उस इलाके में दूसरा नहीं है। सफेद टोपी वाले तो बहुत फिरते हैं, लाल टोपी वाला वहीं है उसको फंसाओ। यह जो पोलिटिकल..

श्री उपाध्यक्ष : यह इस विषय से संबंधित नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निहायत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस राजतंत्र में पार्टियों को दबाने के लिये यदि पुलिस का उपयोग किया गया और यदि आपने जानबूझ कर पार्टियों को दबाने के लिये काम में लिया तो जनता क्रान्ति कर बैठेगी। इसी तरह से आगरा की एक स्त्री को नंगा करके उसकी पुलिस ने पिटाई की एस. डी. एम. सामने खडा है पर वह कुछ भी नहीं कर सका। चाहे एस. डी. ओ. डीग फूलशंकर हो, चाहे एस. डी. एम. कुशलगढ़ हो कोई बच नहीं सकेगा। 8 दिसम्बर 67 को रतनगढ़ में एक जलूस पर लाठी चार्ज किया, संसोपा के कार्य कर्त्ता शंकरलाल....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपका समय समाप्त हुआ....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जारी : नेहरू कालेज का उद्घाटन करने जगजीवन रामजी आये थे.....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण समाप्त हुआ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अजमेर की बात कहता हूं अजमेर में बालकृष्ण गुप्ता

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। आपने काफी लंबा समय ले लिया है, कृपया स्थान ग्रहण करें। और किसी अवसर पर कहदें···

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : कानून के अन्तर्गत····(अवरोध)

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।·····

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : इसके अलावा गड़बड़ घोटाला करने, मारपीट करने आदि में····

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !·····

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : इन चीजों का जायजा लें, चाहे कुछ भी क्यों नहीं·

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री **रामतराम** (छापर सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के बारे में मेरे 3 कटौती प्रस्ताव हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष आज इस हाउस में पुलिस के बारे में पुलिस की डिमान्ड पर जो बहस चल रही है उसमें माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रगट किये। माननीय उपाध्यक्ष आज पुलिस के बारे में जो बातें कहीं जाती हैं, आज पुलिस में जितना भ्रष्टाचार है या जितना पुलिस महकमे में रिश्वतखोरी है उतनी दूसरे महकमे में नहीं है, यह बात इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य सारे ही जानते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमको भ्रष्टाचार की बात तो कहनी ही नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी की बात पुलिस के बारे में नहीं करें तो अच्छा होगा। इसलिये अच्छा होगा कि यह बात तो वहां करनी चाहिये जहां थोडा भ्रष्टाचार हो, थोड़ा बहुत भी कहीं नैतिक स्तर हो तो उसके लिये कहना चाहिए। पुलिस के महकमें में जो गिरावट आई है·····

लेकिन आज तो ऐसी स्थिति है पुलिस के महकमे में कि आज छोटा कर्मचारी, आज छोटे से छोटा कर्मचारी, जो पुलिस विभाग का कर्मचारी होगा, उसको भी जब तक रिश्वत नहीं दें तब तक पुलिस के महकमे में काम नहीं बनने वाला है। ऊपर से नीचे तक पैसे से काम चलता है। वहां इस बात को कि महकमे में भ्रष्टाचार है तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जहां ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है तो उसके लिए क्या निवारण की बात करें, क्या बात करें ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की हालत पुलिस के महकमे की हो गई है कि इतना नैतिक स्तर पुलिस महकमे का गिर गया है, इतनी गिरावट आ गई है कि कहां तक यह महकमा और नीचे जायगा, इसके लिये नहीं कह सकते। मैं इसके बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं, उसको आप एप्रीशिएट करेंगे और आपको मालूम होगा कि कितना नीचे यह महकमा चला गया है, कितनी गिरावट आ गई है।

(2.41 म. प.)

(**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत** : सभा-नेत्री, पदासीन)।

(श्री रावतराम)

बीकानेर डिवीजन का किस्सा है । बीकानेर स्टेट के अन्दर कोई पुराना राजा था । वह राजा एक बार सरदार शहर तहसील में गया, उस तहसील में एक गांव है कागलासर, वहां वह कभी दौरे पर गया । वहां पर उसने एक ठाकुर की लडकी को देखा । उस लडकी को देखकर उसने उससे शादी करने का इरादा कर लिया और बीकानेर आकर उस राजा ने उस ठाकुर को समाचार भिजवाया कि मैं आपकी लडकी से शादी करना चाहता हूं । ठाकुर ने एक ही बात कही, यदि राजा मेरे गांव में बरात लेकर आ जाय तो मैं इस लडकी से शादी कर सकता हूं राजा की । राजा ने उसकी बात मानली क्योंकि उसको तो शादी करनी थी । उसने कहा कि उस लडकी से शादी करने के लिये कागलासर जाना पडे तो मैं जा सकता हूं । तो राजा बारात लेकर कागलासर चला गया । यह इतिहास की प्रसिद्ध बात है, झूठी बात नहीं है। तो अब वह कागलासर पहुंचा । तो द्वार पर जो दही, जो सास होती है, वह खिलाती है । सास के द्वारा दही खिलाने का रिवाज है. वह मुंह में दही देती है । तो अब हाथी के ओहदे पर चढ़ कर राजा गया तो द्वार पर जहां दूसरे लोग खडे थे, वहीं सास भी खडी थी । उसने कहा--नीचे झुकें तो मुंह में दही दे सकूं । तो एक भाट वहीं पास ही खड़ा था उसने कहा--और क्या नीचे झुकें, नीचे झुकते झुकते तो यह राजा कागलासर तक आ गया । और कहां नीचे ले जायेंगी । राजा ने सुना तो उसने कहा--इसको मारो सौ जूते । तो उसके सौ जूते मारे गये । इसी प्रकार आज पुलिस के बारे में कहें कि पुलिस महकमा नीचे चला गया है, पुलिस महकमे में गिरावट आ गई है तो उसकी खैरियत नहीं है, उसके जूते पडने वाले हैं । इसलिये अब कौन कहे इस बात को । इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महकमे के बारे में भ्रष्टाचार की बात न करें तो अच्छा है । माननीय दामोदर लाल जी, जो गृह मंत्री हैं, वह किसी जमाने के अन्दर लौह पुरुष थे, आज उनकी क्या हालत हो रही है । हम देख रहे हैं, वह लौह पुरुष की जगह शीतल पुरुष बनते जा रहे हैं । शीतल चमकता है, तो वह चमक दमक तो रह गई है, वह करना चाहते भी होंगे--मैं इसको मानता हूं लेकिन वह कर नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर शीतल पुरुष बैठा है । थोडा बहुत यह करने की चेष्टा करें, लेकिन इनको खतरा इस बात का है कि होम का पोर्टफोलियो इधर का उधर हो जायगा । इसका पहले का भी उदाहरण है, जिन्होंने कुछ करने की कोशिश की है, उनको एक झटका लगा । तो शीतल पुरुष की इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ नही होने वाला है । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आपको कुछ गम्भीर कार्य करना चाहिए । राजस्थान की जनता आपको इस रूप में याद करेगी । अगर कर पायेंगे नहीं तो याद नहीं कर सकती । जब तक आप गृह मंत्री हैं, आपके हाथ में पावर है आपकी लोग इज्जत करेंगे, कद्र करेंगे और डर कर झुकेंगे लेकिन पीठ पीछे अच्छी बात आपके बारे में नहीं करेंगे । इसलिये लौह पुरुष बनने की कोशिश कीजिये, थोडा बहुत इस महकमे को सुधारने की कोशिश कीजिये ।

मैं मेरे कटौती प्रस्ताव के बारे में आपको कहना चाहूंगा, माननीय सभानेत्री महोदया,

(श्री रावतराम)

आपके द्वारा कि चुरू जिले में दो पुलिस स्टेशन हैं, एक का नाम है जीडी और दूसरा है भीवसर। दोनों सुजानगढ़ तहसील में हैं। इन दोनों पुलिस स्टेशन को आप वहां से हटा लें तो वहां की पब्लिक आपको याद करेगी, आपकी शुक्रगुजार रहेगी·····

श्री दौलतराम सारण : आशीर्वाद देगी।

श्री रावतराम : वहां के यह पुलिस स्टेशन कितने अन्याय करते हैं, उनको न कोई कहने वाला है और न कोई वहां पर जाकर सम्भालने वाला है। गांव में थानेदार घूमता फिरता है। किसी के नाम गुमनाम शिकायत ले लेता है कि इस आदमी के फलां औरत से नाजायज संबंध हैं, लाओ पांच सौ रुपये। अगर पांच सौ रुपये नहीं दे तो उसको थाने में ले जाकर मारेगा। किसी को कह दिया कि इसने बकरी चुराली है लाओ दो सौ रुपये। इस तरह से सैंकडों, उदाहरण हैं। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता क्योंकि एक नहीं है सैंकड़ों मामले हैं। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि कोई तो कहते हैं कि हमारे यहां पर पुलिस स्टेशन होना चाहिये, हमारे यहां पुलिस चोकी होनी चाहिए, मैं कहता हूं कि उन गांवों की रक्षा के लिए उन पुलिस स्टेशन को हटा लेना चाहिए और किसी और जगह पर लगा देना चाहिये। इससे गांव वालों को भी फायदा होगा और पुलिस महकमे का बजट है, उस बजट में भी कमी होगी······

श्री दौलतराम सारण : वहां उनकी आवश्यक्ता नहीं है।

श्री रावत राम : मैं कहना चाहता हूं कि दोनों पुलिस चौकियां वहां से हटालें तो आप इलाक़े की जनता की एक बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव, माननीय सभापति महोदय, यह है कि अभी मेरा जो क्वेश्चन था, उसके बारे में माननीय गृह मन्त्री जी ने यह बताया था, जो राजलदेसर में कत्ल हुआ जग्गूराम खाती का, उसके बारे में कहा कि उसकी जांच करली है, इन्क्वायरी करली है, यहां से सी. आई. डी. के उच्च अधिकारी ने जाकर जांच कर ली है और उन्होंने उसे सुसाइड का केस माना है इसलिये उस पर कार्यवाही नहीं हो सकती। मैं दूसरे केस के बारे में कह सकता हूं कि दुःख की बात है, आप सी. आई. डी. आफिसर से जांच करवाते हैं, वह आफिसर यह लिख दे कि यह कत्ल का केस है, इसको 302 में दर्ज करना चाहिये, तो उसको 302 में दर्ज न करके उसको रफा दफा कर दिया जाय। मैं आपको दूसरे केस के बारे में बताना चाहता हूं, वह सरदार शहर का है, वह एक शादी शुदा लडकी का केस है, श्रीमती उमराव वाइफ ऑफ भीवराज लूनिया, जिसकी मृत्यु हुई 4-6-65 को। 4-6-65 को मृत्यु हुई, उसकी रात को मृत्यु हुई, और सुबह पंचनामा पुलिस ने बना कर उसको दफ़ना दिया। उसके परिवार के लोगों ने शिकायत की कि इस लडकी को मारा गया है, इसके ससुराल के परिवार का आचरण अच्छा नहीं है। उस लडकी का हसबेन्ड बाहर था, उस लड़की ने अपने हजबेन्ड को कागज लिखा कि यह मुझे मारेंगे क्योंकि आपके बड़े भाई मेरे पर बुरी नजर रखते हैं, इन्होंने मुझे तंग करना शुरू किया है इसलिये

Page No. 132

(श्री रावतराम)

मुझे बचाया जाय। हसबेन्ड ने उसको पत्र लिखा कि मैं जल्दी आ रहा हूं, तुम चिन्ता मत करना। जिस दिन मृत्यु उस लड़की की हुई उसके दो दिन पहले अपने बाप को (कागज) लिखा, उसमें से थोड़ा, माननीय सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं। उस लड़की ने अपने पिता को लिखा है:--

आपको बड़े दुःख के साथ यह लिखना पड़ता है कि पिताजी आपने किस नरक में धकेल दिया है। शायद ऐसी यातनाएं नरक में भी नहीं मिलती होंगी।···जो हालत इन लोगों ने की है वह कल भाभीजी देख कर गई हैं। हाथ में इतना सोजन आ गया है कि उसमें चटका चलने लगा है। दोनों छातियों पर इतना सोजन आ गया है कि और लिडियें जम गई हैं। और खाने की तो बात ही क्या है। पानी भी होश आने से आधा गिलास पानी देते हैं। भंवरलालजी का ऐसा ही हुक्म है।

भंवरलाल लूनिया उसका जेठ होता है। पिताजी मेरे जैसी दुखियारी और अभागिन तो शायद ही इस संसार में कोई होगी। दुःख में कोई किसी का नहीं होता है···कि अगर आप अपनी पुत्री को इस नरक में से इन जीवित राक्षसों के हाथों से एक दुखियारी के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं तब तो आज सूर्यास्त होने से पहले पहले आप कोई उपाय कर लीजिये अन्यथा आज के सूर्य के साथ ही आपकी दुखियारी पुत्री की जीवन लीला भी समाप्त हो जायेगी···अगर आप दुःख दूर कर सकते हैं तब तो चाहे किसी भी ढंग से होकर एक प्राणी की रक्षा करियेगा।

यह दो दिन पहले उसने अपने फ़ादर को लेटर दिया था। मैं इसकी कापी और लड़की का फ़ोटो सदन की मेज पर रखता हूं। मैं आपको भी देना चाहता हूं। मैं आपको देता हूं····

श्री खेतसिंह : असली पत्र है या फ़ोटो-एस्टट कापी है?

श्री रावतराम : फ़ोटोएस्ट कापी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फ़ोटोएस्ट कापी है।

श्री रावत राम : इसके बाद में लाश दफ़ना दी गई। उसके फ़ादर ने कहा, मर्डर हुआ है, इसकी एन्क्वायरी होनी चाहिये, लेकिन कोई एन्क्वायरी नहीं की। उसके बाद में यह शिकायत आगे की गई तो सी. आई. डी. के श्री लक्ष्मी नारायणजी, डी. एस. पी. हैं, जो बड़े निष्पक्ष और ईमानदार आदमी माने जाते हैं इस प्रकार की एन्क्वायरी में, उन्होंने एन्क्वायरी की और अपनी रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को दी है। उसमें कहा गया कि यह निश्चित तौर से क़त्ल का मामला है और 302 में यह केस दर्ज होना चाहिये। लेकिन आज तक वह केस 302 में दर्ज नहीं हुआ है। एक बात मैं और बता दूं कि अब जाकर जो तत्कालीन डाक्टर था, वहां एस. एच. ओ. था उसको सस्पेंड किया है इस मामले में। उनको सस्पेन्ड किसी आधार पर किया है। लेकिन इस मामले में तमाम कार्यवाही करके उन मुलज़िमों को सज़ा देने को तैयार नहीं हैं क्योंकि वह पैसे वाले

(श्री रावतराम)

आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, उनका बड़ा प्रभाव है। माननीय गृह मन्त्रीजी, कोई भी राजस्थान की लड़की हो उसकी रक्षा करने का भार आप पर है, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कैरों का, जब प्रतापसिंह कैरों चीफ़ मिनिस्टर थे पंजाब के, उस समय एक लड़की का अपहरण किया गया गुन्डों के द्वारा। जब प्रताप सिंह कैरों को पता चला तो उन्होंने एस. पी. को टेलीफ़ोन किया कि मेरी लड़की का अपहरण कर लिया गया है, इसका पता लगाइये। पुलिस वालों में भगदड़ मच गई कि चीफ़ मिनिस्टर की लड़की का अपहरण हो गया है। उसके बाद में उस लड़की को बरामद किया गया, तब एस. पी. ने प्रतापसिंह कैरों को सूचना दी लड़की आपकी नहीं है, किसी और की है तो चीफ मिनिस्टर ने कहा तुम क्या समझते हो : पंजाब की किसी लड़की का अपहरण कर लिया जाय तो वह मेरी लड़की नहीं है, मेरे दिल में इतना भी दर्द नहीं है? मेरी लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है। कोई भी लड़की पंजाब की है तो वह मेरी लड़की है। इस लाइट में आप थोड़ा लीजिये। क्योंकि जैसा उसके साथ हुआ है, वह आपके साथ भी हो सकता है। आज आप गृह मन्त्री हैं, लेकिन कल गृह मन्त्री नहीं हो सकते हैं। इसलिये मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह का यह तो केस हुआ है, जिसको दबाया जा रहा है, सुसाइड के नाम पर। जो मर्डर होता है उसको सुसाइड के नाम पर दबाया जाता है, इसलिये इस मामले में इन्क्वायरी करनी चाहिये ....

इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा प्रस्ताव है, अभी अभी दि. 11-2-68 छापर और ग्राम चाढ़वास की घटना है, घासीराम वल्द आसूराम नायक, वह और उसकी औरत एक बच्चा ग्यारह साल का। स्त्री गर्भवती थी। उसके पेट में बच्चा था। वह मां और बेटा सड़क चाढ़वास की ओर जा रहे थे। पीछे से दो गाडियां आयी। एक गाडी लाभचन्द नाहटा छापर की थी और दूसरी बच्छराज गिड़िया छापर की थी। दोनों बहुत तेज स्पीड से दौड़ रही थीं। गाड़ियां कम्पीटीशन कर रही थीं। वह सड़क से 7 फ़ीट दूर जा रहे थे। वहां जाकर एक गाड़ी ने, जो लाभचन्द नाहटा की बतलाई जाती है, उनको कुचल दिया। तीनों प्राणी खत्म हो गये। श्री नाथूराम मिर्धा जो उस समय वहां से रतनगढ़ जा रहे थे, वह मौक़े पर पहुंच गये। उन्होंने कहा था कि बड़ा दर्दनाक केस हुआ है। कहां है वह ड्राइवर जिसने यह एक्सीडेन्ट किया, वह गाडी वहां उल्टी पड़ी हुई थी और वह सेठ भाग गया था। लोगों ने कहा कि यह पता नहीं कौन ड्राइव कर रहा था? उन्होंने कहा कि जयपुर आना मैं इसकी इन्क्वायरी शुरू करवाऊंगा। सुजानगढ़ थाने मे रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो वहां का थानेदार है, मोतीराम, उसने जाकर मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया। वह मामला लाइट में नहीं आया। तीन आदमियों की हत्या हो गई। उस गरीब को कुछ नहीं मिला। मोटर वाले लोग उसके पास गये थे, दूसरे लोगों को लेकर और कहा पांच हजार रुपया ले लो। मैं चाहता हूं आप इसकी इन्क्वायरी करायें। सुजानगढ़ के थानेदार से इन्क्वायरी कराने की तो कोई तुक नहीं है। थानेदार 10 रु. तक में बिकते हैं। वह थानेदार निष्पक्ष इन्क्वायरी करे,

(श्री रावतराम)

यह सम्भव नहीं है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं पांच मिनट और लूंगा। मेरी पार्टी का 15 मिनट का टाइम है। मैं पांच मिनट और बोल देता हूं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक श्री नाथूराम धाकड का केस यह भी एक कत्ल का केस है। नाथूराम धाकड देवनाल का लड़का। ग्राम गामियां जिला झालावाड़ का रहने वाला इस आदमी का 11-8-66 को कत्ल हुआ गांव के रहने वाले चार बदमाश आदमियों ने उसका कत्ल किया। क़त्ल करने के बाद वह फरार हो गये। उसके बाद थाने में रिपोर्ट की गई। थानेदार थे मि. त्यागी, उन्होंने एक हैड कानिस्टेबिल को भेज दिया, हैड कानिस्टेबिल भेजा इन्क्वायरी करने के लिये। वह वापिस आगया और बताया कि हां साहब, कत्ल हो गया, क्या किया जाये। तः मौके पर फिर थानेदार गया। मामले को जाकर रफ़ा दफ़ा कर दिया। इस मामले की सी. आई. डी. को रिपोर्ट की कि इस केस को दबाया गया। इसकी इन्क्वायरी करवाई जाये। उसके बाद सी. आई. डी. से इन्क्वायरी कराई गई। सी. आई. डी. ने यह लिखा कि निश्चित रूप से क़त्ल हुआ है। मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जाये। 302 में केस रजिस्टर किया जाये। यह मामला 302 में रजिस्टर नहीं हुआ और मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुल्जिम सभापति महोदय, धमकी देते हैं किसी ने भी अगर हमारे खिलाफ़ बात की तो हम लूट लेंगे।

इस केस के बारे में यही निवेदन करना चाहता हूं। इसके अलावा सभापति महोदय मैं मेरे कन्स्टीचुएन्सी पब्लिक हैल्थ के बारे में हूं। मैं इस हाउस में कई बार इस बात को उठा चुका हूं कि मेरे चूरू जिले के छापर, बीदासर लाडनू यह तीनों क़स्बे ऐसे क़स्बे हैं इनमें जितनी पानी की तकलीफ़ है, मैं समझता हूं कहीं नहीं होगी। यहां का पानी खारा है। गर्मियों के दिनों में ऐसी हालत हो जाती है कि एक घड़े का लोगों को आठ आना दस आना देना पड़ता है। और एक कोठी पानी एक रुपया देकर खरीदना पड़ता है। आप अन्दाजा लगाये कि जो लोग गरीब हैं, जो मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, वह किस तरह से पानी लेंगे। इस बारे में गवर्नमेन्ट ने जवाब दिया है कि पानी का सोर्स नहीं है। हम जांच कर रहे हैं। डूंगरगढ़ तहसील में वरदानसर ग्राम है। उसके लिए यह रिपोर्ट आई है कि वहां पर पानी की कमी है। इस कमी को दूर नहीं करते हैं। मैं माननीय मन्त्री भीखाभाई को कहूंगा कि हम पांच साल से इस बात को कहते आ रहे हैं। आप ने पानी के सोर्स का पता नहीं लगाया। साइट सेलेक्शन कमेटी की भी मीटिंग होती है, वह साइट सेलेक्ट करती है, उसके बाद वहां बोरिंग नहीं होता है। इतनी ढिलाई चलती है। इसमें महकमे के चीफ़ इन्जीनियर आई. डी. भार्गव साहब, उनसे हम मिल चुके हैं। वह मीठे शब्दों में उत्तर देते हैं। उनके दिल में भी है कि इसकी योजना को हाथ में लेवें और पानी की कमी को पूरा करें। फिर भी गवर्नमेन्ट की सुस्ती से ऐसा हो रहा है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां साइट सिलेक्ट करें जहां कोशिश करें वहां तुरन्त करनी चाहिये।

Page No. 135

(श्री रावतराम)

आपका एक डिपार्टमेन्ट है वह मशीन उठा कर ले गया तो आप के पास दूसरा महकमा अण्डर ग्राउण्ड वाटर वर्क्स है जिसके पास मशीन है, उससे इन्क्वायरी करावें उससे पानी के सोर्स का पता लगवा सकते हैं। अगर कहीं से पानी नहीं मिलता है, आप लाडनूं से पानी सप्लाई कर सकते हैं। आज उन कस्बों के लोग 5 लाख रु. पब्लिक कन्ट्री-ब्यूशन के नाम से जमा कराने के लिये तैयार हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी) दो साल से वह लोग 5 लाख रु. लेकर पीछे पीछे फिरते हैं। लेकिन उनके साथ एग्रीमेन्ट नहीं करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इन कस्बों को पानी देने की गवर्नमेन्ट को कोशिश करनी चाहिये। पानी का सोर्स पता लगा कर उस पर कार्यवाही करनी चाहिये। इतना कह कर मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदया, चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस अपने कर्त्तव्य को निभाने में असमर्थ रही है, इसके सम्बन्ध में मेरा कट मोशन है। गृह मन्त्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने इस सम्बन्ध में बजट की बहस में 11 तारीख को कुछ मुद्दे इस प्रश्न पर उठाये थे मैं उन्ही मुद्दों पर गृह मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि दि. 13-8-67 को चित्तौड़गढ़ पुलिस थाना में दूलिया कंजर को पकड़ा गया। उस कंजर को गिरफ्तार किया गया और पुलिस के द्वारा मार पीट की गई। पुलिस की ओर से पारसोली प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर मुआयना कराया गया। फिर उसको चित्तौड़ लाया गया रात्रि को इस प्रकार से उसको मारा गया कि सुबह चार बजे उसकी मृत्यु हो गई। 14-8-67 को उसका पता चला। चित्तौड़ जिले में पुलिस का किस तरह से आतंक छा रहा है, उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। उस व्यक्ति को जो स्थानीय जिला हास्पिटल है, उसमें उस हास्पिटल में पोस्टमार्टम कराया गया। एफ. आई. आर. से पता चला है कि जिस समय उसको पकड़ा गया पहले उसका पारसोली में पोस्टमार्टम किया गया फिर चित्तौड़ में पोस्टमार्टम किया गया। इन दोनों की रिपोर्ट में कितना अन्तर है। वह स्पष्ट है, पारसोली में पोस्टमार्टम किया गया और चित्तौड़ में पोस्ट-मार्टम किया गया, उनमें अन्तर क्यों है? तो मैं यह बात आवश्यक समझता हूं कि आप यह बतायें कि आखिर आपने इस बारे में क्या कार्यवाही की है।

मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, प्रतापगढ़ तहसील में दोरानी के ठाकुर ने जो मैं समझता हूं स्वतन्त्र पार्टी के मेम्बर हैं, उन्होंने एक महिला को, उन्हें मुर्गा न देने के कारण गोली से हत्या करदी, वहां के थानेदार संग्रामसिंह ने कोई कार्यवाही नहीं की, बंगू में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्याएं हुई, उसके बारे में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं यह इसलिये बताना चाहता हूं कि 23 फरवरी को प्रतापगढ़ तहसील हमारे कांग्रेसी श्री हीरालाल की हत्या करदी गई जिसके लिये वहां के प्रधान ने, जिला पुलिस अधिकारी को, होम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को कहा कि यहां पर हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, हमारे जीवन

(श्री रामकुमार नन्दवाना)
की रक्षा की जाय पर पुलिस अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल रही है।

यह सब मैं इस लिये कह रहा हूं कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी राजनैतिक रंग देकर हीरालाल की हत्या को छोटी सादड़ी के सोना काण्ड से सम्बन्धित किया। छोटी सादड़ी सोना काण्ड से सम्बन्धित है या नहीं है, यह हम चित्तौड़गढ़ वाले जानते हैं, आपको पता नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हीरालाल को मारने के पीछे कई विरोधी ताकतों का हाथ है, यह कहना मैं इसलिये आवश्यक समझता हूं कि प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जो कांग्रेसी जिले हैं, उनको किसी प्रकार आतंकित करके वे झुकाना चाहते हैं। इसके पीछे अवश्य कोई राजनैतिक षडयन्त्र है और उस राजनैतिक षड़यन्त्र को छुपाने के लिये छोटी सादड़ी सोना काण्ड से इसको जोड़ना चाहते हैं। श्री हीरालाल की हत्या में छोटेखां और मगना बलाई का हाथ है, मगना बलाई के लिये पुलिस ने बताया कि वह मार दिया गया है, उस हीरालाल सरपंच को मारने में छोटेखां और मगाना बलाई का हाथ है। मगना बलाई की बन्दूक से हीरालाल हैड कान्सटेबल को 8 छर्रे लगे हैं, और सी. आई. डी. इन्सपेक्टर मन्दसोर को गोल। लगी है, जिनका मन्दसोर में इलाज हुआ। इस तरह से वे एक राजनैतिक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस का आतंक छा रहा है, चारों तरफ मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं और पुलिस उनको रोकने में असफल रही है।

मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं पिछले दिनों भैंसरोड़ गढ़ तहसील के लाडपुरा ग्राम में डाका पड़ा, वहां पर दस, बारह व्यक्तियों के गोलियां लगी जिनका नीमच हास्पिटल में इलाज हुआ, डाकुओं को पुलिस पकड़ नहीं सकी है और जो लोग डाकुओं की गोलियों से घायल हुए, उनके परिवार वालों को राज्य सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है।

साथ ही मेरा निवेदन है कि आज कल चित्तौड़गढ़ जिले में थानेदारों के लिये दिन आये दिन तबादले कर दिये जाते हैं, इसके पीछे राजनैतिक कारण हैं या डी. आई. जी. की कृपा है, पता नहीं क्या है। जो अच्छे व्यक्ति काम करते हैं उनको तत्काल ही हटा दिया जाता है, यह व्यवस्था ठीक नहीं है।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव मेडिकल की डिमाण्ड से सम्बन्धित है उस ओर मैं चिकित्सा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चित्तौड़गढ़ जिला वह जिला है कि जहां आजादी से पूर्व आजादी के लिये कई आन्दोलन हुए, आजादी के आन्दोलनों में इतना भाग लेने वाले उस चित्तौड़गढ़ जिले की आज किस प्रकार से उपेक्षा की जा रही है। [illegible] 29 डिस्पेन्सरीज और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं, उनमें से 17-18 में डाक्टर्स नहीं है। चित्तौड़ के जिला हॉस्पिटल में दो डाक्टर हैं, एक डाक्टर तो इधर उधर जाने आने में ही रह जाता है, 27-28 हजार की जनसंख्या वाले चित्तौड़गढ़ में, जो जिला हैड क्वार्टर है डाक्टरों की समुचित व्यवस्था नहीं है, वहां पर लेडी डाक्टर की समुचित व्यवस्था नहीं,

(श्री रामकुमार नन्दवाना)
उस कारण प्रसूति के केसेज़ में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है····

श्री दामोदर लाल व्यास : आपने कहा कि ऊदा कंजर का दो जगह पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम दो जगह कहां हुआ है?

श्री रामकुमार नन्दवाना : आप रिपोर्ट को देखें चित्तौड़गढ़ के डाक्टर ने रिपोर्ट दी है, उसकी चोटों को एग्जामिन किया है····

श्री दामोदर लाल व्यास : पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और इन्ज्युरी रिपोर्ट में फर्क समझ लीजिये। इन्ज्युरी रिपोर्ट दो जगह से हो सकती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक जगह की हुई है।

श्री रामकुमार नन्दवाना : इन दोनों रिपोर्टों में कितना फर्क है?

तो मैं निवेदन कर रहा था कि चित्तौड़ जिले में 29 डिस्पेन्सरीज़ और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं, जिनमें आधे से ज्यादा में डाक्टर्स नहीं हैं। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में दो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं, वहां मिड्वाइफ़ नहीं है और इस कारण वे बेकार पड़े हैं। इस प्रकार मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि कपासिन में जहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है, वहां डाक्टर नहीं है, इसलिये मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे वहां समुचित व्यवस्था करें।

इस प्रकार जन स्वास्थ्य की मांग के सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव है, जन स्वास्थ्य की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, चित्तौड़गढ़ जिले में म्युनिसिपल टाउन्स हैं, वहां जल प्रदाय योजनाएं हैं। चित्तौड़गढ़ में 9 लाख रुपया लगा कर पाइप लाइन तक 1954 में डाली गई आज 1968 चल रहा है, तब से लेकर आज तक चित्तौड़गढ़ में काफ़ी डवलपमेन्ट हुए हैं वहां कई नई बस्तियां बनी हैं उन नई बस्तियों में जल की व्यवस्था करने की तरफ़ इस विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां जो नई बस्तियां बनी हैं, कुम्भा नगर, प्रताप नगर, प्रेम नगर, अहिंसा नगर और बापूनगर, इनकी तरफ़ ध्यान दें और वहां पर पीने के लिये जल की व्यवस्था करायें।

इसी तरह से मैं मन्त्री महोदय का ध्यान कपासिन वाटर वर्क्स की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां पर 1954-55 में म्युनिसिपैलिटी की ओर से वाटर वर्क्स लगाया गया, वहां स्टेशन वालों के लिये पानी की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, स्टेशन वालों को गर्मियों में पानी नहीं मिलता, वहां पर दो दो माइल से टैंकों में पानी लाकर पानी की व्यवस्था कराई जाती है। गर्मी की मौसम आ रही है, उससे पहले पहले वहां पर पानी की व्यवस्था करें।

चित्तौड़गढ़ जिले में ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं 6 चल रही हैं। इस बजट को देखने से पता चला कि कुल 60 लाख की राशि ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिये रखी गई है, इस प्रकार की राशि इसके लिये बहुत कम है, मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें और ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं को पूरा किया जा सके इस प्रकार की व्यवस्था करें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री फ़तेह सिंह !

मेजर श्री फतेह सिंह (ब्यावर) : सभानेत्री महोदया, आरक्षी विभाग द्वारा 1967-68 का प्रागित विवरण आज सुबह उपलब्ध कराया गया उसके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में अपराधों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। 1965 के मुकाबले में 1967 में 14.3 प्रतिशत अपराधों की वृद्धि हुई तथा 1966 के मुकाबले 4.6 प्रतिशत अपराधों की वृद्धि हुई। इसको मैं बहुत बुरा समझता हूं और मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग की निष्क्रियता और अयोग्यता का यह प्रमाण है।

सभानेत्री महोदया, जनता में आज यह धारणा बनती जा रही है कि पुलिस जनता की रक्षक नहीं रह कर भक्षक बन रही है। सत्तारूढ़ दल के नेता पुलिस के प्रशासन में दिन प्रति दिन हस्तक्षेप करते हैं, मैं सबके लिये नहीं कह रहा हूं, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, उनके लिये कह रहा हूं जिससे पुलिस में शिथिलता आई है और भ्रष्टाचार का दौर चरम सीमा पर पहुंच गया है। इस प्रकार मैंने जो यह आरोप लगाया है, पुलिस में जो भ्रष्टाचार और पक्षपात हुए हैं, मैं उसके ठोस उदाहरण देना चाहता हूं।

सभानेत्री महोदया, पिछले बजट अधिवेशन में मैंने एक बात उठाई थी कि गेगल थाना के गांव भूणाभाम में जो मेवासिंह नामक व्यक्ति की हत्या हुई, जिसमें कुछ मुल्जिम भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये, कुछ व्यक्तियों को जो मेवासिंह के रिश्तेदार थे, इनको भी इस हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया उनके नाम भी मैं बताना चाहता हूं हरजी सिंह, वीर सिंह आदि को सब इन्सपेक्टर ने जो तफ़तीश कर रहा था लोभ में आकर भ्रष्टाचार में पड़ कर ऐसा किया। सेशन जज गोपालमल मेहता उस समय अजमेर में थे जो इस वक्त राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने 30-9-65 को अपना निर्णय दिया।

उन्होंने मुल्जिमान को दोष मुक्त किया, उनको छोड दिया। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि सब-इन्सपेक्टर लक्ष्मणसिंह ने सारे मामले को जान-बूझकर बंगल अप किया है और उन्होंने यह भी कहा कि इसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करनी चाहिए। मैं संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि उस लक्ष्मणसिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और उसको छोड दिया गया ? क्यों छोडा गया ? क्योंकि उसका रिश्तेदार विधान सभा का माननीय सदस्य है और मैं यहां तक कहूंगा कि वह माननीय सदस्य ही नहीं, बल्कि वह उपमंत्री भी है इसलिए उनके प्रभाव में आकर लक्ष्मण सिंह सब-इन्सपेक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह प्रशासन के लिए अच्छी बात नहीं है।

श्री **श्रवणलाल** : किसका रिश्तेदार है वह ?

मेजर फतेहसिंह: अगर आसन की इजाजत मिली तो मंत्री महोदय को नाम बता दूंगा।

कई माननीय सदस्य : बताओ।

मेजर फतेहसिंह (आसन से) : बता दूं ?

श्री **सभानेत्री** : बता दीजिए।

मेजर फतेहसिंह : माननीय श्री भीमसेन के वह रिश्तेदार हैं। मैंने कुछ समय पहले एक प्रश्न भेजा था लेकिन अभी तक उसका उत्तर

(मेजर फतेहसिंह)

नहीं मिल पाया है। वह भी भ्रष्टाचार से संबंधित है टाडगढ़ के बारे में इसलिए उस पर भी मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। टाडगढ़ के थानेदार ने कुछ व्यक्तियों की दफा 379 में गिरफ्तारी की 24-9-67 को और उसमें 3-4 महिलायें भी थी और 5-6 पुरुष भी थे। वहां एक व्यक्ति मुलजिम पन्ना सिंह को 27-9-67 की रात्रि को छोड़ा गया और 2 हजार रिश्वत मांगी। वह पन्ना सिंह पुलिस के कान्सटेबल के साथ अपने गांव रोडियाना गया और 700) किसी महाजन से उधार लिए और 700) लेकर टाडगढ़ 28-9-67 को पहुंचा। 670) टाडगढ़ के थानेदार और हैड कान्सटेबिल को दिए। इसकी मैंने तार द्वारा अजमेर के एस0 पी0 को 10-10-67 को शिकायत की अपने हस्ताक्षर से फतेहसिंह, एम0 एल0 ए0। जब उस पर एक महीने तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मैंने लिखित शिकायत गृह मंत्री महोदय को, आई0 जी0, आई0 जी0 एन्टी करप्शन और विजीलेन्स कमीशन को दी। इन सबने मेरे पत्र को एक्नालेज किया। गृहमंत्री ने अपने पत्र दिनांक 12-12-67 में लिखा: "उपरोक्त विषय संबंधी आप द्वारा प्रेषित पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। अजमेर स्थित उप-अधीक्षक आरक्षी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अतः उन्हें जांच के दौरान आवश्यक सहयोग देकर कार्यवाही शीघ्र पूरी कराने का कष्ट करें"।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उसके बाद भी मैंने आपसे निवेदन किया था। अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबसे मैंने एस0 पी0 से शिकायत की और आपसे शिकायत की, किसी ने मेरे पास आकर जांच नहीं की है और पन्ना सिंह जिससे 670) रिश्वत ली उसका हलफनामा अदालत में दिया हुआ है मैं सदन की मेज पर प्रस्तुत करूंगा यह हालत होती है विधान सभा सदस्यों द्वारा शिकायत किए जाने पर। तो आप समझ सकते हैं कि साधारण व्यक्ति शिकायत करता होगा तो उसकी क्या हालत होती होगी।

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** : मंत्री के कृपा पात्र होंगे।

मेजर फतेहसिंह : मैंने पिछले बजट अधिवेशन में एक मुद्दा उठाया था। टाडगढ़ में एक महिला बच्चा पैदा कराने के लिए वहां के शफाखाने में गई। जब आपरेशन टेबल पर थी तो डाक्टर ने उस महिला के साथ रिश्तेदार भी थे, उनसे रिश्वत मांगी। जब बच्चा गर्भाशय से बाहर आ गया तो उसकी चांदी की कड़ियां उतार ली गई। मैंने सारी सूचना गृहमंत्री महोदय को दे दी है। 100) रु0 में महाजन के यहां पर उन कड़ियों को गिरवी रखा गया और फिर रिश्वत डाक्टर को दी। इस संबंध में मेरा कुछ पत्र-व्यवहार गृहमंत्री से हुआ है। आपने अपने पत्र दिनांक 11-8-67 में लिखा है।

"पुलिस अनुदानों के बारे में अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए विभाग में भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाए थे। इस संबंध में मेरा आपसे निवेदन है कि आपके उक्त आरोपों के विषय में आप मुझे लिखित में भेजें ताकि उस संबंध में कोई आवश्यक कार्यवाही कर सकें।"

पत्र के लिए तो आपको धन्यवाद। मैंने

(मेजर फतेहसिंह)

उसका उत्तर दिनांक 31-8-67 को दिया और उसमें बताया कि जो महिला बच्चा पैदा कराने आई थी उसका नाम था श्रीमती हूंरी पत्नी भाऊसिंह गांव टाडगढ़। जो व्यक्ति उनके साथ थे हरिसिंह, किशनसिंह और भाऊसिंह, गैनसिंह की पत्नी श्रीमती रूपी और उन्होंने सुवालाल टाडगढ़ के सेठ से कर्जा लिया था चांदी के जेवर गिरवी रखकर और डाक्टर का नाम है के. एन. माथुर। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई· · ·

श्री खेतसिंह : डाक्टर का नाम ?

मेजर फतेहसिंह : श्री के. एन. माथुर। आजकल वह वहां पर नहीं है। मैंने विधान सभा में एक प्रश्न उठाया था और उसका उत्तर मंत्री महोदय द्वारा दिया गया। प्रश्न था जवाजा के एक सेठ जगराज के बाबत एक किसान से वह कर्जा मांगता था। वह किसान अपने गांव से अनुपस्थित था, नौकरी करने गया हुआ था। उसके खाते की लिमिटेशन जा रही थी। इसलिए जगराज महाजन उसकी स्त्री के पास पहुंचता है, यह अप्रेल 1967 की बात है। वह महिला चक्की चला रही थी अपने घर में। महाजन ने प्रवेश किया बिना अनुमति के। उसने कहा खाता बाकी निकालो। स्त्री ने कहा मैं नहीं जानती। जबरदस्ती उसके हस्ताक्षर करवाए गए, अंगूठा करवाया गया और जगराज के खिलाफ पुलिस में 467।452 आई. पी. सी. के तहत मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्यों नहीं की गई ? वह जगराज पीपलिया के सेठ का रिश्तेदार है और सेठ के प्रभाव से सदन के एक माननीय सदस्य ने गृहमंत्री पर प्रभाव डाला है इसलिए उस मामले को दबाया गया है।

कई माननीय सदस्य : कौन है वह माननीय सदस्य ?

मेजर फतेहसिंह : पुखराज कालानी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : दलबदलू।

मेजर फतेहसिंह : तो इस तरह से मामले को दबाया गया, यह शोभा की बात नहीं है आपने कहा था कि उसमें एफ. आर. दे दी गई है। गवाहों के बयान हुए थे 161. में। मामला साबित हुआ था। लोगों की गिरफ्तारी हुई थी अदालत में उनको जमानत पर छोड़ा था फिर लोग आपके पास पहुंचे। आपको प्रार्थना-पत्र दिए और आप कहते हैं कि मैंने दुबारा जांच कराई। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह ऐसे गंभीर मामलों में सीधे किसी और के प्रार्थना-पत्र आने पर आपने हस्तक्षेप किया है ? यह गृहमंत्री का काम नहीं है कि इन मामलों में एस. पी. और आई. जी. उनके सर पर होते हुए भी आप हस्तक्षेप करें। आप जानबूझकर उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर, जिसने इस पक्ष से उस पक्ष में अपने को शामिल किया है, उसको खुश करने के लिए ऐसा किया था, यह आपके लिए निन्दा और अशोभनीय बात है।

आज मेरा एक प्रश्न था प्र. संख्या 893। मैंने मंत्री महोदय से जानना चाहा कि क्या ग्राम कानपुरा के श्री गोमा ने जवाजा पुलिस स्टेशन पर शिकायत की, उसका उत्तर नहीं दिया जा सका। सभानेत्रीजी, मैं आपकी अनुमति से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि जवाजा के सरपंच श्री रामलाल जो कांग्रेस सदस्य हैं, वह लेन देन का काम करते हैं।

(मेजर फतेहसिंह)

वे गोमा से रुपये मांगते है तो उन्होंने पुलिस के मार्फत उनको पुलिस स्टेशन पर बुलवाया और फिर पुलिस ने उसको डराया, धमकाया कि सेठ जी के रुपये दे दो नहीं तो तुमको गिरफ्तार कर लिया जायगा। इसलिये डर के मारे रुपयों का प्रबन्ध किया और उनको रुपये दिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह कार्यवाही उचित है? आप इस बात को यह कहकर नहीं टाल सकते है कि यह तो दिवानी मामला है। दिवानी मामला है या नहीं अदालत इसका फैसला करेगी, पुलिस नहीं कर सकती है। माननीय विश्नोई जी बैठे हैं, माननीय शंकर लाल जी बैठे हैं जो कानून को जानते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई डरा धमका कर कर्जा वसूल करता है और पुलिस के सहयोग से वसूल करता है तो क्या कोई अपराध नहीं है। सरपंच श्री रामलाल के लिये कालानी सहाब हस्तक्षेप करते हैं, वे आपके पास आते हैं और जवाजे का थानेदार उस सरपंच की गिरफ्तारी करना चाहता था। वह सरपंच मारा मारा इधर उधर भागता फिरा, आपके पास आया आपकी शरण ली। श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जो आज कल सवाई माधोपुर जिले में हैं वे उसकी गिरफ्तारी करना चाहते थे, उनका ट्रान्सफर कर दिया गया और इस तरह सरपंच को संरक्षण दिया गया और इसकी सूचना माननीय गृह मंत्री जी आपको भी गोमा ने पत्र लिखकर दिनांक 16-9-67 को दी है और आपसे अपेक्षा की आप उचित कार्यवाही करेंगे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं समयाभाव के कारण एक दो और उदाहरण देना चाहूंगा सभानेत्री जी। राजस्थान झंडू फाईनेन्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी के एक श्री भंवर लाल जी कालानी जो मालपुरा के रहने वाले हैं...

एक माननीय सदस्य: कालानी कालानी सब भ्रष्टाचार ही फैलाते हैं क्या?

मेजर फतेहसिंह: अगर वे भ्रष्टाचार बढ़ाते है तो इसमें मेरा अपराध नहीं है, उन्होंने राजस्थान झंडू फाईनेन्स कम्पनी की स्थापना की और उन्होंने कई व्यक्तियों से पैसा लिया चन्दे का। उन्होंने भैरूलाल गांव व नगर वालों से भी इस तरह पैसा लिया है। इसी तरह उन्होंने रामचन्द्र से भी पैसा लिया है। घूलादास मालपुरा वाले से भी पैसा लिया है, बद्री पिता लादू चमार से लिया है। इस तरह कई व्यक्तियों से पैसे लेकर हड़प कर गये। पुलिस में शिकायत की। मुझे जानकारी मिली है कि 420 का केस किया गया लेकिन अभी तक चालान नहीं किया गया है। 420 का मुकदमा 65 में दर्ज हुआ और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है श्री भंवर लाल जी कालानी माननीय गृह मंत्री जी के सहयोगी हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास: आपको सूचना देने वाले ने बहुत गलत सूचना दी है। यह झंडू फाईनेन्स कम्पनी मालपुरा में नहीं है। यह तो गंगानगर में स्थापित की गई है और इसमें तो राजस्थान भर से लाखों रुपया वसूल किया गया है। वह कालानी नाम का व्यक्ति भी नहीं है। आप पहले सही मालूम करें।

मेजर फतेहसिंह: 420 का मुकदमा उस कालानी के खिलाफ था।

(मेजर फतेहसिंह)

(3.23 म. प)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

3 वर्ष तक उस पर 420 का चालान नहीं करना, यह बताता है कि सारे मामले में 420 है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने ये बातें बताई इससे यह साबित होता है कि राजस्थान के पुलिस शासन में भ्रष्टाचार और पक्षपात चरम सीमा तक पंहुच चुका है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि किस तरह से एक व्यक्ति की छाया सदा उस व्यक्ति के साथ साथ चलती है और उसका साथ नहीं छोड़ती, इसी तरह भ्रष्टाचार और पक्षपात इस पुलिस प्रशासन का साथ नहीं छोड़ते। सदा इसके साथ लगे रहते हैं। जनता बडी आतंकित हो रही है। जनता शिकायत करती है तो न पुलिस अधिकारी सुनते हैं और न मंत्री ही सुनते हैं, इसका क्या किया जाय ? यह बड़ी गंभीर स्थिति है। हमारे अजमेर में एस. पी. विश्नोई थे, मैंने सुना है वे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से विश्नोई सहाब और दूसरे अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि एक विधान सभा के सदस्य की 670 रु0 की रिश्वत की शिकायत है। उसे एकनोलेज तक क्यों नहीं किया उस दिन माननीय खेतसिंह जी ने कहा था कि एकनोलेज करना चाहिये, अब तक न तो एकनोलेज किया है और न कोई कार्यवाही की गई है। इसके लिये मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है।

श्री **खेतसिंह**: जवाब के वक्त इस बात का जवाब दे देंगे।

मेजर फतेहसिंह: इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि नीचे वाले थानेदार और हेड कान्सटेबिल ही नहीं खाते हैं, रिश्वत का डिसेलाईजेशन होता है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : कहां तक।

श्री **मेजर फतेहसिंह**: इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि समय रहते भ्रष्टाचार को खत्म करिये, समय रहते पक्षपात से दूर रहिये, नहीं तो इसका परिणाम आपको और मुझे ही नहीं सारे राजस्थान को भुगतना पड़ेगा इस देश में क्रान्ति आयेगी वह क्रान्ति ऐसी नहीं होगी जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, गांधीजी के विचारों के अनुरूप नहीं होगी। वह इन्क्लाब ऐसा होगा जिसकी भगत सिंह, चन्द्र शेखर आजाद ने कल्पना की थी वह जनतन्त्र के लिये बडी घातक होगी। मैं उस बात को पसन्द नहीं करता मैं जनतन्त्र का हामी हूं। अन्याय नहीं होगा और सुनवाई नहीं होगी तो रिश्वत खोरों को जनता चौराहे पर खड़ा करके जूते मारेगी

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये आपके माध्यम से मैं अपने कटौती के प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हुआ सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि पुलिस विभाग से भ्रष्टाचार समाप्त करें।

श्री **उपाध्यक्ष**: श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा विभाग की मांगों पर बोलते हुये कम से कम इस विभाग की प्रशंसा किये बिना नही रहूंगा कि इस 11-12

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

साल के अन्दर आज राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति अपनी आदतों में तबदीली करके हास्पिटल माईन्डेड वन चुका है। आज से कुछ वर्ष पूर्व वह व्यक्ति जो कि साधारण बीमारी का इलाज हल्दी से, सुहागे से, लौंग से ब्राह्मी से अपने घर पर बैठकर कर लिया करता था आज उसकी आदतें बदल कर एक शफाखाने की ओर जाने लग गई हैं। मैं इसकी भर्त्सना नहीं करता हूं परन्तु प्रश्न यह है कि जब आप एक व्यक्ति की आदत बदल कर दूसरी ओर ले जाते हैं तो उसका उपचार उस प्रकार मिल पा रहा है या नहीं। आज यह व्यक्ति हास्पिटल जाता है, जाने के पश्चात उसको घंटों लाईन में खडे होकर प्रतीक्षा करनी पडेगी और जिस प्रकार इन्डोर पेशेन्ट बनने के लिये डा0 के पास प्राइवेट विजिट करानी जरूरी होती है, बिना इसके वह इन्डोर पेशेन्ट नहीं बन सकता। इस सारे पर तो प्रकाश डालना यहां समयाभाव के कारण सम्भव नहीं है किन्तु एक साधारण व्यक्ति जो सफाखाने में डाक्टर का इलाज करवाता है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक मरीज आया कि डाक्टर ने उसको स्लिप देकर मेडीकल स्टोर का रास्ता बता दिया। घंटों खर्च करके हास्पिटल में उसको 4-5 रुपये का नुस्खा पकडा दिया चाहे वह इंजेक्शन का हो, चाहे टेबलेट्स का हो किसी का भी हो और कह दिया इसके बिना इलाज नहीं हो सकता है। आज हम करोडों रुपया इन हास्पिटलों और डिस्पेन्सरियों पर खर्च कर रहे हैं। घंटों खर्च करने के बाद डाक्टर ने उसको स्लिप लिखकर मेडीकल स्टोर की तरफ चला दिया। इसका एक मात्र कारण यह है कि आज जिस प्रकार के हास्पिटल्स और डिस्पेन्सरीज हैं और जिस प्रकार की दवाइयां हैं, और वे भी इतनी कम मात्रा में हैं एक तो मिलती नहीं और मिलती भी हैं तो इनइफेक्टिव होती हैं। वे डाक्टर जो अपनी एफीशियेन्सी के आधार पर ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपने मरीजों को लाल पीली बोतल की दवा न देकर के उनको मेडिकल स्टोर्स का रास्ता बताना चाहते हैं। आज जो राजस्थान का मेडिकल एण्ड हेल्थ डिपार्टमेन्ट है, वह दवाइयों के खरीद के लिये वह शफाखाने के लिये हो चाहे मेडिकल कालेज के लिये हो लाखों रुपयों की दवाइयां खरीदता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं 175 लाख रुपये की दवाइयां डिस्पेन्सरी हास्पिटल्स और मेडिकल कालेज के लिये दवाइयों के साथ साथ इन्सट्रूमेन्ट्स पर यह रुपया खर्च किया जाता है। इसी प्रकार फेमीली प्लानिंग के लिये 16 लाख रुपया है गत वर्ष 19 लाख रुपया था इस तरह से लगभग दो करोड रुपये के इन्सट्रूमेन्ट्स और दवाईयां मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेन्ट द्वारा खरीद की जाती हैं। इसके लिये इस विभाग ने अपना परचेज ओर्गेनिजेशन बना रखा है। यह सारी दवाइयां और इन्स्ट्रूमेन्ट्स के लिये टेन्डर इनवाइट करता है रेट कोन्ट्राक्ट देता है उसी आधार पर निर्णय लेकर राजस्थान के सारे होस्पिटल्स और डिस्पेन्सरीज में और सारे मेडिकल कालेजेज के अन्दर परचेज के लिये स्टोर्स परचेज ओर्गेनिजेशन अपना निर्णय लेता है रेट कन्ट्राक्ट को स्वीकार करता है उसी आधार पर चीजें खरीद की जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर्गेनिजेशन की स्थिति क्या है? यह भ्रष्टाचार और पक्षपात का अड्डा बन चुका है। चाहे टेन्डर कर इनवाइट करवाये हों या नहीं रेट ऊंची हो या नीची बिना किसी बात की जांच किये

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

टेन्डर्स मन्जूर कर लिये जाते हैं और उसी के आधार पर दवाइयां और इन्स्ट्रूमेन्ट खरीद लिये जाते हैं। इसका कारण यह है कि इस डाइरेक्टोरेट में जो डाइरेक्टर हैं श्री मेहता जो 58 साल के हो चुके जिनका रिटायरमेन्ट सितम्बर 67 में होता था लेकिन उनको रिटायर न करके इस व्यक्ति को टिल फरदर आर्डर्स तक एक्सटेन्शन दिया गया है। राजस्थान के इतिहास में आज तक किसी भी डाइरेक्टर को 58 साल के बाद नहीं रखा गया यह कोई टेक्निकल पोस्ट नहीं है इसमें अनुभव की भी कोई आवश्यकता नहीं। यह तो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है इस पर दूसरा व्यक्ति भी बैठ सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी स्टोर्स परचेज कमेटी के लिये क्या शिकायत है क्या बगैर टेन्डर इनवाइट किये ही दवाइयां आदि खरीद लेते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह कहना चाहता हूं आपने जब मुझे डिस्टर्ब कर ही दिया है तो निवेदन करना चाहता हूं इन परचेजेज के बारे में मैंने आपको एक पत्र दिया था अगस्त 67 के अन्दर जो खरीद में अनियमिततायें और पक्षपात किया जा रहा है उनमें इन्सटान्सेज लिखकर भेजे थे लेकिन दुख के साथ कहना पडता है कि आज तक उसका उत्तर तक नहीं दिया गया उस पर क्या एक्शन लिया ? आपकी जानकारी के अनुसार उसमें मैंने किस प्रकार के तथ्य दिये थे क्या आपने उस बारे में कोई कार्यवाही की है ?

स्टोर्स परचेज ओर्गेनाईजेशन के सेक्रेटरी हैं देवेन्द्रनारायण कल्ला जिनको सेक्रेटरी बनाकर लाया गया वे कहां से टपक पडे। उपाध्यक्ष महोदय ये एक साधारण अकाउन्टेन्ट थे इनको प्रोमोशन जब दिया गया उसके बारे में अकाउन्ट आफिसर को नहीं पूछा गया, डिपार्टमेंट से पर्मिशन नहीं ली गई बालाबाला इसको सेक्रेटरी बना दिया गया। लेकिन जो विभाग में आदमी था उसका क्लेम मारकर बैठ गये। इनके सेक्रेटरी बनने के बाद जब कि ये नोन गजेटेड थे इनको आज हैड आफ दी आफिस बना रखा है। इनको सारे विभाग के ड्राइंग और डिसबर्सिंग के पावर दे रखे हैं इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जब तक कोई गजेटेड आफिसर न हों वह मनी ड्रा नहीं कर सकता लेकिन इनको पूरे अधिकार दे रखे हैं ये व्यक्ति इस विभाग में आये किसी की पर्मिशन नहीं लीगई अकाउन्ट आफिसर से नहीं पूछा गया बाला बाला इसको सेक्रेटरी बना दिया गया। इनके कारण एक व्यक्ति का हक मारा गया। इसी विभाग के श्री देवीदयाल शर्मा हैं जो थर्ड सुपरिन्टेन्डेन्ट होने के बाद इनका ट्रान्सफर जोधपुर मेडिकल कालेज में कर दिया गया। जब उनका परिवर्तन हुआ, उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन किये कि मैं सीनियर व्यक्ति हूं मुझे सेक्रेटरी का पद देना चाहिये। लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ है। वर्तमान में जो सेक्रेटरी श्री कल्ला हैं उन्होंने उस व्यक्ति को प्रलोभन देने के लिये झूंठी और फर्जी बुक बनायी। सर्विस बुक में झूंठी एन्ट्री की गई उससे उनकी गलत सेलेरी बतायी गई और उनको दो एडवान्स इन्क्रीमेन्ट दे दिया गया। दो एडवान्स इन्क्रीमेन्ट के कारण उनको लगभग ढ़ाई हजार का फायदा पहुंचा दिया और इस तरह से उसका मुंह बन्द कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं आप

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

जब ये तथ्य सामने आये उसके बाद मालूम पडा इस व्यक्ति को जो टू एडवान्स इन्क्रीमेन्ट दिये गये, वे फर्जी सर्विस बुक बनाकर दिये गये हैं। इसके बाद जब मालूम पडा तो इस्टेब्लिशमेन्ट में एक क्लर्क थे श्री चान्दमल इस व्यक्ति को दोषी पाकर कि इसी ने फरजी बुक बनायी उसका तबादला कर दिया गया मैं पूछना चाहता हूं आप भी इस बात को मानेंगे सर्विस बुक फरजी बनाई गई और टू एडवान्स इन्क्रीमेन्ट दिये गये, इसमें केवल चान्दमल के परिवर्तन करना ही काफी नहीं था आपने उसका तबादला कर दिया जो व्यक्ति इसके लिये जिम्मेदार था उस सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। आप आश्चर्य करेंगे दो एडवान्स इन्क्रीमेन्ट उसको दे दिये गये। संबन्धित विभाग के सचिव तक को नहीं पूछा गया। सीधे ही स्वीकृति के लिये ए.जी. को कागजात भेज दिये गये। जिस विभाग के द्वारा भेजे जाने चाहिये उस विभाग को इतला तक नहीं। जोधपुर मेडिकल कालेज को इतला नहीं वाला बाला हुक्म दिया जाता है।

इसी प्रकार जितनी भी दवाइयां खरीदी जाती हैं, इन्स्ट्रूमेन्ट खरीदे जाते हैं उनको परचेज के लिये जो ओर्गेनाईजेशन है उसके सेक्रेटरी इस प्रकार के व्यक्ति हैं। इन सब बातों का परिणाम क्या होता है इसके बारे में मैं आपका ध्यान फेमीली प्लानिंग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज स्थिति यह है कि फेमिली प्लानिंग के जितने सेन्टर्स हैं, उनके लिये जो मोडल किया गया है उन मोडल्स का अम्बार सेन्टर्स में लगा हुआ है। एक एक सेन्टर में दो दो तीन तीन विशेष मोडल पडे हुए हैं। आखिर आपके परचेज ओरगेनाईजेशन को खरीद करनी थी और खरीद कर फायदा पहुंचाना था। आप ताज्जुब करेंगे कि केवल एक पार्टी एल्पाइन इन्डस्ट्रीज जो लाभ पहुंचाने की खातिर बिना जरूरत, बिना मांग के 14 माडल खरीद लिये उससे। 70 हजार रुपया उसे दे दिया आज ये मोडल काम में नहीं आयेंगे। जबकि पहले से स्टोर में ढेर लगा है। वहां जगह नहीं है रखने को। केवल एल्पाइन एन्डस्ट्रीज को फायदा पहुंचाना था।

इतना ही नहीं, इस फेमिली प्लानिंग में तो इतना हो रहा है कि वे वस्तु इन्सट्रूमेन्ट्स औजार जिनका इस प्लानिंग से कतई सम्बन्ध नहीं है दो लाख के खरीद लिये गये। जैसे ब्लड प्रेशर के इन्स्ट्रूमेन्ट्स हैं ओटो क्लेव्ज हैं। यह स्टेरिलाइजेशन के काम आता है।

वस्तुएं चाहिये नहीं, अम्बार लगा है पहले से, मांग नहीं है। पर फिर भी केवल एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिये हजारों लाखों की खरीद आंख मींचकर यह सरकार कर रही है।

ऐसा एक ही तथ्य हो, ऐसी बात नहीं है। जिधर देखेंगे परचेज के मामले में तो लगेगा जैसे लोगों को चिन्ता नहीं है कि पैसे सरकार के खजाने में कैसे आता है कैसे गरीब आदमियों की कडी मेहनत की कमाई का पैसा टैक्स के रूप में इकट्ठा होकर आता है।

अब एक दवा है, कन्डोन यह कन्ट्रासेप्टिव दवा है यह सारी की सारी कनाडा सरकार से उपहार रूप में फ्री मिली है। मैं पूछता हूं कि

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
जब केन्द्रीय सरकार फ्री आपको दे रही है फिर लाखों की खरीद आपने क्यों की।

हो सकता है आपको और जरूरत पड गई हो। आपने गत वर्ष टेण्डर इन्वाइट किये इसके बाद एक पार्टी ने आपत्ति की कि जो टेण्डर भेजे गये हैं उनकी रेटों में रद्दोबदल की जा रही है और किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जाने वाला है। उसने रिप्रेजेन्टेशन पेश किया। यह लेकर व्यक्ति मेरे पास भी आया।

आप आश्चर्य करेंगे कि यह विभाग क्या है एक तरह का चिड़ियाघर है। डरते भी हैं तो बहुत डरते हैं। केवल इस आधार पर कि कन्डोन नहीं खरीदे जाने चाहिये मैंने विधान में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। 11 मार्च को रखता हूं। 12 मार्च को इतवार था। 12 मार्च को अस्पताल खोला जाता है रिप्रेजेन्टेशन पर कोई फैसला नहीं होता है दुबारा टेण्डर भी इन्वाइट नहीं किया जाता है पर व्यक्ति को, जिसने शिकायत की रिप्रेजेन्टेशन दिया, आर्डर प्लेस कर दिया जाता है कि तुम कन्डोन सप्लाई करो।

मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी हालत क्या है यह? स्टोर परचेज आर्गेनाइजेशन क्या और किस तरह से काम करता है? जिसके अन्दर दुबारा टेण्डर इन्वाइट होना चाहिये आपने अश्विनी कम्पनी को जिसने शिकायत की आर्डर प्लेस कर दिया 13 मार्च को, और ताज्जुब यह कि आप आर्डर को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि ये करते क्या हैं? उनका रेट कन्ट्रेक्ट मन्जूर करने के साथ साथ आप लिखते हैं कि इनको जांच करने के बाद खरीदा जायें। मैं पूछना चाहता हूं कि इन कण्डोन की जांच कैसे होगी। क्या इनको उपयोग में लाने के बाद खरीदेंगे या पेमेन्ट करेंगे।आप अच्छी किस्म देख कर लें। पर चूंकि आपने सोचा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधान सभा में आ रहा है हो न हो यह व्यक्ति उनके जान पहचान का होगा। चलो उसको ओब्लाइज कर दो। और मैं जानता तक नहीं कि वह अश्विनी कौन है क्या है। जल्दी जल्दी में उनकी रेट कन्ट्राक्ट मन्जूर कर ली और जांच करके खरीदने का आर्डर प्लेस कर दिया। तो इस प्रकार के कई मामले हैं।

यही नहीं, इसके अलावा इन्होंने दूसरा टेण्डर स्वीकार किया आपरेशन ग्लोब्ज का टेण्डर स्वीकार हुआ, आर्डर प्लेस कर दिया। कोई आपत्ति की बात नहीं। आर्डर खडा रहा माल आता रहा। इस बीच एक दूसरे किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस रेट कन्ट्राक्ट और सप्लाई को इग्नोर करके इसकी रेट को इग्नोर करके इससे ऊंची रेट पर एक जे. मिश्रा कम्पनी को 21 मार्च 68 को टेण्डर स्वीकार कर आर्डर प्लेस कर दिया। 1) 60 पैसे पर पैयर के हिसाब से या 19) 20 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से। जब कि गत वर्ष का रेट कन्ट्राक्ट सिर्फ 11) 76 पैसा प्रति दर्जन का ही था। आपने आठ रुपया प्रति दर्जन का नुक्सान सरकार को देकर एक पार्टी को ओब्लाइज करने के लिये उसको आर्डर दिया। आखिर ये क्या कहानियां है। इसका अन्त कहा आवेगा। सरकारी पैसे के साथ यह खिलवाड कब तक चलता रहेगा।

एक चीज नहीं। जो दवाइयां खरीद होती हैं वे जब पार्टी सप्लाई करती है तो उसके स्टेण्डर्ड को नहीं जांचा जाता, सब स्टेण्डर्ड

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

की दवाइयां ले ली जाती हैं। गोलियां सप्लाई हुई कुछ? एग्जामिनेशन से पाया गया कि वे सब स्टेण्डर्ड की हैं। बेकार हैं इनएफेक्टिव हैं। पर विभाग कम्पनी के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। फौजदारी कार्यवाही की जा सकती है, पर वह भी नहीं। उसको अदालत के कटघरे में खडा किया जाकर जेल की सींखचों में डाला जाना चाहिये पर यह कार्यवाही करे कौन? ब्लैक लिस्ट करने की आप कार्यवाही नहीं करते। इसके दो एक दृष्टान्त देना चाहूंगा।

सितम्बर 66-67 में श्री सल्फा ड्रग्स की गोलियां टेण्डर से खरीदी गई। बडी कीमती गोलियां हैं ये। इसमें सल्फा डाइजीन सल्फा गोडेजीन, सल्फा मार्गन होती हैं। बडी एफेक्टिव हैं। रामबाण की तरह यह असर करती है आप ताज्जुब करेंगे कि जयपुर मैडिकल कालेज के श्री सरीन ने 21-12-66 को यह शिकायत की कि ये गोलियां एक भी इनग्रेडियेन्ट इनमें नहीं है। सल्फा नीलमोथ इसमें मौजूद है जो खाने के काम नहीं आ सकती। इसलिये इस गोली को बन्द किया जाना चाहिये। यह 21-12-66 को लेब्रोरेटरी को शिकायत की पर विभाग आजतक स्टेण्डर्ड लेब्रोरेटरी कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकी। न ब्लेक लिस्ट किया गया, न माल जब्त किया गया न अदालत में चालान किया गया। आप आश्चर्य करेंगें इतना भयंकर अपराध करने पर भी उस कम्पनी को यों ही माफ कर दिया गया।

यही नहीं, इसी कम्पनी के साथ दूसरा कान्ट्रेक्ट और किया। इसी स्टेन्डर्ड लेब्रोरेटरीज ने मल्टी विटामिन टेबलेट्स सप्लाई की। यह टेबलेट्स वही हैं जो कि विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए जनता को तो आप देते ही हैं लेकिन फेमिन एरिया के अन्दर भी लोगों को आप ने इस मल्टी विटामिन गोलियों को बांटा है ताकि जो डेफीशियेन्सी मजदूरों में आये वह पूरी हो सके......

श्री विजयसिंह रावत : फेमिन एरिय में कहीं नहीं बांटी है यह टेबलेट्स।

श्री कृष्णकुमार गोयल: यह अलग प्रश्न है।

श्री दामोदरलाल व्यास: आपके यहां तो आप फेमिन मानते ही नहीं हैं। फर्जी था

श्री कृष्णकुमार गोयल: मल्टी विटामिन टेबलेट्स आई तो इसकी शिकायत जयपुर मेडिकल कालेज के सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सरीन ने की कि इस टेबलेट का जो बैच नं. 2 है यह बैच नं. 1 से आरम्भ होती है और बेजेज में बनती चली जाती हैं। एक बैच मे एक लाख या दो लाख बनती हैं। तो बैच नं. 2 था उसके लिए डाक्टर सरीन ने आपत्ति की कि गोलियां खराब हैं इनका रंग बदल चुका है और इसके अलावा इन गोलियों में विटामिन 'सी' और विटामिन 'डी' दोनों की कमी है। इसलिए इनका स्टाक नहीं किया जाये सप्लाई को बन्द किया जाये और कानूनी कार्यवाही की जाये। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जो मिस्टर सरीन ने लिखकर दिया उसके बारे में इस स्टेन्डर्ड लेब्रोरेट्रीज के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, बैच नं. 1 पकडा गया इन्हीं गोलियों का इसके बारे में बीकानेर मेडीकल कालेज के प्रिन्सिपल ने शिकायत की कि इसके अन्दर विटामिन 'सी' नहीं है। यह गोलिया खरीद नहीं करनी चाहिए लेकिन आप आश्चर्य

Page No. 148

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

करेंगे कि इन गोलियों की खरीद होती रही। अब आप आश्चर्य करेंगे कि इस कम्पनी जिसकी आदत है, जो मुनाफा कमाने के लिए खिलवाड कर सकती है जिन्दगी के साथ वह बैंच नं. 1 से लेकर बैच नं. 8 तक गोलियों की सप्लाई राजस्थान के अन्दर मेडिकल कालेज के अन्दर करते रहे, लाखों का पेमेन्ट होता रहा और वह गोलियां मल्टी विटामिन के नाम से राजस्थान निवासियों को खिलाते रहे। लेकिन इस सरकार ने इस कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मैं कहना चाहूंगा कि आपने इतना बडा स्टोर्स परचेज आर्गेनाइजेशन बना रखा है केवल इसलिए कि खरीद ठीक तरह से हो, चीजें ठीक तरह से आयें और उनकी जांच हो सके, लोगों को फायदा हो। लेकिन हमारी सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है। मेडिकल कालेज के जिम्मेदार अधिकारी इसकी शिकायत करते हैं, जांच हो चुकी है, जांच में कमियां पाई गई हैं लेकिन उस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट किया गया हो या अदालत के कटघरे में खडा किया गया हो इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही इस विभाग के द्वारा नहीं की गई और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि इतना बडा राजस्थान इतना बडा मेडीकल डिपार्टमेन्ट का पैसा खर्च किये जाने के लिये पैसा लेकिन आज तक राजस्थान के अन्दर एक भी टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं है। आखिर आप जो दवाइयों के आर्डर्स प्लेस करते हैं और दवाइयां आती हैं उनकी जांच कौन करेगा? क्या उनकी जांच के लिए आप बारबार कलकत्ता और बडोदा भेजेंगे? किस प्रकार से उनकी जांच होगी? इसका कोई प्रबन्ध नहीं। और अगर जांच हो जाती है, उसकी शिकायत की जाती है तो डिपार्टमेन्ट के द्वारा किसी प्रकार का एक्शन उसके बारे में नहीं लिया जाता है और उपाध्यक्ष महोदय इस स्टोर्स परचेज आर्गेनाइजेशन के बारे में एक अन्तिम बात और कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष अप्रेल के अन्दर इसी स्टोर्स परचेज आर्गेनाइजेशन ने एक्सरे मशीन और दूसरी वस्तुएं खरीदने के लिये टेन्डर्स इन्वाइट किये थे। अप्रेल के अन्दर टेन्डर्स इन्वाइट कर लिये और अप्रैल के टेन्डर्स आज तक पेन्डिंग हैं, आज तक उनके ऊपर कोई फैसला नहीं है। आज तक लिस्ट एप्रुव नहीं हुई। आखिर कारण क्या है? क्या सौदेबाजी का इन्तजार है कि जिस व्यक्ति ने टेन्डर्स इन्वाइट किये हैं उसको मन्जूर करने के लिये अच्छी क्वालिटी के नाम पर या और किसी क्वालिटी के नाम पर क्या रेट कान्ट्रेक्ट मंजूर करना चाहते हैं? अप्रल के टेन्डर्स आज तक पेन्डिग हैं उनका डिस्पोजल नहीं है। यह कुछ तथ्य हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं और आज आर्गेनाइजेशन आंख मींचकर जिस प्रकार से खरीद करना चाहता है खरीद करता चला जा रहा है। राजस्थान की जनता का क्या होगा? वह मरेगी, इसकी चिंता नहीं। मन्जूर करो, पैसा दो, पैसा कमाओ, पैसा खाओ केवल इस दृष्टि से सारा विभाग लगा हुआ है और सबसे बडी हंसने की बात जो राजस्थान के अन्दर नजर आती है वह यह है कि राजस्थान में मेडीकल एग्जामिनर, केमिकल एग्जामिनर और जूरिस्ट एक हैं। हिन्दुस्तान में कहीं इतिहास में नहीं मिलेगा इस प्रकार से दोनों विभाग एक ही व्यक्ति को दिया गया हो· · ·

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : हैल्थ मिनिस्टर और पुलिस मिनिस्टर एक है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : किसी जगह कोई कत्ल होता है और किसी कपडे पर उसकी जांच करने के लिए वह कपडा जूरिस्ट के पास भेजा जाता है और जूरिस्ट उसकी जांच के लिए केमिकल एग्जामिनर के पास भेजता है और जब केमिकल एग्जामिनर उसका एग्जामिनेशन कर लेता है तो अपनी रिपोर्ट को वापिस जूरिस्ट के पास भेजता है और वह जूरिस्ट उस रिपोर्ट को अपने आधार पर लिखकर आगे फारवर्ड करता है । आज कोई चैक नहीं है। मुन्सिफ जो लोअर कोर्ट है वही अपीलेट कोर्ट बनकर बैठी हुई है। वही तो केमिकल एग्जामीनर और वही जूरिस्ट दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए हैं मैं अन्त में कहना चाहूंगा कि जब हम आज करोडों रुपया खर्च कर रहे हैं खरीद के अन्दर, जब आपने राजस्थानवासियों की आदत घरों के इलाज से शफाखाने में बदल दी तो आज उसके जीवन के साथ खिलवाड नहीं किया जाये और अगर किया जाये तो उसके क्या परिणाम होंगे यह आप अच्छी तरह जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ! समय 15 मिनट ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष जी, 3 दिन के बाद बोल रहा हूं। रोज नहीं बोलता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मेडिकल और पुलिस विभाग के सम्बन्ध में चर्चायें हो रही हैं। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की ओर से दी गई है वह कोई बहुत उत्साहवर्धक रिपोर्ट हमें नहीं मिली। उपाध्यक्ष महोदय थोडी देर को उसको देख पाये हैं। एक गम्भीर बात उसमें दी गई है कि चेचक उन्मूलन में उनका जो कार्यक्रम चल रहा है उन्होंने संकेत किया है कि इस चालू वर्ष में हमारे देश में बहुत बडा एपेडेमिक आने वाला है। अब उसमें यह हमारा विभाग क्या करने जा रहा है उसके लिए पहले विशेष तौर से क्या कदम उठा रहे हैं इस एपेडेमिक को मीट करने के लिए उसका कोई संकेत इस रिपोर्ट के अन्दर नहीं मिला और जिस तरीके से इस बजट में कटौती की है सब मदों में और मेडीकल डिपार्टमेन्ट में भी की गई है। मुझे ऐसा संकेत मिला है कि इतने बडे खतरे की सम्भावना को अन्डर एस्टीमेट करते हुए इसकी ओर इस रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय जिस प्रकार से यह नेशनल प्लान पर यह अभियान चल रहा है चाहे मलेरिया के बारे में हो, चाहे परिवार नियोजन के बारे में हो मुझे ऐसा लगता है कि इस अभियानों को जितना सफल होना चाहिए उतना सफल यह नहीं हो पा रहे हैं।

(4 म. प.)

इसमें कोई शक नहीं है कि यदि सिन्सियरली और ईमानदारी से इन अभियानों को चलाया जाय तो हमारे राष्ट्र के स्वास्थ्य को सुधारने में यह बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं, परन्तु ऐसा लगता है कि इनको जिस प्रकार से चलाया जा रहा है उनमें ज्यादा कागजी कार्यवाही होती है और वास्तविकता उसमें जितने आंकड़े दिखाये जाते हैं अब आंकड़ों के अनुसार भी नहीं होते हैं। फिर भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो आंकड़े हैं उनके अनुसार भी, जो आंकड़े पेश किये गये हैं उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, मलेरिया में जहां 61 में 1 हजार के पीछे 446 थे उसमें 66 में इतने अर्से तक 5 वर्ष तक काम करके पहले से बहुत छोटी सी तरक्की की है। पहले 0-446 थे और अब 0-435 पर आये लेकिन 1967 में यह मलेरिया के बीमारों की संख्या एकदम से बढ़कर 1-09 हो गये। 5 वर्ष के बाद 0-011 की तरक्की की है, उसके अन्दर इरेडिकेशन कर पाये हैं, और एक ही वर्ष में वह कितने ही गुना बढ़ गया है। तो इस बात से जाहिर होता है कि इस प्रकार से जो पैसा खर्च किया जा रहा है, जो आंकडे दिये हैं उनको सही मान ले तो भी हम सुधार की तरफ़ नहीं हैं, बल्कि बिगाड की तरफ जा रहे हैं।

इसी तरह से फ़ैमिली प्लैनिंग भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे प्रान्त में और सारे देश में, उपाध्यक्ष महोदय, चलाया जा रहा है। और चूंकि यह केन्द्रीय सरकार से इसका पैसा पहले तो पूरा मिलता था, परन्तु अब शायद कुछ परसेन्टेज ही प्रान्त को मिलने लगा है। ऐसा लगता है कि पैसा बड़ी बेरहमी से खर्च किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीक़े से इस अभियान को चलाया जा रहा है इसमें बहुत लुप होल्स हैं। अगर एक डाक्टर, एक कम्पाउन्डर और एक फ़ोर्थ क्लास सर्वेन्ट और एक ड्राईवर जो एक टीम में जाते हैं मोबाइल टीम में तो अगर ये चारों मिल जायें तो फिर खूब घोटाले किये जाओ और आंकडे दिखाते जाओ और सेन्ट्रल के अन्दर भेजते जाओ। 16 रुपया मिलता है जिसका आपरेशन करते हैं उसको 7 रुपया मिलता है उस आदमी को जो प्रोवोक करे कि आपरेशन करवाओ और तीन रुपये डाक्टर को मिलते हैं, डेढ़ रुपया कम्पाउन्डर को मिलता है चार आने फ़ोर्थ क्लास चार आने ड्राईवर को मिलता है। जब कि ये किसी चारों गांव में जीप में गये तो कोई जरूरत नहीं है किसी आदमी को पुकारने की किसी का भी अंगूठा लगवा लिया जायगा आपरेशन वाले ने लिख दिया और 16 रुपये लिये तो ही अंगूठा उसी जगह पर लगा दिया। दूसरा अंगूठा पैरों का लगा दिया तो इस पैर के अंगूठे ने कहा था कि आपरेशन करवाओ और 7 रुपये उसको दे दिये और डाक्टर साहब तो हैं ही अंगूठा लगवाने वाले तीन रुपये उसके रख दिये और डेढ़ रुपया कम्पाउन्डर को वहीं दे दिया, चार आने फ़ोर्थ क्लास को दे दिये और चार आने ड्राईवर को दे दिये और 16 और 7—23 रुपयों को उसी अनुपात में चारों बांटलें तो कोई जरूरत नहीं कि गांवों में जांय और आपरेशन करें। जीप में बैठे बैठे 10-20 नाम इस तरह के लिख लिये तो आंकडे तो बहुत अच्छी तरह से आजायेंगे। यह कल्पना की बात नहीं है। पिछले सितम्बर में लिखा है कि पखवाडा मनाया जायगा जोधपुर के लोग ज्यादा होशियार हैं। एक जगह पर एक पखवाड़ा ऐसे ही चलाया और ऐसे ही आदमी भेज दिये और इस तरीक़े से डाक्टर जैसलमेरिया ने बतलाये। उनके नेतृत्व में इस तरह का अभियान चलाया जाता है, और इसमें अधिकतर आंकडे इसी प्रकार के थे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
इस प्रकार के अभियान चलाये जा रहे हैं इनके बहुत देखरेख करने की जरूरत है वर्ना हम केवल आंकडे में ही डियू हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि यह डिपार्टमेन्ट केवल कुछ मेहरबानों के लिये ही चलाया जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार जयपुर नगर में 5 सेन्टर्स चलायें जात हैं जहां पर काफ़ी बडा स्टाफ़ है, जहां पर मेल डाक्टर एक ही रहता है क्योंकि मेल्स का आपरेशन उसको करना पडता है, एक लेडी डाक्टर भी रहती है लुप्स वग़ैरह लगाने के लिए। वहां पर एक दूसरी लेडी डाक्टर भी रहती है आश्चर्य की बात यह है कि····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दुनिया के लूप लगवाते हो मन्त्रियों के भी लगवाओ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन पांच सेन्टर्स के आप आंकडे मंगाकर देखिये कि कहीं पर एक आपरेशन है और कहीं पर दो है, और सारे का सारा उसके अन्दर इतना बड़ा स्टाफ़ है, लेकिन जो काम उसका आउटपुट है वह बिल्कुल नही है। इस तरह से मेल डाक्टर नहीं रखा है पांच में से चार सेन्टर्स पर। चार जगहें ऐसी हैं जहां कि मेल डाक्टर्स रखने चाहिये थे क्योंकि मेल्स का आपरेशन कम से कम हिन्दुस्तान में तो मेल डाक्टर्स ही करता है ख़ास तौर से ये परिवार नियोजन के अन्दर और उनकी जगह पर लेडी डाक्टर्स रखे हुए हैं तो अब माननीय मन्त्रीजी बताएंगे कि क्या वे लेडी डाक्टर्स वहां पर मर्दों का भी परिवार नियोजन करती हैं क्या, उनका आपरेशन करती हैं क्या? वर्ना उनकी जगह उनको क्यों रखा गया है। मैंने तो यह सुना है····

एक माननीय सदस्य : आपको क्या हर्ज है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : हर्ज तो करवाने वाले जानें या करने वाले जानें। मेरे ख़्याल से उमर का ख़्याल ज़रूर रखा जाय। अगर मेल डाक्टर मिलता है तो उसको रखना चाहिये इसमें भी अधिकतर डाक्टर वे हैं जो मेडिकल साइड के हैं और यह काम सर्जिकल है। उसमें भी मेडिकल साइड के लोगों को रखा हुआ है केवल अपने चहेते लोगों को जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको यहां पर रख दिया। वे काम कर सकें या न कर सकें इस बता का कोई ध्यान नहीं।

इस तरह से इस परिवार नियोजन के अन्दर इतना होहल्ला मचाया जा रहा है और जगह जगह लिखा हुआ है "दो-तीन-बस" लेकिन उसका सारे के सारा का जितना प्रचार है उसका उतना आउटपुट उसके अनुसार नही आता है। अगर थोडा यह भी सोचें कि राजस्थान में काफ़ी भूमि है, बहुत बडा क्षेत्रफल है, और अपनी आबादी केवल सवा करोड की है, तो इसके ऊपर इतना ज्यादा ज़ोर देने की क्या ख़ास ज़रूरत है? हम आख़िर सीमा के ऊपर रहने वाले लोग हैं तो हम यहां पर इस काम के बजाय दूसरे काम की तरफ़ ज्यादा पैसा लगायें तो हमारे लिए उस काम की ज्यादा उपयोगिता होगी बजाय 16 और 7 कमाने का धन्धा करें। वैसे इन्जीनियरों और ओवरसियरों के लिए कोई काम नहीं है तो उनको लूप लगवाने के लिये प्रेरित करने के लिये और आपरेशन करवाने के लिये प्रेरित करने का ही धन्धा दे दें तो अगर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

7 रुपये एक आदमी को मिलता है तो इससे बडा ल्यूक्रेटिव जाब नहीं है। यहां पर एक गेंग बनी हुई है कि एक जगह लूप लगवाओ, दूसरी जगह लूप निकलवाओ और तीसरे कैम्प में पहुंच गये लूप लगवाने के लिये। एक जगह से 3 रुपये लिए लूप लगवाने के और दूसरी जगह आठ आने लूप निकलवाने के दे दिये तो इस तरह से ढाई रुपये बचते हैं तो 5 और सेन्टर्स हैं तो 10 रुपये की कमाई का काम हो सकता है। इस आयोजन को ठीक प्रकार से चलाया जाय। इसको केवल पैसा बरबाद करने की दृष्टि से नहीं चलाया जाय क्योंकि पैसा भारत सरकार से मिलता है। जैसे कि अमेरिका से पैसा मिलता था तो ऐश उड़ाई और भारत सरकार से पैसा मिलता है तो ऐश उडाओ, यह जो दृष्टिकोण हो रहा है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार कहती है कि दो-तीन बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिये लेकिन भीखाभाई के बच्चे कितने हैं। भीखाभाई, बतादो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ग़लती सब कर चुके हैं।

एक माननीय सदस्य: रामानन्दजी के कितने हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे आठ हैं। बहुत लेट हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मोबाइल सर्जरी का काम हमारी स्टेट में शुरू किया गया था। उसके मैंने आंकड़े देखे हैं। ये काफ़ी उत्साहजनक हैं। खास तौर से मैं समझता हूं कि गांवों के अन्दर सर्जरी का लाभ लोगों को मिल सके तो गांव के लोगों को यहां आने पर जो 16 रु., 25 रुपये देने पड़ते हैं और वहां पर दाखिल होते हैं तो हाउस सर्जन्स को 10 रुपये देने पड़ते हैं जैसे मन्दिरों में पुजापा होता है वैसे वहां भी जगह जगह पुजापा चढ़ाना पडता है।

तो शायद इस मोबाइल्स सरजरी से गांवों तक डाक्टर पहुंच जांय तो फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अभी एक टीम ही है उसको बढ़ाया जाना चाहिये ताकि हम ज्यादा गांवों तक ज्यादा कैम्प्स बढ़ा सकें। अभी साल में 12-14 कैम्प ही लगा पाते हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान में चिकित्सा के साधन सीमित हैं इसलिये इस काम को ज्यादा बढ़ाना चाहिये। अलग डाइरेक्टोरेट क्रियेट करके, अच्छे सर्जन देकर, तीन चार टीम्स क्रियेट करके व्यवस्था करिये ताकि जो लोग हास्पिटल्स से फायदा नहीं उठा रहे हैं वे भी इससे फायदा उठा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मेरे नोटिस में आई है वह यह कि प्राइवेट तौर से आंख का ओपरेशन करवाने, नेत्र यज्ञ करने वाले जो लोग हैं वे हमारे प्रान्त के लिये बडा भारी ख़तरा हैं। हमारे ज़िले में 12-13 दिसम्बर को बूंटोली ग्राम में एक डाक्टर के. एन. शर्मा, ने इश्तिहार बांट कर कहा कि मुफ्त में आंखों का इलाज करूंगा। सरपंच से मिल कर उसने कैम्प लगाया।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उसने वहां पर कैम्प लगाया। जब वहां पर मरीज़ आये तो उसने 46 मरीजों की आंखों का आॅपरेशन किया। उसने कैम्प लगाते समय कहा था कि मुफ्त में इलाज करूंगा लेकिन आॅपरेशन करते समय उसने किसी से 11J किसी से 25J किसी से 51J लिये और अधिक से अधिक 56J तक लिये। इस तरह से सरपंच और डाक्टर ने मिलकर 1500J इकट्ठे किये और डाक्टर आॅपरेशन करके 12 तारीख़ को यह कह कर कि पट्टी ले आता हूं, चम्पत हो गया। उसके बाद उसका कम्पाउन्डर कहता है कि मैं फ़ारिग हो आता हूं, जंगल में जाकर वहां से वह भी रफ़ू चक्कर हो गया। वे 46 मरीज़ सब के सब आंखों पर पट्टी लगाये बिना मदद के कराहते रह गये। जब हमारे पास लोग आये तो हमने डाक्टर कोठारी, जो वहां के पी. एम. ओ. हैं उनको टेलीफ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि यह हमारे डिपार्टमेन्ट का काम नहीं है, हमने उसको कोई इजाज़त नहीं दी। हम इन मरीज़ों को कहां तक संभालते फिरें। उन्होंने कहा कि मैं यहां से तो एम्बूलेन्स वग़ैरह भेज नहीं सकता, लक्ष्मणगढ़ पास ही में है वहां पर आप उनको भेज सकते हैं। फिर हमनें कलेक्टर को टेलीफोन किया। उन्होंने रेस्पोन्स किया। उन्होंने फ़ौरन आदमी भेज कर इन्तजाम किया। यह बड़े खेद की बात है कि उन 46 लोगों की आंखें ख़राब हो गई। कौन है इसके लिये जिम्मेदार यह मैं पूछना चाहता हूं। किसकी इजाजत से उसने पर्चे बांटे? जब वह आदमी एफ़िशियेन्ट नही था तो उसको आॅपरेशन करने का अधिकार नहीं था। पुलिस वहां पर मौजूद थी, थाना वहां पर मौजूद था। पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? मैडिकल डिपार्टमेन्ट की भी जिम्मेदारी है कि पूरे तौर से जो आदमी आॅथेराइज्ड है या नहीं यह बिना जाने उसको आॅपरेशन क्यों करने दिया? यह हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की कालसनेस की वजह से 46 आदमियों की आंख गई। हो सकता है कि उनमें से कुछ की आंखें अधिक ख़राब थी और ठीक नहीं हो सकती थी लेकिन सभी की आंखें ख़राब करदी गई, एक क्रिमिनल की तरह से उसने काम किया। मुझे बताया गया डाक्टर कोठारी की तरफ़ से कि इस प्रकार के आॅपरेशन करने के लिये लाइसेन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस विषय में आवश्यक समझता हूं कि गवर्नमेन्ट को नोटिफ़िकेशन के ज़रिये इसको सुधारने की व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रकार का कोई कैम्प खोले तो गवर्नमेन्ट से या मैडिकल डिपार्टमेन्ट से इजाज़त ले और रेस्पोन्सिबल आॅर्गेनाइज़ेशन की तहत काम करवाना चाहिये। पैसा कमाने की ग़रज से नहीं किया जाय। एफ़िशियेन्ट आॅर्गेनाइज़ेशन हो तभी इजाज़त देनी चाहिये। इस मामले में बाद में शिकायत करने पर उस डाक्टर को पकड़ लिया गया है और वह गिरफ्तार है। मैं समझता हूं गवर्नमेन्ट के मैडिकल डिपार्टमेन्ट ने इनिशियेटिव लेकर इसको रोकने का प्रयत्न नहीं किया, रोकते तो ठीक रहता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फ़ेवरेटिज्म वैसे तो सभी डिपार्टमेन्ट में चल रहा है लेकिन इस डिपार्टमेन्ट में ख़ास तौर से महरबानी है। चाहे जिस तरह से एडहोक अपोइन्टमेन्ट होते हैं, चाहे डिपार्टमेन्टल कमेटी बैठी हुई हो, उसको एक तरफ़ रख कर चाहे जिसका प्रमोशन

Page No. 154

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर दिया जाता है चाहे जिसका अपोइन्टमेन्ट कर दिया जाता है, अपने चाहेतों को प्रमोशन दे दिया जाता है। चाहे किसी मिनिस्टर साहबान या चीफ़ मिनिस्टिर साहब का दोस्त है तो क्रिमिनल होते हुए भी, चाहे कितने ही उसके खिलाफ़ केसेज में एक्शन होते हुए भी वापिस रख लिया जाता है ।

एक श्री टी. पी. भारद्वाज हैं जो पहले पैथोलॉजिस्ट थे अब वे बीकानेर में हैं। उनके खिलाफ़ क्रिमिनल केस चल रहा है। पहले सस्पेन्ड थे। बेईमानी की थी, झूठा बिल दिया था उसके लिये सज़ा मिली, सस्पेन्ड हुए, इन्क्वायरी हुई तो फ़ाइल में से कागज निकाल लिया, एक गजेटेड ऑफ़िसर फ़ाइल में से कागज निकाल ले और मुंह में चबा जाय, पास में बैठे हुए डाक्टर ने उनके मुंह में उंगली दी तो उसकी उंगली काटली। इस तरह से वे डाक्टर हैं जिनके खिलाफ़ अदालत में क्रिमिनल केस चल रहा है। उस केस के चलते हुए भी उनको रीइन्सटेट कर दिया और उनको बीकानेर मेडिकल कालेज में भेज दिया । उनके नीचे काम करने वाले लडके उनकी क्या इज्जत करेंगे। इस तरह का डाक्टर जो डिस्मिस्ड है, उसके खिलाफ़ अदालत में क्रिमिनल केस चल रहा है। चन्द दिन पहले अदालत में उनकी पेशी हुई थी पर वे पेशी पर हाजिर नहीं हुए। आखिर अदालत ने नोन बेलेबल वारन्ट जारी किया। 7 मार्च को अदालत में आये डाक्टर साहब, दोनों हाथों में हथकडी पडी हुई, बीकानेर मेडिकल कालेज में लडकों को पढ़ाने वाले प्रोफ़ेसर, केवल इस लिये हथकड़ी पहने हुए आये कि अदालत का ऑर्डर नहीं माना लेकिन वे मिनिस्टर साहब को पसन्द हैं। यहां पर इतने जोरों से प्रश्न उठाया गया, माननीय सदस्य समझेंगे कि उस डाक्टर से क्या लड़ाई हो गई है, मेरी उनसे कोई वाकिफ़यत नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने उसको रीइन्सटेट क्यों किया है? जिसके खिलाफ़ इतनी शिकायतें हैं, जिसके खिलाफ़ क्रिमिनल केस चल रहा है उसको आप क्यों इतनी तरजीह देना चाहते हैं।

कोई डाक्टर मुख्य मन्त्रीजी की धर्मपत्नी का इलाज करदे तो उसका नम्बर नहीं है तो भी उसको प्रमोशन मिल जायगा। धर्म पत्नी का इलाज किया इसलिये उसको प्रमोशन और दूसरे ने इलाज नहीं किया तो उसके लिये पोस्ट नहीं एक डाक्टर हैं गुलाबचन्द कासलीवाल उन्होंने क्योंकि मुख्य मन्त्रीजी की धर्मपत्नी का इलाज किया है इसलिये उनको खास तरक्की दी जायगी, दूसरों पर थोपा जायगा दूसरे समझेंगे कि वह खुश क़िस्मत है हमें भी मुख्य मन्त्रीजी या चिकित्सा मन्त्रीजी का इलाज करने का मौका मिले फिर जूनियोरिटी सीनियोरिटी का सवाल नहीं रहेगा उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बडा बुद्धि जीवी वर्ग है डाक्टर्स का लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पडता है कि आज तक वे जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सके। एक से एक बहुत अच्छे डाक्टर्स हैं, बहुत लोग पसन्द भी करते हैं लेकिन एक अंग्रेजी पढ़े लिखे में और अनपढ़ के बीच में जैसी खाई है वही खाई डाक्टर्स और जनता के बीच में मौजूद है। डाक्टर का मरीजों के साथ पिता पुत्र जैसा व्यवहार होना चाहिये लेकिन वे साधारण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सके। मैं कहता हूं कि कोई डाक्टर कितना ही बड़ा एफिशियेन्ट हो लेकिन उसकी 75 परसेन्ट एफिशियेन्सी इस बात पर निर्भर है कि वह मरीजों का विश्वास प्राप्त करे लेकिन वे विश्वास प्राप्त करने के बजाय उल्टा काम करते हैं। निवाहेडा में एक डाक्टर हैं भंवरलाल लोढा वे मरीज़ों के चांटा मारते हैं। अपने भूतपूर्व सदस्य की अब्दुल गफ़ार साहब की चिट्ठी मेरे पास आई है। उन्होंने रिप्रेज़ेन्टेशन दिया है मन्त्री जी को भी दिया दिया है उसमें कहा है कि एक श्रीमती मोहम्मद शफ़ी थी जो मरीज़ थी उसके उन्होंने चांटा मारा·· एक वहां कोई फ़ोर्थ क्लास सर्वेन्ट था महादाखां, वाटर कैरियर, उसको चांटा मारा। इसी तरह से मरीज़ों से पैसे लेने की, दुर्व्यवहार करने की, जो मैडिकल जूरिस्ट हैं वहां के उनके द्वारा मुआयना वगैरह के पैसे लेने की शिकायतें की हैं। इस तरह की शिकायतें इस तरह के रेस्पोन्सिबल लोगों की ओर से आने के बाद भी माननीय मन्त्रीजी की तरफ़ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं हो और कोई कार्यवाही नहीं की जाय यह बड़ी खेद-जनक बात है।

मैं आपको कुछ अलवर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अलवर के अन्दर जो अस्पताल है, अलेग्ज़ेन्डर (समय-समाप्ति सूचक घंटी) मैं अभी पन्द्रह मिनिट हुए हैं····

श्री उपाध्यक्ष : समय काफ़ी हो गया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अब कट मोशन रहने दें। पालिसी पर भाषण दे दिया है वह रहने दें।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, समय बढ़ा दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ा दिया जाय!

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर का जनरल अस्पताल है उसको आप ए क्लास का बना रहे हैं। अभी वह अस्पताल बीच में लटक रहा है। आप ए क्लास बनायें तो ए क्लास बनाने से पहले, जितना बड़ा अस्पताल है, उतना स्टाफ़ दीजिये, उतनी मैडीसिन दीजिये। आज, उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत है, वार्डस के अन्दर मैं खुद गया हूं, कुत्ते वार्ड्स के अन्दर फिरते हैं, मरीज परेशान होते हैं, उनको जो अलमारी मिलती है उसमें से रोटी निकाल कर ले जाते हैं, दवाइयां गिरा जाते हैं। डाक्टर से पूछा, क्या मामला है, तो उसने कहा कि पहले यह पी. एन. आर. सी. सेन्टर था जिसकी वजह से काफ़ी स्टाफ़ था। वह हट गया तो अब स्टाफ़ नहीं रहा। इस वजह से कहां तक रोकें। पी. डब्ल्यू. डी. को कहते हैं तो उनकी तरफ़ से कोई कोपरेशन नहीं है। नवाब साहब यहां बैठे हुए हैं····

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पी. डब्ल्यू. डी. का काम है कि कुत्ते निकाले?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यहां पर पी. डब्ल्यू. डी. का ओवरसियर छोड़ा हुआ है, जो देख रेख करता है नल की, टूंटियों की, नालियों की लेकिन वह इतना बड़ा अस्पताल है वहां कोई देख रेख नहीं है। वहां पर जनरल कामों के लिये कोई स्टाफ़ नहीं है। डाक्टर ने बताया कि मैं लिखते लिखते थक गया हूं लेकिन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ़ से कोपरेशन नहीं मिलता। मैं समझता हूं, यह उचित नहीं है गवर्नमेन्ट विभागों में इतना कोपरेशन नहीं है। मैं समझता हूं इस अस्पताल के लिये, अस्पताल के इन्टरनल अरेन्जमेन्ट के लिए वहां फ़ोर्थ क्लास सर्वेन्ट तक नहीं रखते हैं यह उचित नहीं है। एक ओवरसियर को आपके वहां पर मुकर्रर करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मेडिकल एम्प्लाइज हैं, इनका अजमेर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय संघ के नाम से एक संगठन बना हुआ है। उसने अपना मांग पत्र, ज्ञापन सरकार को दिया है। उसमें उन्होंने अपनी मांग आपके सामने रखी है, सर्विस कन्डीशन्स के बारे में, और 12-13 घंटे उनको काम करना पड़ता है। आज के युग के अन्दर सेट टाइम आठ घंटे आप उनसे काम लें या उनको ओवर टाइम में दें। उनकी वेज स्ट्रक्चर के बारे में भी शिकायत है। मेल और फ़ीमेल में फ़र्क करते हैं। जो सिद्धान्त है Equal wages for equal work and equal work for equal wages. इसका उल्लंघन है। इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें, और कन्टिनजेन्ट सर्विस पर रखते हैं, टेम्प्रेरी तौर पर रखते हैं और उनको परमानेन्ट उनको नहीं करते हैं, यह अनुचित बात है। इन पर गौर करने के लिये हर जगह से मांग कर रहे हैं। दिल्ली में भी ओवर टाइम करते हैं तो उन सबको ओवर टाइम मिलता है। मैंने वहां से सूचना मंगा कर देखी है। आपको इन मांगों को मन्जूर करना चाहिये और लेबर लाज को लागू करना चाहिये। यह एक इन्डस्ट्री मानली गई है सुप्रीम कोर्ट का इस के सम्बन्ध में डिसीशन है तो आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, यहां इतनी हड़ताल हुई। फ़र्स्ट एम. बी, बी. एस., और सेकिन्ड एम. बी, बी. एस. के विद्यार्थियों ने हड़ताल की थी, तो उनको आश्वासन दिया गया था कि मगर उनकी जो मांग है, फ़र्स्ट उनकी जो मांग है, फ़र्स्ट एम. बी. बी. एस. को थोड़ा समय दिया था, तो उनकी जैसी मांग थी, उनको एक मौका और दे दिया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, फ़र्स्ट एम. बी, बी. एस. . . .

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मन्त्री): यह आश्वासन आपने दिया था या किसी और ने दिया था?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप लोगों ने दिया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी ने नहीं दिया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप लोगों ने आश्वासन दिया था। मेडिकल के स्टूडेन्ट कह कर गये थे, उनको आश्वासन आपने दिया था कि वी विल ट्राई अवर बेस्ट!

श्री दामोदरलाल व्यास : लड़के कह कर गये थे, माननीय सदस्य विधान सभा की प्रोसीडिंग्स उठा कर देखिये, आपने सवाल पूछा था और मैंने जवाब दिया था, तो लड़के कहते हैं वह सही है या यहां पर जो कहा गया है वह सही है। उस वक्त लड़कों को कुछ नहीं कहा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आश्वासन उसके बाद कहीं दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसके बाद नेगोसियेशन चलता रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई नेगोसियेशन नहीं चला है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप स्वीकार करते हैं कि 42 दिन का समय नहीं मिला। यह हमेशा के लिये प्रिसिडेन्स बनाया जाय ऐसा नहीं है, इस बार फ़र्स्ट एम. बी, बी. एस. का मौक़ा देते तो यह मुनासिब बात थी। मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों के साथ आपका रवैया ठीक नहीं है। आप उनके होस्टल्स की कन्डीशन देखिये। मैं लाहौर में पढ़ा हुआ हूं, मैंने लाहौर मेडीकल कालेज की हालत देखी है, वहां के और होस्टल्स की हालत देखी है। यहां होस्टल के अन्दर इस तरह की हालत है....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप लाहौर में पढ़े हैं क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां।

यहां के होस्टल्स की इस तरह की बुरी हालत है जैसे हाई स्कूल के होस्टल्स में रहती है। आप अपनी कोठियों में, अपने बंगलों में फ़र्स्ट क्लास लोन रखते हैं तो मेडीकल की शिक्षा के लिये जहां सैकड़ों लोग रहते हैं और जिनके ऊपर सैनीटेशन और हैल्थ की ज़िम्मेदारी आने वाली है, वहां पर होस्टल में धूल उड़ती रहती है, वहां इस तरह की गन्दगी पड़ी रहती है, वहां पर सफ़ाई की कमी है, वहां लोन लगाने में क्या दिक्कत है, वहां लोन क्यों नहीं लगाना चाहते हैं। मिनिस्टरों के बंगलों में और एम. एल. एज़. के क्वाटर्स में जहां लोन लगाये जा सकते हैं तो वहां सैकड़ों लड़के पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, इन्जीनिरिंग और मेडीकल के रहते हैं वहां आप लोन क्यों नहीं लगवाते। मैं समझता हूं कि यह जायज बात नहीं है। इस की व्यवस्था आपको करनी चाहिये।

अब मैं पुलिस के बारे में एक दो बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मन्त्री महोदय से....

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्याक्ष महोदय, मेरा अर्ज़ करना है कि समय फ़िक्स कर दिया जाय गवर्नमेन्ट रिप्लाई कब शुरू होगा।

श्री उपाध्यक्ष : पांच बजे।

श्री शंकरलाल : समय थोडा बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : पांच बजे गवर्नमेन्ट रिप्लाई शुरू होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : डिबेट रेगुलेट होनी चाहिये। डिबेट रेगुलेट हो तो समय बढ़ाने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : तीन बातें तीन मिनिट में समाप्त करदें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पांच मिनट !

श्री **उपाध्यक्ष** : समय बहुत ले लिया है माननीय सदस्य !

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : मैं अर्ज करूंगा कि पुलिस की, माननीय गृह मन्त्रीजी की जिम्मेदारी है आम जनता को सीक्योरिटी देने की। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आज का यह शासन आज सारी जनता को क्या सीक्योरिटी देगा जब कि इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों तक को सीक्योरिटी नहीं दे सकता ? मैं माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि आज से दो महीने पहले एम. एल. ए. क्वार्टर्स पर जनसंघ के नेता माननीय भैरोंसिंह के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, उनकी क्या रक्षा की आपने ? आज तक आप उसको छिपाये बैठे हुए हैं। आज तक उन लोगों के बयान नहीं लिये हैं। आज तक उस पर पर्दा डाल कर बैठे हुए हैं । आप विरोधियों के साथ इस तरह जका से व्यवस्था करेंगे, इस तरह लाइट एटीट्यूड से देखेंगे, इस तरह की कार्यवाही····

श्री **खेतसिंह** : आप उनकी तरफ़ पैरवी कर रहे हैं !

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : आपको हंसी आ रही है, मुझे अफ़सोस होता है, जब कि मिनिस्टर लोग वहां रहें और वहां पर पुलिस चौकी हो तो भी वहां पर विरोधी दल के सदस्य पर हमला हो। कांग्रेस के सदस्य पर हमाल क्यों नहीं हुआ ? विरोधी दल के सदस्य पर हमला क्यों हुआ ? एक पार्टी के नेता पर हमला क्यों हुआ ? आप इसको लाइटली लें और आप इस सदन को कान्फ़ीडेन्स में न लें, बतायें तक नहीं कि वह गुण्डे कौन लोग हैं ? हम लोगों की जान का खतरा है। हम लोगों पर लोग हमला करते हैं और आपको चिन्ता नहीं है····

श्री **खेतसिंह** : आपको कतई खतरा नहीं है।

मुझे यह अर्ज करना है कि आप आराम से यहां बैठे हुए हैं।

श्री **विजयसिंह रावत** : यू गुड बी वेरी कौशस अबाउट इट !

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : हमारे में कितना ही राजनैतिक मतभेद हो, हममें आपस में पालिटिकल मतभेद हो सकता है लेकिन आपस में हम हैल्पफ़ुल हैं, यह राजनैतिक अन्डरस्टेन्डिंग है, इस प्रकार की राजनीति हम खेलेंगे कि हर एक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर एक आदमी को अपनी व्यूज रखने का अधिकार है। लेकिन आप शासन में रह कर विरोधी सदस्यों को दमन के जरिये से कुचलना चाहते हैं और उसके लिये गुण्डों के जरिये प्रयत्न करें यह उचित नहीं है। आप इस तरह से ढिलाई बरत रहे हैं, बयान तक नहीं लिया है, और इस मामले को दबा रहे हैं इससे यह जाहिर होता है। इस लिये उपाध्यक्ष महोदय··

श्री **उपाध्यक्ष** : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : पूरी तरह से इसे क्लीअर किया जाय, इस पर स्टेटमेन्ट दिया जाय, कि कौन लोग हैं, जिसका हाथ है, इस डेट तक इन्क्वारी में कितनी प्रगति हुई है....

श्री **उपाध्यक्ष** : आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : इस सदन में जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनको इस सम्बन्ध में आप विश्वास में लें। इन शब्दों के साथ में अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री बनवारी लाल।

श्री **बनवारीलाल** (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग पर मैंने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनके सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान में दिलाना चाहूंगा। मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं वहां पर अन्य जगहों की अपेक्षा पुलिस का ज्यादा सम्बन्ध है, क्योंकि धौलपुर में सबसे ज्यादा डकैतियां, हत्यायें और चोरियां होती हैं, दिन दहाडे अपहरण होते हैं। वहां की जनता परेशान है। राजस्थान में धौलपुर क्षेत्र में ही नहीं अन्य चार जिलों में डकैतियां होती हैं। सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, जैसलमेर। सबसे ज्यादा डकैतियों का आतंक छाया हुआ हे, भरतपुर में और उसमें भी सब डिवीजन धौलपुर में। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री से निवेदन करूंगा, वहां की जनता बहुत ज्यादा डकैतों से आतंकित हैं, दिन दहाडे डकैतियां होती हैं, अपहरण होते हैं। उसके कई कारण हैं...

श्री **रावतराम** : माननीय सदस्य किसको सुना रहे हैं। आपकी बात सुन नहीं रहे हैं।

श्री **खेतसिंह** : नोट कर रहा हूं, बोले जाइये।

श्री **बनवारीलाल** : मैं गृह मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह जो डकैतियां होती हैं इससे वहां के लोगों का बिना मतलब जान माल का खतरा है, उसका कोई प्रबन्ध करना चाहिए। डकैतियां होने के कई कारण हैं। एक तो वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, एक तो वहां चम्बल पार्वती नदी और घोरों के कारण वहां पर आसानी से छिपने की जगह मिल जाती है। दूसरा ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि धौलपुर तीन प्रान्तों की सीमाओं पर मिला हुआ है। इससे क्या है कि उन डकैतों को अपहरण करके भागने का मौका मिल जाता है, एक प्रान्त में डकैती की, अपहरण किया और दूसरे प्रान्त में चले जाते हैं। पुलिस अधिकारियों के ऐसे नियम हैं कि पुलिस एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में पीछा नहीं कर सकती। इसलिए इनको छिपने में आसानी होती है। तीसरा कारण है वह बेरोजगारी है। मैं गृह मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि धौलपुर में बेरोजगारी है, जो वहां पर ग्लास फैक्ट्री हाई टेक थी, वह बन्द हो गई तो लोग बेरोजगार हो गये, पन्द्रह सौ बेरोजगार हो गये हैं। बेकार आदमी क्या नहीं करेगा। भूखा मरता चोरियां करता है, और दूसरे काम करता है और अपराधों की संख्या बढती जाती है। मैं इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहूंगा, गृह मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें, वहां ऐसी भौगोलिक स्थिति है। वहां यह समस्या हल नहीं हो सकती जब तक कि सडकों का विकास नहीं किया जाय क्योंकि पुलिस के पास इन्फार्मेशन आती है तो वह मौके पर सीधे नहीं पहुंच सकती। राजस्थान जब से बना है तब से धौलपुर में नई सडकें नहीं बनी हैं। और जो सडकें हैं वह ऐसे क्षेत्र में होकर निकली हैं जहां से डकैतों का एरिया दूर पडता है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि धौलपुर एरिया में, जहां पर आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, ट्रान्सपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि सडकें होनी चाहिए। आपके पास यदि फंड नहीं है तो जिस प्रकार आप अकाल और बाढ के लिए अलग से रुपया लाते

(श्री बनवारीलाल)

हैं केन्द्र से उसी तरह से सडकों के लिए अलग से रुपया लें। इसके साथ ही मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह वहां पर पुलिस फोर्स बढावें, क्योंकि धौलपुर से लगा हुआ मध्य प्रदेश है वहां पर मध्य प्रदेश की 6 बटालियन लगी हुई हैं जब कि राजस्थान की केवल एक बटालियन लगी हुई है। होता क्या है, मध्य प्रदेश की पुलिस डकैतों का पीछा करके उनको राजस्थान की सीमा में घुसा जाती है, उसके बाद वह आराम से रहते हैं। क्योंकि हमारे पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं है इसलिए वह आठ दस दिन वहां रहते हैं और जब हमारी पुलिस को मालूम पडता है तो वह उनका पीछा करती है और तब वह जाते हैं। मेरा निवेदन है कि पुलिस फोर्स ज्यादा से ज्यादा बढाई जाय।

तीसरी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि अकेली पुलिस इसका प्रबन्ध नहीं कर सकती क्योंकि इतना बडा एरिया है, पुलिस कहां कहां प्रबन्ध करेगी। इसके लिए मैं चाहूंगा, वहां की जनता को बन्दूकों की ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाय। वहां की जनता को बडी परेशानी उठानी पडती है, उसको लाइसेन्स लेने भरतपुर आना पडता है, और क्योंकि धौलपुर में उसका सामान नहीं मिलता है तो उसको खरीदने के लिए आगरा ग्वालियर या भरतपुर जाना पडता है। उनके पास भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का लाइसेन्स होता है और उनको यू. पी. की सीमा में होकर निकलना पडता है तो उनको असुविधा होती है। इसलिए एक तो धौलपुर में ज्यादा लाइसेन्स दिलाये जायं और दूसरे बन्दूकों की दुकान भी वहीं खोली जाय। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय मैं गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा डकैती की समस्या सवाई माधोपुर, करौली सब-डिवीजन और धौलपुर में होती है। इसलिए इन दोनों को मिला कर एक जिला बनाया जाना चाहिए ताकि वहां पर एस. पी. हैड क्वार्टर रहे, डी. एम. हैड क्वार्टर रहे क्योंकि बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनको बगैर एस. पी. और कलेक्टर के सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इससे वाकई इस समस्या को हल करना चाहते हैं, ला एण्ड आर्डर को मेन्टेन करना चाहते हैं तो धौलपुर को जिला अवश्य बनाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है अभी हाल ही में पुलिस विभाग के द्वारा आठ सौ आदमियों को रिट्रेन्च किया जा रहा है, 624 सिपाही 150 हैड कान्स्टेबल और 24 सी. आई हैं। एक तरफ सरकार के पास लोगों को रोजगार देने को नहीं है और दूसरी तरफ आठ सौ आदमियों को निकाला जा रहा है। इससे अशान्ति फैलेगी और क्या होगा, बेरोजगारी फैलेगी। मैं निवेदन करूंगा कि अन्य खर्चों में कमी करके इन आदमियों को रिट्रेन्च नहीं किया जाना चाहिए और सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि एक सिपाही पर 2500 रुपये खर्च होते हैं। जब एक सिपाही पर 2500 रुपये खर्च होते हैं, क्या कह रहे हैं मंत्री महोदय?

श्री खेतसिंह : ठीक है। ठीक है।

श्री बनवारीलाल : दूसरे यह कोई पी. डब्ल्यू. डी. के लेबर नहीं हैं, ऐसे लोग आपको मुश्किल से मिलेंगे क्योंकि इनको डेढ़ साल तो ट्रेन्ड करने में लगे हैं, यह नहीं कि जब जरूरत आयेगी तब आप रख लेंगे। मैं चाहूंगा कि यह

(श्री बनवारीलाल)
आठ सौ आदमी बेकार हो रहे हैं उनके बारे में आप जरूर ध्यान रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर में डकैती और अपहरण की समस्या तो है ही, इसके साथ ही एक समस्या और है . मवेशियों की चोरी की । यह इलाका डकैती के लिए तो बदनाम है लेकिन मवेशियों की चोरियां डकैती से ज्यादा होती हैं । वहां पर जो पुलिस लगी हुई है वह ए. डी. एम. की वजह से डकैतों का ध्यान रखती है और मवेशियों की चोरी की ओर ध्यान नहीं देती है । इससे होता क्या है कि मवेशियों की चोरियां ज्यादा होती हैं । मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए अलग से आफिसर लगायें और मवेशियों की चोरियां रोकने का प्रयत्न करें ।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री से अपील करूंगा कि वहां पर साहसी और अनुभवी आफिसर लगाये जो वहां जाकर ईजीली कंट्रोल कर सकें । होता क्या है, आफिसरों में आपस में कोपरेशन नहीं होता, वह आपस में लडते झगडते हैं । जिसके दिमाग में अशांति रहती है वह डकैती की प्रोबलम को क्या दूर करेगा । क्योंकि वह आपस में लडते झगडते रहते हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे जो आफिसर हैं जो लडते झगडते रहते हैं और आपस में कोपरेट नहीं करते हैं उनको हटा कर योग्य, साहसी और अनुभवी आफिसर को वहां पर लगाया जावे।

स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि धौलपुर अस्पताल की हालत बहुत खराब है, वहां डाक्टरों की संख्या 14 है लेकिन छ: सात डाक्टर मुश्किल से रहते हैं । मैं चाहूंगा कि वहां पर तुरन्त डाक्टरों को पहुंचाया जाय । वहां पर सर्जन की बहुत ज्यादा कमी है । दूसरे मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वहां की जनता ने और मैंने भी कई बार अपील की है कि वह अस्पताल बी ग्रेड में लिया जाय । कई बार माननीय मंत्री जी ने आदेश दे दिया है परन्तु वह आदेश पूरा नहीं होता है । मैं चाहूंगा कि जब आपके नियमों के अनुसार 150 बैड्स होते हैं तो उसको बी ग्रेड का बना दिया जाता है । धौलपुर में 180 बैड्स हैं दोनों को मिला कर । माननीय मेहता जी वहां पर जांच करने के लिए गये थे और उन्होंने वहां आश्वासन दिया था । मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि दोनों को मिला कर बी ग्रेड बना देते हैं तो धौलपुर के साथ न्याय होगा । मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सदन में आश्वासन दें, यदि वह इस स्थिति में हैं तो उस के ऊपर ध्यान दें ।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय रामचन्द्र ।

श्री **खेतसिंह** : आज नहीं बोलना है । बोलने का मूड नहीं है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय रामचन्द्र आर्य ।

श्री **दौलतराम सारण** : आर्य नहीं सीकर है । वह आ रहे हैं ।

श्री **शंकरलाल** : वह जब तक आवें तब तक दूसरे सदस्य बोल लें ।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री चुन्नीलाल । आर्डर प्लीज ।

श्री **देवेन्द्रकुमार** : उपाध्यक्ष महोदय, हमें कभी समय नहीं मिलेगा क्या ? हमको टाइम देना चाहिए ।

श्री **उपाध्यक्ष** : आप बोले हुए हैं, मुझे ध्यान है ।

श्री **देवेन्द्रकुमार** : मैं नहीं बोला हूं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : नहीं बोले हैं तो बाद में देख लेंगे ।

श्री **चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा):उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं · · ·

श्री **उपाध्यक्ष** : (श्री रामचन्द्र के आने वाले) श्री रामचन्द्र को अवसर दे दें। वह कभी बोले नहीं हैं ।

श्री **चुन्नीलाल इंदलिया** : माननीय सदस्य पधार गये हैं इसलिए उनको मौका दे दिया जाय ।

श्री **केदारनाथ** : कैसी भावना है आप देखें।

श्री **रामचन्द्र** (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पुलिस विभाग के ऊपर दस करोड रुपया हम खर्च करते हैं । मैं मानता हूं कि यह जो पुलिस विभाग की व्यवस्था है यह जनता के ऊपर एक भार है । दस करोड रुपया तो राज्य सरकार खर्च करती है, इससे तिगुनी चौगुनी रकम रिश्वत के रूप में पुलिस के लोग डाइरेक्ट ले लेते हैं । इस तरह चौदह करीब के खर्च का एक तरह से भार है । मेरा राजस्थान के बारे में खास निवेदन नहीं है. मैं सीकर के बारे में थोडा बोल लूं · · · ·

श्री **दामोदरलाल व्यास** : आप इस लाउड स्पीकर के ऊपर यहां मुंह लगाइये ।

श्री **खेतसिंह** : आप थोडा आगे आ जाइये ।

श्री **रामचन्द्र** : मैं सीकर जिले के बारे में कुछ निवेदन करूंगा आपसे । सीकर जिले में इस प्रकार की हालत है कि जैसे पुलिस का कोई कन्ट्रोल नहीं है, बिलकुल अराजकता का क्षेत्र जैसा है । जिस समय जनरल इलेक्शन हुए उस समय कानिस्टेबलों का केन्डीडेट्स के कहने से तबादला किया गया कि यह हमें वोट दिलायेंगे, फिर केन्डीडेट्स को सहूलियत दी कि मन चाहे ढंग से थानेदारों का पोस्टिंग करवा लें, इस तरह मनमानी की गई । हमारे जिले में करीब 15 थाने हैं, हर एक थाना अलग अलग नेताओं में बंटा हुआ है, उन पर वहां के नेताओं का कन्ट्रोल है, एस. पी. का कन्ट्रोल नहीं, नेताओं का कन्ट्रोल है । उदाहरण के लिये मैं निवेदन करूंगा कि सदर थाना है, लोसल थाना है वहां डायरेक्टली रामदेवसिंहजी का कन्ट्रोल है, खण्डेला और थोई में चतुरभुजजी का कन्ट्रोल है, श्री माधोपुर में गोविन्दनारायणजी का नीम का थाना में मोहनलालजी का कन्ट्रोल है और लछमनगढ में सांवरमलजी का कन्ट्रोल है । आप मानें चाहे नहीं मानें, यह फैक्ट है ।

हमारे जिले में मेरा क्षेत्र खण्डेला है, उसमें यह पोलिसी चल रही है कि जन प्रतिनिधियों को दबाया जाय, इसके उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं । सबसे पहले तो खण्डेला स्कूल काण्ड है, 15 अगस्त 1967 को यह काण्ड हुआ । यह प्योरली लडकों का एजीटेशन था जमीन लेने के लिये फसल को नष्ट किया, थोडा नुकसान किया, यह प्योरली लडकों का था, इसमें किसी जन प्रतिनिधि का या नेता का हाथ नहीं था, यह फैक्ट है । पर ज्यों ही 10-11 बजे यह काण्ड हुआ, उस प्रोपर्टी के मालिक सीताराम ने थाने में जुबानी रिपोर्ट

(श्री रामचन्द्र)

की। पुलिस मौके पर गई, मौके पर कुछ लडकों को पाया, कोई जन प्रतिनिधि या दूसरा नहीं था। इस पर षड्यन्त्र रचा गया जीप नीम का थाना डी0 वाई0 एस0 पी0 के पास गई और जन प्रतिनिधियों को पकडा गया, एक्स चेअरमैन हैं, प्रधान हैं, उनके नाम बताऊं। गोपालसिंहजी, चैअरमैन हनुमानसिंह, मदनलाल, सीताराम, मेम्बर, बिहारीलाल एक्स चेअरमैन, देवीदयालजी, एक्स चेंअरमैन, जगदीश गोयनका, एक्स मेम्बर, ये चुने हुए व्यक्ति और बाकी सारे कार्यकर्ता हैं। तीन चार साल से यह केस पडा हुआ है और जब चाहा तब उनको दबाया जाता है।

अभी ताजा काण्ड फिर हुआ कैरपुरा में। सुगनसिहजी सरपंच हैं, चुनाव हुए तो दो दल थे इसलिये दो कैम्प किये थे। हमारे केन्डीडेट चतुरभुजजी खडे हुए थे वे सुगनसिंहजी को कैम्प में ले गये थे, गांव वाले उनको उडा कर ले गये थे इसलिये चतुरभुजजी उन गांव वालों से बदला लेना चाहते थे। कैरपुर में 17 बीघा गोचर भूमि है, गवर्नमेंन्ट ने सर्कूलर निकाला है कि यदि कोई गोचर भूमि में नाजायज फसल कर ले तो उस फसल को मिला दो। तो इस वर्ष वहां की पूरी गोचर भूमि पर कुछ लोगों ने नाजायज तौर पर काश्त करली। इसकी सरपंच ने शिकायत की। इस पर तहसीलदार ने फैसला दिया कि यह फसल मिलवा दी जाय। और तहसीलदार के आदेश से दूसरे दिन सरपंच और दूसरे आदमियों ने उस नाजायज फसल को मिला दिया। इसके बाद नेता लोग तहसीलदार से मिले और तहसीलदार को बुरी तरह से दबाया और तहसीलदार ने 25-10-67 को अपना आर्डर रिवाइज किया कि इसको मिलवाया नहीं जाय, जप्त सरकार की जाय। पहले मिलवा दी इस तरह से लिखा था, बाद में उसे बदल दिया, तहसीलदार को कोई हक नहीं था कि अपने पहले आर्डर को इस तरह से बदले। इसके बाद किसी लच्छू के नाम से शिकायत करवा दी कि हमारी काश्त चोर कर ले गये, जब कि यह उसकी काश्त नहीं थी गांव की काश्त थी। तहसीलदार का उस फसल को मिलवाने का हुक्म था फिर भी 379 का केस सरपंच पर, उस सरपंच पर और 11 और आदमियों पर लगाया गया। भोला अहीर है, वह मुख्य कार्यकर्ता है, वह खण्डेला गया तो उसको थानेदार ने बुलाया हैड कानिस्टेबल और दो कानिस्टेबल, इन चारों ने उसको इस तरह से पीटा कि उसके काफी चोटें आई, इस पर सारा शहर इक्ट्ठा होगया और थानेदार घबरा गया, वह आई. जी. पी. के पास आया और आई. जी. पी. को चोटें दिखाई। इस पर सी. आई. डी. से जांच करवाई जांच से सब सही बात साबित होगई तो कहा कि मुकम्मिल कार्यवाही कराई जाय डी. आई. जी. ने थाने के थानेदार, मुंन्शी और सिपाहियों को सस्पेन्ड कर दिया। गृह मंत्री जी ने सस्पेन्शन को विथड्रा कर लिया और उनको वापस रीइन्स्टेट कर दिया।

तीसरा उदारहण रखूं, मिस्टर द्वारका प्रसाद उप सरपंच खण्डेला हैं, उनके खिलाफ चीनी का केस किया गया चीनी के मामले में उनका किसी प्रकार का हाथ नहीं, न तो वे सोसायटी के अध्यक्ष है, न मंत्री हैं और न मेम्बर हैं पर जबरन कह दिया किसी का एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेसन करा दिया और उनको मुल्जिम बना लिया।

(श्री रामचन्द्र)

इस सब के पीछे क्या राज है ? प्रधान उप प्रधान को सस्पेन्ड कर दिया जाय और पंचायत समिति को सुपरसीड कर दिया जाय, यह राज इसके पीछे मुझे नजर आ रहा है । दुलापुरा के सरपंच का रेप के केस से कोई सम्बन्ध नहीं पर उन पर केस चलाया जा रहा है । इस प्रकार जन प्रतिनिधियों को दबाने के लिये इस प्रकार की ज्यादतियां, इस प्रकार की कार्यवाहियां की जा रहीं हैं । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह सारे हालात आपकी निगाह में हैं, जन प्रतिनिधि नहीं दबाये जांय, यह जनतन्त्र के लिये घातक है, यह जनतन्त्र के लिये शोभा की बात नहीं है न आपके लिये शोभा की बात है ।

अब मैं थोडा सा निवेदन चिकित्सा विभाग के बारे में करूंगा । हमारे यहां, डाक्टर राव डी. एम. एच. ओ. हैं वे वहां 4 साल से हैं । पहले हमारा अस्पताल अच्छे किस्म का अस्पताल था पर उनके आने के बाद में वह चौपट हो गया है, न वहां कोई इलाज है न कोई काम की तरफ देखता है, डाक्टरों में वहां पार्टी बाजी है वे कोई काम नहीं करते । इस तरह से वह हमारा अस्पताल सारा अस्तव्यस्त हो गया है । आपको निवेदन किया गया, मुख्य मंत्रीजी को निवेदन किया गया, डेपुटेशन आया और आपसे निवेदन किया कि उनको वहां हटाया जाय पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मानवता के नाते, वहां की जनता के साथ इस तरह का खिलवाड न करें । दूसरे किसी आदमी को वहां सरकार भेज दे तो सीकर जिले का भला होगा, यही हमारा निवेदन है ।

मैंने एक कटौती प्रस्ताव दिया है कि अभी जो मैडिकल फेसेलिटीज हैं वे बहुत ही नाकाफी तो हैं ही पर एक चीज बहुत खटक रही है । टिटेनिस की बीमारी है, उसका इलाज नहीं हो तो तीन चार दिन में वह आदमी मर जाता है । और टिटेनिस का इलाज इतना मंहगा है कि एक ही इन्जेक्शन की कीमत 100) रु. है । ऐसी हालत में टिटेनिस का इलाज कराने के लिये कम से कम मरीज को 500) रु. चाहिये, गरीब आदमी इतना रुपया कहां से लाये । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप यह घोषणा कर दीजिये कि टिटेनिस का इलाज मुफ्त में होगा, इस तरह की घोषणा आज करें तो हाउस आपके प्रति आभारी होगा ।

जन स्वास्थ्य पर मैंने और भी कटौती प्रस्ताव दिये थे पर समयाभाव के कारण मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, यही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री रघुनाथ !

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकित्सा का प्रबन्ध राज्य सरकार की ओर से आज दिन तक हुआ है उसके बारे में मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जितना अच्छा इन्तजाम शहरों में करते हैं, वह तो बहुत अच्छा है पर इसके साथ ही साथ गांवों में राजस्थान के 70 प्रतिशत लोग रहते है वहां कुछ डिस्पेन्सरीज और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र जरूर खोले हैं पर डिस्पेन्सरीज और स्वास्थ्य केन्द्र हैं तो कम्पाउन्डर्स और डाक्टर्स

Page No. 165

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नहीं है, इसलिये वहां जो सुविधा मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। राजस्थान सरकार की तरफ से कुछ इन्तजाम कर दिया है पर अमूमन डाक्टरों और कम्पाउन्डरों की कमी के कारण ग्रामीण लोगों की चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं होता है। कई समय तक गांव के लोग बीमार रहने के बाद, टाइफाइड या पेट में पत्थरी के इलाज के लिए लोग बड़े अस्पतालों में जाते हैं। बड़े अस्पतालों में गांवों के लोग चाहे कितने ही सीरियसली बीमार हों उनको भर्ती नहीं किया जाता। उनके लिए बैड्स सुरक्षित होने चाहिए और अगर एडमिशन मिलता भी है तो नीचे ही पड़े रहते हैं। जो ऐसी लम्बी बीमारी के बाद शहरों में आते हैं तो उनको एडमिशन नहीं मिलता और अच्छा उपचार नहीं मिलता इससे उनमें बड़ा भारी असंतोष है। डाक्टर उनसे फीस भी मांगते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को गांव में जो लोग रहते हैं उनकी चिकित्सा के बारे में आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। उसके साथ साथ ग्रामों में बाले की बीमारी गंदे पानी पीने की वजह से होती है। जन स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप लगाने चाहिए। कुएं न बनाने की वजह से बीमारियां बहुत फैलती हैं। इस बारे में दोनों विभागों का समन्वय करके उचित प्रावधान करके इस समस्या को मिटाना चाहिए।

मैंने अपने कटौती प्रस्ताव के जरिये चीतलवाना के बारे में निवेदन किया है। वहां की डिस्पेन्सरी में आज तक कोई डाक्टर नहीं भेजा गया। वह एक डिस्पेन्सरी है जहां कई बीमार आते हैं। आपने यह गांव बड़ा समझ कर डिस्पेन्सरी खोली थी लेकिन आज तक वहां डाक्टर नहीं पहुंचा। आप इस बारे में अविलंब डाक्टर भेजने की सोचें।

जन स्वास्थ्य के बारे में मैंने दो तीन कटौती प्रस्ताव भेजे हैं। उनके जरिए मैंने सांचौर की नल योजना के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार के 3।। या चार लाख रुपये आपने खर्च कर दिए। वहां आपने नलकूप बनाए हैं, पानी भी उपलब्ध हुआ है लेकिन डेढ़ मील बिजली की लाइन न लगाने से कनेक्शन नहीं मिल रहा है और पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। आपके इंजीनियरों से कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। गत वर्ष बिजली के लिए काफी पैसा मिला था आपको डेढ़ मील की लाइन खींचनी चाहिए थी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसका शीघ्रतासीघ्र इंतजाम करें।

दूसरा टांके बनाने की योजना है। ग्राम होडचा के लिए। 5 लाख की स्कीम 6-7 साल से सरकार के विचाराधीन है, काफी खर्चीली है। क्योंकि 15 मील के अंदर मीठा पानी उपलब्ध नहीं है इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से निवेदन है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो केन्द्रीय सरकार से कहें। हमने वहां के संसद सदस्यों से कहा था उन्होंने कहा कि हम वहां पूछते हैं तो बताते हैं कि राज्य सरकार ने स्कीम नहीं भेजी है। इसके आसपास जो करीब 20 गांव हैं उनको शामिल करके इस योजना के जरिए मीठा पानी उपलब्ध कराएं।

इसके साथ साथ सांचौर का जो एरिया है लूनी नदी का, वहां मिट्टी जाकर पड़ती है। नदी जब होती है तो समस्या पानी की नहीं होती लेकिन जब नदी नहीं आती है तो पानी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

की समस्या होती है। ऊपर का पानी मीठा और नीचे खारा। तो या तो टांके बनाए जायं या ऐसा इंतजाम करें जिससे सारे गांवों के लोग पानी पी सकें। पेट के अंदर रेता जाता है तो कई बीमारियां होती है, मलेरिया की क्रॉनिक बीमारी हो जाती है। आपके स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य विभाग को मिलकर कुछ करना चाहिए। पहले जयनारायणजी व्यास ने स्कीम बनाकर केन्द्र को भेजी थी, परन्तु उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हजारों लाखों एकड एरिया में नदी आती है, इससे काफी अनाज पैदा होता। वहां पानी की कमी की वजह से कैटिल ब्रीडिंग फार्म्स नहीं खुल पाये। इसलिए स्वच्छ पीने का पानी प्रदान करने पर गंभीरता से विचार करें।

इसके साथ साथ मैं पुलिस विभाग के बारे में दो मिनिट में निवेदन करता हूं कि गर्व के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान का पुलिस विभाग डाकुओं का सफाया करने में, सफल रहा है। अपराध जरूर बढे हैं क्योंकि राजस्थान की फ्री रजिस्ट्रेशन की नीति है उसके अनुसार मामले जरूर दर्ज होते हैं। परन्तु इस फ्री रजिस्ट्रेशन की जो नीति है उसके साथ साथ एक सावधानी जरूर बरतें। गांवों के अंदर पंचायती चुनावों के कारण पार्टीबाजी में 4 मुलजिम सच्चे झूठे फंसा देंगे पुलिस के सामने समस्या पैदा होती है। अगर सच्चे के खिलाफ मुकदमा निकाला जाता है तो केस कोर्ट में फैल हो जाते हैं और नहीं निकाला जाय तो कत्ल के अपराधी छूट जाते हैं। तो मंत्री महोदय को विचार करने की आवश्यकता है : जब एफ. आई. आर. दर्ज हो तो विचार करना चाहिए ताकि ऐसे संगीन मामले सफल हो सकें। इसके साथ साथ एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए एक निर्दोष आदमी को सजा न हो, 99 दोषी आदमी भले ही बरी हो जायं, अदालत को मजबुरी की हालत में संगीन अपराधियों को छोडना पडता है। इससे लॉ एण्ड आर्डर बिगडता है।

मैं कहना चाहूंगा कि नीचे के स्तर पर पुलिस का लोगों के साथ, ग्रामीण जनता के साथ अभी व्यवहार आज के प्रजातंत्र युग में ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऊपर के पुलिस अधिकारीयों का रवैया ठीक है, सुधरा हुआ है परन्तु थाने के स्तर पर केस वर्क ज्यादा है, कोई भी मुकदमा दर्ज होता है, तो उस आदमी को मौका दिखाना पडता है, अगर देरी होती है तो मुकदमा खतम होता है तो जहां अपराध ज्यादा है वहां पुलिस को जीप मिलनी चाहिए। हमारे पडोसी राज्य गुजरात में हरेक थाने पर जीप है, उनको जल्दी काम करना पडता है। तो थानों में जो स्टाफ बढाने की बात है, जीपें देने की बात है लेकिन उसके साथ साथ जो उनका पुराना दृष्टिकोण है उसको बदलने के लिये उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है।

इसके साथ साथ जो प्रोसीक्यूशन ब्रांच है वह इनएफीशियेंट है। इससे संगीन केस भी फैल हो जाते हैं। आपने जूडीशियरी सेपरेट की, तो उसी तरह प्रोसीक्यूशन ब्रांच को भी जूडीशियरी के तहत ले जाना चाहिए ताकि आपके ऊपर जो कलंक है वह मिट जाय नहीं तो आपको सब की सुननी पडती है। इसलिए यह ब्रांच जूडीशियरी के अन्दर देने की आवश्यकता है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं खेजडिया की टेम्परेरी पुलिस चौकी है। आई. जी. ने टैम्परेरी तौर से स्टाफ

Page No. 167

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
बिठाकर वहां प्रबन्ध किया है, कभी उठा देते हैं तो कभी रख देते हैं। वह बोर्डर एरिया है इसलिए उसका अपना महत्व है। इसके अलावा यह आर. ए. सी. पोस्ट होनी चाहिए। सरकार की मन्जूरी होनी चाहिए। एक बार पोस्ट हटा दी थी तो 20 हजार की डकैती हुई माल लेकर पाकिस्तान चले गए। मुख्य मंत्री भी वहां पर गए थे और डी. आई. जी. भी साथ थे....

श्री **उपाध्यक्ष** : सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : अभी तो आई. जी. साहब एडहाक अरेन्जमेन्ट करते हैं। पोजीशन को देखते हुए खेजड़िया को आर. ए. सी. चौकी घोषित करनी चाहिए।

इसके अलावा यह कहा गया कि चारों तरफ से पुलिस में भ्रष्टाचार है, कुछ माननीय सदस्यों ने इधर से बैठने वालों ने कहा कि पुलिस में सब से ज्यादा भ्रष्टाचार है। परन्तु माननीय उपाध्यक्ष जी आपको भलीभांति विदित है पुलिस एक ऐसा महकमा है, सुरक्षा की दृष्टि से इन्टरनल सिक्योरिटि बनाने में साथ देता है और अगर वही व्यवस्था नहीं करता है तो यह बिलकुल उचित नहीं है और अगर वे सख्ती बरतते हैं तब भी समस्या है इस तरह ये तो एक डिलिमा (धर्म संकट) में फंसे रहते हैं। जनता के जो प्रतिनिधि हैं सही स्थिति के अन्दर, जिस जगह पुलिस की कार्यवाही सही हो रही है, उसका साथ देना चाहिये। जनता के प्रतिनिधि और अधिकारीगण उसको डिमोरेलाइज कर दें तो उनके रास्ते में काफी अड़चनें पदा हो जायंगी। इसलिये उपाध्यक्ष जी मैं सदन के सदस्यों को यह भी अर्ज करूंगा कि जहां भी सच्चा मामला हो, चाहे उसमें किसी के रिश्तेदार ही फंसा हुआ हो, उसको पुलिस के हाथों में छोड़ देना चाहिये। फ्री हैन्ड से पुलिस को तफतीश करने की छूट दे देनी चाहिये। तब सही मायने में माल की बरामदगी और कत्ल की बरामदगी हो सकती है। कुछ कमियां जरूर हैं, उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं वे भी स्वार्थ वश कुछ न कुछ गलती कर बैठते हैं, समझ न होने के कारण झगड़ मरते हैं। जनतन्त्र में सबको वोट देने का अधिकार है, उसमें सारी बातें हमको सुननी पड़ती हैं। जो कमी है वह मिलकर दूर करनी पड़ेगी माननीय उपाध्यक्ष जी जो भी पुलिस में कमी है, जो उनका दृष्टिकोण है वह जनतन्त्र जमाने को देखते हुये पलटने की आवश्यकता है। जो सही तफतीश हो रही हो चाहे उसमें कितनी बड़ी सिफारिश हो लॉ एन्ड आर्डर को मेन्टेन किया जाना चाहिये ताकि स्वस्थ परम्परा कायम की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

श्री रामचन्द्र आर्य : इनको मजबूर कर दें नहीं तो प्रशासन नहीं सुधर सकता है। माननीय शब्द कहना बन्द कर दें तभी सुधर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल का 5 मिनट का समय बचा है।

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ा दिया गया है एक घंटे का उससे आगे समय नहीं बढ़ाया जायगा।

श्री बिट्ठलप्रसाद : मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था उस समय भी नहीं बोलने दिया। अब तो मुझे बोलने का समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय रावत।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के बारे में मेरे भी कुछ कटौती के प्रस्ताव है। मैं डिटेल में न जाकर जो खास खास मद हैं उन पर ही मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। पुलिस की अव्यवस्था के बारे में काफी चर्चा इस हाऊस में हुई है। वह मंत्री जी ने लिख ली है उसको मान्यता देंगे। राजस्थान का प्रशासन अगले 10 वर्ष में आपको मिले या न मिले लेकिन हमको जरूर देखने को मिलेगा। इस पर माननीय गृह मंत्री जी गंभीरता से ध्यान दें और इस भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश करें। उपाध्यक्ष महोदय, केकड़ी में एस. पी. हैं वे नसीराबाद के अफीम के मामले को लेकर आये। अफीम को थाने में लाया गया। उस समय थानेदार तनख्वा बांट रहा था।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय जो कट मोशन दिये हैं उस के . .

श्री उपाध्यक्ष : कटमोशन से विषयान्तर्गत नहीं होंगे।

श्री विजय सिंह : मेरे इस बारे में कट मोशन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़कर सुना दीजिये।

(विराम)

श्री शंकरलाल : इतनी देर में तो बोल लेते।

श्री उपाध्यक्ष : रास्ता गलत है न लेकिन यह।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि डी. एस. पी. . .

श्री उपाध्यक्ष : वह कट मोशन कौनसा है ?

एक माननीय सदस्य : वे ढूंढ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर आप दूसरे कट मोशन पर बोलिये जितने।

(शोरगुल अश्रव्य कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय पुलिस की ज्यादती के ऊपर बोल रहा हूं आपको क्षोभ नहीं होना चाहिये। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं मैं छोटी उम्र का हूं और उसके आधार पर कहना चाहता हूं कि आप पुलिस को लेकर राज चलाना चाहते हैं वह कभी नहीं चल सकता है। आपने कहा विजय सिंह रावत हर वक्त हंगामा का रूप लेता है ऐसी बात करते हैं। विजय सिंह रावत कल परसों का छोकरा आप उस पर कन्ट्रोल कर सकते है। विजय सिंह रावत ने सब दुनियां में घूमकर तजुर्बा किया है।

श्री खेतसिंह : आपने तो कामन वैल्थ देखी है।

श्री विजयसिंह रावत : ये बातें मैं आपको चेतावनी के रूप में कह रहा हूं डी. एस. पी.

(श्री विजयसिंह रावत)

ने नसीराबाद में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा जैन मंदिर है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कट मोशन के अन्दर है क्या ?

श्री विजयसिंह रावत : वह कट मोशन के अन्दर है तो उपाध्यक्ष महोदय, इस डी. एस. पी. ने उस मन्दिर के अन्दर एक स्त्री है उसको प्रोटेक्शन दिया है। इसका कारण यह है कि उसका आचरण खराब है, चरित्र भ्रष्ट है। उसके बारे में अदालत में उसके जवांई ने एफेडेविट पेश किया है अगर आप चाहें तो मैं यहां उस ऐफेडेविट को रख सकता हूं। नसीराबाद के मण्डल कांग्रेस ने आपको टेलीफोन किया, डी. एस. पी. ने उसको प्रोटेक्शन दिया है। उसके ऊपर जो चार्ज है वह मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा--नसीराबाद के मण्डल कांग्रेस ने लिखा है--

श्री शंकरलाल (जैतारण) : मण्डल कांग्रेस ही नहीं अब तो वहां पर।

श्री विजयसिंह रावत : उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि यह चरित्र भ्रष्ट है और उसको आपके द्वारा संरक्षण मिला है। डी. एस. पी. को लिख कर दिया बताते हैं कि नसीराबाद में 25 सिपाहियों को लेकर गये और जबरदस्ती ताला तुड़वाया, उसकी दोनों लड़कियां जो वेश्या वृत्ति चलाती हैं। उस औरत के कोई न कोई रिश्तेदार हैं जो मालपुरा में रहते हैं वह आपके पास रिक्मन्डेशन लेकर आई और उसके आधार पर आपने डी. एस. पी. को कहकर नाजायज कब्जा दिलवाया। वहां पर फेमिन का काम चल रहा है और वहां झगड़ा होने के अन्दर 2 आदमियों की मौत हो गई। डी.एस.पी. ने 500 रु. मांगे और जिन्होंने नहीं दिये उनको 48 आदमियों को सेन्ट्रल जेल में भेज रखा है और जिन्होंने 500 रु. दे दिये उनको हवालात में नहीं भेजा गया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि यह मामला अदालत से ताल्लुक रखता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां कत्ल नहीं हुआ है।

श्री विजयसिंह रावत : कत्ल हुआ है, उसके बारे में बता दूंगा--पुलिस के अधिकारी यह कहें कि 500 रु. दो तो छूट जावोगे वरना नहीं। मैंने कट मोशन दिया है, थानेदार ने सही रिपोर्ट की तो उस बेचारे का लाईन में एस. पी. से मिलकर ट्रान्सफर करा दिया··

इस कापी को पढ़ेंगे आपको मालूम होगा एक भी लाइन सही नहीं लिखी है। सन् 66 के अन्दर वृद्धिचन्द्र नामक एक सुनार है जिसको दो आदमी घर से उठाकर ले गये और उसको डाक बंगले में जाकर उसका कत्ल बड़ी अच्छी तरह से किया। उसकी शहर कोतवाल मि. बंधावा ने मि. टाक एस. आई. ने जांच की। जांच के दौरान के अन्दर जो केस की रिपोर्ट्स लिखी हैं उसमें उसने कहा है कि जिस टेबल पर उसका कत्ल किया गया उसका कपड़ा था उस पर खून के दाग थे और टेबल के नीचे और खून था। वहां से उसकी लाश को बोरी में डाली गई उसकी जांच पड़ताल नहीं की गई। विभाग के पास जो सी. आई. डी. इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट आयी है जिस पर सी. आई. डी. इन्स्पेक्टर के दस्तखत हैं उसको गायब कर दिया गया। वह सी. एम. के प्राइवेट सेक्रेटरी का रिश्तेदार पड़ता है·······

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला आपने कटौती प्रस्ताव में उठाया है या नया मामला रख रहे हैं। अगर नया मामला है तो इसका उत्तर नहीं दिया जा सकेगा फिजूल ऐसे केसेज को कहकर सदन का समय बरबाद कर रहे हैं। आप अपने भाषण को अपने कटौती प्रस्ताव तक ही सीमित रखें।

श्री विजयसिंह रावत : मैं भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : भ्रष्टाचार शब्द बहुत विस्तृत है आप इसको लेकर किसी स्पेसिफिक केस को लायेंगे तो इसका उत्तर दिया जाना मंत्री महोदय के लिये संभव नहीं हो सकेगा। अगर आप इस केस का जिक्र करना चाहते थे तो आपको चाहिये था कि आप उसका जिक्र कटौती प्रस्ताव में कर देते।

श्री विजयसिंह रावत : मैं आसन की आज्ञा के मुताबिक ही चलूंगा। पैसे की आड में गरीब आदमियों का खून होता है और जब उसका चालान पेश होता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती आज उनके जीवन की सुरक्षा नहीं। पैसा ही सब कुछ हो यह मानकर नहीं चलना चाहिये आदमी और उसकी जानमाल की सुरक्षा का काम पुलिस का है लेकिन पुलिस में आज सिफारिश के आधार पर ऐसे एसे व्यक्ति भरे गये हैं जिनको पैसे के अलावा किसी के जान की परवाह नहीं है। आज पुलिस के इस व्यवहार के कारण जनता में आतंक फैला हुआ है, यह आतंक मंत्री महोदय कभी आपके लिये भी घातक हो सकता है।

श्रीनगर के बारे में पहले दामोदरजी ने सदन में यह कहा था कि मेरे समय के अन्दर किसी का जलसा निकला होगा तो सख्ती से कार्यवाही करूंगा। जो अपने आपको राजस्थान के लोह पुरुष मानते थे।

एक माननीय सदस्य : अब तो पीतल पुरुष रह गये हैं।

श्री विजयसिंह रावत : श्री नगर में एक पनघट पर झगड़ा हो जाता है। जब वहां से औरत अपने घर जाती है और अपनी पति से झूठी शिकायत करती है कि मेरे साथ तीन बजे बलात्कार किया गया····

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके कटौती प्रस्ताव में है।

श्री विजयसिंह रावत : मैंने बहुत सारे कट मोशन दिये हैं उसमें यह भी है। तो मैं निवेदन कर रहा था वहां कामेश्वर प्रसाद सी. आई. ने उस थानेदार को भगा दिया। दो दिन के बाद चिट्ठी जाती है और वह खुद जाता है श्रीनगर को वहां उसके आधे बाल काटकर काला मुंह करके उसका जलूस निकालते हैं। विवेकशील आदमियों ने कहा कि आप ख्याल तो करो दिन के तीन बजे और वह भी पनघट जो गांव में मझधार है वहां कैसे बलात्कार हो सकता है। क्या आपने इसका डाक्टरी मुआयना कराया ? लेकिन उसका हो कैसे सकता था डाक्टरी मुआयना क्योंकि वह पूरी रात अपने पति के साथ रह चुकी थी। इस प्रकार के कार्य आपके पुलिस द्वारा किये जा रहे हैं उसकी जनता पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है ?

नेहरू हास्पीटल है जो पहले विक्टोरिया हास्पीटल कहलाता था वहां पर जितने डाक्टर्स हैं उनमें से कोई भी दिलचस्पी से

(श्री विजयसिंह रावत)

काम नहीं करता। एक दिन एक आदमी को जो टिटेनिस का बीमार था 11।। बजे मैंने भेजा। उस टिटेनिस के बीमार को डाक्टरों ने चार दिन तक नहीं देखा इसलिये नहीं देखा कि कम्पाउन्डर डाक्टर साहब को देने के लिये मरीज के परिवार के सदस्यों से 500 रुपये मांगता था। पांच सौ रुपये दे देता तो शायद वह बच सकता था। चार दिन बाद वह व्यक्ति कुत्ते की मौत मरा। आपके किसी भी डाक्टर ने उसको देखा तक नहीं क्या यह खून के मामले से कम है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डाक्टर और मरीज का नाम मुझे दीजिये।

श्री विजयसिंह रावत : टिटेनिस के डाक्टर एक ही हैं नेहरू अस्पताल में। सरकार गरीबों को देने के लिये दवाइयां देते हैं लेकिन वह कभी भी गरीबों को नहीं मिलती। डाक्टरों के जो जाने पहिचाने केमिस्ट्स होते हैं उनके यहां जाकर ये दवाइयां बिकती हैं। वहीं से वे दवाइयां मंगाकर मरीजों को देते हैं और प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं और इस तरह से उन दवाइयों को बेचा जाता है। या तो आप इस बजट में जो दवाइयों के लिये प्रावधान रखा है उसको हटा दीजिये अन्यथा जिन गरीबों को दवाइयां मिलनी चाहियें वह उनको मिले यह व्यवस्था कीजिये। या आप इस तरह से डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मदार सैनीटोरियम अजमेर के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा यहां पर राज्य सरकार के कुछ कोट्स थे उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करती थी। आज वहां पर यह हाल है कि जो मरीज गिरजे में नहीं जाता है उसको धक्का देकर वहां से निकाल दिया जाता है। ईसाई मिशनरीज द्वारा यह अस्पताल चलाया जाता है। यहां पर टी. बी. पेशेन्ट्स के स्पेशल डाइट होती है। हाई डाइट्स से हाइ प्रोटीन से टिशूज बडे और वे फेफडे को बल दे सकें आज वहां पर होता क्या है वहां पर डाक्टर जो हैं वे ईसाई धर्म को मानने वाले हैं दूसरे धर्मावलम्बियों को वे प्रवेश तक नहीं देते। लाखों रुपया गवर्नमेन्ट का जाता है लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं, उसका आडिट तक नहीं होता। नेहरू अस्पताल का पी. एम. ओ. उसको देखते नहीं, कितना रुपया मिलता है किस प्रकार से मरीजों की दशा है यह देखना चाहिये। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। अतः मेरा निवेदन है कि उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाय। आज राजस्थान का बीमार कोई जाता है तो उसकी सुख सुविधा का प्रबन्ध नहीं है।

अब मैं ब्यावर के अस्पताल के लिये निवेदन करना चाहूंगा यहां से गांवों की डिस्पेन्सरीज के लिये दवाइयां मिलती हैं और मिल्क भी मिलता है रामसर हास्पीटल में दूध पकडा गया मिल्क नहीं था पकडा गया। लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। दवाइयां ब्यावर नसीराबाद और रामसर आती आती आधी से ज्यादा दवाइयां रास्ते में ही खत्म हो जाती हैं। पहले तो बजट ही कम। इसके बाद डिस्पेन्सरियों में दवाइयां नहीं। आप इसकी व्यवस्था करें।

इसके अलावा आयुर्वेदिक सफाखाने बनाखेडा परबतसर आदि ऐसे गांव हैं जहां ईसाई मिशनरियों का प्रभाव है। वे ईसाई

(श्री विजयसिंह रावत)
को ही दवा देते हैं ये कहते हैं गिरजे में आवोगे तो दवा देंगे। तो आप अगर एलोपैथिक दवाखाने नहीं खोल सकते तो यहां की जनसंख्या को देखते हुए आयुर्वेदिक औषधालय ही खोलें। क्योंकि आदमी मरता क्या न करता। आखिर बीमार आदमी ईसाई बनने को भी मजबूर होता है। धर्म कर्म छूट जाते हैं। तो इसलिये इस मजबूरी को दूर करने के लिए सरकार उधर व्यवस्था करे।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ।

श्री विजयसिंह रावत : थोड़ा जनाना अस्पताल के बारे में और दो शब्द कह दूं। यंग लेडीज कान गला आंख आदि की बीमारी से पीड़ित होकर जब अस्पताल जाती हैं तो वहां उनके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार होता है। इससे उनके सतीत्व की भी कोई सुरक्षा नहीं होती है। इस प्रकार के एक्शन अनेक हैं। अगर आप बैठकर सुनना चाहें तो व्यक्तिगत रूप से भी मैं बता देना चाहूंगा।

तो ये दवाइयों के अस्पताल के और पुलिस के मामले ऐसे हैं जिनके बारे में राजस्थान का हर व्यक्ति सरकार पर आशा लगाकर चलता है। पुलिस को जनता को कान्फीडेन्स में लेना है। पुलिस सुरक्षा के लिये है, न कि हत्या करने के लिये या निरपराध को अपराधी बनाकर दिखाने के लिये। डाक्टरों में भी सेवा की भावना आनी चाहिये जनता का विश्वास उनमें होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सांवरमल बासोतिया।

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव चिकित्सा जन स्वास्थ्य और पुलिस विभाग पर हैं।

सरकार ने स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य पर काफी खर्चा किया है। पर जनता की आम राय यह रही है कि वास्तव में जितना खर्चा सरकार करती है उसके अनुपात में उसकी उपयोगिता और सहूलियत जनता को कतई प्राप्त नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय, आज के हमारे अस्पताल सही माने में जन सेवा के मन्दिर नहीं हैं, बल्कि डाक्टरों की कमाई के घर बने हुए हैं। डाक्टरों की भावना सेवा की नहीं है, बल्कि अपनी जेबें भरने की है। उनको अस्पताल की तरक्की की या मरीजों की स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं बल्कि उनका दिमाग तो रात दिन इस में लगा रहता है कि किस तरह से ऐसे तरीके अपनाये जावें कि उनकी पाकट में अधिक से अधिक पैसा आवे।

मैं इन सब चीजों के लिये डाक्टरों को अथवा अन्य अधिकारियों को ही दोषी नहीं मानता बल्कि मेरी राय तो यह है कि इन सब बुराइयों के लिये हमारी सरकार स्वयं जिम्मेदार है। हमारी सरकार इन अस्पतालों की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चला सकती। कई प्रकार की कुव्यवस्थाएं हैं। इसके ऊपर डाक्टरों की भावनाएं लोभ लालच में चली जाती हैं जिससे यह सारा मामला और भी गड़बड़ हो जाता है।

डाक्टर लोग रोगियों की तरफ पूरा

(श्री सांवरमल बासोतिया)..

ध्यान न देकर प्राइवेट प्रेक्टिस पर ध्यान अधिक देते हैं। यह यहां तक बढ़ गया है कि कोई भी साधारण मरीज अस्पताल में जाना चाहे तो उसको तब तक वहां स्थान नहीं मिल सकता जब तक कि वह पहले डाक्टर के घर जाकर उसको एक फीस नहीं दे देता। भले ही वह सैंकड़ों चक्कर लगाए।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, इनके कहने का भी कुछ असर सरकार पर होगा या नहीं होगा ?

श्री सांवरमल बासोतिया : डाक्टर की फीस मिलने के बाद ही मरीज पर गौर किया जा सकता है। अस्पताल चिकित्सा और चिकित्सालय को लेकर आम जनता की भावना बड़ी खराब हो गई है।

हमारे राज्य में सही योग्य ईमानदार और सेवाभावी डाक्टरों की कमी है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि योग्य ईमानदार सेवाभावी डाक्टरों का और दवाइयों का प्रबन्ध किया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की कठिनाइयों के बारे में भी दो शब्द कह देना चाहता हूं। झुंझुनू जिले में एक सरकारी अस्पताल है। उसकी हालत आज खराब हो रही है। मैं स्वयं अपने मिलने वाले बीमारों से मिलने जाता रहता हूं। बड़ी गन्दगी देखी मैंने वहां। दवाइयों की भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं देखी। डाक्टरों की कमी है खास कर सेवाभावी डाक्टरों की। इस अस्पताल में काफी खामियां देखीं। यह जिले का एक मात्र बड़ा अस्पताल है इस पर गौर किया जावे और इसकी हालत सुधारी जावे।

नवलगढ़ की डिस्पेन्सरी और प्रसूतिगृह के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। प्रारम्भ में मकान की मांग की गई। इस पर लाखों की लागत से वहां बिल्डिंग बनाई गई। पर आज उसका नाम प्रसूतिगृह भले ही हो, पर कोई लेडी डाक्टर वहां नहीं है। नर्स जो है वह भी अशिक्षित कोई खास अनुभवी नहीं है जिससे नाम का प्रसूतिगृह होते हुए भी नवलगढ़ और आसपास की जनता को उससे किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता।

इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जल्दी से वहां लेडी डाक्टर भेजी जावे और साथ ही ट्रेन्ड नर्स भी भेजी जावे ताकि उस प्रसूतिगृह का पूरा लाभ जनता को मिल सके।

एक शिकायत और है वहां की। नवलगढ़ और आसपास में कुत्ते काटने की बहुत शिकायतें होती हैं पर इसके इलाज के लिये उन सबको सीकर जाना पड़ता है। एक दो दिन की बात हो तो कोई बात नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है। पर 15-20 दिन लगातार वहां जाना आम साधारण की बूते की बात नहीं है इसलिये निवेदन है कि नवलगढ़ में ही इस तरह की व्यवस्था कर दी जावे ताकि कुत्ते काटने का इन्जेक्शन वहीं लगा दिया जा सके।

मेरे क्षेत्र के जनस्वास्थ्य के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां आसपास में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पानी की कमी है। लोगों ने वहां पर पांच पांच हजार रुपया नल सप्लाई योजना में जमा कराया है।

Page No. 174

(श्री सांवरमल बासोतिया)

पर दो दो साल से ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। सारी योजना खटाई में पड़ी है। इसलिये निवेदन करूंगा कि तिलोठ परसरामपुरा में इसका प्रबन्ध कराया जावे। परसरामपुरा में रकम जमा नहीं करा पाये हैं पर वहां पर सबके लिये जमा कराने को एक सेठ तैयार हैं। तो वहां के लिये योजना बनाकर फायदा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गरवाड़ा, बरवासी, बसावा आदि ऐसे गांव हैं जहां पीने के पानी की बहुत कमी है। कुए हैं। कुओं की मरम्मत नहीं होती है। थोड़ा-थोड़ा पैसा खर्च किया जाये तो वहां की जनता को अच्छा फायदा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक बात रखी वह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे एक माननीय सदस्य पर कुछ गुण्डों ने हमला किया और आज तक हमारी सरकार उस मामले में चुप है। मुझे दुख होता है कि एक माननीय सदस्य पर इस प्रकार गुण्डों द्वारा आक्रमण हो और सरकार उस पर कोई ध्यान न दे। यदि इस प्रकार से हुआ तो माननीय सदस्यों का जीवन बड़ा दुर्लभ हो जायेगा। मैं पूछना चाहूंगा कि इस मामले में क्या कार्यवाही हुई अवश्य ही सरकार इस संबंध में विवरण पेश करे।

श्री **उपाध्याय** श्री शंकरलाल

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : आपका पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** : आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं केवल। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आप उदारतापूर्वक केवल 5 मिनट का समय श्री आलमअली को अवश्य दें और यदि समय का अभाव हो तो हमारे कल के समय में काट लें।

श्री **उपाध्यक्ष** : कल का समय काटने का तो सवाल नहीं है लेकिन 5 मिनट के लिए ही हो। उसके बाद में 4 मिनट, 3 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट यह नहीं होगा।

श्री शंकर लाल।

श्री **शंकरलाल** (जेतारण) : उपाध्यक्ष महोदय चिकित्सा और गृह विभाग मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता के लिए वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है।

श्री **उपाध्यक्ष**: कृपया आप संक्षेप में कहेंगे समयाभाव के कारण।

श्री **शंकरलाल** : जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं समयाभाव के कारण मैं उन पर संक्षेप में ही निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे चिकित्सा विभाग के अन्दर और गृह विभाग के अन्दर जिला स्तर के ऊपर सरकारी समितियां नियुक्त करने के लिये राज्य सरकार की घोषणा समय समय पर हुई है। जो आरक्षी विभाग की सन् 1968-69 की पुस्तिका हमें दी गई है उसके पेज 12 पर लिखा है कि यह पुलिस सहकारी समितियां बहुत अच्छी तरह से राजस्थान के अन्दर कार्य कर रही हैं। लेकिन उपा-

Page No. 175

(श्री शंकरलाल)

ध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि स्टेट ने इस प्रकार का स्टेटमेन्ट दिया जबकि कई जगह कई जिलों के अन्दर यह सलाहकार समितियां अभी तक बन भी नहीं पाई हैं जहां तक हमारे पाली जिले का सवाल है मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वहां कोई सलाहकार समिति नहीं बनी। यहां यह कहा जाता है कि जिलों के अन्दर सलाहकार समितियां अच्छी तरह से काम कर रही हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय चाहूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण विभाग में जहां जनता के कोआपरेशन लेने की बात है इस प्रकार की सलाहकार समितियां जहां गठित नहीं हैं वहां गठित की जानी चाहिए और उनके अन्दर वहां के एम. एल. ए., जिला प्रमुख, प्रधान और म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन यह महत्वपूर्ण आदमी हों जो कि समय समय पर जनता के बारे में जो समस्यायें हैं उनको सुलझाने में सरकार को सहयोग दें।

इसी प्रकार से चिकित्सा विभाग के अन्दर कई शफाखानों के अन्दर सलाहकार समितियां बनी हुई हैं। जहां तक पाली जिले का सवाल है मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि आज से 2 साल पहले तो सलाहकार समिति वहां पर काम कर रही थी। उसका समय समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद सरकार ने कोई नई सलाहकार समिति नहीं बनाई और उसके लिए कई बार निवेदन किया गया लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार की केवल घोषणा मात्र है और इस प्रकार की सलाहरकार समितियों के द्वारा सरकार या तो जनता का सहयोग लेना नहीं चाहती और लेना चाहती है तो इसको पूरे राजस्थान के लिए और सारे जिलों के अन्दर सलाहकार समितियों को गठित किया जाकर उनसे सलाह लेकर जनता की समस्याओं को सुलझाने में योगदान लेना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में चिकित्सा विभाग के अन्दर जो मुझे कहना चाहिए कि जिसकी तारीफ हम थोड़ी बहुत कर सकते हैं वह इसके लिए कर सकते हैं कि यह जो ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर भ्रमणशील शल्य क्रिया के मोबाइल सर्जीकल यूनिटस हैं मेरे क्षेत्र के एक गांव नीमाज के अन्दर मैं गत दो वर्षों से देख रहा हूं कि उसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं वह बहुत अच्छे हैं। यह जो भ्रमणशील शल्य क्रिया जो कि मोबइल सर्जीकल यूनिट्स है इसका नतीजा देखा है उससे वास्तव में हमें गौरव करना चाहिए और जहां हम एक तरफ कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर डाक्टरों की सुविधायें नहीं, दवाइयों की सुविधायें नहीं, शफाखाने नहीं। न खुल सकते हैं और न सारे साधन ही दिये जा सकते हैं क्योंकि वहां एक्सरे चाहिए, ब्लड टेस्ट के लिए चाहिए और कई तरह की चीजों की जांच के लिए जितना सुविधायें होनी चाहिए वह सब इस मोबाइल सर्जीकल यूनिट में हैं। तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधायें पहुंचाना चहते हैं तो दूसरी योजनाओं पर कम ध्यान देकर मोबाइल सर्जीकल यूनिट में दीजिये और हर डिविजन के अन्दर एक एक मोबाइल सर्जीकल यूनिट हो। मैंने देखा है हमारे नीमाज में पहले 200 आपरेशन्स हुए और इस

(श्री शंकरलाल)

बार 400 आपरेशन हुए और बड़ी सफलता से हुए जिसे देखकर हम सबको बड़ी खुशी हुई । इस प्रकार के यूनिट एक एक डिविजन में एक एक रखें और मैं समझता हूं कि वह ग्रामीण जनता की ज्यादा सेवा कर सकेगा बजाय इसके कि कहीं डाक्टर नहीं है, कहीं पर दवायें नहीं हैं । एक चीज इसमें और है । हमें मालूम हुआ है कि मोबाइल सर्जीकल यूनिट के लिए इस प्रकार की मांग रखी जाती है कि वहां के स्थानीय आदमी वहां के मरीजों के खाने पीने का प्रबंध स्वयं करें तब ही यह यूनिट वहां जाता है । लेकिन इस कारण से कहीं यूनिट काम नहीं करे क्योंकि वहां की जनता कोई सहयोग नहीं दे सकती ऐसा नहीं होना चाहिए । अगर कहीं सर्जीकल यूनिट की जरूरत है और जहां आपरेशन्स कर सकते हैं वहां चाहे जनता पैसों का सहयोग नहीं दे वहां भी यह यूनिटस काम करने चाहिएं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चिकित्सा विभाग में प्रशासन बहुत ही बिगडा हुआ है मैं जोधपुर के अस्पताल की बात कहता हूं । पहले मुझे जब जाने का मौका मिला था जब मेरे पिताजी बीमार थे । उस समय डाक्टर ओझा थे उस समय में वहां का प्रशासन ठीक था लेकिन मुझे अभी दुबारा 2-4 महीने पहले रहने का मौका पडा तो मैंने देखा कि चप्पल और घूंसों से डाक्टर और कम्पाउन्डर्स लडते हैं । मुझे कहते हुए दुख होता है कि डाक्टर गुप्ता और कम्पाउन्डर मारपीट करते हैं और लोग इकट्ठे होते हैं -- एक तरफ कम्पाउन्डर और एक तरफ डाक्टर -- अगर आप चिकित्सा विभाग के अन्दर डाक्टरों को, नर्सों को और कम्पाउन्डर्स को कन्ट्रोल में नहीं कर सकते तो मैं कहूंगा कि जितना पैसा आप खर्च करते हैं उसका उपयोग नहीं हो सकता --

उपाध्यक्ष महोदय मैं साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि फीमेल नर्सेज हों चाहे मेल हों उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए । जहां तक रिटायरमेंट का सवाल है फीमेल के लिए आपने 58 साल की आयु रखी है और मेल के लिए 55 साल की रखी है -- यह हमारे विधान के खिलाफ है -- अगर रखना चाहते हैं तो चाहे मेल हो या फीमेल हो सब के लिए एक ही प्रावधान रखें । इससे मेल कम्पाउन्डर के अन्दर बहुत भारी असन्तोष है -- वह कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है -- मैं कहता हूं कि सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए -- मुझे मालूम हुआ है कि इस पर हाईकोर्ट में पिटीशन भी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में गृहमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि राजस्थान के अन्दर जहां दूसरे प्रशासन के लिए 579 लाख रुपया खर्च किया जाता है वहां केवल पुलिस विभाग के लिए 938 लाख का प्रावधान है । जितना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, न्याय विभाग वगैरह सब आ गये और केवल पुलिस विभाग में 938 लाख का प्रावधान है और उससे अपेक्षा करते हैं कि प्रशासन के अन्दर तरक्की होनी चाहिए और लोगों को विश्वास होना चाहिए । लेकिन जहां इस प्रकार इतना खर्चा किया जाये और उसके बाद भी जनता

(श्री शंकरलाल)
की तरफ से माननीय सदस्यों की तरफ से ऐसी आवाज आती है कि गृह विभाग अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है और वह चोरियों को रोक नहीं सकता और हत्याओं के बारे में पूरी जांच नहीं करा सकता तो हमें इस बात का बडा दु:ख होता है ....

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय आपने कम दिया है इसलिए मैं बहुत ही कम दो-तीन उदाहरण आपके सामने रखूंगा जिसके, अन्दर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पाली जिले के अन्दर जैतारण क्षेत्र के अन्दर कुछ दिनों के अन्दर जैन मंदिर में चोरी हुई। जैन मंदिर में चोरी होती है तो उस मंदिर के बरतन और पुजारी का सामान और वहां की मूर्ति के सारे गहने ले जाते हैं उसका आज तक पता नहीं लगा। मुझे पता नहीं कि वहां के पुलिस और अधिकारी उसके बारे में क्या बात करते हैं। मंदिरों की चोरियों के बारे में पहले भी सवाल सदन में आये थे। मंदिरों में चोरियां ज्यादा हो रही हैं तो इसका कारण क्या है ? कुछ अरसे पहले पाली में बांगडजी के मंदिर के अन्दर चोरी हुई थी उसका आज तक पता नहीं लगा। मंदिरों में जितनी चोरियां हुई हैं आज तक एक भी चोरी नहीं पकडी गई है। इसके पीछे कौनसा गैंग काम कर रहा है। इसकी जांच करवानी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस स्टेशन पर कोई आदमी रिपोर्ट करने के लिए चला जाय तो उसकी रिपोर्ट नहीं ली जाती है तो इस बात का सबूत नहीं है उस आदमी के पास कि वह कहे कि वह पुलिस में गया था लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं ली गई। जब शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि आपने 5 दिन के बाद पुलिस में रिपोर्ट दी, लेकिन वह पुलिस स्टेशन के अन्दर रिपोर्ट करने गया परन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं ली गई। इस बारे में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार का एक नियम भी होना चाहिए कि कोई आदमी वहां पर रिपोर्ट देने जाये तो रिपोर्ट लेकर रसीद दी जानी चाहिए। मेरे ख्याल से रोजनामचे में रिपोर्ट दर्ज करने का प्रावधान है, उसकी नकल देने का भी प्रावधान है, लेकिन इसका पालन नहीं होता है और रिपोर्ट देने के बारे में मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देनी पडती है कि पुलिस में जाते हैं तो दरख्वास्त नहीं ली जाती है। कभी कहते हैं कि थानेदार साहब नहीं हैं, और कभी कहते हैं कि इसकी रिपोर्ट नहीं ली जायगी, चाहे काग्नीजेन्स आफेन्स हो या नान-काग्नीजेन्स आफेन्स हो। इस प्रकार से कोई आदमी शिकायत पेश करने के लिए जाता है तो उसकी रिपोर्ट ली जानी चाहिए और लेकर उसको रसीद दी जानी चाहिए। उससे जनता में विश्वास तो पैदा होगा कि कम से कम उसकी रिपोर्ट तो ली जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर परसों कहा गया था कि सामान्य प्रशासन की बहस के समय कि पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स को पुलिस विभाग से अलग करने के लिए एक कमेटी बैठी हुई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले गये सत्र में भी यह प्रश्न आया था। इस कमेटी को बैठे हुए कई अरसा हो गया है, लेकिन इस कमेटी ने क्या फैसला किया, क्यों सरकार नहीं करना चाहती है और इसमें क्या दिक्कत है ? आप न्याय और

(श्री शंकरलाल)

पुलिस को अलग करना चाहते हैं, सेपरेशन आफ जुडिशियरी करना चाहते हैं। आप अगर न्याय दिलाना चाहते हैं पुलिस के मामलों में तो आपको पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स को पुलिस विभाग के अधिकारियों के दबाव से अलग किया जाना चाहिए और जुडिशियरी के अन्दर रखा जाना चाहिए जिससे उनको न्याय मिलने में सुगमता हो।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल मैं पाली जिले के बारे में एक-दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पाली जिले के अन्दर बीसलपुर के अन्दर 7 तारीख की रात को एक कत्ल हुआ है। वह पोलिटिकल कत्ल इसलिए हुआ है कि 8 तारीख को वहां के उपसरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आने वाला था। उसके लिए मीटिंग थी। वहां जो एम. एल. ए. हैं पृथ्वीसिंहजी उनके नाना ने जो गोमाराम वार्ड पंच और सौदाराम वार्ड पंच हैं उनसे कहलाया गया कि तुम हमारे पक्ष में प्रस्ताव दो वर्ना मार दिये जाओगे। इसकी रिपोर्ट सौदाराम का भाई कूकाराम करने गया पुलिस के अन्दर और जब वह पुलिस में रिपोर्ट करके वापिस आ रहा था तो बीसलपुर के जैन मंदिर के पास उसका कत्ल कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह वहां पर पहला कत्ल नहीं है...

एक माननीय सदस्य : जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं उनके बारे में न कहा जाय।

श्री शंकरलाल : मैंने उनके नाना के बारे में कहा है। बीसलपुर में आज से पहले और चार कत्ल हो चुके हैं लेकिन एक कत्ल का भी पता नहीं लगा है। ये सब कत्ल पोलिटिकल मोटिव्ज से किये गये हैं, लेकिन आज तक उनका पता नहीं लगा। वहां पर एक रेबारी का कत्ल हुआ उसका पता नहीं, एक पातिया सरगन का कत्ल हुआ उसका पता नहीं, एक बाडेदिया बन्जारे का कत्ल हुआ उसका पता नहीं लगा, एक रावणा राजपूत का कत्ल हुआ उसका पता नहीं लगा। बीसलपुर के आसपास ये चार कत्ल हो चुके हैं, और सारे पोलिटिकल मोटिव्ज से बताये जाते हैं। क्या कारण है कि एक भी मर्डर का पता नहीं लगा है। इससे जनता में आतंक है। हमको तार भी प्राप्त होते हैं, डेपुटेशन भी प्राप्त होते हैं। आज भी लोग इस प्रकार से आज भी आये हैं। इन सबों का इन्वेस्टीगेशन कराया जाय ताकि वहां के सब लोगों को इस प्रकार का विश्वास प्राप्त हो कि भविष्य में इस प्रकार के कत्ल नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, गृह विभाग में कैसा तरीका है अपराध कबूल करवाने का। आज विज्ञान के जमाने में भी उसी पुराने तरीके-मारपीट वाले को अपनाये हुए हैं। मारपीट इसलिए की जाती है कि वे एक तरह के बयान दें। मैं समझता हूं कि यह लोकतन्त्र के लिए, सरकार के लिए और हम सब के लिए यह अशोभनीय बात है। अभी घटना बताता हूं कि पाली सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की एक जीप से एक्सीडेन्ट हुआ जिसके कागजात फाइल कर दिये गये, लेकिन उस मामले के अन्दर 22 तारीख को जालिमसिंहजी सरकिल साहब पाली के अन्दर जाते हैं और सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के ड्राइवर को कहते हैं कि इस प्रकार के बयान दो कि अमुक आदमी उस समय ड्राइविंग

(श्री शंकरलाल)

कर रहा था। इसके लिए उसको वहां पर मारा पीटा भी गया जिसका कि मेडिकल सर्टिफिकेट लिया गया, और उसने कहा कि इस प्रकार के बयान नहीं दूंगा। दूसरे रोज उसने एफिडेविट भी दिया। आज सरकार पुलिस के अधिकारियों को इस बात से नहीं रोक सकी है कि आजाद नागरिकों के साथ में वे इस प्रकार से मारपीट करें और झूठे बयान दिलवाने की कोशिश करें। यह एक आफेन्स है इसकी जांच होना चाहिए। आपको सी. आई. डी. के जरिये और विज्ञान के जरिये इसकी जांच करानी चाहिए। यह क्या कोई तरीका है इस तरह से मारपीट की जाय की इस तरह से बयान दो। देश के स्वतन्त्र नागरिक की स्वतन्त्रता इस प्रकार से खतरे में न पडे

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री शंकरलाल: अभी पिछले महीने में एक पत्रकार विमलकुमार जो यू.एन.ई.एफ. का....

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज, आसन ने यह कह दिया कि भाषण समाप्त हो तो समाप्त ही समझा जाना चाहिए।

श्री शंकरलाल: उपाध्यक्ष महोदय, ये वहां पर एक पत्रकार हैं यू. एन. ई. एफ. के....

श्री उपाध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल: पत्र को मोहरसिंह कान्स्टेबल ने 22 तारीख फरवरी को....

श्री उपाध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। समय समाप्त हुआ।

श्री शंकरलाल: इस प्रकार के कई उदाहरण...

श्री उपाध्यक्ष: बहुत उदाहरण हैं लेकिन समय का अभाव है।

श्री शंकरलाल: मैं आपके आदेशों को शिरोधार्य करता हूं लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय आलमअली बोलेंगे 5 मिनिट के लिए और उसके बाद चर्चा समाप्त होगी और सरकार की ओर से उत्तर होगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर कोलाहल एवं अश्रव्य)

माननीय गोकुलप्रसादजी! दूसरे माननीय सदस्य बैठ जायं आप क्या फर्मा रहे थे?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम दूर बैठे हैं इसलिए आपकी निगाहों में नहीं आते हैं। आपका चक्षुपोश हमारी ओर नहीं होता है। मुझे थोडा सा समय दें एक-दो बातें कहनी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: समय का अभाव है इसलिए नहीं दे सकता हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: हमें मालूम था की आप यह कह देंगे और बोलने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ज्यादा लम्बा चौडा भाषण नहीं दूंगा दो तीन बातें कहनी हैं वह कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने निवेदन किया कि जितना अलग अलग दल का समय था उससे ज्यादा समय सभी दलों ने ले लिया। मैं मानता

(श्री उपाध्यक्ष)

हूं कि बहुत से माननीय सदस्य बोल नहीं पाये हैं (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज। उनका बोलना बाकी है, लेकिन समय का अभाव है इससे आसन मजबूर है, और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरहसे समझते हैं।

श्री आलम अली।

(कई माननीय सदस्य बोलने खड़े होते हैं)

श्री आलमअली।

श्री आलमअली (फतेहपुर): उपाध्यक्ष जी मेरे तीन चार कटमोशन दोनों डिपार्टमेंट के सिलसिले में हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप भूमिका जाने दें और सीधे ही विषय पर आजायें।

श्री आलमअली: भृष्टाचार जिकी बात है वा आज कह्यों के लिए आ है कि पेड के डाला निकली है वो पेड पूरा सूख गयों है।

उपाध्यक्षजो, गृह मंत्रीजी सीकर अस्पताल का मामला में प्रमुख और दो एम.एल.ए. और कई आदमी मिल्या हा डी.एम.एच.ओ. के वास्ते और वानें आश्वासन दिया हो के इंरो जल्दी हो जांच करवालों लेकिन गृह मंत्रीजी विल्कुल चुप हैं। वी बात को कोई जवाब नहीं है। ई के मायं आफिसर भ्रष्ट नहीं मंत्री भ्रष्ट है हू कात को सबूत है।

उपाध्यक्षजी, जिकी बात है कि चाहे मंत्रीजी के दर्द हुओ आ कहे के इन्होंने करवाणों को षडयन्त्र रच्यो होगो। उपाध्यक्षजी, जिको बढियां अस्पताल सीकर रो है स्यों शायद राजस्थान में और दूसरा तीसरा नम्बर पर है जिका बारा में मंत्रीजी से मिल्या हा और आश्वासन दियो हो और आश्वासन दियों हो कि म्हें जांच कराऊंगो पर आज ताणी कोई जांच नहीं कराई। मैं आने सही बात बताऊं हूं कि डिपार्टमेंट को बडो हैड है बीं नें बचपण से जाणूं हूं वो बहुत ईमानदार है क्योंकि फतहपुर से बींको शुरूआत हुई है। लोग केवे है कि ईमानदार नहीं है लेकिन वह बहुत ईमादार आदमी है गरीबों को भलो करे है। लेकिन मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप एक एक आदमी ने राजी करणवास्ते लोगों रा गला काटण ने बैठा हो और आम जनता की भावना भी कांग्रेस के प्रति खराब नहीं है। कांग्रेस से कोई नाराज नहीं है लेकिन खुद भ्रष्टाचारी हो। थोडा दिन पहले एक औरत की कतल हुई जिणरो नाम चन्दनकंवर हो, बीं वास्ते मैं लिखियो हो, आसन की ओर से व्यवस्था दी गई ही कि कट मोशन के जरिये उठाओ। बीं औरत की हालत 4 साल से खराब हो रही ही। वा कई ओफिसरों के घर पर गई और जाकर कहूयो कि मनें बचाओ। एस.पी., डी.एस.पी., थानेदार सबरे कने गई और कह्यों कि कतल होवण न रो खतरो है पर कोई उणारी मदद नहीं करी। आखिर में दूसरे महीने की 4 तारीख ने वीं की कतल हुई पर आजरी तारीख तक सही रिपोर्ट नहीं दी डकैत से कहा कि तेरे सर पर मेरो हाथ है मौज करो, लूटो, मारो। सन् 47 से पहले जो लोग····

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज समय समाप्त हुआ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

Page No. 181

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

कई माननीय सदस्य: समय बढाया जाय

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्रीजी मजबूर हैं समय नहीं बढाया जा सकता।

एक माननीय सदस्य: कल भी मुझे टाइम नहीं दिया, आज भी नहीं दिया 2 मिनिट बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज। सब दलों का समय निर्धारित था उससे ज्यादा ले लिया दल के नेताओं ने वाद विवाद में हिस्सा लेकर माननीय सदस्यों की बोलने की इच्छा है मैं कद्र करता हूं, काफी तैयारी है लेकिन समय की सीमा में काम करना होगा इसलिये माननीय सदस्यों से सहयोग की उम्मीद करके बात कह रहा हूं कि कृपया स्थान ग्रहण करें, गृह मंत्रीजी जबाब देंगे।

श्री श्रवणलाल: 5 मिनिट का समय मांग रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: एक सदस्य इधर से और एक उधर से बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे कुछ नहीं सुनाई देता इतने माननीय सदस्य खडे हैं।

आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य: ग्रामीण क्षेत्र के सदस्य बोलना चाहते हैं उनको समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: समय काफी हो गया है, मेरी हमदर्दी है लेकिन टाइम नहीं है।

श्री श्रवणलाल: पहले भी 11 बजे तक बठे हैं आज भी बैठ सकते हैं।

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष: मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं। माननीय गृह मंत्री जी।

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे--अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य: 5 मिनिट कभी तो दें।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा: इसमें वास्तव में समय कम मिला है। आधा घंटा और बढा दीजिये। मंत्री महोदय आधा घंटे में उत्तर दे देंगे। तीन तीन विषयों पर डिबेट हो रही है और लोगों के बोले बिना सारे फेक्ट्स प्रकाश में आ नहीं सके।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामानन्द अग्रवाल: समय बढाने में आपत्ति आपको है या गर्वनमेन्ट को है?

श्री उपाध्यक्ष: आपत्ति सबसे पहले तो आसन को ही है। समय समाप्त हो गया बाद में बढाया गया, कई मा. सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। डिबेट आखिर कब तक चलती रहेगी।

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष: इतने सदस्य सब एक साथ बोल रहे हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं देता।

श्री डूंगाराम राजोरिया: थोडासा समय और बढा दिया जाय इतनी मांगे एक साथ है

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का है कि पुलिस और चिकित्सा की मांग है उसमें जो माननीय सदस्य पुराने है उन्होंने भी भाग लिया है उन्होंने समय काफी लिया है आसन ने उनको समय दिया है जो सदस्य हमेशा बहस में भाग नहीं लेते उनके क्षेत्र की इस मांग से संबंधित विशेष परिस्थिति है तो उनको समय मिल जाय ताकि अपने क्षेत्र की 5-7 मिनिट में बात कहदें।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो जो दल के माननीय नेता थे उनको चाहिये था कि जब वे बोले, समय की सीमा का ध्यान रखते। हमेशा आसन द्वारा चेतावनी दी जाती है घंटी दी जाती है। बाद में यह भी कह दिया जाता है कि आपके दल का समय जा रहा है लेकिन जिन माननीय सदस्य के हाथ में प्रांगण आ गया वे छोडना ही नहीं चाहते इस लिये अन्य मा. सदस्यों को बोलने से वंचित रहना पडता है। इस स्थिति में मैं मजबूर हूं समय आगे नहीं बढाया जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दल के नेता कोई बोले ही नहीं। अकेले रामानंदजी बोले जो खुद ही नेता और खुद ही सदस्य हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हमारी पार्टी के नेता ने अध्यक्ष महोदय को लिख कर दे दिया कल भी समय नहीं दिया। अगर आज समय नहीं देंगे तो गृह मंत्रीजी के भाषण में बाधा डालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बाधा डालेंगे तो उसके लिये नियम में उपाय है। दूसरी बात दल का सवाल आता है तो लिख कर दे दिया कि हमारे दल का सारा समय ये लेंगे। आपके दल के सचेतक हैं उनसे पूछ लीजिये उन्होंने लिख कर दिया या नहीं, बोले या नहीं। इसके बाद आप इस तरह का रुख अपनाते हैं तो मजबूरन आप कहते हैं कि बोलने नहीं देंगे, बोलना हमें भी पडेगा इसलिये निवेदन करूंगा कि आप सहयोग दें। काफी चर्चा हो गई, सब को बोलने का अवसर दिया। जिनकी शिकायत रह गई मैं कह दूं कि कल उनको अपनी तरफ से बोलने का मौका दूंगा। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कल पुलिस पर बोलने देंगे क्या? हमारी बहुत बडी समस्या है, आपने आदेश दिया उसका जिक्र करता हूं

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं दिया क्योंकि तीन चार मा. सदस्य एक साथ बोल रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस और मैडीकल दोनों

श्री परसराम गंगाराम : मैं एक अर्ज कर रहा हूं आपसे।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब आप बाद में करियेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसमें सहयोग दें।

श्री परसराम गंगाराम : हरिजनों का मामला है

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस विभाग की मांग पर माननीय सदस्यों ने · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही इन मांगों के कारण तक बढ़ाई जाती है। आर्डर प्लीज।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन कटौती प्रस्तावों पर बोलते हुए · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : कल आप इजाजत दे देंगे तो क्या कल पुलिस पर चर्चा होगी।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मांग कल के लिये रख ली उस पर कल वादविवाद हो जाय।

श्री खेतसिंह : कल बता देंगे।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : पुलिस की मांग को, या जन स्वास्थ्य की मांग को कल के लिए रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं होगा। वित्तीय विषय आज ही समाप्त होना है और आज ही समाप्त होगा।

श्री भजनलाल : उपाध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसी व्यवस्थायें की हैं, बहुत से माननीय सदस्यों ने जो इस बात के लिए स्थगन प्रस्ताव दिये थे गम्भीर समस्याओं के लिए उनको आसन की ओर से कह दिया गया था कि इस मांग पर जब डिबेट होगी तो मौका दे दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा आसन की तरफ से व्यवस्था में कहा गया है तो जब मंत्री महोदय उत्तर दे देंगे और उसके बाद भी उनका उत्तर नहीं दिया जायगा तो उसकी व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जो बहस के अन्दर कटौती प्रस्ताव आये हैं उनके लिए आपने कहा है। लेकिन जितने सारे प्रस्ताव आये हैं उनका उत्तर दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने स्थगन प्रस्तावों का जवाब दिया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : एडजोर्नमेन्ट मोशन के लिए व्यवस्था दी गई थी उनको भी समय नहीं दिया गया है।

श्री परसराम गंगाराम : मैं आपको आर्डर मानूं हूं, मने बाद में बोलने दोगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस और चिकित्सा विभाग की मांगों पर माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्तावों के जरिये काफी रचनात्मक सुझाव दिये हैं और उन दोनों विभाग के ऊपर काफी नुक्ता चीनी भी की है, कुछ रचनात्मक सुझाव भी हैं · · ·

श्री विजयसिंह रावत : नुक्ता चीनी नहीं की है।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं समझता हूं कि गलत सूचनाओं के आधार पर कुछ माननीय सदस्यों ने बातें बतलाई हैं। पुलिस विभाग के सम्बन्ध में मैं आपके जरिये सदन को बतामा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चाहता हूं कि वह जिस प्रकार पुलिस की अहमियत को महत्वपूर्ण समझें, उसी तरह इस बात को समझने की कोशिश करें कि आज बदलते हुए जमाने में पुलिस के ऊपर और जिम्मेदारी आ गई है और पुलिस के महकमे का समाज के अन्दर और भी महत्व बढ़ गया है राजस्थान बना है तब से।

एक माननीय सदस्य : महत्व बढ़ गया है।

श्री दामोदर लाल व्यास : पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया है, राजस्थान बना है तब से जो प्राबलम राजस्थान में थी; जिसको कि सब माननीय सदस्य जानते हैं कि काफी मात्रा के अन्दर डकैतों की प्राबलम थी, अरावली हिल्स के अन्दर सब जगह एक अराजकता फैली हुई थी।

(6.03 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभा-नेत्री, पदासीन)

जान और माल की हिफाजत नहीं की। उन कठिन सूरतों में जिस योग्यता के साथ पुलिस ने काम किया है, वह हम भूल नहीं सकते पुलिस के एस. पी., सीनियर आफिसर एस. पी. से लेकर जवानों तक ने कुर्बानियां की हैं इस राजस्थान में शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम करने के लिए। इसलिए केवल यह कह कर··

श्री विजयसिंह : एक जरूरी बात बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस को निकम्मो बताने की कोशिश करें तो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं जहां पुलिस में कमी है, जहां किसी पुलिस आफिसर में कमी है अगर कोई पुलिस आँफिसर भ्रष्ट है तो उसके लिए आप अवश्य कहें, उसके लिए एतराज नहीं है, लेकिन आप सारे के सारे पुलिस विभाग को निकम्मा और भ्रष्टाचारी बता दें तो मैं अर्ज करूंगा कि आप उसके प्रति न्याय नहीं करते··

श्री विजयसिंह रावत : मैं यह पूछता हूं कि जहां कोई एस. आई. यह कहे कि पांच रुपये ट्रान्सफर के मंत्री को भेजने पड़ते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तशरीफ रखिये।

श्री विजयसिंह रावत : यह पांच सौ ट्रान्सफर के लिए भेजने पड़ते हैं-वह क्या है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अपील करना चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदया इन्हें बैठाइये।

श्री विजयसिंह : बैठ जाओ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बैठ।

श्री विजयसिंह : बात करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अपील करना चाहता हूं, आप जिस समय बोल रहे थे तो हमने दखल नहीं दिया। अब मुझे मौका दिया गया है बात कहने का तो आपको एतराज है। आपको कोई जानकारी, फरदर बहेरी करनी हो, कोई बात कहनी हो और कहने से रह गई हो तो मैं यहां बैठा रहूंगा और आपको संतोष करा कर जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। कृपया आप बीच में नहीं बोलें।

श्री खेतसिंह : बीच में नहीं बोलें।

श्री दामोदरलाल व्यास : कुछ स्वीपिंग रिमार्क····

Page No. 185

श्री रामचन्द्र आर्य: कल रामप्रसाद जी लड्ढा साहब ने भी यही बात कही थी कि सारी चीजें कह कर जाऊंगा ।

श्री सभानेत्री: माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करिये ।

श्री रामचन्द्र आर्य: उसी तरह आप कह दें तो यह वाजिब नहीं होगा।

श्री सभानेत्री: आर्डर प्लीज ! मंत्री महोदय ने कहा कि सभी बातों का जबाव देकर जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन यह माननीय सदस्य फिर हाउस ऑफ कॉमन्स की बात कह दें तो उसका जवाब कैसे देंगे।

श्री विजयसिंह रावत : हाउस ऑफ कॉमन्स की बात का आप जवाब देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इतनी समझ कहां है मंत्री महोदय में कि हाउस ऑफ कॉमन्स की बात का जवाब दें।

श्री विजयसिंह रावत : आप हाउस ऑफ राजस्थान की बात करें।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैं हाउस आफ राजस्थान की बात जानता हूं आप नये नये आये हैं आपका हाउस ऑफ कॉमन्स का अनुभव ज्यादा है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैंने तीन चार बार एक मुद्दा उठाया है लेकिन उसका जवाब नहीं आया ।

श्री दामोदरलाल व्यास: आप तरीका सोचिये हरिवल्लभ जी, सदन के अन्दर यह तरीका नहीं कि जब कोई दूसरा सदस्य बोल रहा है तो उसमें दखल दिया जाय। उसमें दखल नहीं दिया करते। आप नये नये आये हैं, आपको प्रोसीजर मालूम नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा: मैं प्रोसीजर जानता हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं जानते हैं इसलिए ही बीच बीच में बोल रहे हैं। आप जैसे माननीय सदस्य बीच में बोलते हैं तो अफसोस होता है।

श्री सभानेत्री : माननीय सदस्य ! मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं जब उत्तर मिले तो आप महरबानी करके बार बार दखल नहीं दें। कई बार आपसे निवेदन किया जा चुका है। बीच में बोलने से कहने का तारतम्य टूटता है और आपको भी संतोष नहीं हो सकता ।

श्री डूंगाराम राजोरिया: हम निवेदन करना चाहेंगे, जैसा कल शाम आसन की ओर से व्यवहार किया गया सदन के साथ में वैसा करना चाहते हैं तो हम पहले पूछना चाहेंगे।

श्री सभानेत्री: आर्डर प्लीज ! आप स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया: सारे उत्तर प्रासीडिंग में आने चाहिए।

श्री सभानेत्री: आप स्थान ग्रहण करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्यों ने पुलिस डिमाण्ड पर तीन चार मुद्दों पर खास बातें कहीं। पहला मुद्दा जरायम के अन्दर बढ़ोत्तरी हुई है, इन्क्रीज इन क्राइम्स उस बात को लेकर कुछ माननीय सदस्यों ने एतराज किया और अपने सुझाव दिये।

(श्री दामोदर लाल व्यास)

दूसरी बात है, पुलिस डिपार्टमेंट के अन्दर करप्शन के मामलों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कहने की कोशिश की है, प्रस्ताव पेश किये हैं। तीसरी बात है, पुलिस का व्यवहार जनता के साथ में अच्छा नहीं है इस बात की शिकायत की है और उसके साथ साथ कुछ माननीय सदस्यों ने पुलिस आफिसर की सर्विस कन्डीशन्स हैं, वह अच्छी नहीं हैं और उनकी तनख्वाह या अलाउन्स ठीक नहीं है, उसके ऊपर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है। यह चार महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर माननीय सदस्यों ने सुझाव पेश किये हैं जहां तक पहली बात का सवाल है, क्राइम इन्क्रीज हुआ है, जरायम के अन्दर बढ़ोतरी हुई है। इसमें शक नहीं है कि बढ़ोतरी हुई है। माननीय सदस्यों के पास पुलिस डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट मौजूद है, उसमें आप देख लेवें इसके साथ साथ यह ध्यान रखना चाहिए सारे देश के अन्दर दस पर्सेन्ट बढ़ोतरी हर साल होती जा रही है, कम और वेशी टोटल मिला कर दस पर्सेन्ट बढ़ोतरी होती है लेकिन अपने यहां चार पर्सेन्ट की बढ़ोतरी है यह नहीं भूलना चाहिए और जो कारण है जरायम बढ़ने के उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। पापूलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसके साथ साथ इन्डस्ट्रीयलाइजेशन राजस्थान में हो रहा है, उसके साथ में पिछले दिनों के अन्दर जो अपना अनुभव रहा है, स्केअरसिटी कन्डीशन्स रही है, उसके साथ साथ ट्रबल ज्यादा हुई है, अपने राजस्थान के अन्दर इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए और पापूलेशन इन्क्रीज और पावर्टी....

श्री रामानन्द अग्रवाल: पावर्टी ?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल: पावर्टी इन्क्रीज।

श्री दामोदरलाल व्यास: अकाल की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, उसके साथ साथ समाज विरोधी तत्वों के द्वारा राजस्थान के अन्दर गड़बड़ी करने की कोशिश की जाती है।

श्री दौलतराम सारण: तस्कर व्योपार!

श्री दामोदरलाल व्यास: उसको नहीं भूलना चाहिए। बहरहाल इन बातों से जरायम बढ़ते हैं। समाज विरोधी तत्व गड़बड़ी कराते हैं, डिमान्स्ट्रेशन कराते हैं, जो पीसफुल नहीं होते हैं, वायोलेन्ट होते हैं तब जरायम बढ़ते हैं। इसी कारण से राजस्थान में जरायम बढ़ते हैं।

श्री दौलतराम सारण: पोपूलेशन के पर्सेन्टेज के बढ़ने से जरायम नहीं बढ़ सकते क्योंकि आज पैदा होने वाला बच्चा बीस वर्ष के बाद में इस स्थिति में आएगा।

श्री दामोदरलाल व्यास: हमारे माननीय दौलतराम जी इस बात को भूल गये कि कल का नाबालिग आज बालिग हो गया है, बेरोजगार हो गया है, जरायम करने लग गया है। इस बात को नहीं भूलें। मैं बच्चों के लिए नहीं कहता, बच्चे जरायम नहीं करेंगे किसी हद तक...

श्री दौलतराम सारण: आज बच्चों को ही ज्यादा परेशानी होती है।

श्री दामोदरलाल व्यास: परिणाम इसका परमानेन्ट होता है, इससे आप इनकार नहीं कर पावेंगे। मैं मानता हूं कि जैसे जैसे पापूलेशन बढ़ती जायगी, नई नई प्राबलम खड़ी होती जायगी, इन्डस्ट्रीज का जैसे जैसे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रसार होगा पावर्टी बढ़ेगी, ड्रोट होगा, स्केअर सिटी कन्डीशन होगी, अनएम्प्लायमेंट होगा और समाज विरोधी तत्वों की कार्यवाही होगी तो आगे जाकर जरायम बढ़ेंगे यह नहीं भूलना चाहिए ?

यह कारण है राजस्थान के अन्दर, जो परसेंटेज बढ़ा है वह दूसरे पड़ौसी प्रान्तों से मुकाबला करेंगे तो ज्यादा नहीं है। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि आप इसे याद रखें कि पुलिस डिपार्टमेंट में इस बात की कोशिश की जा रही है कि बर्किंग आफ आफेन्स नहीं हो, जो भी रिपोर्ट लिखाने के लिये थाने में जाय उसकी रिपोर्ट लाजमी तौर से लिखी जाय, तो इसकी वजह से भी जरायम का परसेंटेज बढ़ा है।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : गरीब रिपोर्ट करने जाते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है।

श्री **दामोदरलाल व्यास**: मैंने बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन किया था कि जो कुछ पूछना हो, बाद में पूछ लें। मैं बीच में जवाब देने वाला नहीं हूं।

मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि 1967 में कुल 34497 केसेज रजिस्टर किये गये, उनमें से 5736 फाल्स केसेज थे। तो यह भी एक कारण क्राइम्स के बढ़ने का है। यह पोलिसी गवर्नमेंट की है कि जो भी पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करने जाय, उसकी रिपोर्ट को दर्ज किया जाय, इस लिनियेन्ट पोलिसी की वजह से इसलिये 34497 केसेज दर्ज हुए उनमें से पौने छ हजार केसेज झूठे पाये गये। तो इससे स्पष्ट है कि असली क्राइम में कोई इन्क्रीज नहीं हुआ है

दूसरा पोइन्ट, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट के लिये कई माननीय सदस्यों ने कहा। मैंने कहा कि भ्रष्टाचार हिन्दी का एक ऐसा शब्द है कि जिसको बार-बार से रगड रगड कर बोलें तो काफी एम्फेसिस होता है। पर अगर आप यह कहें कि पुलिस डिपार्टमेंट का हर एक आदमी खराब है, भ्रष्टाचारी है तो यह अन्याय होगा। इस डिपार्टमेंट में बहुत से ईमानदार हैं, अच्छे आदमी हैं। कुछ लोग गलत आदमी हैं और वे गलती करते हैं पर इसके साथ ही साथ मानना पडेगा कि सरकार ने बारबार तत्परता के साथ जिन्होंने गलती की, या जो भ्रष्ट पाये गये, या जिनके खिलाफ भ्रष्ट होने का आधार पाया गया उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की गई है। मैं तथ्यों के आधार पर बतलाऊंगा माननीय सदस्यों ने केसेज साइट किये हैं, बयाना से आये हुए माननीय सदस्य ने जितने केसेज साइट किये हैं, पता नहीं किससे जानकारी की, उनको आधे तथ्य ही मालूम हैं, अपना भाषण ठोक गये और सदन से चले गये पर मुझे उनका जवाब देना पडेगा। स्पेसिफिक केसेज को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर इन-एफिसियेन्सी का चार्ज लगाते हैं तो मुझे बताना पडेगा कि वह सही नहीं है।

मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट में, चाहे भ्रष्टाचार के केसेज हों, चाहे इन-एफिसियेन्सी के केसेज हों, या अनियमितताओं के केसेज हों, किसी के खिलाफ शिकायत आये तो तत्परता से कार्यवाही की जाती है। 1956 से एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट कायम किया गया, 1964 में विजिलेंस कमीशन कायम किया है, विजीलेंस कमीशन की रिपोर्ट पर बहस के समय मैंने निवेदन किया था।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: आपके राज्य में भले आदमियों को सताया जाता है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : सभापति महोदया, इनको रोका जाय। आपकी बात तो सही होगी, ठीक होगी पर समझ में नहीं आती है।

मैं अर्ज कर रहा था कि पुलिस का डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अफसरान के खिलाफ शिकायत होती है तो केसेज होते हैं तो विजिलैंस कमीशन देता है अगर विजिलैंस कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया है कि जितने मुकदमात में जांच की, जितने मामलों को एग्जामिन किया है और उनमें जो सरकार को रिकमण्ड किया है या आई.जी.पी. को रिकमण्ड किया है, वे उस रिकमण्डेशन से डिफर नहीं हुए हैं। जिनके खिलाफ केसेज साबित हुए हैं, उनके खिलाफ एक्शन्स हुए हैं यह मैं फीगर्स से बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कितने केसेज में डिस्मिस किया, कितने केसेज में सजा हुई कितने केसेज में चालान हुआ है, कितने केसेज में बरी हुए हैं।

इसके साथ दूसरा पोइन्ट आपका यह है कि जनता के साथ पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है।

श्री **केदारनाथ** : कम्पल्सरी रिटायरमेंट कितनों का किया गया?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : यह फीगर्स मैं दूंगा जहां तक जनता के साथ पुलिस के व्यवहार का प्रश्न है, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि पुलिस का जनता के साथ अच्छा, हमदर्दी का, मदद का और इज्जत का व्यवहार, बाइज्जत व्यवहार होना चाहिये। हमने पुलिस के आफीसर्स को एम्फेसिस किया है कि वे अपने मातेहतान को समझायें कि जनता के साथ उनका व्यवहार बाइज्जत होना चाहिये। ट्रेनिंग कोर्स में भी इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि उनको फरायज समझाये जायें कि सिटीजन्स के साथ वे अच्छा और बाइज्जत व्यवहार करें, उनका काम तकलीफ में जनता की मदद करना है। ताहम भी कहीं लेप्सेज हैं, कोई पुलिस अधिकारी जनता के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो उनको सजा दी जाती है।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: कोई सजा नहीं दी जाती थानेदार को···

श्री **दामोदरलाल व्यास** : रामानन्दजी उन्हें थोड़ा कन्ट्रोल तो करें, आपके पीछे बैठे हैं।

आपको छुट्टी है जो चाहे कहें।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार के मिस्बिहेवियर के मामले आते हैं तो हम एक्शन लेते हैं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज पुलिस के ऊपर बहुत बडी जिम्मेदारियां हैं। पिछले दिनों से देश में जो स्थिति पैदा हो रही है, उन हालात में केवल जरायम की इन्सदाद करना या जो लोग जुर्म करते हैं उन्हें सजा दिलाना ही पुलिस का काम नहीं रह गया है बल्कि लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन करने की भी जिम्मेदारी पुलिस पर आई है। मैंने कहा था कि देश में प्रत्येक आदमी को आजादी है कि शान्तिपूर्ण डिमोन्स्ट्रेशन करने की, प्रदर्शन करने की, भाषण देने की। यदि कोई शान्तिपूर्ण ढंग से डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, भाषण देते हैं तो उसमें पुलिस को दखल देने की आवश्यकता

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं पर जहां डिमोन्स्ट्रेशन्स वायलेंट हो जाते हैं वहां पुलिस को आगे आना पड़ता है। आप जानते हैं कि राजस्थान में पिछले दिनों इस साल में कितने एजीटेशन्स हुए, कितने पीसफुल हुए और कितने वायोलेंट हुए। चाहे पोलिटिकल पार्टीज के द्वारा एजिटेशन्स हुए हों, चाहे मजदूरों के द्वारा हुए हों, चाहे विद्यार्थियों द्वारा एजिटेशन्स हुए हों, चाहे भाषण के सवाल को लेकर एजीटेशन्स हुए हों, या और कोई बात को लेकर एजिटेशन्स हुए हों पर इन सालों के अन्दर एजिटेशन्स काफी हुए हैं और वे पीसफुल नहीं रहे हैं, आप सब माननीय सदस्य इसको जानते हैं तो केवल जरायम को रोकना, जो जुर्म करते हैं उनको सजा दिलाना, यही काम पुलिस का नहीं रहा है, आज के जमाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर है लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन करने की। देश में आज कहां पब्लिक प्रोपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो पुलिस को प्रोटेक्ट करना पडता, तो पुलिस पर आज के जमाने में कितनी जिम्मेदारी है, जो पहले कभी नहीं थी। जरायम की पोजीशन पब्लिक प्रोपर्टी के प्रोटेक्शन की पोजिशन, यह जुर्म करने वालों को सजा दिलाने की पोजीशन, मुकदमात गलत दर्ज हुए यह पोजीशन, वायोलेंस को रोकने की पोजीशन, और लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन करने की पोजीशन, इस सब पोजीशन्स को अगर आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि पुलिस का परफोरमेन्स बहुत अच्छा रहा है और संतोषजनक रहा है।

श्री रामचन्द्र: अच्छे आदमियों का दिल टूट गया है।

श्रीमती सभानेत्री: मैं नोहर से आने वाले माननीय सदस्य से फिर निवेदन करती हूं कि आप बीच बीच में इन्ट्रप्ट नहीं करें।

श्री रामचन्द्र: मैं रावतसर से आया हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास: माननीय सभापति महोदया, मैंने इस सम्बन्ध में निवेदन किया कि कुल जरायम कितने हुए और उनमें से कितने जरायम झूठे पाये गये। अब बताना चाहता हूं कि पुलिस ने इन सब के अलावा प्रवेन्शन आफेन्सेज और आफेन्सेज के लिये सजा दिलाने का ही काम नहीं किया है। इन्वेस्टीगेशन और चालान के फिगर्स को देखें तो सक्सेसफुल इन्वेस्टीगेशन्स 60 प्रतिशत केसेज में हुए हैं। आपको किताब से पता लग गया होगा। उसके रिकवरी 48 प्रतिशत केसेज, कन्विक्शन 85 केसेज। इसी तरह से मर्डर केसेज के अन्दर 74 केसेज चालान हुए हैं। बर्गलरी और चोरी के केसेज 17176 हुए हैं उनमें से 2024 फाल्स पाए गए, 40 प्रतिशत चालान हो गए, 44 प्रतिशत में रिकवरी हुई बाकी अंडर इन्वेस्टीगेशन हैं। तो इन तमाम बातों को देखते हुए पुलिस का परफोरमेन्स संतोषप्रद रहा।

इसके साथ संगीन मुकदमों को डिटेक्ट करने के लिए पुलिस इस साल कामयाब हुई खास तौर से आप खुद समझते हैं कि जरायम करने वाले लोग इन्टेलीजेन्ट होते हैं। जैसे कहा जाता है कि वर्स्ट क्रिमिनल आर बेस्ट ब्रेन्स। वह मोड्स आपरेन्डी हर समय नया सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से डिटेक्ट न हों तो पुलिस को ऐसे इन्टेलीजेन्ट लोगों से डील करना पड़ता है तो मुश्किल होता

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है। बर्गलरी को वर्कआऊट करना, मर्डर को वर्कआऊट करना जब उसकी शहादत नहीं होती है। मैं ऐसे दो तीन केसेज बताऊंगा जिसमें आपको मालूम होगा कि पुलिस ने क्या काम किया है। देश नोक मंदिर की चोरी हुई थी असली माल बरामद हुआ। दूसरी तरफ राजमहल में तीन लाख की चोरी हुई है स्टेशन हाऊस आफीसर आमेर ने उनको किस खूबसूरती के साथ माल को बरामद किया कि जिनकी चोरी हुई उनको पता नहीं था। (3) आम तौर से कुछ माननीय सदस्यों ने एक मर्डर केस का जिक्र किया है, चित्तौडगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जिक्र किया था वह मन्हाल का केस है। श्री मुकुट बिहारीजी ने भी कहा था, वह अब नहीं है। यह उलझा हुआ केस था जिसके अन्दर 5 आदमियों की निमर्म हत्या की गई। उसको लोकल पुलिस डिटेक्ट नहीं कर सकी और उन्होंने बिल्कुल आत्म हत्या मान लिया था लेकिन क्राइम ब्रान्च के सी.आई.डी. के एस.पी. ने बडी काबलियत के साथ वर्कआऊट करके हत्याओं का पता लगाया और 6 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया, शहादत भी बरामद कर ली। ऐसे अनेक मुकदमे मिलेंगे उलझे हुए जिनके अन्दर जैसा मैंने आपसे कहा अपराध करने वाले इन्टेलीजेन्ट लोग होते हैं और उनके अपराध को सुपर-इन्टेलीजेन्ट आदमी ही डिटेक्ट कर सकते हैं। सारी पुलिस को कन्डेम मत करो, खराब को खराब कहो और जो अच्छा है उसको अच्छा कहो।

परसों कार की चोरी को लेकर काफी बहस चली जो कार विद्युत् मंत्री के मकान से चोरी हुई। मैं इस समय इतना ही कह सकता हूं कि कार की कई चोरियां हुई हैं। मगर पुलिस ने कुछ कार चोरी करने वालों को पकड़ा है। मुझे आशा है कि जल्दी खासी मात्रा में बरामदगी होगी उस सिलसिले में। कार लिफ्टर्स की गेंग को पकड़ा है, तफतीश जारी है। उम्मीद है कुछ कारें बरामद होंगी। रहा सवाल इस बात का····

(श्री रामानन्द अग्रवाल के कुछ कहने पर) आप राजनैतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप यह क्यों सोचते हैं कि सवाल यहां पूछते हैं वह राजनैतिक दृष्टिकोण से है।

श्री दौलतराम सारण: चोर की दाढी में तिनका।

श्री दामोदरलाल व्यास: इसमें तफतीश दीगर कारों की भी हुई है और उनका पता भी मिल गया है। कार लिफ्टर्स को पुलिस ने डिटेक्ट किया है। तफतीश जारी है मुझे आशा है कि कुछ और कारें बरामद होंगी। पुलिस की एक तरफ ड्यूटीज ज्यादा बढीं, उसके साथ साथ आपको यहां याद रखना पडेगा····

श्री रामचन्द्र आर्य: 10 हजार रुपए परसरामजी के घर से चले गए, उसका पता नहीं लगा?

श्री रामानन्द अग्रवाल: कार का गुम होने का समय एस्टेब्लिश हो गया?

श्री दामोदरलाल व्यास: मेरे पास डिटेल्स नहीं हैं। तफतीश की फाइल से कुछ नहीं बता सकता। मैंने कल कहा था कि अगर किसी ने आपको सूचना दी है तो वह निराधार है कि हरिदेवजोशी के आदमी का इससे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सम्बन्ध है। रहा सवाल आप तफतीश की हालात जानते हैं आप मेरे पास आयें, इन-कान्फीडेन्स आपको बताऊंगा बशर्ते कि आप सीक्रेट रखें। पिछले वर्षों के अन्दर अनाज की समस्या रही, ड्राट रहा, तंगी रही, अनाज के भाव ऊंचे चले गए, पुलिस को ड्यूटीज दी गई कि यह एन्टी स्मगलिंग का काम करें और पुलिस ने बहुत सफलता के साथ काम किया। 1967 के अन्दर 14687 क्विंटल अनाज पकड़ा और 999 केसेज रजिस्टर किए गए, 1922 आदमियों को गिरफ्तार किया, 63 ट्रक्स, 20 ट्रैक्टर्स और 60 साइकल्स गिरफ्तार की गई। स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया।

यहां डकैतियों की बात की गई है। जबसे राजस्थान बना, मैं पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता, पुलिस के इतिहास ब्राइट है जहां तक डैकेतों को लिक्वीडेट करने का सवाल है, एस.पी. से लेकर जवानों तक ने कुर्बानियां की हैं। इस साल डकैतों की समस्या अपने यहां नहीं थी। खास तौर से सवाई माधोपुर और भरतपुर के बोर्डर्स पर कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं। जो गैंग्स अब पैदा हो गई हैं मध्यप्रदेश में आपरेट करती हैं, डिफीकल्ट टेरेन है, चंबल रेवाइन्स हैं, उनके वे काम करते हैं मध्यप्रदेश यू.पी और राजस्थान के बोर्डर्स पर। और माननीय सदस्य जिन्होंने रेवाइन्स को देखा होगा वे महसूस करेंगे कि डकैत तो क्या फौज भी हो, तो गायब हो सकती है। बड़ी डिफीकल्ट पोजीशन के अन्दर पुलिस को बोर्डर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इस साल 12 डकैत मारे गए, 38 गिरफ्तार हुए, 16 किडनैप में से 15 को छुड़ा लिया गया····

श्री नन्दलाल दडवासो (किशनगंज): मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। मैं आपकी प्रगति रिपोर्ट को चुनौती देता हूं।

(शोरगुल)

श्री सभानेत्री: स्पष्टीकरण नहीं किया जायगा।

श्री श्रवणलाल: इस प्रकार मंत्री महोदय बचकर निकल रहे हैं······

श्री नन्दलाल दंडवासो: बाद में भूल जायेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास: अभी कटौती प्रस्तावों के जवाब देने हैं। इतने स्टेटमेंट्स देने हैं जिनके लिए आसन ने आदेश दिए हैं उनमें काफी समय लगेगा। जो स्पष्टीकरण करवाना चाहें बाद में पूछ लें। बीच में मेहरबानी करके दखल न दें। 43,000) में से 23,200 की वसूली हुई। वे काम करते हैं मध्य प्रदेश और यू. पी. की वोर्डर पर आपरेट करते हैं, उनमें खास खास जंघा, रूपा, महाराजा, रामचरण ऊर्फ बागल विल्ला, ग्यारसा, हीरालाल, किरोडा ये काफी डेन्जरस, खतरनाक डकैत थे, उनको पुलिस ने लिक्विडेट किया है। अब भी काफी पुलिस और आर. ए. सी. लगा रखी है। इन बोर्डर्स पर और इस बात का इन्तजाम किया है कि डकैतों की वारदातें नहीं हों। 1-1-68 से सिर्फ एक डकैती राजस्थान में हुई है। हमारे एडजेसेन्ट जो डिस्ट्रिक्ट हैं मुरैना उसमें 40 डकैतियां हुई हैं और 28 कत्लें हुई हैं। 1-1-68 के बाद हमारे यहां एक डकैती हुई है और वहां इतनी हुई हैं। यह इस बात को साबित करती है कि पुलिस को डी. आई. जी. ने और आई. जी. ने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अपनी निगरानी में लगा रखा है। यह हो सकता है मैंने आपसे पहले भी कहा परफेक्ट क्लेम तो नहीं करता हूं कहने का मतलब यह है कि हम मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि डकैतियों को लिक्विडेट करें और हमारे इलाके में इस प्रकार की वारदातें कम से कम हों। यह भी न समझ लें कि कतई लिक्विडेट हो गई है और जैसा मैंने आपसे कहा माननीय सदस्यों को भी इनको रोकने के लिये सहयोग देना चाहिये। चाहे वे करप्शन के केसेज हों, चाहे आर्डिनरी क्राइम के केसेज हों उसके लिये इस बात की जरूरत है कि जनता का सहयोग मिलना चाहिये। क्राइम डिटेक्शन की जरूरत है। क्राइम के डिटेक्शन के अन्दर और मर्डर के अन्दर पुलिस को पूरा सहयोग दें तभी जाकर हम कामयाब हो सकते हैं और डिटेक्शन में....

श्री दौलतराम सारण : यह तो आप भी मानते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी अप्रेल के महीने में हम एक क्राइम वीक मना रहे हैं। उसमें रेडियो से, भाषणों से, पेम्पलेट से, लाऊडस्पीकर से पब्लिसिटी करेंगे कि जनता इन मामलात के अन्दर पुलिस को ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे। यह तो मैंने आपको उन मुद्दों पर अर्ज किया है जो 3-4 मुद्दे माननीय सदस्यों ने अपने इस कट मोशन के अन्दर पेश किये है। जहां तक करप्शन के केसेज का सवाल है मैं अभी आपको इसके आंकड़े देता हूं। 66-67 में 795 केसेज हैं, 398 कम्पलेन्ट विजीलेन्स कमीशन को पुलिस आफिसर्स के खिलाफ रिपोर्ट के लिये भेज दिये हैं। उस पर कार्यवाही की जा रही है। 67 में 2764 डिफाल्टर्स हैं उनके लिये डिपार्टमेण्टल कार्यवाही की गई है जिसमें कार्यवाही करने के बाद सी. सी. ए. रूल्स के अन्तर्गत 64 डिसमिस हुये हैं, 50 डिसचार्ज हुये हैं, 75 के ग्रेड इन्क्रीमेन्ट स्टाप किये गये हैं, 210 को वार्निंग दी गई है इस तरह करीब 910 हैं। सी. सी. ए. रूल्स के अन्तर्गत 657 ग्रेड इन्क्रीमेन्ट रोके गये हैं 57 को रिकार्डेड वार्निंग हुई है, 1854 को वार्निंग हुई है इस तरह कुल मिलाकर 2064 को सजा दी गई है। जहां तक एन्टीकरप्शन का सवाल है विजीलेन्स कमीशन की रिपोर्ट में आपको जो विवरण दिया गया है पुलिस परसन के खिलाफ कितने केसेज चालान किये गये हैं। पुलिस के बिहेवियर के लिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें आई. पी. एस. कितने हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें आई. पी. एस. आफिसर नहीं हैं। यह डिपार्टमेन्टल ऐन्क्वायरी इन रेसपेक्ट आफ अंदर आफिसर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आर. ए. एस. कितने हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास डिटेल्स नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह मैं दे दूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : डिटेल्स आपके पास हैं तो मेरे पास भी हो सकती हैं फरक इतना ही है कि मेरे पास सही तरीके से हो सकती हैं और आपको जो दी गई हैं, वह गलत तरीके से हो सकती हैं। इस बात की कोशिश की है कि आई. पी. एस.

One I. P. S. officer has been censured for your information Sir.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जहां तक पुलिस तसहुक का सवाल है जब कोई शिकायत पेश हुई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। माननीय सदस्यों ने बयाना के अन्दर पुलिस के केस को बताया, सारी बातें इधर उधर की बताई मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि और उनको इस बात की अर्ज कि सरकार ने जो एक्शन लिया वह भी बताना चाहिये था। रेलमगरा में श्याम सुन्दर है ईमानदारी के साथ उनको यह कहना चाहिये था, पुलिस ने फौरन उसको गिरफ्तार किया और उनके साथियों को गिरफ्तार करके अदालत में चालान किया गया। आज वह केस अदालत में है। यह भी कहना चाहिये था कि किसी मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं, जरूर हैं। वे मेरे रिश्तेदार हैं मगर उनका चालान किया गया है, मैंने उन्हें पकडवाया है –

(सरकारी पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गई)

इसलिये कि वे सरकारी काम में जुर्म करते हैं तो सजा मिलनी ही चाहिये मैंने स्वयं ने कहा कि यह रियायत नहीं जा सकती है। उसी तरह चित्तौड के साहसी को लेकर कहा। अब भीलवाडा मिल मजदूर की हत्या कर दी सभापति महोदया, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस मिल मजदूर की हत्या के मामले को लेकर जो बात कही। उसका पोस्ट मार्टम हुआ है, उसकी मौत स्वाभाविक रूप में हुई है। पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में यह बात पाई गई है कि उनकी मौत शोक से हुई है। कहीं उनके चोट के निशान या इस तरह की कोई बात नहीं पाई गई है। कुछ अधिकारियों की तत्परता की वजह से उनका मेडीकल एग्जामिनेशन हो गया और यह बात साबित हो गई कि प्योरिलि इट इज ए नेचुरल डेथ। अगर हत्या की गई होती तो कत्ल के निशान होने चाहिये, मजिस्ट्रेट की इस बारे में एन्क्वायरी हो गई और इसके अलावा आप क्या चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डाक्टर्स और पुलिस वाले तो एक ही हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : वक्त आता है तो डाक्टर और पुलिस वालों को दोनों को सजा देते हैं।

श्री श्रवणलाल : कभी कभी तो आपकी भी नहीं चलती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो आपके विरोधी हैं, उनको तो रगड देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ठीक है कि एक सहासी को चित्तौड के अन्दर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई।

सभापति महोदया, इस शख्स के मरने पर मेजेस्ट्रियल इन्क्वायरी हुई, एस. डी. एम. ने इन्क्वायरी की। उसका रिजल्ट यह रहा कि उसकी मौत उस रोज नहीं हुई पिछले रोज कुछ आपसी दो दलों में झगडा हो गया उस समय इसके चोट आयी थी। फिर भी हमने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिये।

उसको गिरफ्तार किया उससे पहले उसका डाक्टरी मुआयना हो चुका था। वहां एस. डी. एम. ने यह कहा कि पुलिस इस सारे मामले में इननोसेन्ट रही। यह शिकायत आने पर कागजात मंगाये गये, छानबीन की गई अभी तक उसकी इन्क्वायरी हो रही है क्योंकि पहली इन्क्वायरी से हमें भी इत्मीनान

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं हुआ। मैं इनके साथ तसद्दुक नहीं हुआ। कागजातों के शहादत से वाकयात की पूरी जांच करके आखिरी तह तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसलिये मैं इस बारे में सही तौर पर नहीं कह सकता कि इन्क्वायरी के बाद क्या नतीजा रहेगा इसलिये मैं इस बारे में आपको सन्तोष नहीं दिला सकता।

प्रतापगढ का एक केस महिला को उडाने के बारे में था। मैं यह कहना चाहता हूं जब से दुनियां बनी है तब से मर्डर, चौरियां डकैतियां अपहरण आदि के मामले होते रहे हैं। हर समय में इसके रोकने के लिये कार्यवाही की जाती है। इसके बारे में भी तत्परता से कार्यवाही की गई। प्रतापगढ पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार करके उसका चालान अदालत में पेश कर दिया है। पुलिस ने किसी के साथ रियायत नहीं बरती है।

हीरालाल सरपंच के मामले को सादडी सोना कान्ड से जबरदस्ती मिलाने की कोशिश की। माननीय सदस्य को स्वप्न में भी सादडी सोना काण्ड ही दिखायी देता है। इसका ताल्लुक सादडी सोना काण्ड से बिल्कुल नहीं। हीरालाल सरपंच के मरने के बारे में ननवाणाजी ने प्रकाश डाल दिया है। वह मामला क्या है। इनको मारने वाला छोटू खां बलाई और दाना था। बलाई तो मारा गया और दाना गिरफ्तार हो गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो सादडी सोना काण्ड के चक्कर में मत पडो, थोडे दिन का बुढापा है, ऐसे ही निकल जायगा। आप शोषित दल बनाओ। आप से तो मंडल ही अच्छे रहे।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : ब्यावर से आये हुए माननीय सदस्य ने कुछ केसेज सदन में रखकर इस बात को बताने की कोशिश की कि पुलिस हर मामले में दस्तन्दाजी करती है। इसमें पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। उन्होंने दो मामलात बताये एक तो टाटगढ का 670 रुपये का। इस मामले की जांच डी. एस. पी. को दी गई उन्होंने जांच नहीं की जान बूझकर कागजात पडे रखे। दूसरे डी. एस. पी. को दी गई उसने प्राइमाफेसी केस बना कर भेजा है, उसके ऊपर कार्यवाही की जायगी। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट को केस रजिस्टर करके कार्यवाही करने के लिये लिख दिया गया है और कान्स्टेबिल और एस. आई. को सस्पेन्ड कर दिया गया है। इससे आपको यह मालूम हो जायगा कि हम किसी को शील्ड करना नहीं चाहते अगर करना ही था तो इसको दुबारा जांच के लिये क्यों भेजते। प्राइमाफेसी मामला साबित हुआ और हमने एक्शन लिया। आप इस बात को अपने मन से निकाल दीजिये कि कोई करप्शन केसेज हो या कोई जरायम करता है उसको हम कभी बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको ढूंढने से भी एक केस नहीं मिलेगा जिसमें आप हम पर यह इल्जाम लगा सकें कि हमने एक्शन नहीं लिया।

दूसरा मामला लोन देने का आपसी मामला है। जिसमें कोई जरायम कमिट नहीं होता। लोन देने का सवाल है वह सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर का हो सकता है। आप मुझे क्षमा करेंगे इसमें थिन डिस्टिंक्शन है। पुलिस इसको देखती नहीं है तो अच्छा करती है। यह क्लीअर कट क्रिमीनल ओफेन्स नहीं बना। सिविल नेचर का थिन डिस्टिंक्शन है इस पर दो राय जरूर हो सकती है। सिविल

(श्री दामोदरलाल व्यास)
नेचर का है इस पर भी दो राय हो सकती है। प्राइमाफेसी सिविल नेचर का डिसप्यूट है।

तीसरा मामला उन्होंने झण्डू फाइनेन्स कम्पनी का उठाया। जिस समय वे कह रहे थे उसी समय मैंने कहा था आपको मिस गाइड किया गया है। झण्डू फाइनेन्स कम्पनी को सारा हिन्दुस्तान जानता है। यह एक फ्रॉड है। सारे राजस्थान के अन्दर इस फाइनेन्स कम्पनी के बोर्ड लगे हुए है। इसका जो प्रोप्राइटर है वह गंगानगर का रहने वाला है। इसके बारे में गंगानगर के साहबान ज्यादा बता सकते हैं। इसके लिये मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस कम्पनी के खिलाफ जयपुर डिवीजन के हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर इस कम्पनी के खिलाफ केसेज रजिस्टर हैं। इसके ओरीजनल अकाउन्ट्स अभी तक आडिट होकर नहीं मिले हैं क्योंकि इस कम्पनी के हैड आफिस से वहां की पुलिस ने इसके खिलाफ कुछ केसेज में इसका चालान हुआ है। माननीय सदस्य ने इस बात की कोशिश की कि वह मेरे इलाके का रहने वाला है लेकिन आपको मालूम नहीं उसका प्रोप्राइटर कालानी वालानी कोई नहीं इसके प्रोप्राइटर मुजफरहुसेन हैं जो स्वतन्त्र पार्टी के एक कार्यकर्त्ता हैं।

श्री **फतेहसिंह** : यह आप गलत कह रहे हैं श्रीमान् ये पुखराज कालानी के कोई रिश्तेदार हैं।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : ये मुजफरहुसेन ये स्वतन्त्र पार्टी के नफीस हैं, स्वतन्त्र पार्टी के नाक हैं ?

श्री **दिग्विजयसिंह** : किसी भी पार्टी के हों हम तो यह कहते हैं इसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाये।

श्री **फतेह सिंह** : भंवरलाल जी ने इनका नाम लिया है ?

श्री **दिग्विजयसिंह** : पार्टी में तो लोग आते जाते रहते हैं हम तो यह चाहते हैं किसी भी पार्टी का हो उसको आप सजा दें।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : आपसे यह डिफैक्ट होकर चला गया मालूम देता है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : ये उन लोगों में हैं जो जेल जाने के आदी हैं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वैसे ही आदमी हैं जैसे आपके पास जसराज आया है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : मैं मंत्री महोदय आपसे जानकारी चाहता हूं क्या इस कम्पनी को वाइन्ड अप कर दिया है या अभी वर्किंग में है ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : सारा मामला ही फ्राड था एक आदमी बेईमान था सब को फंसा लिया।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : तब तो वह चीफ मिनिस्टर बनने लायक है, यह तो सुखाडियाजी का भी ताऊ निकला।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : इसीलिये मैं अर्ज कर रहा था जवाजा वाली जो बात माननीय सदस्य ने बतायी उसके बारे में कुछ दिनों पहले माननीय खेतसिंह जी ने सदन में बताया था इसमें एफ. आर. दे दिया गया इस मकदमें की तफतीश रिओपन कैसे करें..

श्री **विजयसिंह रावत** : मैं पुलिस स्टेशन जवाजा जाकर आया हुं नहीं की गई ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**: मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि एस. पी. ने जो सूचना उनको दी है उसके आधार पर जवाब दिया गया है । माननीय सदस्य इस बात को न भूलें कि हम इस बात को समझते हैं कि सदन में गलत जवाब देने के क्या परिणाम हो सकते हैं । इसलिये इस बात का यकीन रक्खें ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ।

श्री **दामोदर लाल व्यास** : आप उनके पास चले जाइये । वे यकीन दिला देंगे । इन्वेस्टिगेशन को रिओपन कर दिया है । रिओपन करने में हमें कोई संकोच नहीं होने वाला है ।

अब जो एडजोर्नमेन्ट मोशन जिनको डिसअलाऊ किया गया है और जिसके लिये मेरे कमिटमेन्ट है उनको ले लेता हूं ।

मेजर श्री फतेहसिंह: सभापति महोदया, इस पुलिस विभाग की नीति से सम्बन्धित बात ही होगी उससे सम्बन्धित प्रश्न ही होंगे जो बहुत जरूरी हैं ।

श्री **रोशनलाल शर्मा** : फिर हम भी प्रश्न करेंगे ।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : एक सहाब को इजाजत दी जावेगी तो बहुत से खडे हो जावेंगे । इस परम्परा को तोडूंगा नहीं ।

इससे पहले कि माननीय, वाल्मिकी ब्राह्मण हैं नहीं, उनसे कमिटमेन्ट किया उपाध्यक्ष की आज्ञा से अब मैं बोर्डर की स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा ।

पुलिस की इतनी दिक्कत । दूसरी तरफ राजस्थान पाकिस्तान का सेंकडों मील लम्बा बोर्डर है । इतना ओपन बोर्डर और इसकी प्रिन्सिपली तो जिम्मेदारी भारत सरकार की है । बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां काफी मात्रा में तैनात है । इसके लिये दो तीन दिन पहले एडजोर्नमेन्ट मोशन लाया गया था बोर्डर पर बहुत से लोग इधर से उधर आते हैं और काफी एस्पाइज का काम करते हैं और पुलिस ने उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स राजस्थान की पुलिस दोनों मिलकर बराबर वहां काम कर रही हैं । अपनी बोर्डर से समाज विरोधी तत्वों एवं डिटेक्ट करने की कोशिश करने वालों को रोकती हैं, गिरफ्तार भी करती है, मुकद्में भी उन पर चलाती है पुश बैक भी करती है।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : अभी जानकारी मिली है कि हरिदेव जोशी की कार गीतादेवी बजाज के घर से रात को चोरी की गई और पाकिस्तान पहुंच गई ।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : यह बिलकुल झूठ है और मन गढंत बात है किसी की ।

यह बात सही है कि कुछ अफवाहें बोर्डर से इस प्रकार की आती हैं कि कुछ आर्म्स का मूवमेन्ट होता है, कुछ हवाई जहाजों के उडने की बात होती है कभी सडक और एरोड्रोम की बात आती है । परन्तु असल बात यह है कि बोर्डर का जहां तक सवाल है जैसे मैंने कहा बी. एस. एफ. और हमारी पुलिस का इन्तजाम काफी सन्तोषप्रद है और इस तरह के समाज विरोधी तत्वों को रोकने के लिय पूरी कोशिश की जाती है ओपन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बोर्डर की वजह से कुछ दिक्कत हो जाती है तो गिरफ्तार भी करते हैं और राजस्थान ही एक ऐसी स्टेट है बोर्डर पर जिसने 3 एस्पाइज के केसों को कामयाबी के साथ कोर्ट में पुट अप कर रखा है। इससे साबित हो जाना चाहिये कि एस्पीनेज के केसों में जो गलत तरीकों से घुस आते हैं तो मिलिटरी इन्टेलीजेन्स के लिये तो उनके खिलाफ बराबर कार्यवाही की है ।

इससे अधिक बोर्डर के मामलों में जैसा जैसा आप सब जानते हैं, ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा । लोकली पेट्रोलिंग का जहां तक सवाल है समय समय पर बी एस. एफ. और अपनी पुलिस के अधिकारियों की मीटिंगें होती रहती हैं। स्टेट लेवल पर बी. एस. एफ. के रुस्तमजी, चीफ सेक्रेटरी जी, आई. जी. होम सेक्रेटरी से मिलकर सारे बोर्डर के मामलों पर प्रोब्लेम्स पर डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, मिलिटरी सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी पुलिस लोकल ही नहीं चार बटालियन होम गार्ड की रेज की जा रही हैं जो काफी होंगी इसके लिये। वे डिटेक्ट कर सकेंगे गलत लोगों को भी और वहां के लोगों में किसी प्रकार का भय पैदा न हो इसका ध्यान रखा जावेगा । स्पेशल पुलिस अफसर भी मुकर्रर कर रखे हैं। बी. एस. एफ. पुलिस के अफसर बराबर चैकिंग करते हैं। उन को देखते हुए वहां का जो काम है सन्तोषप्रद है ।

रोड्स की पोजीशन हमारे पी. डब्लू.डी मिनिस्टर सहाब ने अपने डिपार्टमेन्ट की मांगों के दौरान काफी अच्छी तरह बता दी थी। कुछ केसेज साइट किये हैं। भैरोंसिहजी हैं नहीं, उनको मैं बता दूंगा। कुछ बजट स्पीज में भी कहा गया था । वास्तविक स्थिति वैसी नहीं है जैसी बताई है । इस बारे में जब मिलेंगे तो कहूंगा ।

कहा गया कि पाकिस्तान एग्रेसन के वक्त जिन लोगों के मकान, फसल, कुओं आदि को नुकसान हुआ उनको कम्पेंसेशन नहीं दिया गया । बकायदा सब को दिया गया है । डेमेज हुए कुओं की मरम्मत की गई है । गरज यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे पैनिक हो ।

ताहम जैसा कहा था आज रामकिशनजी से कहा और आप से सतीशजी मेरी बात हुई थी तो डिटेल में बोर्डर की बातें जानना चाहें आप लोग सदन में तो मैं तैयार हूं और किसी रोज मीटिंग डिस्पर्स होगी उसके आस पास बात कर लेंगे बैठकर उन बातों के बारे में जिन पर यहां बात नहीं की जा सकती। उन मुद्दों पर अलग से बैठकर चर्चा कर लेंगे ।

अब कुछ एडजोर्नमेन्ट मोशन थे उन पर स्टेटमेन्ट देने को कहा ।

श्री रामचन्द्र आर्य: जनसंघ के भैरोंसिहजी पर हमला हुआ उसके बारे में उत्तर नहीं दिया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : घबरा क्यों रहे हैं अभी उत्तर दूंगा, आपको ज्यादा चिन्ता है या उनको ।

मैं अपनी तरफ से पूरा जवाब दूंगा । सभापति महोदया जन संघ के नेता भैरोंसिहजी पर हमला हुआ और उसकी रिपोर्ट पुलिस में की गई। उस पर पुलिस ने फौरन

(श्री दामोदरलाल व्यास)
कार्यवाही की। झगडा होने के दो मिनट में पुलिस वहां पहुंच गई । रिपोर्ट दर्ज होने पर मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। तफतीश की गई । अदालत में केस गया । मुलजिम जमानत पर हैं। अभी जेर तफतीश है । तफतीश चल रही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चालान केस हो गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास: माननीय रामानान्दजी मुझे माफ करना । आपने अपनी सनद लौटा दी है क्या ? मुमकिन है आपकी इस तरह की बातों पर उस सदन को बर्खास्त कर दें कोर्ट हाई कोर्ट क्योंकि कानूनी दृष्टिकोण आपका ऐसा ही होता जा रहा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मुलजिमों के नाम ।

श्री दामोदरलाल व्यास: मुझे याद नहीं । एक सुशीला देवी शर्मा है । एक एक ओर है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सुशीला देवी को जानते हैं आप ?

श्री दामोदरलाल व्यास: जी हां ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कब से जानते हैं आप उसको ।

श्री दामोदरलाल व्यास: मेरे से पूछ रहे हैं ? जब से मुकद्दमा बना रिपोर्ट हुई तब से जानता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उससे पहले से नहीं जानते ?

श्री दामोदरलाल व्यास: जी नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह सही बात है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप पूछलें जाकर उससे । शायद आपकी मुलाकात होगी उनसे । दिल में क्यों रखते हो, जाकर पूछ लो ।

(7 म. प.)

एक तो अजमेर का मामला माननीय रावत साहब ने उठाया था कि सेंट आंस्लम स्कूल में एक नाटक खेला गया । मैंने कहा कि इस सेंट आंस्लम स्कूल में जो नाटक खेला गया उस मामले में वहां की आर्य समाज और वहां के प्रमुख लोगों ने वहां के जो हैड आफ दी इन्स्टीट्यूशन हैं उनसे कहा है और उन्होंने क्षमा मांग ली । उनका इरादा नहीं था कि किसी रिलीजन को वह ठेस पहुंचाते और उन्होंने यह सारा चैप्टर एक किताब में से लिया था और उसको कुछ गलत तरीके से पेश किया गया उसके लिए उन्होंने अफसोस जाहिर किया है

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वह किताब कौनसी थी उसको जब्त करने का सरकार इरादा रखती है ?

श्री विजयसिंह रावत : मैं एक मिनट के लिये आपको सूचना देना चाहता हूं । महर्षि दयानन्द के ऊपर नाटक खेला गया और उनके जीवन के ऊपर और हिन्दू के ऊपर और हिन्दुइज्म के ऊपर इतना कुठाराघात किया गया है कि वह देखा नहीं गया ....

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है मैंने कहा । उपेन्द्रनाथ अश्क द्वारा रचित एक

(श्री दामोदरलाल व्यास)
नाटक है उससे लिया था कोई उनका बनाया हुआ नहीं था। अब रहा सवाल कि वह वास्तव में किसी रिलीजन को ठेस पहुंचाता है या नहीं उसको हम अलग से देख रहे हैं। इतना ही कुछ आपको कह सकता हूं। आपके जितने भी कटमोशन्स थे सब का जवाब दे रहा हूं . .

श्री विजयसिंह रावत: मेरा एक चौकीदार का था।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा श्री रामानन्दजी अग्रवाल द्वारा मिसेस रेम्से डिप्टी इन्सपेक्ट्रेस आफ स्कूल्स के बारे में उनके चन्दा इकट्ठा किये जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। इस मामले में इतना ही बता सकता हूं कि यह मामला पुलिस में रजिस्टर हो गया, तफतीश हो गई और उसको अब और जोर से चलाने के लिए कार्यवाही की जा रही है और आप विश्वास रखें कि जो रसीदें पेश हो गई हैं उनके अलावा और रसीदें जहां कहीं मिल सकेंगी उनको तलाश किया जाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। एजूकेशन डिपार्टमेन्ट भी इसके लिए कार्यवाही करे उसके लिए हम अलग से उनकी तवज्जोह दिला रहे हैं . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि एजूकेशन डाइरेक्टर ने इस केस को पुलिस से वापिस लेने की सिफारिश की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास: मेरा अर्ज है कि पुलिस इस बात से पाबन्द नहीं है। हमने कह दिया है कि कोई कहे किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। हमको कायदे से कार्यवाही करनी है। जिसने जुर्म किया उसको सजा दिलानी है हमारा एजूकेशन डिपार्टमेन्ट कोई ताल्लुक नहीं है।

अब रहा सवाल श्री मदनसिंहजी दांता के प्रश्न का वह यहां नहीं हैं और उनकी अदमगैर मौजूदगी में यदि आप सभापति महोदया इजाजत दें तो दो मिनट में उनकी बात भी कह दूं। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के खिलाफ 25-3-68 को यह कहा था कि उनके खिलाफ शिकायत ए.सी.डी. में की थी लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। इस मामले में कहना चाहता हूं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के उप शासन सचिव का अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 46।उ.स. (चि) 67 दिनांक 3-6-67 जो इस विभाग में प्राप्त हुआ, जिसके साथ वाहन आर.एस.एल. 2794 के चालक श्री गंगराज का पत्र व तीन फोटे आये थे और यह चाहा था कि इनके सम्बन्ध में जांच की जाकर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ प्रतिवेदन भेजा जावे।

जांच से मालूम हुआ कि उक्त जायदात विभाग की वाहन राजकीय कार्य हेतु दांता रामगढ गई हुई थी वापिसी पर अधिदर्शक श्री राजाराम ने उस पर श्री रमेचन्द्र अग्रवाल अधिशासी अभियन्ता, सेवा नियोजन अधिकारी तथा मुन्सिफ जिन तीनों का मुख्य स्थान सीकर था, के हेतु श्री महावीर प्रसाद चिकित्सा अधिकारी दांता रामगढ द्वारा क्रय की हुई गेहूं की बोरी भी वाहन चालक के कहने के विरुद्ध उस जीप में सीकर भेजी। जांच से यह भी पाया गया कि गेहूं की बोरियें लाने के सम्बन्ध में 24 रुपये 64 पैसे एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर द्वारा वसूल किये जाकर राज कोष में जमा कराये जा चुके थे।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जांच से इसमें श्री राजाराम ओवरसीयर की त्रुटि पाई गई किन्तु क्योंकि अधिदर्शक सेवा मुक्त पूर्व में ही किया जा चुका था, इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि गेहूं की बोरियें एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के लिए भेजी गयी थीं जो इन्जीनियर हैं उनकी गलती पाई गई लेकिन क्योंकि वह सेवा मुक्त हो चुके हैं इस सम्बन्ध में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब यह कहना कि क्यों नहीं की गई यह सही नहीं है। इन्जीनियर के खिलाफ जांच करके सही रिपोर्ट दे दी कि वह वास्तव में गेहूं ले जा रहे थे परन्तु उस इन्जीनियर ने पैसे जमा करा दिये थे। उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जाती लेकिन क्योंकि वह पहले से ही सेवा मुक्त हो गये इसलिए अब ठाकुर साहब को भी सब्र पकडना ही पडेगा।

माननीय रामानन्दजी अग्रवाल ने करौली के मामले को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव रखा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि करौली में एक साधारण सी घटना हो गई। उसमें दो कम्यूनिटी इन्वाल्व हो गई। परन्तु आपने जो अपने स्थगन प्रस्ताव में रखा मैं अर्ज करूंगा कि वह सही नहीं है। मैं तो एम्फेटीकली डिनाई करता हूं कि किसी एक कम्यूनिटी ने दूसरी कम्यूनिटी की दुकान को लूटा हो या लूट की कोई घटना हुई हो। यह बिल्कुल निराधार बात है। साधारण सी बात को लेकर दो कम्यूनिटी के अन्दर झगडा हो गया, कहा यह जाता है कि एक लडकी वहां कुछ सामान खरीदने आई थी और एक कम्यूनिटी के लडकों ने उसको छेड दिया और उसके ऊपर दूसरी कम्यूनिटी के लडकों ने उसको मारा और उस पर झगडा हो गया और दूसरी कम्यूनिटी ने उसको रिटेलीयेट किया और दोनों कम्यूनिटी ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। करीब 16 आदमी जख्मी हुए और एक आदमी के ज्यादा चोटें आईं और किसी को ज्यादा चोटें नहीं आईं। उसको तुरन्त अस्पताल ले जाया गया और उसका उपचार किया गया और उसमें मुलजिमान की गिरफ्तारियां की गईं और दोनों कम्यूनिटी ने मिलजुल कर अपनी अपनी गलतियों को महसूस करके दोनों कम्यूनिटीज में सद्भावना पैदा करने की दोनों ने कोशिश की और अब वहां बिलकुल शांत वातावरण है और दोनों कम्यूनिटीज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और जहां तक मुकदमों का सवाल है उसमें अदालत अपना कानूनी मामला लेगी। इसलिए करौली का मामला सिर्फ इतना सा था।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सब लोग जमानत पर आ गये?

श्री दामोदरलाल व्यास: आपने मसला नहीं उठाया था यह इसलिए जवाब कैसे दूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सब लोग जमानत पर हैं। मुझे मालूम हुआ है कि इसमें एक कम्यूनिटी वालों की जमानत हो गई और दूसरे तरफ की नहीं हुई।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने कहा है कि सब लोग जमानत पर हैं।

अब एक प्रश्न श्री हरजीराम ने उठाया था। थाना लाडनूं जिला नागौर में शैतान सिंह पुत्र भवानी का घर दिनांक 14-2-68 को दिन के 12 बजे उसी गांव के श्री भंवरसिंह,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

श्री गणपतसिंह, श्री हनुमान सिंह, श्री वीरधवलसिंह, श्री गोपालसिंह ने लूट लिया और उसका सामान ले गये। घर जो कच्चा बना हुआ था, उसके चारों ओर बाड थी, उसको भी नष्ट कर दिया। इस घटना की इत्तला पुलिस थाना लाडनूं में उसी रोज कर दी गई लेकिन पुलिस मौके पर दूसरे रोज गई और कार्यवाही कुछ भी नहीं की गई। इसके बाद प्रार्थी ने उच्च अधिकारियों को और गृह मंत्री महोदय को दरख्वास्तें भेजीं लेकिन आज तक उस गरीब की कोई सुनवाई नहीं हुई।

इस प्रकार की घटना हो जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से सारे गांव में असंतोष फैला हुआ है। पुलिस स्थानीय राजनैतिक कार्यकर्ताओं के दबाव से आई हुई है। ऐसी स्थिति में इस मामले पर अविलम्ब विचार किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव माननीय श्री हरजीराम ने दिया है।

उपरोक्त विषय पर अधीक्षक आरक्षी नागौर से बातचीत की गई तो पाया जाता है कि दिनांक 14-2-68 को रात को थाना लाडनूं पर श्री शैतान सिंह मुस्तगीस द्वारा यह इत्तला दी गई कि दिन में जब वह घर पर नहीं था व उसकी स्त्री घर पर अकेली थी तब गणपत सिंह, भंवर सिंह व हनुमान सिंह पहुंचे और उसके घर की बाड तोड डाली उसकी स्त्री द्वारा मना करने पर उसकी स्त्री के गले से जेवर व सांकल छीन कर ले गये रिपोर्ट में किस मुलजिम द्वारा जेवर छीने गये उसका उल्लेख नहीं था। इस सूचना पर एक मुकदमा दफा 447 व 392 दर्ज किया जाकर तफतीश प्रारम्भ की गई। इसलिए यह कहना कि उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और कार्यवाही नहीं की गई यह गलत है। तफतीश चल रही है और नागौर के एस पी. से दरयाफ्त किया कि उसमें आगे हालात की सूचना हमको दे।

माननीय रामानन्द जी ने मुस्लिम वक्फ प्रापर्टी के सम्बन्ध में पूछा था उसका मैं सदन में जवाब दे चुका था इसलिए उसमें अब और आगे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यही कहा था कि कलेक्टर और एस.पी.की रिपोर्ट थी। जिन तथ्यों के ऊपर रिपोर्ट भेजी वह मैंने बता दिये थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके स्पेसिफिक 5 केसेज दिये थे उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय शंकरलालजी जोपाली से आये हैं....

(श्री रामानन्द अग्रवाल) वह आज हैं नहीं। पहले जवाब दिया गया है। दुबारा पूछेंगे तो जवाब दूंगा।

तो मैं माननीय शंकरलाल जी पाली ने एक सवाल यहां सदन में उठाया था कि कोई बिसपुर के अन्दर कोई कत्ल हो गया उस मामले के अन्दर यह बात है 8-3-68 की यह बात है और मकतूल का नाम खूबाराम वार्ड पंच। कहा जाता था कि इसने मौजा बिसपुर की गोचर भूमि पर काश्त कर ली। इस पर 3-4 आदमियों ने जो राजपूत जाति के बताये जाते हैं इसको लकडियों आदि से मारा और मारने के बाद लाश को कुए में डाल दिया। लाश को कुए में से बरामद किया गया, और मुकदमा दफा 148, 302 ताजिरात हिन्द कायम किया गया। इसमें

(श्री दामोदरलाल व्यास)
दो आदमी गिरफ्तार किये गये हैं और शेष फरार हो चुके हैं। उनकी तलाश जारी है। उनको गिरफ्तारी करके मुकदमा अदालत में चालान कर दिया गया है। गवाहानों के बयानात 164 जाप्ता फौजदारी में कलमबन्द कराये जा चुके हैं।

श्री **शंकरलाल** : जिला सहकारी समिति के बारे में आपने नहीं कहा।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : मैं भूल जाऊं तो आप याद दिला देना। मैं कह रहा हूं।

माननीय श्री विट्ठल प्रसादजी का एक स्थगन-प्रस्ताव था असनावर के अन्दर डकैती के मामले का। उसके अन्दर मेरी यह अर्ज है कि 22-3-68 को रात के आठ बजे 15-20 आदमियों का गैंग लाठियां वगैरह लेकर बडोदिया गांव के अन्दर पहुंचा और बसन्तीलाल जो है उसके मकान के दरवाजे को उन्होंने खटखटाना शुरू किया और नहीं खोला तो उन्होंने उसके दरवाजे को तोड़ा। उसके अन्दर घुसकर आर्नामेंट्स जेवर वगैरह जो 35-40 हजार रुपयों के थे उनको लूटा। उसके बाद गैंग के पुरुषों ने उसके खानदान के लोगों पर हमला किया। किसी के ग्रीवियस हर्ट नहीं लगी। उनको मामूली चोटें आई। एस. एच. ओ. असनावर में था। उसको इत्तिला मिलते ही वह फौरन पहुंच गया क्योंकि असनावर वहां से 5-6 मील के फासले पर है डी. वाई. एस. पी. भी मौके पर इमीजियेटली खबर पाकर पहुंच गये। पुलिस पार्टी ने डकैतों का पीछा किया, परन्तु डकैत निकल गये और गिरफ्तार नहीं हो सके। ऐसा मुस्तबा है कि वे डेक्योट्स बन्जर्स के गैंग के थे, और पुलिस इस बात के लिए कोशिश कर रही है कि उनको गिरफ्तार करके उनके साथ तफतीश की जाय।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह डकैती कब हुई ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : वह तारीख मैंने बताई है 22 मार्च, 1968।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह जो आपने डकैती मार्च तक की बताई थी तो उसमें एक केस बताया था तो क्या वही केस था या दूसरा केस ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : नहीं दूसरा केस था।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : दो हो गये।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : 22 तारीख के पहले वह स्टेटमेन्ट तैयार हो गया था।

तो मेरे ख्याल से पुलिस के अरेन्जमेन्ट काफी हैं और यह जो कारण है कि पुलिस की मिल्लत थी, यह सही नहीं है।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : पुलिस असनावर को पहले से ही डकैती की क्या सूचना थी ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : वह आप सुन लें कि उसमें गलतफहमी थी। पुलिस असनावर को इस डकैती की सूचना नहीं थी, बल्कि यह थी कि पटवारी, हलका रूपपुरा ने यह इत्तिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी थी कि एक नोटिस के बेसिस के ऊपर जो कि गांव के अन्दर चिपकाया गया था कि रमानी गांव के अन्दर डकैती होगी। यह इत्तिला थी कि इसलिए रवानगी गांव के अन्दर पुलिस अरेन्जमेन्ट

(श्री दामोदरलाल व्यास)
किया गया था। वहां पर 18 तारीख को डकैती होने की बात नोटिस में लिखी थी। वहां पर डकैती नहीं हुई, कोई इन्सीडेन्ट नहीं हुआ। इस मामले की कोई इत्तिला नहीं थी। रमानी गांव वहां से 10-12 मील के फासले पर है और माननीय सदस्य खुद इसको जानते होंगे।

श्री **प्रेमसिंह** : इसी गांव में यह दूसरी डकैती है। पहले भी एक और हो चुकी है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : आप रामचन्द्र जी के कहे में क्यों लगते हैं। उनकी बात दूसरी है। वह और हम बात कर लेंगे। आप अपने ढंग से कहें।

मैंने अर्ज किया कि आलम अली ने एक स्थगन-प्रस्ताव में यह कहा था कि और स्थगन प्रस्ताव को देखते हैं तो दिनांक 5-2-68 को श्री भूरामल सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा ने पुलिस थाना खन्डेला पर लिखित रिपोर्ट के जरिये श्री भूरा पुत्र बजा चमार चपरासी ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के प्रेषित करते हुए सूचित किया कि मुसम्मात चन्द्र कुंवर बेवा श्री चतरसिंह राजपूत सा. गोविन्दपुरा, श्री मुरलीधर बोहरा (ब्राह्मण) के मकान की गली में मरी पडी है। इस रिपोर्ट के प्राप्त होते ही वास्ते जांच हस्ब दफा 174 सी. आर. पी. सी. एस एच. ओ. पुलिस थाना खन्डेला फौरन मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। मौके पर एस. एच ओ. द्वारा जांच की गई तो मालूम हुआ कि श्रीमती चन्द्रकुंवर गई रात बिलकुल ठीक थीं परन्तु शरीर की जाहिरा चोटें ऐसी नहीं थीं जिससे प्रत्यक्ष में मृत्यु का कारण मालूम हो सके। अतः बाद आवश्यक कार्यवाही लाश पोस्ट मार्टम परीक्षण हेतु एम. ओ. इन्चार्ज अस्पताल श्री माधोपुर के पास भेजी गई।

दिनांक 6-2-68 व 7-2-68 तक जांच होती रही तथा दिनांक 15-2-68 को पी. एम. ओ. श्री माधोपुर से थाना पर पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें शरीर पर स्थान स्थान पर व गले पर कुल 19 खरोंचे वगैरा के निशानात पाये गये, तथा मृत्यु का कारण गला घोंट कर मरना बताया गया है। मृतक के साथ अब तक की तफतीश से बलात्कार किया जाना नहीं पाया गया है। न डाक्टर ने ही ऐसी राय दी है।

जांच से भी मुलजिमान गणपतसिंह, अमरसिंह एच. सी. एवं प्रेम पुत्र बैजनाथ ब्राह्मण सा. जयपुर संसारचन्द्र रोड द्वारा मुसम्मात चन्द्रकुंवर को मारने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हाथ होना पाया जाने से मुकदमा नं. 8 तारीख 17-2-68 धारा 302 ताजीरात हिन्द में दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू की गई।

मुल्जिम प्रेम पुत्र बैजनाथ ब्राह्मण एवं गणपतसिंह राजपूत को गिरफ्तार किया जा चुका है। एच. सी. अमरसिंह भी इस अभियोग में चाहा गया है अपनी ड्यूटी पर से अपनी गिरफ्तारी के संभावित भय से फरार हो गया है। जिसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। अभियोग पहले ही से दर्ज है व पुलिस उसको बचाने का किंचित मात्र भी प्रयत्न नहीं कर रही है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : ये सारे जुर्म हमारी ही ओर होते हैं।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : मेरे ख्याल से जितने भी स्थगन-प्रस्ताव थे जिनका जवाब देना चाहिए था उनका जवाब दिया गया है। माननीय सदस्यों का किसी का प्रस्ताव नहीं रहा।

श्री **श्रवणलाल** : मेरा रह गया।

श्री **दिग्विजयसिंह** : मेरा स्थगन-प्रस्ताव है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : आपको तो मैं वैसे ही जवाब दे दूंगा। आप चिन्ता न करें।

श्री **दिग्विजयसिंह** : वैसे ही कैसे दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ने आपको आदेश दिया था कि आप जवाब दे दें।

श्री **आलमअली** : वह औरत चार साल से बराबर . . .

श्री **दामोदरलाल व्यास** : मैं कह चुका हूं उनका तो जवाब दूंगा नहीं।

एक स्थगन-प्रस्ताव उनियारा से आये हुए माननीय सदस्य का था जिसके बारे में माननीय सदस्य बहुत उत्सुक हैं कि किसी गांव आवां में मारपीट हुई उसको ले लूं। उसके बारे में कह सकता हूं कि डी. वाई. एस. पी. ने जांच की है और सब-इन्सपेक्टर के खिलाफ कुछ एवीडेन्सेज रेकार्ड किये हैं। जांच और तफतीश मुकम्मल नहीं हुई है। वह मुकम्मल हो जायगी उसके बाद जो नतीजा निकलेगा उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री **दिग्विजयसिंह** : जांच करने के लिए वे आयें तो क्या उन्हें रिपोर्ट नहीं देना चाहिए था।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : देना चाहिए लेकिन मुकम्मल होने पर।

श्री **दिग्विजयसिंह** : उनका तबादला क्यों नहीं कर रहे हैं जब कि यह एस्टेब्लिश हो गया है और गांव वालों ने कहा है तो।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : सभापति महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बहस के दौरान कुछ तबादलों, तरक्की, एपाइंटमेंट्स के बारे में बातें कही हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि तबादले प्रेशर से किये जाते हैं तो प्रेशर इधर से नहीं आते हैं, उधर से आते हैं। इधर से कोई नहीं कहता है कि उसका तबादला किया जाय।

श्री **दौलतराम सारण** : हमें यही तो कहना है कि तबादले करना प्रेशर पर बुरी बात है। वैसे कोई शिकायत करे तो . . .

श्री **दिग्विजयसिंह** : आपने इस बात को विरोधी दल पर डाल दिया है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : आप शिकायत कर रहे हैं।

श्री **दिग्विजयसिंह** : हम शिकायत करते हैं तो सही बात के लिए करते हैं। कोई गलती करे उसका खमयाजा हम उठाने को तैयार नहीं हैं। हम किसी की सिफारिश नहीं करते हैं। आपके सदस्य ही सिफारिश करते हैं।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : सभापति महोदया, एक माननीय सदस्य सदन में सो रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, यह बात मैं कहना चाहता हूं कि तबादले एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड्स पर किये जाते हैं। यह कहना कि पोलिटिकल ग्राउन्ड्स पर ट्रान्सफर्स किये जाते हैं बिल्कुल सही नहीं है।

इसी तरह से आज माननीय सदस्यों ने पुलिस की मांग के ऊपर कुछ एपाइंटमेंट्स, प्रमोशन्स को लेकर बातें कहीं हैं तो मेरा अदब के साथ अर्ज करना यह है कि कान्स्टेबल से लेकर हाइएस्ट पोस्ट तक रेक्रूटमेन्ट और प्रमोशन के रूल्स बने हुए हैं। जैसे रूल्स यहां हैं वैसे शायद किसी डिपार्टमेन्ट में नहीं होंगे। कांस्टेबल्स के रेक्रूटमेन्ट के रूल्स हैं। हैड कांस्टेबल का प्रमोशन होता है उसके रूल्स हैं। हायर प्रमोशन के लिये एग्जामिनेशन है।

श्री रामचन्द्र आर्य: बीकानेर में एप्रूव्ड लिस्ट के मुताबिक प्रमोशन नहीं किये।

श्री दामोदर लाल व्यास: मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल का प्रमोशन बोर्ड के जरिये होता है एग्जामिनेशन्स होते हैं, टेस्ट होता है, परेड होती है, इन्टरव्यू होता है, फिर बनाया जाता है। इसी तरह से हैड कांस्टेबल से सब इन्सपेक्टर बनाया जाता है उसके लिये बोर्ड है एग्जामिनेशन्स आदि होते हैं। इसी तरह से सब इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर बनाया जाता है तो उसके लिए भी यही तरीका है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इससे ज्यादा फूल प्रूफ प्रबन्ध नहीं कर सकते।

श्री विजयसिंह रावत: एक बात और बतादें।

श्री दामोदर लाल व्यास: मैं खत्म नहीं करदू तब तक नहीं बताऊंगा। गलत परंपरा नहीं डालूंगा। आप पीछे पूछ लेना।

श्री विजयसिंह रावत: मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री दामोदर लाल व्यास: स्थगन प्रस्ताव की बात बाद में पूछते रहना। मैंने स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको इस बात के लिए कहूं कि पुलिस डिपार्टमेंट में किसी प्रकार का पक्षपात हुआ है तो मैं समझता हूं कि जब कभी भी सरकार के पास या आई. जी. के पास शिकायत हुई है तो बराबर उस पर एक्शन लिया है।

अब सभापति महोदया, मैं अर्ज करना चहाता हूं कि इस मांग पर जितने कट मोशन्स हैं उनको डील करने की कोशिश की है, ताहम भी मैं 315 कट मोशन्स का जवाब 3 दिन खडा रहूं तो नहीं दे सकता। इसलिये मैं कोशिश करूंगा कि जैसा पहले किया है मेरे डिपार्टमेंट्स से संबंधित जितने भी कट मोशन्स होंगे उनका जवाब आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा।

मेरी दूसरी डिमान्ड है मेडिकल के ऊपर

श्री रामानन्द अग्रवाल: दूसरी डिमान्ड शुरू करने से पहले पहली के प्रश्नों के उत्तर दे दीजिये।

श्री विजयसिंह रावत: मैंने एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था चौकीदार के बारे में उसका जवाब दे दीजिये। चौकीदार का मरडर कर दिया उस बारे में।

श्री दामोदर लाल व्यास: माननीय सदस्य का एडजोर्नमेन्ट मोशन था चौकीदार के मरडर को लेकर, उसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मुकदमा दर्ज रजिस्टर हो गया है, तफतीश जारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उस संबंध में मैं एक दो स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(एक माननीय सदस्य और बोलने लगे)

श्रीमती सभानेत्री: एक एक बोलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: एक तो मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान की जो क्राइम्स की सिचुएशन आपने बताई उसमें कितना परसेन्टेज इन्क्रीज हुआ है और हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स में कितना इन्क्रीज हुआ है, बाकी एस्टेट्स के कंपेरिजन में यहाँ कितना हुआ है, यदि आपके पास सूचना है तो बताइये नहीं तो रहने दीजिये।

दूसरी बात आपने कही कि आई. पी. एस. ओफिसर्स के संबंध में डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी या प्रोसिक्यूशन के संबंध में राजस्थान गवर्नमेन्ट का ताल्लुक नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास: आ. ई. नेवर सेड दिस।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैंने आई. पी. एस. आफिसर्स के बारे में पूछा था।

श्री दामोदर लाल व्यास: मैंने कहा था कि हुई या नहीं फिर बतलाऊगा, फिर मैंने कहा कि वन आई.पी. आफिसर हेज बीन सेनसर्ड।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल: क्या आप सदन को जानकारी दे सकते हैं कि विजिलेन्स कमिश्नर की रिपोर्ट में नाम तो नहीं हैं लेकिन राजस्थान के कितने आई. पी. एस. और आर. पी. एस. आफिसर्स के खिलाफ जांच करने के लिये कहा है?

श्री दामोदर लाल व्यास: उस रोज जिस रोज विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी, पूछते तो बता सकता था आज तो मैं उसका रेकार्ड नहीं लाया हूं। आप चाहेंगे तो बाद में सूचना दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: दो महीने पहले मैंने सवाल भेजा था।

तीसरी बात आप यह बता दीजिये सन् 1949 में जब राजस्थान बना उस समय कुल कितने गिरोह डाकुओं के सक्रिय थे और अब कितने गिरोह सक्रिय हैं कितनों का लिक्विडेशन किया।

एक आखरी सवाल पूछना चाहूंगा। आपने रूल्स के बारे में बात कही, आपने बताया के हर चीज के रूल्स हैं। प्रमोशन हुए, एग्जेम्पशन हुए उस संबंध में तीन चार घंटे पहले लिख कर भेजा कागज पर। आप उस समय बैठे नहीं थे, डिप्टी मिनिस्टर साहब के पास भेजा था, उनको चिट मिला होगा आपने कहा कि हैड कांस्टेबल को सब-इन्सपेक्टर बनाने के लिये एग्जामिनेशन्स होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो लोग 29-5-67 को एस. आई. कर रहे थे उनका प्रमोशन करने की दृष्टि से इम्तहान लिया गया और 29-5-67 को इम्तहान का पर्चा आउट हुआ उसकी जांच हुई।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
इन्क्वायरी की रिपोर्ट सबमिट हुई। एक एक व्यक्ति बीकानेर में पकड़ा गया लेकिन आपने इम्तहान कैंसिल किया नहीं। बोर्ड और यूनिवर्सिटी में पर्चा आउट होने के बाद इम्तहान कैंसिल किया जाता है और दुबारा इम्तहान लिया जाता है लेकिन आपने उसको कैंसिल करके दुबारा एग्जामिनेशन होल्ड नहीं किया।

श्री दामोदर लाल व्यास: कौन सा था?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: 29-5-67 को जो हैड कान्स्टेबल एस. आई. का काम कर रहे थे। जो पर्चा आउट हुआ था उसके बारे में आपको मालुम नहीं है क्या? अगर मालुम नहीं है तो यह कोपी लीजिये। पर्चा आउट हुआ, एग्जामिनेशन हाल में आदमी पकडा गया, इन्क्वायरी हुई, इन्क्वायरी की रिपोर्ट में पर्चा आउट होना बताया गया फिर आपने एग्जामिनेशन्स कैंसिल क्यों नहीं किये?

श्री दामोदर लाल व्यास: मैं निवेदन करूंगा कि मैं नये नये पोइन्ट्स के जबाब नहीं दूंगा। बीकानेर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई. रिक्वायर नोटिस।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: 4 घंटे पहले लिख कर डिप्टी मिनिस्टर साहब के पास भेजा है, आप जबाब नहीं देना चाहते तो बात दूसरी है।

श्री दामोदर लाल व्यास: मैं आपको तसल्ली दिलाना चाहता हूं, गडबडी हुई है तो एक्शन लेना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आई. जी. पी. के ओफिस में रिपोर्ट है, आई. जी. पी. यहां पर बैठे हुए हैं उनसे पूछ लीजिये। और बातों के लिये तो उनके पास जाकर पूछ आना है इस मामले में इसलिये नहीं पूछा कि जो हैड कांस्टेबल एस. आई. पी. परीक्षा में फैल हो गये उनके लिये आपके डिपार्टमेन्ट ने एक सर्क्यूलर निकाला कि जो लोग 9-4-63 से पहले अपोइन्ट हुए थे और जिनकी उम्र 48 साल से ऊपर है उनको एग्जामिनेशन देने से एग्जेम्प कर दया है। एग्जेम्पशन की एक लिस्ट निकाली है। उन लोगों को एग्जेम्प्ट किया जो 9-4-63 से पहले काम कर रहे थे और जिनकी उम्र 48 साल से ऊपर हो गई। जब एग्जेम्पशन की लिस्ट निकली तो जिनका अपोइन्टमेन्ट सन् 65 में हुआ था, जिनका अपोइन्टमेन्ट सन् 66 में हुआ था उनको भी एग्जेम्पशन की लिस्ट में ले लिया।

श्री दामोदर लाल व्यास: यह जो एज लिमिट की बात है, एग्जेम्पशन की बात है यह कौन से रूल्स में है? पुलिस रूल्स में है या जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स में?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आई. जी. पी. ने आर्डर दे दिया।

श्री दामोदर लाल व्यास: पुलिस के एग्जामिनेशन रूल्स में यह बात है या जनरल में?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: पुलिस के एग्जेम्पशन की बात है। मैं कागज दे दूंगा। जो लोग 9-4-63 को काम कर रहे थे और जिनकी उम्र 48 साल की हो गई थी उनको एग्जामिनेशन में बैठने की जरूरत नहीं थी।

Page No. 208

. **श्री दामोदर लाल व्यास**: मुझे अधिकार था इसलिये जारी किया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: एस. आई. की परिक्षा का पर्चा आउट हो गया, इम्तहान कैंसिल नहीं करें, जो फेल हो जाय उनको सबको रिवर्ट नहीं करें और कहते हैं प्रेशर नहीं चलता !

इसलिये कहता हूं····

श्री दामोदर लाल व्यास: फेवर नहीं है मेरिट के ऊपर है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मेरिट के ऊपर नहीं है । आपने आदेश जारी किया उसमें यह लिखा है कि एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेन्ट को मिला है, इस रिप्रेजेंटेशन पर गवर्नमेंट विचार कर चुकी है ।

श्री दामोदर लाल व्यास: अन्डर कन्सीडरेशन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: रिप्रेजेंटेशन पर फैसला नहीं हो तब तक रिवर्शन का आर्डर है उसको स्टे माना जाय । गवर्नमेन्ट को पावर है फैसला लेने की लेकिन किन सरकम्सटान्सेज में लेती है, किन केसेज में लेती है-उसको देखना पडता है । इस केस में सारा का सारा स्टे आर्डर जारी किया वह राजी करने के लिए किया ।

श्री दामोदर लाल व्यास: राजी करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर सदस्य जो बात कहते हैं वह सही है ।

श्री सभानेत्री: श्री शंकरलाल :

श्री शंकरलाल: एक तो पुलिस कान्स्टेबल्स हैं उनको सरप्लस करके आठ सौ को निकाल रहे हैं और एक तरफ हम चाहते हैं कि पुलिस फोर्सेज बढे-तो उसको लिए विभाग के पास क्या कारण हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई: आठ सौ आदमियों को निकाल रहे हैं ।

श्री शंकरलाल : आपने फूड कन्ट्रोल एक्ट के तहत पुलिस विभाग को जोड रखा है जिससे किसान कहीं दो मन या तीन मन का भोज करता है तो उसमें यह रोडे अटकाते हैं और आये दिन पुलिस और गांव वालों के बीच लडाई झगडे होते हैं, जिससे एक प्रकार से पुलिस की बदनामी होती है । क्या यह विचार रखते हैं कि पुलिस को फूड एक्ट के तहत रख रखा उसको अलग करने की स्थिति नहीं आई है ?

श्री दामोदर लाल व्यास: एन्टी स्मगलिंग फोर्स को तो तोड दिया गया है इसलिए बदनामी का प्रश्न नहीं है। आठ सौ आदमियों को एब्जार्व करने की बात सोची जा रही है । यह आपकी सूचना के लिए निवेदन है ।

श्री श्रवण लाल : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं ।

श्री दामोदर लाल व्यास: सभापति महोदया, इस तरह तो एक नई डिबेट शुरू हो जायगी ।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने कहा था कि बाद में प्रश्न पूछ सकेंगे ।

श्री **दामोदर लाल व्यास** : मेडीकल डिमान्ड खत्म कर दूं उसके बाद।

श्री **दिग्विजयसिंह** : पहले इस पर करेंगे।

श्री **फतेहसिंह** : इसका उत्तर दे दीजिये, यह नीति से सम्बन्धित है।

श्री **सभानेत्री** : बहुत संक्षेप में।

श्री **आलमअली** : असलीयत जो को है वह नहीं मिल रही है, एक औरत की हत्या हुई है।

श्री **सभानेत्री** : सुनिये, मैंने निवेदन किया है, मैंने मंत्री महोदय से कहा है कि संक्षेप में जवाब दे दें। आप जो कुछ पूछें, वह स्पेसिफिकली पूंछे, शोर्ट में पूंछे।

श्री **फतेहसिंह** : आरक्षी विभाग का प्रगति विवरण 1967-68 का हमको दिया गया है, उसके पृष्ठ संख्या 12 में लिखा है कि हरएक मण्डल में, राजस्थान के हरएक मण्डल में पुलिस सलाहकार समिति कार्य कर रही है और इन समितियों के अधीक्षक आरक्षी अध्यक्ष हैं और उस क्षेत्र के समस्त विधान सभा के सदस्य होते हैं वह उसमें सदस्य होते हैं। वह कार्य कर रही हैं तो मैं जानकारी लेना चाहता हूं, गृह मंत्री जी से, क्या अजमेर जिले में ऐसी पुलिस सलाहकार समिति कार्य कर रही हैं।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : नहीं, कहीं नहीं है।

श्री **दौलतराम सारण** : कहीं नहीं है।

श्री **फतेहसिंह** : किसी जिले में कार्य नहीं कर रही है तो क्या गलत सूचना दी गई है। गृह मंत्री इस बात की सफाई देंगे।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : कहीं काम नहीं कर रही हैं।

श्री **हरिवल्लभ शर्मा** : एक प्रश्न है, चार मार्च को मैंने प्रश्न उठाया था। पंचायत मंत्री की हैसियत से इन्हीं गृह मंत्री ने एक सरपंच जालनपुर को सस्पेन्ड किया था क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चार हजार का साबित था तो आपने आदेश दिया था कलेक्टर महोदय को कि क्रिमिनल केस इन्स्टीट्यूट कर सकते हैं। उसके तहत कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एफ. आई. आर. लाज करवाई पुलिस को। वह तीन महीने एस0 पी0 के पास में पड़ी रही, और बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई। तो उस केस का क्या हुआ ? उस रोज आपने जवाब नहीं दिया और आज भी नहीं दिया है। मैं चाहूंगा उस केस का जवाब मंत्री महोदय के नोटिस में है। मेरी जानकारी में वह फाइल आपके पास है। सबसे पहले घोटाला हुआ, उसके बाद में केस डिटेक्ट हुआ और उसके बाद सस्पेन्ड हुआ था।

श्री **विजयसिंह रावत** : मैं चाहूंगा, हमने कटौती प्रस्ताव रखे थे उसका जवाब न देकर और बात कर रहे हैं।

श्री **खेतसिंह** : आप पूछें, हम जवाब दे देंगे।

श्री **विजयसिंह रावत** : मैं चाहूंगा आसन से कि जिन माननीय सदस्यों के कटौती में जो जो मुद्दे रखे हैं, जिन पर आसन ने व्यवस्था दी थी, मैं चाहूंगा कि जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उनका जवाब आप उनको भिजवा देंगे।

श्री **खेतसिंह** : जिनका जवाब नहीं दिया है उनका जवाब देंगे।

श्री **दिग्विजयसिंह** : एक जानकारी चाहूंगा, आपने फरमाया था कि स्थगन प्रस्ताव दिये थे उनकी स्टेटमेंट में जानकारी दी जायगी। क्या जानकारी करने के बाद में उससे अवगत करायेंगे।

श्री **खेतसिंह** : किसकी ?

श्री **दिग्विजयसिंह** : जांच पूरी होने के बाद जानकारी दे देंगे, जिसका इन्कम्प्लीट उत्तर दिया है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : इट गोज विदाउट सेइंग।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : दे देंगे।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाई कोर्ट के जजमेंट सरदारमल पुलिस की सर्विस में जो हैं उनके डिस्मिसल के केस के बारे में हैं....

श्री **खेतसिंह** : ये नया सवाल लाये हैं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** । एक कट मोशन मूव किया गया था। तो उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : भाषण में कहा होगा तो उसका जवाब दिया होगा।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : कट मोशन है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : होगा तो उसका जवाब पहुंच जायगा।

श्री **खेतसिंह** : यह कामरेड है क्या ? सरदारी मल !

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : नहीं नहीं। दूसरी बात है, माननीय गृह मंत्री जी एक चिटठी अभी अभी आई है। जोधपुर में तख्तमल लोढ़ा हैं उनके लिए डी0 आई0 जी0 ने आर्डर कर दिया कि इनका ट्रान्सफर आउट साइड जोधपुर से बाहर नहीं किया जाय, यह आर्डर होते हुए डी0 आई0 जी0 ने आर्डर कर दिया कि सिरोही जायगा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड्स पर। सिरोही में कहा गया, जगह खाली नहीं है, तो उससे कहा गया कि जैसलमेर जायगा। अब वहां जगह खाली नहीं हो तो उसको कहां रखेंगे। यह पुलिस विभाग के आप कैसे डिसीप्लीन रखेंगे।

श्री **खेतसिंह** : आप क्यों परेशान हैं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : परेशानी का सवाल यह है कि आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलायेंगे।

श्रीमती **सुमानेवी** : प्रोफेसर केदार !

श्री **केदारनाथ** : मोड ऑफ इन्वेस्टीगेशन के बारे में, जो क्रिमिनल केस में तफतीश एस0 पी0 पुलिस कर ले, तो जिसकी तफतीश के लिए सी0 आई0 डी0 को लगाना पड़े वह डी0 एस0 पी0 के मार्फत नहीं होनी चाहिए, उसकी तफतीश डी0 आई0 जी0 करे। क्योंकि तीन चार तफतीश बदल जाती हैं तो केस खत्म हो जाता है।

दूसरे एस0 आईज0 का डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशन करते हैं और डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं तो पेपर्स वही डिपार्टमेंट सेट करता है। यह आउट साइड आफिस होने चाहिए, इसमें फेअरनैस होनी चाहिए।

तीसरे हरिजन अपनी जमीन मोर्टगेज करते हैं, वैसे कानून नहीं कर सकते। तो उसका पजेशन री टेक करने के मामले में पुलिस मदद नहीं करती है।

(श्री केदारनाथ)

बोर्डर पर दस मील के अन्दर पुलिस स्टेशन हैं, बाडमेर या गंगानगर में ....

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदया यह तो नई डिबेट शुरू हो गई। मैं क्लेरीफिकेशन जवाब के मुताबिक कर सकूंगा, यह तो कट मोशन के बारे एक नई डिबेट शुरू कर दी। देट इज नाट पासिबल। अगर ऐसा करते हैं तो रात भर यहां बैठे रहें। मैं उसका जवाब नहीं दे सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात जवाब देने से पहले सोचते।

श्री फतेहसिंह : सलाहकार समिति कार्य कर रही है या नहीं--इसका उत्तर दे दीजिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सबका दे देंगे।

श्री फतेहसिंह : रिकार्ड की बात है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अ दे देंगे।

श्री भवनलाल : आश्वासन दिया था, जो माननीय सदस्य प्रश्न उठायें...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको बोलने दें। आपके पीछे खडे हुए।

श्री भवनलाल : आपने एक बात कही थी....

श्री दौलतराम सारण : वह बोल रहे हैं।

श्री नन्दलाल : जो प्रगति विवरण प्राप्त हुआ है, उसके पेज आठ पर लिखा हुआ है :

दिनांक 28-2-67 को ग्राम कुंडी में अनारसिंह डकैत के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें डाकू अनारसिंह का अन्त हुआ। यह पूरी तरह से गलत है, यह झूंठी बात है जो इसके अन्दर लिखी हुई है। यह पुलिस के द्वारा नहीं मारा गया। यह मेरे क्षेत्र का मामला है। 27-2-67 की रात को केस हुआ। उसके बाद में मैं ग्राम में गया, ग्राम कुंडी में, जहां मुझे मालूम हुआ कि यह पुलिस के द्वारा न मारा जाकर, मनफूलासर ग्राम का व्यक्ति, ग्राम देरानी, पुलिस स्टेशन पोरी एम0 पी0 का रहने वाला है, उसने पत्थर की दे डाकू की कमर तोडी और घायल अवस्था में गाव वालों नें पकडा। उसके बाद में पुलिस का सूचना दी गई, उसके बाद वायरलेस से सूचना दी गई पुलिस स्टेशन एम0 पी0 को, वहा पुलिस आई और मनफूलासर में जिस को पकडा उसको ले गये और रास्ते में गोली मार दी।

और मध्य प्रदेश की पुलिस ने डिक्लेअर किया कि हमने मनफूला डकैत को मार दिया है।

दूसरी बात यह है कि वहां के लोगों ने राजस्थान की पुलिस को वायरलैस किया कि अनारसिह गोली खाकर यहां घायल हो गया है और यहां से चला गया है। थाने से पुलिस पहुंची उस वक्त वहां के लोगों ने उस डाकू को पकड रखा था।.....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जिस समय पुलिस की पार्टी वहां पहुंची, उसी घायल अवस्था में अनारसिह को गिरफ्तार किया और रास्ते में उसके मरी हुई हालत में गोली मार दी। तो उस डाकू को पुलिस ने

(श्री नन्दलाल)
नहीं मारा। यह बिलकुल झूठ लिखा हुआ है कि पुलिस ने उसे मारा ....

श्री संतसिंह : डाकू मारा तो गया न।

श्री नन्दलाल : यह राजस्थान की दो करोड़ जनता को गुमराह करने की बात इसमें लिखी गई है, जो बिलकुल झूठ है।

श्री रोशनलाल : मैनाल में हुई 5 हत्याओं के बारे में स्थानीय पुलिस ने रिपोर्ट दी कि सुसाइड किया है जबकि हत्याएं की गई हैं, इसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया है ?

श्रीमती सभानेत्री : इस पर कह दिया है।

श्री रोशनलाल : गलत कहा है यह कहा कि आत्म हत्या की है, स्थानीय पुलिस ने गलत रिपोर्ट दी, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है।

श्री दामोदर लाल व्यास : तो मैं यह निवेदन कर रहा था सभानेत्री महोदया, कि..

श्रीमती सभानेत्री : संक्षेप में कहें।

श्री दामोदर लाल व्यास : ये कमेटियां रेंज हैड क्वार्टर्स में बनाई गई थी, इसलिये जिले में काम करने का सवाल नहीं है।

दूसरी बात मैनाल के बारे में कही, इसके लिये जो दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री रोशनलाल : अभी आपने क्या कार्यवाही की, हत्याएं की गई और सुसाइड बता दिया। यह तो ठीक हुआ कि असेम्बली में इस सवाल को उठा दिया गया कि हत्याएं हुई हैं। जो यह गलत रिपोर्ट की है, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : असेम्बली में पहले नहीं उठा, पहले ही कर दिया हमने।

श्री रोशनलाल : असेम्बली में यह सवाल उठाया है, मनोहरसिंहजी ने और रामकुमारजी ने।

मेजर श्री फतेहसिंह : मंडल स्तर पर कमेटीज को कहा गया है इसमें, यह क्यों गलत इत्तला दी गई। यह सरकार की नीति का प्रश्न है, इसमें लिखा गया है कि पुलिस सलाहकार समिति का गठन प्रत्येक मंडल में हुआ है, रेंज स्तर पर भी हो तो भी हम सदस्य हैं, हमको इत्तला दी जानी चाहिये। 12 महिनों में इनकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है। इस प्रकार की गलत इत्तला देना कहां तक उचित है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फतेहसिंहजी, इस इलेक्शन के बाद आप सदस्य बने हैं, उसका रीकांस्टीट्यूशन नहीं हुआ है। जहां तक अजमेर का ताल्लुक है, मैंने कहा कि रेंज हैडक्वार्टर्स पर समिति बनाई गई थी, अब अप्रेल के महिने में ये समितियां रीकान्स्टीट्यूट होंगी तब माननीय सदस्य इनके मेम्बर बन जायेंगे।

श्री विजयसिंह : आप गलत सूचना क्यों दे रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : गलत सूचना कैसे, मैं कह रहा हूं कि इन कमेटीज का पहले गठन हुआ था रेंज स्तर पर, उनमें एम० एल० एज० मेम्बर रहे हैं और हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 67-68 की है....

श्री विजयसिंह रावत : आप गलत सूचना दे रहे हैं, 67-68 की है......

श्री दामोदरलाल व्यास : आप पहले समझ लीजिये, इन कमेटीज की मयाद नहीं है कि इतने अर्से तक रहेंगी, जब तक दूसरी नहीं बनती हैं, तब तक ये काम करेंगी।

श्री विजयसिंह : जो आपने इसमें लिखा है वह सही है या गलत, आप सही हैं या यह सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं भी सही हूं, और यह भी सही है, समझ की गलती है।

श्री विजयसिंह रावत : आप गलत हैं, आप भी सही नहीं हैं और आपके अधिकारी भी सही नहीं हैं, इसमें मंडल दिया हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : हाउस आफ कामन्स में इस तरह की कमेटीज हैं या नहीं ? नाउं आई विल डील विद मैडिकल मेटर्स...

श्री विजयसिंह : आपके अधिकारीगण बैठे हैं, आई0 जी0 पी0 भी बैठे हैं, इस गलत सूचना के लिये इनको शर्म आनी चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : शान्त रहें।

श्री श्रवणलाल : आसन की तरफ से व्यवस्था दी गई थी कि बाद मे दो तीन प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं दो तीन प्रश्न पूछने वाला हूं····

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, अब एक भी प्रश्न नहीं पूछा जायगा। अब दूसरी मांग पर बोल रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : आसन से व्यवस्था हो चुकी है ······

श्रीमती सभानेत्री : काफी प्रश्न हो चुके हैं।

श्री श्रवणलाल : हमने तो एक भी प्रश्न नहीं पूछा। हमारे यहां चोरियां होती हैं मंदिरों से, मिलिटरी के लोगों को थाने में बुला कर पीटा जाता है, मलारना चौड़ थाना है उसके द्वारा, दिन में मर्डर किये जाते हैं कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, शिकायतें की जा रही हैं पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है।

श्री विजयसिंह : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं···· सरकार से उत्तर दिलाया जाय। इसमें लिखा है कि मंडल स्तर पर समितियां गठित की गई हैं और आप कहते हैं कि रेंज स्तर पर गठित की गई हैं, क्या चीज सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मंडल का मतलब समझ लीजिये, मंडल का मतलब रेंज है।

श्री विजयसिंह रावत : तो फिर यह गलत सूचना क्यों दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप शान्ति से सुनिये, गजट में पब्लिश्ड है, इसके लिये उसे देख लीजिये।

मेजर श्री फतेहसिंह : पर यह गलत बात क्यों कही गई। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार गलती की जाती है और उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। गलती हो जाय तो उसे स्वीकार करना चाहिये

श्री विजयसिंह रावत : मैंने देखा है ····

श्रीमती सभानेत्री : इस पर जो कहना था कह चुके हैं कि रीकान्स्टीट्यूट की जायेंगी, इससे ज्यादा कहने की पोजिशन में नहीं हैं।

श्री विजयसिंह रावत : 67-68 में कहा कि कमेटियां गठित की गई हैं और काम कर रही हैं, मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि रीकान्स्टीट्यूट होंगी, पर एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई, इस सदन के एक भी माननीय सदस्य नहीं गये तो यह आपकी सारी रिपोर्ट गलत है, आप गलत हैं।

मेजर श्री फतेहसिंह : सरकार की समन्वय की नीति नहीं है, हम पूरा सहयोग देने के लिये तैयार हैं, पर हमारा किसी का सहयोग नहीं लिया गया है, हमको कभी इन कमेटियों में नहीं बुलाया गया है। हमने आपको कब निमन्त्रण दिया था कि इनमें हमारा नाम रखो, पर इस तरह से गलत इत्तिला देकर राजस्थान के लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एक निवेदन है···

श्रीमती सभानेत्री : जब कोई निवेदन नहीं ·····

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सदन की कार्यवाही अगर रात को 10 बजे तक चले तो सदस्य हैं, इसलिये बैठे रहेंगे पर पुलिस के सिपाही यहां सैकडों की तादाद में ड्यूटी देते हैं, उनको ओवरटाइम का पैसा देंगे या नहीं, हमेशा रात को दस बजे तक चलती है···

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : बिलकुल ठीक है, इनको ओवरटाइम का पैसा देना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिलकुल ठीक है, इनके लिये ओवरटाइम की व्यवस्था की जानी चाहिये।

अनेक माननीय सदस्य : इनको ओवरटाइम मिलना चाहिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : या तो सदन की कार्यवाही को समय पर समाप्त कर देना चाहिये या इतनी देर तक चलाते हैं तो इनका ओवरटाइम तय कीजिये।

(7.50 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल : मैं यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि मैंने पहले आपके द्वारा कई स्थगन प्रस्ताव दिये ······

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव दिये, उनकी तारीख दीजिये, तब मैं कहूंगा ····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्टेटमेंट हो गये।

श्री खेतसिंह : तो फिर क्या चाहते हैं ?

श्री श्रवणलाल : स्पष्टीकरण।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सुविधा दी गई थी कि एक दो प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, पर नतीजा कुल मिला कर यह है कि एक नई चर्चा सदन में शुरू हो रही है। माननीय सदस्यों ने उस सुविधा के लिये कहा, इसलिये स्वीकार कर लिया, चाहे वह सुविधा नियमों के प्रतिकूल थी आपकी जैसी योग्यता थी उसके अनुसार आपने चर्चा में हिस्सा लिया। मंत्री महोदय और सरकारी पक्ष जो उत्तर देंगे वे अपनी योग्यता के अनुसार देंगे, यह कोई आवश्यक नहीं कि जैसे आप चाहें वही जवाब आए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि यह नियमों के प्रतिकूल व्यवस्था है, इसलिए जिस तरह से डिबेट ·····

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय थक गए हैं, थकान की वजह से ऐसी बात हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहेंगे कि मंत्री महोदय का जवाब अच्छा नहीं है, या ठीक नहीं दिया, तो कोई कितना अच्छा गाए, अच्छा बोले, किसी को पसंद नहीं आए तो उसका इलाज नहीं और डिबेट के माइने यह है कि मंत्री महोदय उत्तर देंगे। अगर मंत्री महोदय के उत्तर से सदस्य संतुष्ट नहीं है तो अपने निर्णय पर पहुंचने के समय इस बात का ख्याल रखेंगे कि मंत्री महोदय ने हमें संतुष्ट नहीं किया तो फैसले पर जब चीज आएगी कि मंत्री महोदय ने अच्छा जवाब नहीं दिया तो उसका परिणाम उन्हें भुगतना पडेगा। एक दो माननीय सदस्य अगर कोई, विशेषत: जिन माननीय सदस्यों ने बहुत गहरा अध्ययन किया हो जनतंत्र प्रणाली में, अलग अलग रिपोर्टस आती हैं, उनका अध्ययन हो, तो उनके लिए सुविधा है, एक दो प्रश्न पूछते तो एतराज नहीं था लेकिन मेरे काम का क्या हुआ, दो वर्ष पहले यह बात हुई उसका क्या हुआ, यह तो प्रशासन है हजारों दरख्वास्त आती हैं हजारों जुर्म होते हैं, हजारों फैसले होते हैं। इसलिए माननीय सदस्यों को काफी समय हो गया, मेरी आपसे अपील है कि आप सहयोग दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदस्यों को यह खयाल था कि आप घर चले गए।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था मैंने दे दी, अब आप सहयोग दें। अभी तीन मांगों पर बोलना बाकी है।

श्री आलमअली : मंत्री महोदय सूं जो जवाब आयो, म्हारी मन्शा को जवाब कोने आयो

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण हैं।

श्री रोशनलाल : हमारी समझ में नहीं आया, क्या बोल गए।

श्री आलमअली : मारो भी स्थगन प्रस्ताव थो

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री आलमअली : मारी मन्शा के अनुकूल जवाब कोने आयो

श्री उपाध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है। जैसा उन्होंने ठीक समझा जवाब दे दिया।

श्री आलमअली : म्हाने साफ लिखकर दियो हो, 4 साल से दरख्वास्तें गई ..

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री आलमअली : मंत्री जवाब कोने दियो। विधवा महिला को केस थो, कत्ल के केसेज थे। मजिस्ट्रेट की कार्यवाही

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसकी जांच कराएं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के संबंध में भी यही बात अर्ज करना चाहता हूं कि जितने कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने पेश किए, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर बल दिया। यह सही है कि पिछले वर्षों के अन्दर चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है और

(श्री दामोदरलाल व्यास)

खास तौर से रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा सुविधायें दी जायं इस बात की कोशिश की गई है और मैं आपको आंकडों से बताने की कोशिश करूंगा कि पिछले 15 सालों के अंदर कितना व्यय हुआ है। 1951 में बेड स्ट्रैंथ 5730 थी, आज 12241, अस्पताल ग्रेड, 1951 में 4 आज 7, ग्रेड 3 1951 में 6 आज 9, ग्रेड 3 1951 में 2 आज 9, अदर डिस्पेन्सरीज 156 आज 211, प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स नहीं थे आज 231, मैटर्निटी व चाइल्ड वेलफेअर होम्स 28 आज 76, फैसिलिटीज फार ट्रीटमेंट आफ टी0 बी0 पेशेन्ट्स 10, आज 43, लेप्रोसी अस्पताल पहले नहीं थी आज 2, मेन्टल अस्पताल पहले नहीं आज 3, एन्टी-रैबिक ट्रीटमेंट पहले 25 आज 106, डेन्टल क्लिनिक पहले 8 आज 26। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि रूरल एरियाज के अंदर ये सुविधायें बराबर कितनी बढती जा रही हैं। दूसरी तरफ खर्चे की दृष्टि से मेडिसिन्स और ड्रग्स का खर्चा 1958-59 में 25,31,900) आज 63,51,700), डाइट पर पहले 10,31,600) आज 23,63,000)। इस तरह रूरल एरियाज में बराबर डिस्पेन्सरीज और प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स का विस्तार हो रहा है और उसी तरह से दवाइयों पर खर्चा दुगुना, तिगुना और पांच गुना हो रहा है। इसके साथ साथ यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहां पर डाक्टरों की जितनी कमी है उसको देखते हुए हमारी दिक्कत यह जरूर है कि सारी डिस्पेन्सरीज और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स में डाक्टरों को नहीं भेज सके और इसी कारण रूरल एरियाज में इस कमी को पूरा करने के लिए हमें जहां 800 डाक्टरों की कमी है और 400 लेडी डाक्टर्स की कमी है और उस कमी को जब तक पूरा न कर लें तब तक डिस्पेन्सरीज और हैल्थ सेन्टर्स में क्वालीफाइड डाक्टर्स नहीं हो सकते। इस बात को पूरा करने के लिए हमने मोबाइल सर्जीकल यूनिट को 1956 से शुरू किया था इसको हमने काफी तेज गति से चलाने की कोशिश की और साल भर में काफी रूरल एरियाज का टूर करता है। जहां बडे अस्पताल नहीं हैं, जहां लोग बीमारी का इलाज कराने के लिए दूर दूर डिविजनल हैडक्वार्टर्स या जिला हैडक्वार्टर के अस्पताल के अंदर गरीबी के कारण नहीं जा सकते, वहां एक यूनिट काम करता है। सब माननीय सदस्यों ने इसकी तारीफ की है, मेरे विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल यूनिट काफी अच्छा काम कर रहा है और हिंदुस्तान में इसके मुकाबले का और कोई यूनिट नहीं है।

यह सही है कि रूरल एरियाज के लोग, जैसे माननीय सदस्यों ने कहा, उनका विश्वास एलोपैथिक ट्रीटमेंट में ज्यादा है और वे अपने अधिकार को मानते हैं कि जैसे शहरों में रहने वालों को इलाज दिया जाता है एलोपैथी का उसी दृष्टि से उसका विस्तार रूरल एरियाज में भी हो रहा है। डाक्टरों की कमी की पूर्ति के लिए 5 मैडिकल कालेजेज राजस्थान में चल रहे हैं और आशा है कि 1970-71 के अंदर डाक्टरों की कमी पूरी हो जायेगी। उसके बाद में हर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर डाक्टर होगा। साथ में परिवार नियोजन के कारण भी डाक्टरों की कमी हो गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए ये कालेजेज खोले गए हैं। एक तरफ तो देहाती क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है, दूसरी तरफ नैशनल इरैडीकेशन प्रोग्राम्स के जरिए बीमारियों को रोक-थाम के लिए

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करोड़ों रुपए खर्च किया गया है जैसे मलेरिया, ट्रकोमा, स्माल पोक्स इत्यादि। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता जैसे आपने कहा कि मलेरिया के इतने केसेज कैसे आ गए। मलेरिया के अंदर एटैक फेज, कन्सालीडेशन फेज और मेन्टेनेन्स फेज है। आपने चिकित्सा विभाग का नोट देखा होगा जिसमें यूनिटस बताए गए हैं। रहा सवाल इस बात का कि इस साल कुछ मलेरिया के केसेज काफी तादाद में आए हैं।

(8 म. प.)

और इसलिये इस बात की जरूरत है कि जो प्रोग्राम चालू कर दिया है, उसको वापिस न लिया जाय ताकि करोड़ों रुपया जो खर्च किया गया है, वह बेकार न जाए। । इस तरह माननीय सदस्यों को यह बात जान लेनी चाहिये कि हिन्दुस्तान के अन्दर जिसके अन्दर यह उम्मीद की जाती कि स्माल पाक्स अकेडेमिक ईयर साबित होगा इसलिये उस स्माल पाक्स की तरफ खास तौर से ध्यान दिया। जितना हम कर सकते थे, उतना किया है। वेक्सीनेशन से या और प्रिवेन्टिव मेजर से जितना रोक सकते थे, रोका है। प्रिवेन्टिव साइड के अन्दर हमने बीमारी पर काबू पा लिया है। माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी अलग अलग बातें बताई हैं। कोई कहता है कि दवाओं की कमी है, कोई कहता है कि डाइट की कमी है, कोई कहता है डाक्टरों की कमी है हमारा जो स्टेन्डर्ड है, रूरल एरियाज में प्राईमरी हैल्थ सेन्टर खोलने की उसमें दवाओं के अन्दर कीमत बढ़ जाने से कमी हो गई है, उसके लिये भी कोशिश की जा रही है अब रहा इस बात का सवाल कि अगर हम हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों से राजस्थान का मुकाबला करते हैं तो राजस्थान के अन्दर चिकित्सा सुविधायें जितनी उपलब्ध हैं, वह हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में नहीं हैं। आप जहां कहीं जायेंगे बिना पैसे निःशुल्क इलाज होता है, राजस्थान में। कोई चार्ज बीमारी के लिये राजस्थान में नहीं लिया जाता है। कोई राज्य ऐसा नहीं जहां इस प्रकार की सुविधा हो। क्वालिफाइड डाक्टर्स हैं, उनकी भी राजस्थान में कमी नहीं है। किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो पता लगेगा कि राजस्थान को जो सुविधायें चिकित्सा के लिये उपलब्ध हैं वह अन्य राज्यों को नहीं हैं। अब रहा सवाल इस बात का माननीय सदस्य कहते हैं डाइट की कमी है, बिल्डिंग्स की कमी है, दवा की कमी है। मेरा निवेदन यह है कि मेडीसन की कीमत बढ़ जाने से यह कमी हुई है, उसको भी हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रहा इस बात का सवाल कि ब्लेक मार्केट में दवायें जाती हैं और बीमारों को नहीं मिलती हैं, इससे मैं कतई तो इन्कार नहीं करता परन्तु जब जब इस प्रकार की शिकायत आई है, उन पर एक्शन लिया गया है यह तो ऐसी चीज जिस पर स्वीपिंग रिमार्क कर सकते हैं मगर जब तक पकड़ा न जाय तब तक केवल वहम से, सुबे से किसी पर एक्शन नहीं ले सकते हैं लेकिन यह बड़े शर्म की बात है इस प्रोफेशन को करने वाले हैं वे इस प्रकार का काम करते हैं कि वे प्राईवेट तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्यायें रखी हैं कि कहीं डाक्टरों की कमी है, कहीं लेडी डाक्टर नहीं है, कहीं दवाओं की कमी है हर एक के क्षेत्र की समस्या का जवाब दूं तो वे करीब पौने दो सौ के करीब है लेकिन जो

(श्री दामोदरलाल व्यास)
खास मुद्दे उठाये गये हैं उनका जवाब दे रहा हूं और जो बचेंगे, उनका जवाब लिखकर भिजवा दूंगा। एक बात मैं अर्ज कर दूं कि जहां डाक्टरों की कमी है, वहां बाई रोटेशन से डाक्टरों को भेजा जायगा। कुछ क्लास 1 कम्पाउन्डर्स हैं जिनको तजुर्बा हो गया है उनको डिस्पेन्सरी में भेजना पड़ेगा। इस बात की कोशिश करेंगे कि बाई रोटेशन सब जगह पहुंच जाय।

अब हमारे माननीय सदस्य कोटा से जो आये हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें इस डिपार्टमेंट को लेकर, स्टोर परचेजिंग कमेटी को लेकर कही हैं। उनकी यह भी शिकायत है कि उन्होंने मुझे लिखकर शिकायत की थी, उसकी कार्यवाही नहीं हुई। इस सदन के कोई भी माननीय सदस्य जब कभी कोई शिकायत करते हैं तो मैं अवश्य कार्यवाही करता हूं जहां तक कोशिश होती है, उनके कागज को अकनालेज भी करता हूं। माननीय सदस्य ने जो चिट्ठी लिखी, उसकी जांच कराई है और जो जांच का नतीजा है, वह अभी मैं बता दूंगा। आपने कन्डोम के बारे में बताया

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने सप्लाई आफ कन्डोम के बारे में कुछ मुद्दे उठाये थे।

श्री दामोदरलाल व्यास: हां, आपने कहा था

(विराम)

आपने कन्डोम की खरीद के लिये कहा है ? माननीय उपाध्यक्षजी मैं आपके जरिये माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो फ्री गिफ्ट मिलती है गवर्नमेंट आफ इंडिया को और गवर्नमेंट आफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट को देती है। स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट आफ इंडिया ने लिखा है कि फ्री गिफ्ट मिलने में देरी लगेगी इसलिये हमारा प्लान सफर न करे तुम फौरन खरीद लो और वह चिट्ठी है, मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं।

"I am directed to say that supplies of condomes for free distribution are not expected to be received at the port depot by the end of March, 68. In order to avoid any set back of programme, it is decided that you arrange for the same by making purchases locally under the procedure..

यह चिट्ठी आई, उसके बाद फिर चिट्ठी आई कि तुम फौरन खरीद लो वह अभी आने वाली नहीं है। इसलिये परचेज की गई, उसका पैसा...

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा दूसरा आसपेक्ट था।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका यह कहना-- आपका एक ही पाईन्ट था जब गिफ्ट में मिलती है तो खरीदी क्यों? यह गिफ्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलती है हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया भेजती है। उन्होंने ने ही कहा है कि प्रोग्राम सफर नहीं करे इसलिए तुम खरीद लो, अब आपने कहा कि खरीदने में गडबड हुई है तो इसके लिये स्टोर परचेज कमेटी बनी हुई है, वह स्टोर परचेज कमेटी सारे डिपार्टमेंट की परचेजिंग करती है। जो टेन्डर आते हैं उनको अप्रूव करती है और अप्रूव्ड टेन्डर से ही खरीदती है चाहे वह किसी भी लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो। ये कन्डोम जो स्टोर परचेज कमेटी है, उसका अप्रूव किया हुआ है

(श्री दामोदरलाल व्यास)
और इस फर्म को तभी आर्डर दिया गया है आपका यह ख्याल था कि कोई टेन्डर नहीं दिया गया है, आर्बीट्रेरी खरीद लिया है। इसको स्टोर परचेज कमेटी ने अप्रूव किया फार परचेज आफ परचेज तब स्टेट ने फेमिली प्लानिंग के तहत इसको खरीदा है।

श्री **कृष्णकुमार गोयल**: किस तारीख का यह डिसीजन है।

श्री **दामोदरलाल व्यास**: मैंने आपसे कहा यह सूचना गलत है या सही मैं लिखकर भेज दूंगा तारीख वगैरह भी।

श्री **कृष्णकुमार गोयल**: मेरा एतराज...

श्री **दामोदरलाल व्यास**: तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री **कृष्णकुमार गोयल**: स्टोर परचेज कमेटी ने कोई डिसीजन नहीं लिया है टेन्डर्स पेन्डिग थे, ओब्जेक्शन टेम्परविथ किया जा रहा है। इस बारे में मैंने काल अटेन्शन भी पेश किया था।

श्री **दामोदरलाल व्यास**: आपकी जानकारी के लिये जो नोट स्टेट फेमिली प्लानिंग आफिसर ने दिया है वह मैं पढकर बता देता हूं। यदि उसने गलत नोट दिया है तो यह उसकी जिम्मेवारी है।

Regarding purchase of condomes, the store purchase committee had approved the rate of contract, which was given by it.

यह उन्होंने लिखकर दिया है। अगर ये गलत है कि रेट परचेज कन्ट्राक्ट परचेजिंग कमेटी ने एप्रूव नहीं किया था तो आइ विल अगेन वेरिफाइ।

I will again verify it and will let you know what is a fact. It is in his own handwriting.

दूसरी बात आपने यह कही विटामिन बी कम्पलेक्स टेबलेट्स इस बारे में हमने इन्क्वायरी कराई। वे जो गोलियां थीं डा. सरीन ने उन गोलियों को बाकायदा एग्जामिन करवाया वे सब स्टेन्डर्ड निकलीं उसके बाद सब गोलियों को डेस्ट्रोय कर दिया गया और जो दुकानदार थे उनको हिदायत कर दी गई इस कम्पनी की ये टेबलेट्स नहीं खरीदें।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल**: आप प्रोडक्ट एक्ट के अन्तर्गत उसको इस सप्लाई के बारे में प्रोसीक्यूट कर सकते थे?

श्री **दामोदरलाल व्यास**: आप दोनों महानुभाव अच्छे वकील हैं फिर भी मैं नम्रता के साथ निवेदन करूंगा। सब स्टेन्डर्ड मेडिसन इस कारण भी हो जाती है उनमें विटामिन्स की कमी पड सकती है, मोस्चर के कारण मोस्चर के दबाव के कारण टाइम के लेप्स हो जाने के कारण बहुत सी बातें हो सकती हैं जिनके कारण वह दवाई सब स्टेन्डर्ड की हो सकती है। आप भी देख सकते हैं आपको कहीं दो साल पहले का विटामिन बी का सेम्पल मिल जाय तो आप उसको सब स्टेन्डर्ड पायेंगे इसमें कोई रहस्य की बात नहीं। अगर इस मामले में किसी का प्रोसीक्यूशन हो सकता है तो आइ विल बी फस्ट मेन टू प्रोसीक्यूट हिम आपने तो मेरे इस विभाग पर स्विपिंग चार्ज लगा दिया you should have been very fair.

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : कोन्वीट चार्ज है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : आपने एक ही तरफ की पिक्चर रखी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मैंने आपकी शिकायत पर कार्यवाही करके उन दवाइयों को डेस्ट्रोय करवा दिया। गवर्नमेन्ट कभी भी ऐसे मामले में ढिलाई नहीं बरतना चाहती।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : मैंने दो प्रकार की टेबलेटस के लिये कहा था दिसम्बर में इसके लिये आर्डर प्लेस हुए और सितम्बर में इसकी समाप्ति पर खरीद हुई बेच नंबर 8।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : पैरा सल्फाइड के बारे में न कोई शिकायत हुई इसलिये इनको भी सब स्टेन्डर्ड करार देने का सवाल पैदा नहीं होता। पैरा सल्फाइड की गोलियां सात रुपये प्रति दो हजार हैं। इसके सब स्टेन्डर्ड होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

दूसरी दवा पैरा सल्फा के बारे में शिकायत हुई है तो उसको लेबोरेटरी टेस्ट के लिये दिया गया।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : मैं आपकी जानकारी के लिये एक पत्र पढ देता हूं उससे आपको मालूम हो जायगा।

This is D.O. Letter No. 38973 dated 2nd December, 1966, S.M.S. Hospital, Jaipur.

My dear Dr. Mehta,

Three sulpha tablets of M/s Stanley Laboratories Jaipur have been approved by the Store Purchase Committee. This preparation neither confirms to the pharmacopical preparation nor the ingredients in proper dosages. Subphanilamide which is the main ingredient is not used internally and is not mentioned in the latest book of Pharmacology to be used for wound dressing. I am also enclosing with it the opinion of the Professor of Pharmocology and Addl. Professor of Pharmacology.

Dr. L.M Sanghvi has also tried and is of the opinion that it is ineffective and sulyanilamide is not in use today.

Under the circumstances this tablet i.e. Three sulpha tablets of Stanley Laboratories, Jaipur should not be used in any Govt. institution and it should be deleted.

Yours sincerely,
(L.R. Sarin)

श्री **दामोदरलाल व्यास** : यह डा. सरीन की चिट्ठी है वे कोई एनेलिस्टि नहीं हैं। इसको आपस में बातचीत करके लेबोरेटरी में अनेलिसिस करवाया लेबोरेटरी ने यह लिख दिया कि यह सबस्टेन्डर्ड नहीं है।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : कौनसी लेबोरेटरी में ...

श्री **दामोदरलाल व्यास** : जिसके इन्चार्ज मि. इंडिया हैं He does all the analysis and he is expert, आप डा. सरीन का पत्र बता रहे हैं दिस एनेलिसिस वाज कम्पलीट This analysis was made on this complaint, by him.

श्री **विजयसिंह रावत** : तारीख बताइये कौनसी तारीख को हुआ। ये तारीख नहीं बता सकते और सब कुछ बता सकते हैं।

Page No. 221

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने सारे विभाग को कन्डेम कर दिया। जबकि आपका कहना उचित नहीं था। यू केन वेरी फेअर·· You should be very fair. In all fairness you must give me a change also.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सवा आठ बज गये हैं खबरें तो सुना दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ने एक्सरे की मशीन के बारे में कहा अप्रेल में टेन्डर हो गये लेकिन अभी तक मन्जूर नहीं हुए। इसमें मैं निवेदन करूं कोई डिसप्यूट का मामला नहीं है। जो टेन्डर उस वक्त मन्जूर हुए उनको रख दिया गया। उसमें दो कम्पनी के टेन्डर थे उस पर एक कम्पनी ने शिकायत की अनड्यू एडवान्टेज देने के लिये स्पेसिफिकेशन में चेन्ज कर दिया गया। कम्पलेन्ट बडी सिरीयस नेचर की थी इसलिये उसकी इन्क्वायरी के आर्डर किये गये डी. एम. एच. एस. रेडियोलोजिस्ट से इन्क्वायरी करवाई लेकिन वह राय कम्पनी को ठीक नहीं लगी फिर डी. एम. एच. एस. ने स्पेशल तौर पर चन्डीगढ के रेडियोलोजिस्ट की राय मांगी जो राय उन्होंने दी उसके अनुसार एक्शन लेकर के आर्डर प्लेस कर दिये गये। मैं इस मामले को पूरी तरह से जानता हूं क्योंकि इस पर मेरे आर्डर्स थे। इसमें किसी अधिकारी की गडबडी नही थी। प्रभुदयालजी लोईवाल के लड़के ने दरख्वास्त दी कि जो स्पेसिफिकेशन थे उनमें चेंजेज कर दिया था एनी बन केन अन्डरस्टेन्ड Anybody can understand this. Subsequently when the expert opinion was taken, it was thought that these changes were necessary. और हमने पूरी कोशिश की है सेटिसफाई करने की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह आपने लिस्ट रिलीज कर दी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह फेमिली प्लानिंग के मोडल्स के बारे में रबर ग्लोब्ज के टेन्डर के बारे में।

श्री दामोदरलाल व्यास : जानकारी हासिल करके बता दूंगा। आप डिटेल और दे दीजियेगा फेमिली प्लानिंग के मोडल की डिटेल तो नहीं बता सकूंगा पर यह सही है कि उसकी खरीददारी मेरी जानकारी में है। यह काम स्टोर परचेज कमेटी करती है विच इज कनसिस्टिंग वेरी इम्पोर्टेन्ट परसन्स। इन्स्टेड आफ देट अगर लोअर टेन्डर के बजाय हायर टेन्डर मन्जूर किया गया हो, पक्षपात कहीं किया गया हो, तो आई विल डेफीनेटली लुक इन्टू दी मैटर।

पर वैसे प्रोसीजर बता दिया कि स्टोर परचेज कमेटी के मार्फत ही सारी खरीद होती है, रेट कन्ट्राक्ट भी वही करती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दीनदयाल शर्मा का क्लेम करके एरियर बिल बना लिया इसके बारे में।

श्री दामोदरलाल व्यास : दीनदयाल शर्मा और चन्दमल शर्मा को आज ही सस्पैण्ड कर दिया है। गलत सर्विस बुक बनाने का आरोप सिद्ध हो गया और वे मिल भी गई और असल भी और फरजी भी। डाइरेक्टर मेडिकल ने इन्चार्ज स्टोर परचेज कमेटी को जवाब तलब करने का आर्डर दिया है।

अब टीटेनस के मामले में अर्ज करना चाहता हूं कि जैसा किसी के लिये विजयसिंह रावत ने फरमाया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका जवाब डाइरेक्टर ने दिया था। वह सब बेसलैस है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ही इज सस्पेण्ड। अब अगर एक्शन गलत है तो रिवाइज हो सकता है।

माननीय रावतजी ने उपाध्यक्षजी, एक बात कही कि टिटेनस का बीमार मर गया। अस्पताल में जाने के चार दिन तक वह पडा रहा। 500) मांगे गये, वरना इलाज और इन्जेक्शन नहीं देने की बात कही। मैं आपकी जानकारी के लिये जो टेलीग्राम वहां से आया है वह सदन में बता देता हूं।

Reference 24th Instant. Ratan s/o Shri Rama ATS given from Hospital at 12 midnight. After $1\frac{1}{2}$ hour his admission by Shri Raishinghani and attended in ward by Dr. P. B. Singh and Jha.

So many Doctors have attended him. Those are all eminent persons.

सो 1 घंटा और 15 मिनिट के बाद इन्जेक्शन लगा दिया गया था। यह इसलिये कह रहा हूं कि उसने रिकार्ड देखकर और यह इत्तला दी है।

श्री विजयसिंह रावत : मैं यह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पेशेन्ट को मैं स्वयं लेकर गया हूं तो यह कैसे मान सकता हूं। मैं लेकर गया हूं रात को।

श्री उपाध्यक्ष : यह कब का किस्सा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बहुत सीरियस बात है। आप कहते हैं गवर्नमेन्ट का जवाब है कि इन्जेक्शन लगा दिया गया था और ये कहते हैं नहीं तो यह बहुत सीरियस बात है।

श्री उपाध्यक्ष : तारीख बता दीजिये यह कब का किस्सा है ?

श्री विजयसिंह रावत : यह 24 तारीख का है साहब।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका मतलब यह है कि पेशेन्ट को लेकर आये और डाक्टर ने 500) मांग लिये।

श्री विजयसिंह रावत : मैंने तो यह कहा कि कम्पाउन्डर ने यह कहा मेरी एबसेन्स में कहा कि पैसा दोगे तो काम होगा। मैंने टेलीफोन किया घर से और एम्बुलेन्स मंगाई। मेरे घर से मेरी रेजीडेन्स से। एम्बुलेन्स आई। हम गये। वहां डाक्टर का पता नहीं। ड्यूटी डाक्टर भी नहीं था पूरे बडे अस्पताल में।

मेरा निवेदन यह है कि आप इसकी फिर से जानकारी करालें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करता हूं मैं माननीय सदस्य की बात को ज्यादा मोतबिर मानता हूं। आप सही बात लिखकर दे देंगे तो मैं जांच और करवा लूंगा।

श्री **विजयसिंह** : मैं लिखकर दे दूंगा।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : देन आई विल डेफीनेटली गैट दी इन्क्वायरी कन्डक्टेड।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : बीच में हस्तक्षेप के लिये क्षमा करें मुझे उपाध्यक्ष महोदय। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह आये दिन कहती है लिख कर दे दो। कोई सदस्य सदन में लिखकर नहीं देगा। रेफर कर दिया गया मैटर सदन में, डिबेट में आ गया मामला। उस पर भरोसा हो तो जांच करवाइये।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : आपने समझ लिया क्या कहा ?

मैंने पूछा सवाल और आप कुछ नहीं समझे उनकी बात को।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप नहीं समझ सके।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : आप तो जिद् करते हैं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप रोजाना कहते हैं लिखकर दे दो। इस सदन में कहेंग उसी पर आपको जांच करानी पडेगी। वह जांच कराना हो तो कराइये। न कराना हो तो मत कराइये। यह कोई तरीका हुआ ? क्यों लिखकर दे दीजिये। हमने हाउस में कहा हैं। स्टेटमेन्ट दिया है। आप उस सम्बन्ध में जांच कराने को तैयार हों तो जांच कराइये नहीं करना चाहते हैं सरकार तो मत करो। यह क्या तरीका हुआ। लिखकर दे दो।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : वे कहते हैं मैं खुद गया। डाक्टर नहीं था। इसके बाद चले गये। 1 घंटा 15 मिनिट बाद इन्जेक्शन दिया।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपने भाषण सुना ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : मैंने सुना है समझा है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपने सुना, समझा नहीं है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : आप तो खामखां पडे हैं। चिल्लाते हैं।

श्री **विजयसिंह** : 1 घंटा 15 मिनिट बाद इन्जेक्शन दिया यह गलत है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : गलत है तो मैं आपसे कहता हूं आप बतावें आप कितनी देर वहां ठहरे ?

श्री **विजयसिंह रावत** : 4।। बजे रात को लौट कर गया हूं। एडमिट कराया। न वहां डाक्टर था, न ड्यूटी डाक्टर था।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : 1.15 मिनिट बाद इन्जेक्शन लगा ?

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : चिल्लाते हैं कहते शरम नहीं आती ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : अगर आप इस तरह की भाषा बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : गरीब की जिन्दगी के साथ खिलवाड हो तो सीमा होती है किसी बात की। यह क्या हुआ।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : आप भाषा का संयम रखें।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : संयम, लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड सरकार को नहीं करने दी जा सकती। 24 तारीख की बात है। आपके साथ भी यह हो सकता है जनता के साथ हो सकता है। माननीय सदस्य का सवाल नही है।

श्री **प्रेमसिंह** : लिख कर दीजिये यह कहां तक ठीक है।

कम्पलीट लिखकर दीजिये। आप इन्क्वायरी करावें।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : तो जहां तक मैंने अर्ज किया तेज होने की बात नहीं थी। मैं यह जानना चाहता था कि आप पैशेन्ट के साथ बराबर रहे क्या ? अगर यह कहते हैं कि पैशेन्ट के साथ ही रहे बराबर और 4॥ बजे तक डाक्टर नहीं आया था तो फिर मुझे लिखकर लेने की जरूरत नहीं थी।

श्री **विजयसिंह रावत** : मैं बताऊं। मैंने वहां पर 10। बजे टेलीफोन किया। 10॥ बजे उत्तर मिला कि एम्बुलेन्स भेज रहे हैं। इसके बाद 11 बजे एम्बुलेन्स में लेकर गये और वहां पूछा और 1.15 मिनिट में इन्जेक्शन दे दिया गया यह गलत है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : मेरी बात सुनिये। मैं साफ चाहता हूं। प्लीज मेक कमिटमेन्ट कि आप वहां पर पैशेन्ट के साथ चार बजे सुबह तक रहे और कोई डाक्टर नहीं पाया गया और एन्टी टिटेनस इन्जेक्शन नहीं दिया गया।

श्री **विजयसिंह रावत** : इस बात के लिये अगर एक्शन लें तो स्टेटमेन्ट देता हूं कि पैशेन्ट को वहां पर एडमिट किया गया और डाक्टर ने कहीं भी आकर उसको एग्जामिन नहीं किया है। आपकी इन्फोर्मेशन के लिये। मैं था वहां पर।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : चार बजे तक ?

श्री **विजयसिंह** : पैशेन्ट के पास नहीं ठहरा हूं मैं। मेरी बात सुनिये मैं 1॥। सवा दो दो बजे तक ठहरा।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : खैर। दो बजे तक रहे। दो तीन घंटे ठहरे। 12॥ बजे तक रहे। आई विल इन्स्टीट्यूट इन्क्वायरी थ्रू वेरी सीनियर आफीसर।

I will appoint a very senior officer this enquiry.

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अब कही कोई बात।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : I will get it done.

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : जिस तरह से कास एग्जामिनेशन यहां पर आपने मेम्बर्स का शुरू किया है आपको कोई भी आफिसर कुछ भी लिखकर भेज दे आप मेम्बर की शिकायत के बाद उसको तो ट्रूथफुल मानेंगे और मेम्बर की बात को गलत कह देंगे। आखिर मान भी लें कि मरीज के साथ नहीं भी रहे तो भी यह कहां तक आप उचित मानते हैं कि एक मेम्बर की बात गलत मानते हैं और एक आफिसर की लिखी हुई बात को आप इतना सही मानते हैं ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : आप क्या चाहते हैं कि मैं बिना इन्क्वायरी के किसी को फांसी लगा दूं ? जब मैंने कह दिया है कि

I will appoint a very high officer for the enquiry.

उसके अलावा माननीय उपाध्यक्षजी जैसा मैंने आपको कहा कि जो कटमोशन्स हैं

श्री **उपाध्यक्ष** : जितनी शिकायतें हैं वह दूर करने का प्रयत्न करूंगा यह तो कर दीजिए।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : अब कोई चाहता है जैसे बाड़मेर से आने वालों के लिए सी. एम. एच. ओ. चाहिये या डी. एम. एच. ओ. चाहिए तो यह बातें ऐसी हैं कि कहीं शफाखाने नहीं हैं, कहीं डाक्टर नहीं हैं,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कहीं कम्पाउन्डर्स की कमी है, कहां नर्सेस की कमी है तो मैं उसके लिए इतना ही कह सकता हूं कि उनके अलग अलग जवाब मैं माननीय सदस्यों को भेज दूंगा। बहरहाल डिपार्टमेन्ट का जहां तक ताल्लुक है कुछ माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग रिमार्क्स दिये हैं। मैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि डाक्टर्स के अन्दर ज्यादा करप्शन है। लेकिन यह बात जरूर है कि इन शिकायतों को दूर करने के लिए वक्त वक्त पर हमने कदम उठाये हैं। मेडिकल जूरिस्ट की शिकायत आती है कि यह इन्जरी रिपोर्ट गलत बना देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए भी हमने एक्शन लिया है कि इन्जरी रिपोर्ट्स जल्दी से जल्दी 3 घन्टे के अन्दर अन्दर डिस्पेच हो जानी चाहिए और इसी तरह से पोस्टमार्टम के लिए एक्शन लिया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 6 घन्टे के अन्दर अन्दर डिस्पेच हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो उसके ऊपर डिसीप्लीनेरी एक्शन हम ले सकते हैं। अगर उसमें कोई सप्लीमेन्टरी रिपोर्ट्स की जरूरत है, कोई आब्जर्वेशन की या एक्स की जरूरत है तो सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट बाद में भेजी जा सकती है लेकिन सप्लीमेन्टरी रिपोर्ट्स की वजह से प्रिलिमिनेरी रिपोर्ट इन्जरी की या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को नहीं रोका जा सकता है। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हमने लिया है।

डाक्टर्स के प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द करने का भी मामला है। यह मामला बहुत सीरियस कन्सीडरेशन में है गवर्नमेन्ट के और हमने इस बात पर विचार किया है कि जहां तक हो सकेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के या सीनियर डाक्टर्स या जो कालेजेज के डाक्टर्स हैं उन डाक्टर्स के लिए हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि नान-प्रेक्टिसिंग अलाउन्स देकर हम उनकी प्राईवेट प्रेक्टिस को बन्द कर दें। लेकिन हमारे यहां वित्तीय साधनों की राज्य में कमी है इसलिए दिक्कतें पैदा होती हैं लेकिन उसूलन हम इसको ठीक मानते हैं कि आम तौर पर इस तरह के डाक्टर्स की प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द करके इनको नान-प्रेक्टिसिंग अलाउन्स दे सकते तो ज्यादा अच्छा होगा और उससे प्राईवेट प्रेक्टिस और दूसरी तरह की शिकायतें जो होती हैं उसमें भी कमी आयेगी और ज्योंही हमारे वित्तीय साधन ठीक होंगे हम इस बात पर अमल करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे। यही मैं कह सकता हूं और कहता हूं कि मैंने कोशिश की है आपके तमाम कटमोशन्स का जवाब देने की और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने कटमोशन्स विथड्रा कर लेंगे।

श्री बनवारीलाल : धौलपुर के अस्पताल के बारे में क्या है?

श्री दामोदरलाल व्यास : धौलपुर के अस्पताल को 'ए' श्रेणी में कन्वर्ट करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री श्रवणलाल : मैं मंत्री महोदय से एक उत्तर चाहूंगा कि डाक्टर निहालसिंह के खिलाफ जो हाई कोर्ट ने रिमार्क्स पास किये हैं..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो के मर्डर केस में जो डाक्टर निहालसिंह के लिए स्ट्रिक्चर्स पास हुए हैं और जिसकी शिकायत आपके पास पेन्डिंग है उसके लिए आपने एक्शन लिया है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: यह मसला चर्चा के दौरान तो आया नहीं है इसलिए इसको अन्य किसी तरीके से उठा लें। इसमें जो कार्यवाही होगी कर ली जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मेल और फीमेल कम्पाउन्डर्स हैं उनकी पे स्केल में डिफरेंस है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। एक ही तरह के वर्क के लिए डिफरेन्ट पे स्केल हैं इसके बारे में आप क्या कहते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक इनकी रिटायरमेंट की ऐज का सवाल है मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि रिटायरमेन्ट की ऐज बेसिस 55 साल हर एक मुलाजमान के लिए है लेकिन उन सर्विसेस में जहां अर्थ है कमी है उसके लिए जैसे डाक्टर्स हैं उनकी 60 साल की ऐज हमने रिटायरमेन्ट की ली है। लेकिन वह भी 1970 तक की है क्योंकि उस समय तक डाक्टर्स की जो कमी है वह पूरी हो जायेगी इसलिए डाक्टरों की कमी की वजह से हमने उनके रिटायरमेन्ट की ऐज बढ़ाई है। नर्सेस की भी ऐज रिटायरमेन्ट की इसीलिए बढाई है कि हमारे पास में अगर आप स्टेटमेन्ट को देखेंगे तो मालूम होगा कि हमें अभी भी 400 ट्रेण्ड नर्सेस की आवश्यकता है। इसलिए जिन परसोनल्स की कमी है उनके रिटायरमेन्ट की ऐज हमने ज्यादा रखी है और जिनकी कमी नहीं है उनको 55 साल पर भी रिटायर होना है। हमारे पास में मेल कम्पाउन्डर्स की कमी नहीं है बल्कि हमारे यहां मेल कम्पाउन्डर्स सरप्लस में हैं इसलिए हमने उनके रिटायरमेन्ट की ऐज 55 साल की ही रखी है।

रहा सवाल इस बात का कि पे-स्केल में फर्क क्यों है तो वह भी जैसा मैंने अभी कहा कि पे-स्केल में भी फर्क शुरू से रखा गया है इसलिए कि कुछ नर्सेस हैं उनकी हार्ड ड्यूटीज होती हैं और कुछ उनकी जैसा कहा कि थर्ड भी है इसलिए उनके लिए हमको अट्रेक्टिव पे स्केल रखनी पडती है जिससे कि वह अट्रेक्ट हो सकें और सर्विस में आयें। इसलिए इसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन किया गया है यह तो आवश्यकता के अनुसार पे-स्केल हमने उनका एन्हान्स किया है।

श्री **श्रवणलाल** : डाक्टर निहालसिंह के केस का जवाब दिला दें।

श्री **उपाध्यक्ष** : इसको आप अन्य तरीके से उठा लें।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : यह रेज किया है हमने।

श्री **उपाध्यक्ष** : जन स्वास्थ्य मंत्री उत्तर दें।

श्री **भोखाभाई** : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री **आलमअली** : सीकर डी. एम. एच. ओ. की बात मैं कही ही थी को कोई जवाब ही कोनी आयो है।

श्री **उपाध्यक्ष** : कृपया जन स्वास्थ्य मंत्री को सुन लें।

श्री **आलमअली** : उपाध्यक्ष महोदय, कतल की बात हो तो जवाब कोनी।

कुछ माननीय सदस्य : (श्री दामोदर लालजी व्यास के सदन से बाहर जाने पर) मंत्रीजी भाग गए उपाध्यक्ष महोदय।

श्री **भोखाभाई** : राजस्थान में जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान 3/4 भाग रेगिस्तान का भाग है और रेगिस्तान का भाग होने से···

Page No. 227

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक फैक्ट बता दें कि 4 साल पहले से कोई मर्डर के बारे में कहा था कि मर्डर होने का खतरा है तो उसके बारे में श्री खेतसिंहजी से ही कहला दें कि क्या तथ्य है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 107 में उनको पाबन्द किया था और आर्डर पुलिस से विथड्रा करा लिया और बाद में खतम हो गया।

श्री विजयसिंह रावत : आपने व्यवस्था भी दी थी उपाध्यक्ष महोदय एडजर्नमेन्ट मोशन के बारे में कि आज मांग पर उत्तर दें गे और यह एडजर्नमेन्ट मोशन था।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बारे में अगर मंत्री महोदय को जानकारी हो तो वह कह दें।

श्री खेतसिंह (उप मंत्री, गृह) : उस एडजर्नमेंट मोशन का जवाब तो दे दिया था और जहां तक मेरा ख्याल है यह बताया था कि उसकी तफतीश जारी है और चालान किया जा रहा है।

श्री आलम अली: मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, इतनो ही कहनो चाहूं अंक बा औरत 4 साल सं डी.आई.जी. से लेकर एस.पी. तक ने दरखास्त दी कि मनें मारन को खतरा है। तो या सरकार 4 साल तक बींको इन्तजाम नहीं कर सकी। ऐस.डी.एम. 107 की कार्य-वाही के लिए लिखे हैं पर थानेदार 107 की कार्यवाही में आदमियां ने गिरफ्तारी कोनी करे और वेही आदमी 4 तारीख ने बीं औरत को कतल करे है····

श्री आलमअली : उपाध्यक्ष महोदय, बात तो विसी है और मंत्री महोदय ने कह दियो के दिन ज्यादा होग्या है और पूछां तो नट गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह तथ्य ठीक है कि·····

श्री उपाध्यक्ष: उनको जो सूचना थी उन मंत्री महोदय को वह उन्होंने कह दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही है कि एस.डी.ओ. ने 107 में उसको बन्द करने के लिए कहा था? यह तथ्य सही है कि नहीं?

श्री विजयसिंह: उपाध्यक्ष महोदय··

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चार साल तक उसको प्रोटेक्शन न मिले और मरने के बाद हम पूछ भी नहीं सकते। इससे ज्यादा और बुरी क्या बात हो सकती है। कम से कम पूरी जानकारी तो मिल जाय। केयरलेसनेस की हद है। चार साल तक वह चिल्लाती रही कि मुझे मारेंगे मारेंगे और उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : वह सन्तोषजनक मंत्रीजी उत्तर दें उसके पहले जितनी भी जानकारी है कर लेना चाहते हैं उप मंत्रीजी।

श्री **भीखाभाई** (जन स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मांग विचारार्थ रखी गई है, वह मांग राजस्थान की दृष्टि से बडी महत्वपूर्ण मांग है जनस्वास्थ्य जिसका अर्थ है जल यानी आब यानी आत्मा···

(विराम)

जन स्वास्थ्य का मतलब यह है कि जब

(श्री भीखाभाई)

शुद्ध और स्वच्छ पानी प्राप्त होता है। तो जन स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमारे देश के अन्दर पानी की जो आवश्यकता है उसको हम सभी लोग महसूस करते हैं, और खास तौर से राजस्थान के इस प्रदेश में जहां कि दो तिहाई भाग रेगिस्तान है, जो मरुस्थल है वहां पर पानी के बारे में क्या महत्व है। लोग पानी ऊंटों के जरिये से या टंकों के जरिये से पहुंचाते हैं वहां पर पानी का क्या महत्व, क्या गरिमा और क्या महिमा हो सकती है। मैं कहूंगा कि वह शब्द तो संस्कृत में बताया गया है कि जल को जीवन माना जाता है वह सही मायने में राजस्थान में लागू होता है (हियर, हियर)।

इस पृष्ठभूमि में, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने पहले पहल सन् 1958 के अन्दर माथुर कमेटी का निर्माण किया था, और उसके जिम्मे यह काम सुपुर्द किया था कि वह सारे राजस्थान की जल समस्या का अध्ययन कर उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तद्नुसार, उपाध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट जो कि मेरे हाथ में है वह रिपोर्ट आफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोब्लम्स इस राजस्थान सरकार के सामने प्रस्तुत की गई है तदनुसार राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के डाइरेक्टिव के अनुसार एक मास्टर प्लान बनाकर जिसकी लागत 70 करोड रुपया है, भारत सरकार के समक्ष भेज दिया है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता था कि हमारे जीवन में जल की जो महत्ता है, जो बडी गरिमा है, जिससे हमें जीवन प्राप्त होता है। चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे पूजा का काम हो, हाथ धोने का काम हो, पानी की आवश्यकता रहती है। इसीलिए उसको जीवन की संज्ञा दी गई है। कौनसा काम है जहां पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। वायु जिसको पवन कहते हैं जिसके जरिये से हम जीवित रहते हैं उसके बाद भोजन है। पहले वायु और उसके बाद में बीच में स्थिति आती है जल की इसलिए इस जल की आवश्यकता के बारे में मुझे ज्यादा बात नहीं कहनी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सत्संग बडे जोर का है।

श्री भीखाभाई : अर्वाचीन आवश्यकता के अनुसार जलप्रदाय योजनाओं का निर्माण करना आवश्यक हो गया है हमारे देश में जो हमेशा धार्मिक क्षेत्र रहा है वहां पर पानी के प्याऊ और पानी पोशाला जगह जगह खोली जाती हैं सडकों पर भी खोली जाती हैं बडी बडी लम्बी सडकों पर भी जिससे सडक के यात्रि को पानी उपलब्ध हो सके। मुगल पीरियड से पहले शेरशाह के जमाने से भी बार बार इस बात का लगातार यत्न किया गया है कि प्याऊ, पौशालाएं खुलवाई जायं गांवों के अन्दर· · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जल का महत्व समझ गये। मांग पारित कर दी जाय।

श्री भीखाभाई : इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने· ·

श्री **दौलतराम सारण** : आपकी मांगें सर्वसम्मति से पास और सब कटमोशन विथड्रा भीखाभाई की मांगे पास (हियर हियर)।

श्री **केदारनाथ**: इस सारी केबिनेट में भीखाभाई ही मोस्ट क्वालीफाइड और

(श्री केदारनाथ)

कम्प्रिहेन्सिव समझे जाते हैं। इसलिए बिना रिप्लाई सुने ही उनकी मांगें पास कर दी जायं।

श्री भीखाभाई उपाध्यक्ष महोदय··

श्री उपाध्यक्ष: इस से अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। फिर विवाद खड़ा हो जायगा। मेरे ख्याल से सर्वसम्मति से पास हो जाने दें।

मांग संख्या 16

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29 चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,44,81,00 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(सरकारी पक्ष द्वारा हां, और विपक्ष द्वारा नो कहने पर) सर्वसम्मति से पास करने को थे?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: चिकित्सा का न कहा था।

श्री उपाध्यक्ष: जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें और जो पक्ष में न हों वे ना कहें

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,65,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

श्री रामानन्द अग्रवाल: सर्वसम्मति से हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: सर्वसम्मति से यह मांग पारित की गई।

मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94–जन स्वास्थ्य सुधार पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,00,50,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

सर्वसम्मति से मांग स्वीकार की गई

श्री विजयसिंह रावत: क्या भाग गये हैं भीखाभाई आपने।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,01,12,000 रु. की राशि प्रदान की जावे।

Page No. 230

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 8 बजकर 49 मिनिट पर दिनांक 28 मार्च, 1968 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या ४४४ की सूची)

अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर व उदयपुर के सरकारी अस्पतालों द्वारा सन् 1956-57 और 1966-67 में इलाज किये गये आउटडोर व इनडोर रोगियों की संख्या इस अवधि में छोटे व बड़े कुल मिला कर किये गये आपरेशन की संख्या तथा इन्हीं दो सालों की स्वीकृत कुल बजट व दवाइयों का स्वीकृत बजट की तालिका :—

क्र. सं.	अस्पताल का नाम	रोगियों की संख्या				छोटे व बड़े आपरेशन की संख्या		कुल स्वीकृत बजट व दवाइयों का बजट			
		सन् 1956-57		1966-67		सन् 1956-57	1966-67	1956-57		1966-67	
		आउटडोर	इनडोर	आउटडोर	इनडोर			बजट	दवाई	बजट	दवाई
1.	अजमेर	91686	4839	121331	15892	रेकार्ड नष्ट कर दिया गया	41846	रेकार्ड नष्ट कर दिया गया		1689300	285000
2.	बीकानेर	382602	210137	268333	289481	25651	42644	1161800	139000	2061300	345000
3.	जयपुर	462169	277954	677031	450150	21859	37944	2417495	270666	4752250	645162
4.	जोधपुर	580475	31044	519256	51271	69427	96743	798004	147000	1419500	355000
5.	उदयपुर	219514	15317	252415	20801	40055	37040	462518	52000	1416000	220000

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 891 की सूची)

मान्यता प्राप्त शालाओं की सूची

क्रमांक	नाम शाला		विद्यार्थियों की सं. छात्र	विद्यार्थियों की सं. छात्राएं	स्वीकृति अनुदान	मान्य व्यय प्रतिशत
1	2		3	4	5	6
					रु.	प्रतिशत
1.	सुबोध बहु. उ. मा. वि., जयपुर	..	1045	निल	58212	70
2.	आदर्श विद्या मन्दिर, जयपुर ..	..	1126	169	23411	70
3.	महावीर दिगम्बर जैन से. स्कूल, जयपुर ..		1531	268	32625	80
4.	गौड विप्र विद्यालय, जयपुर ..	..	219	..	8575	70
5.	महेश्वरी सेकन्डरी विद्यालय	..	923	19	38101	80
6.	मुसलिम सै. स्कूल, जयपुर ..	..	406	..	32406	70
7.	खण्डेलवाल पं. सैं. स्कूल ..	..	964	..	29480	60
8.	शिक्षा समिति सैं. स्कूल ..	..	630	..	41547	60
9.	पारीक सैं. स्कूल, जयपुर ..	..	384	..	12589	60
10.	अग्रवाल सैं. स्कूल, जयपुर ..	..	562	..	24960	70
11.	श्वेताम्बर जैन	..	309	..	14516	60
12.	भवानी निकेतन सैं. स्कूल ..	..	380	13	16820	60
13.	सिन्धी पंचायत सैं. स्कूल, जयपुर	..	708	229	8718	60

<u>माध्यमिक शालाएं</u>

1.	गुरूनानकदेव	..	185	175	13270	60
2.	हिन्दी मा. शाला ..	..	235	242	7630	60
3.	जयहिन्द मि. स्कूल ..	..	223	112	11870	60
4.	यूनियन मा. शा.	..	130	20	3624	50
5.	पुरुषार्थी मा. शा. ..	..	126	81	9131	60
6.	देवपार्थीकुल विद्यालय ..	..	213	71	7407	50
7.	उषमानिया	..	115	निल	6414	50
8.	तेरापन्थी मा. शा. ..	..	264	निल	6795	50
9.	चित्रगुप्त मा. शा. ..	..	202	143	10480	60
10.	बालनिकेतन मा. शा. ..	..	146	116	14104	70
11.	भगत आशानन्द मा. शा. ..	..	348	189	6219	70
12.	काशीबाई छगनलाल ..	..	178	122	4632	70
13.	बालशिक्षा मन्दिर जयपुर ..	..	246	179	1965	70
14.	दाधिमति	..	126	19	3377	50
15.	वैदिक बाल विद्यालय ..	..	167	34	2731	50
16.	आदर्श बापू विद्यालय ..	..	275	70	519	50
17.	महाराज कुमार मा. शा. ..	..	128	40	7572	50

प्राथमिक शालाएं

1.	आदि गौड़ विप्र विद्यालय	158	53	2638	50
2.	नवजीवन केन्द्र	227	73	5227	50
3.	मुसलिम प्राथमिक शाला	212	..	5748	50
4.	इन फन्ट स्कूल	33	12	880	50
5.	घनश्याम विद्यालय	200	90	2904	50
6.	सुन्दर गोविन्द विद्यालय	154	34	3611	50
7.	मिलन प्रा. स्कूल	79	22	1619	50
8.	वशिष्ठ प्रा. शाला	341	114	7167	50
9.	सुशिक्षा हनुमत विद्यालय	85	18	1218	50
10.	मेरू विद्यालय	66	28	1432	50
11.	मिसन प्रा. कली का कोठा	138	..	2213	60
12.	कल्याण पाठशाला	122	60	2771	60
13.	शंकर सरण विद्यालय	112	70	2737	50
14.	जीवन विद्यालय	106	61	2569	50
15.	आदर्श बाला शाला	130	05	1831	50
16.	अरूण बाल शाला	75	40	1250	50
17.	बाल मन्दिर हैप्पी स्कूल मोती डूंगरी	190	30	3456	90
18.	विश्वकर्मा बाल मन्दिर	60	50	1861	80
19.	आदर्श शिक्षा निकेतन	224	69	3169	50
20.	आनन्द बाल मन्दिर	126	73	2572	50
21.	सर्व समाज महा विद्यालय	235	35	1316	50
22.	प्रानश्वनाथ	62	70	644	50
23.	टैगोर बाल मन्दिर	65	54	1847	50
24.	राष्ट्रीय बाल निकेतन	81	50	1751	50
25.	महाशवता विद्यालय	110	53	2111	50
26.	आदर्श बाल विद्यालय	280	30	827	50
27.	बाल निकेतन हैप्पी स्कूल	230	5	3618	50
28.	शान्ती निकेतन	150	10	3191	50
29.	सस्वती आदर्श विद्यालय	107	66	1556	50
30.	शिक्षा संस्थान	174	23	4122	80
31.	भारतीय आदर्श शिक्षा निकेतन	50	23	911	50
32.	प्रदीप शिक्षा निकेतन	66	16	1610	50
33.	आदर्श नवीन विद्यालय	62	17	1242	50
34.	रेलवे न्यू स्कूल	380	..	4755	50

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण समय में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

जयपुर स्पिनिंग मिल, जयपुर के मजदूरों पर फौजदारी के मामले

892. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर स्पिनिंग मिल, जयपुर में जनवरी से मार्च, 1967 तक चले विवाद के दौरान मजदूरों पर कितने फौजदारी मुकदमें चलाए गए।

(2) ये मुकदमें वापस लिए जा चुके हैं या अभी चल रहे हैं ? यदि चल रहे हैं तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

उत्तर

1. जयपुर स्पिनिंग मिल जयपुर में जनवरी से मार्च 1967 तक चले विवाद के दौरान मजदूरों के विरुद्ध 6 अभियोग दर्ज हुये। इनमें से अभियोगों का अदालत में चालान किया गया और 3 अभियोगों का अनुसंधान करने के बाद फाइनल रिपोर्ट दी गई।

2. चालान किये गये अभियोगों में से कोई भी अभियोग राज्य सरकार द्वारा वापस नहीं लिया गया है। इनमें से 2 अभियोग अब भी अदालत में विचाराधीन हैं। ऐसे अभियोग जिनमें हिंसा का प्रयोग किया गया हो, अदालत से उठाना जनहित में नहीं समझा जाता ।

जवाजा थाने में दर्ज मामला

893. **श्री कन्हैयासिंह** (ब्यावर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह बात सही है कि माह जून 67 में ग्राम कानपुरा के श्री गोमा ने जवाजा पुलिस स्टेशन पर शिकायत की कि उसके विरुद्ध जवाजा के श्री रामलाल सरपंच ने ताजीरात हिन्द की धारा 467।452 के अन्तर्गत अपराध किया है ?

(2) क्या यह बात सही है कि इस घटना की रिपोर्ट श्री गोमा ने एस. पी. अजमेर तथा डिप्टी एस.पी. ब्यावर को भी की ?

(3) क्या यह बात सही है कि नेताओं के दबाव व पुलिस अधिकारियों के मौखिक आदेशों से प्रभावित होकर स्थानीय एस. एच. ओ. ने केस रजिस्टर नहीं किया जिससे जनता में शासन के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो रहा है ?

उत्तर

1. जी नहीं, माह जून 67 में ग्राम कानपुरा के श्री गोमा ने जवाजा पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं की थी।

2. जी हां।

3. जी नहीं, मामला लेनदेन का होने के फलस्वरूप फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का प्रश्न नहीं उठता।

बनास नदी के पुल में दरारें

894. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) :
श्री जुझारसिंह (रामगंजमन्डी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि टोंक के पास स्थित बनास नदी के पुल में कई स्थानों पर दरारें पड़ गई हैं ?

(2) क्या सरकार ने इस पुल पर दरार पडने सम्बन्धित कारणों की जांच करवाई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(श्री सवीदस गाडिया)

(3) इस पुल पर दरार पड़ने के कारण मरम्मत आदि करवाने में कितने रुपयों के खर्च होने की सम्भावना है ?

(4) इस पुल पर नियमानुसार अधिक से अधिक कितने वजन का वाहन (ट्रक आदि) एक बार में गुजरना चाहिए ?

(5) क्या यह सही है कि इस पुलिया पर होकर बहुत भारी वजन की मशीनें आदि गई जिसके कारण पुल में दरार पड़ गई है ?

(6) क्या सरकार अब इस स्थान पर नया पुल बनाने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) पुल की छत के कुछ बीमों पर दरार हो गई थी।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत है।

(3) 24307) रु. व्यय हुआ है।

(4) वर्तमान में 15 टन वजन से अधिक का वाहन एक साथ नहीं गुजरना चाहिये।

(5) गत 28 वर्ष को मरम्मत की असफलता तथा भारी वाहनों के आवागमन से दरार हो गई हैं।

(6) जी हां।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू जिले में बिजली

895. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत तीन साल में प्रति वर्ष चूरू जिले के गांवों में बिजली देने हेतु कहां कहां की सर्वे विभाग द्वारा की गई व कहां कहां बिजली दी गई ?

(2) डूंगरगढ और राजगढ पंचायत समिति क्षेत्रों में कहां कहां की सर्वे की गई तथा उसके क्या परिणाम आए ?

(3) सर्वेक्षण में जो जो लाइन बिजली देने हेतु उपयुक्त (फिजीबल) हैं उन्हें कब तक बिजली दी जायगी ?

(4) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि यह क्षेत्र रेगिस्तानी है और प्रायः अभावग्रस्त रहता है व यदि शीघ्र बिजली दे दी जाय तो यहां कुओं द्वारा सिंचाई हो सकती है और उत्पादन बढ सकता है तथा अकाल की रुकावट में सहायता मिलेगी और यह पंचायतों व पंचायत समितियों का सुझाव व मांग है ?

(5) क्या यह भी सही है कि डूंगरगढ व राजगढ पंचायत समितियों ने तथा जिले की अन्य पंचायत समितियों ने भी सिंचाई हेतु बिजली की मांग की है और ऋण देकर कुए बनवाए हैं ?

(6) क्या यह सही है कि सरदार शहर पंचायत समिति के खोणसर, सारसर, उदासर, जीवणदेसर गांवों में सिंचाई हेतु बनाए गये कुओं में बिजली की लाइन होते हुए और 5) रु. के प्रार्थना-पत्र द्वारा कनेक्शन की मांग करने पर भी पिछले 5 माह से कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं तथा एक पूरी

(श्री दौलतराम सारण)
फसल निकलने से सैंकड़ों मन अनाज उत्पादन की बिजली न मिलने के कारण हानि हुई है ?

(7) क्या उपरोक्त गांवों में घरों में भी बिजली नहीं दी जा रही है और इससे विभाग को भी हानि हुई है और ग्रामीणों को भी ? यदि हां, तो क्यों है ? अब कब तक बिजली दे दी जायेगी ?

(8) चूरू जिले में कितने प्रार्थना-पत्र कुओं में बिजली लगाने की मांग के विचाराधीन पड़े हैं और कब से ?

(9) जिले में किस किस पंचायत समिति को अपने अपने क्षेत्र में कहां कहां उत्पादन कार्य हेतु बिजली लगवाने की मांग है तथा कितने समय से ? उसे पूरी न करने के क्या कारण हैं ? अब कब तक उनकी मांग पूरी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न है।

(2) सूची 'ब' संलग्न है।

(3) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(4) गांवों का विद्युतिकरण पर्याप्त मात्रा में धनराशि के उपलब्ध होने और योजना के लाभ प्रद होने पर निर्भर करता है।

(5) डूंगरगढ और राजगढ़ पंचायत समिति ने सिंचाई हेतु ग्रामों का विद्युतिकरण करने की मांग की है उन ग्रामों का नाम संलग्न सूची 'द' में है। कुए ऋण लेकर बनवाने की जानकारी विभाग को नहीं है।

(6) जो नहीं धारसर, सोधसर और जीवनदेसर में कुओं के कनेक्शन पिछले पांच मास में हुए हैं।

(7) धारसर, श्रींवसर और जीवनदेसर और उदासर में बिजली के कनेक्शन की मांग है और वहां पर कनेक्शन देने की कार्यवाही चालू है कई लोगों को पैसे जमा कराने की भी सूचना दी है। लेकिन पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ जिस उपभोक्ता ने विभागीय कार्यवाही करली थी उसे कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(8) सूची 'क' संलग्न है।

(9) उक्त गांवों की पंचायत समिति का सम्पादन हेतु कोई भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। गांवों के विद्युतीकरण हेतु जो प्रार्थना-पत्र मिले उनकी सूची 'द' संलग्न है। (सरकार द्वारा सूची प्राप्त नहीं हुई)

लाखेरी नगरपालिका के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

896. श्री **नन्दलाल बैरवा** (पाटन):—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लाखेरी नगर पालिका के कर्मचारियों को बढ़ता हुआ मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है या नहीं ?

(2) जिन जिन कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता नहीं दिया गया है उनको कब से नहीं दिया गया है और कितना कितना दिया जाना शेष है ?

(3) कर्मचारियों की जो मंहगाई भत्ता

(श्री मगनलाल बैरवा)

दिया गया था वह राज्य सरकार की स्वीकृति की तिथि से दिया गया था या नहीं ?

(4) अगर मंहगाई भत्ता नहीं दिया गया है तो, क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) कर्मचारियों को माह अप्रेल 66 व अक्टूबर 66 से बढा हुआ मंहगाई भत्ता दिया जा चुका है। जनवरी 1967 एवम् इसके पश्चात् बढे हुऐ मंहगाई भत्ते को नहीं दिया गया है।

(2) उत्तर प्रश्न के भाग एक में दे दिया गया है।

(3) जी हां।

(4) माह जनवरी 1967 से बढा हुआ मंहगाई भत्ता नगरपालिका की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से नहीं दिया गया है। पालिका की आय कम है व व्यय ज्यादा है।

कुचामन में विद्युत् विभाग के सामान की कुर्की

897. श्री गोरधन सोनी (मेडता)—क्या विद्युत् मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रशासक, नगरपालिका, कुचामन सिटी द्वारा 6-9-67 को राज्य विद्युत् मंडल के कुचामन सिटी स्थित कार्यालय पर कुर्की की थी ? यदि हां, तो क्या क्या सामान कुर्क किया गया एवं अब उक्त सामान कहां है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुर्की के समय नगरपालिका एवं विद्युत् मंडल के कर्मचारियों में मुठभेड होने की पूर्ण सम्भावना थी इसलिए स्थानीय पुलिस की मदद से कुर्की की गई थी ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि राजकीय प्रतिष्ठान पर कुर्की करके जन साधारण में आतंक पैदा करना एवं सरकार की प्रतिष्ठा गिरने के लिए ऐसा किया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि मुख्य सचिव को इस घटना की सूचना हो चुकी है ? ऐसी शासन विरोधी आतंकपूर्ण घटना के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

एस. टी. पेनल विद्युत् मंडल के अधीकार में।

(2) जी नहीं। उस समय पुलिस अवश्य विद्यमान थी।

(3) जानकारी नहीं है।

(4) जी हां। इस प्रश्न का इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

न्यू कालोनी, जयपुर के हरिजन परिवार

898. श्री लादूराम मुलानिया (फागी)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर स्थित न्यू कोलोनी हरिजन बस्ती के निवासी मेहतर परिवारों का उक्त बस्ती की भूमि

(श्री लादूराम सुरानिया)

पर कूचा उपाड अधिकार है और क्या उन्होंने इस प्रकार का सबूत नगर परिषद् व नगर विकास के समक्ष प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो फिर क्या कारण है कि उक्त बस्ती के निवासी मेहतर परिवारों को विधिवत् बसाने में नगर विकास न्यास अडचन महसूस करता है ?

(2) क्या यह तथ्य है कि उक्त बस्ती निवासी मेहतर परिवारों ने बस्ती का "ले-आउट प्लान" बनाकर नगर परिषद् व नगर विकास के समक्ष पेश किया है ? यदि हां, तो कितने प्लाटों का और कितने अर्से पहिले ?

(3) क्या सरकार उक्त परिवारों को सन् 67-68 की समाप्ति तक विधिवत् भू-खण्डों का आवंटन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) मेहतर परिवारों द्वारा जो ले-आउट प्लान व अन्य सबूत भूमि सम्बन्धी नगर परिषद् व नगर विकास न्यास में प्रस्तुत किये कृपया उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । न्यू कालोनी हरिजन बस्ती की भूमि के कूचा उपाड अधिकार का विवरण नगर न्यास व नगर परिषद् को प्रस्तुत नहीं हुआ । न्यास उन्हे विधिवत् बसाने के लिए कृत संकल्प है ।

(2) जी हां । 23 भू-खन्डों का प्लान दिनांक 9-6-66 नगर परिषद् को पेश किया गया था जो नगर न्याय को दिनाक 13-7-66 को प्राप्त हुआ था ।

(3) जी नहीं । जिस भूमि का ले-आउट प्लान आया है । वो भूमि व्यवसायिक वाणिज्य भूमि के उपयोग की मास्टर प्लान प्रारूप में बताई गई है । यह भी उल्लेखनीय है कि इस भूमि से सम्बन्धित परिवाद न्यायालय में चल रहा है । इस के अलावा सन् 67-68 जो 31-3-68 का ही समाप्त हो जायगा इस समय तक राज्य सरकार द्वारा अन्य शहर के आस पास की जंगलात व कृषि नाम भूमि देना सम्भव नहीं है अत: इस अवधि तक उन्हें बसाया जाना सम्भव नहीं है।

(4) ले-आउट प्लान की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है । सबूत भूमि नगर परिषद् व नगर न्यास को प्रस्तुत नहीं हुए ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

ट्रांसफार्मर्स के जलने के कारण

899 श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर)—क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहायक अभियन्ता बिजली विभाग सवाई माधोपुर के अधिकार-क्षेत्र में कितने ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं और कहां कहां और किस तारीख से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करे ।

(2) सहायक अभियन्ता के इस क्षेत्र में सन् 59 से अब तक कितने ट्रांसफार्मर्स जले हैं और किस किस जगह के और किस

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
किस तारीख को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या इन ट्रांसफार्मर्स के जलने के कारणों पर यथा समय विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा जांच की जाती रही है ? यदि हां, तो जांच से कभी कोई विभागीय अधिकारी अथवा कर्मचारी इसके लिए दोषी पाया गया ?

(4) यदि हां, तो किसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो ट्रांसफार्मर्स जलने के क्या कारण पाये गये ?

उत्तर

(1) सूची (अ) संलग्न है ।

(2) सूची (ब) संलग्न है ।

(3) जी हां ।

जी नहीं ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

सूची 'ब' में दिखाये गये है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिवार नियोजन का प्रचार

900. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के बडे नगरों में परिवार नियोजन संबंधी प्रचार लाउडस्पीकर से किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत लोगों को प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली राशि का प्रचार भी लाउडस्पीकर के जरिये किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार के प्रचार माध्यम से बालक—बालिकाओं पर बुरा प्रभाव पड रहा है ?

(4) क्या सरकार इस प्रकार के प्रचार को केवल पत्र-पत्रिकाओं तक सीमित रखने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) हां । यह सही है कि राज्य के बडे 2 नगरों में परिवार नियोजन सम्बन्धित प्रचार लाउडस्पीकरों से किया जाता है ।

(2) लोगों को प्रोत्साहित करने के रूप में दी जाने वाली राशि से प्रचार लाउडस्पीकरों द्वारा किया जाता है ।

(3) जी नहीं ।

(4) आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । क्योंकि, विभिन्न प्रकार के प्रचार के माध्यमों में से लाउडस्पीकर एक प्रभावक प्रचार माध्यम है । राज्य की अशिक्षित जनता में प्रचार के अन्य माध्यमों में श्रव्य माध्यम ही उचित माध्यम समझा जाता है । जहां तक पत्रिकाओं का प्रश्न है इसका प्रभाव विशेष कर पढे-लिखे लोगों पर ही हो सकता है । अतः अशिक्षित लोगों में श्रव्य द्वारा प्रचार किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार के प्रचार से बालक-बालिकाओं पर बुरा प्रभाव नहीं पडता है । इस प्रकार की जानकारी से उन पर अच्छे प्रभाव पडना ही सम्भव है ।

नवलगढ में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय

901. **श्री सांवरमल बासोसिया (नवलगढ):** क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सरकार ने कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक् करने के सम्बन्ध में न्यायमूर्ति श्री कंवरलाल बापना की अध्यक्षता में कोई कमेटी बैठाई थी ? यदि हां, तो उस कमेटी ने झुंझुनू जिले में कहां कहां कौन कौन सी अदालतें स्थापित करने की सिफारिश की थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कमेटी ने नवलगढ में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो यह सिफारिश कब की गई थी और अब तक उस सिफारिश को कार्यान्वित न करने के क्या क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार नवलगढ में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। बापना कमेटी ने झुंझुनूं जिले में निम्न अदालतों की स्थापना बाबत सिफारिश की थी:—

1. डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन्स जज, झुंझुनू।

2. सिविल जज, झुंझुनू।

3. ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नं० 1, झुंझुनू।

4. ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास नं० 2, झुंझुनू।

5. मुंसिफ मजिस्ट्रेट, नवलगढ।

6. मुंसिफ मजिस्ट्रेट, खेतड़ी।

(2) जी हां, सन् 1959 में बापना कमेटी ने नवलगढ उप खण्ड में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश की थी किन्तु पृथक्करण की पूर्ण योजना अभी तक लागू नहीं होने से वहां अदालत स्थापित नहीं की जा सकी।

(3) जी हां, नवलगढ में आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत स्थापित करने का विचार है।

स्थगित प्रश्न

(24-1-68)

ज्युडिसियरी का एक्जीक्यूटिव से सेपरेशन

92. **राजवी श्री कर्णसिंह (सरदारशहर):** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में ज्युडिसियरी को एक्जीक्यूटिव से पूरी तौर से अलहदा करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, कब तक अलहदा कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) अब तक जो पारशियल सेपरेशन ज्युडिसियरी का एक्जीक्यूटिव से हुआ है, वो एक्जीक्यूटिव इन्स्ट्रक्शन द्वारा हुआ है, लेकिन Criminal Procedure Code में इसकी बाबत कब तक तरमीम की जाने की उम्मीद है ?

उत्तर

(1) जी हां । जूडिसियरी को एक्जीक्यूटिव से भारतीय दंड संहिता व रेलवे अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण तौर से अलहदा कर दिया जावेगा ।

(2) जी हां । पहले प्रशासनिक आदेशों से पूर्ण सेपरेशन हो जायगा उसके बाद जाब्ता फौजदारी में संशोधन करके इस योजना को वैधिक आधार दिया जावेगा ।

परिशिष्ट 5

नसीराबाद चुनाव क्षेत्र में राहत कार्यों की बनी सड़कों का विस्तृत विवरण
(अतारांकित प्रश्न संख्या 470 की सूची)

नसीराबाद चुनाव क्षेत्र में राहत कार्यों की बनी सड़कों का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	सड़क की कुल लम्बाई		लम्बाई जो बन चुकी है		चौड़ाई	विशेष विवरण
1	2	3		4		5	6
		मी.	फ.	मी.	फ.	फुट	
1.	भवनी खेड़ा राजीशी ..	5	4	5	..	24	यह सड़क राजीशी को नसीराबाद मांनलियावास डामर की सड़क से मिलाती है।
2.	नसीराबाद राजीशी ..	3	..	3	..	24	यह सड़क राजीशी को नसीराबाद से मिलाती है।
3.	देराठू मिट्वानी ..	4	1	4	1	24	यह सड़क देराठ मिटवानी ग्रामों को नसीराबाद देवली डामर की सड़क से मिलाती है।
4.	भीमपुरा अर्न्सारी ..	3	..	1	..	24	यह सड़क भीमपुरा अर्न्सारी को नसीराबाद मांवलियावास डामर की सड़क से मिलाती है।
5.	कानाखेरी वीर ..	2	..	2	1	24	यह सड़क वीर कालेडी गदजी को नसीराबाद किशनगढ़ डामर की सड़क से मिलाती है। व नसीराबाद अजमेर सड़क को भी उक्त सड़क से मिलाती है।

Page No. 243

1	2	3		4		5	6
6.	गोयला टाटाटी ..	8	3	8	..	24	यह सड़क इस क्षेत्र में नहीं है तथा गोयला को टाटाटी से सीधा रास्ता है।
7.	नसीराबाद बलवन्ता ..	1	3	1	3	24	नसीराबाद अजमेर सड़क से बलवन्ता को मिलाती है।
8.	रामसर मोराझड़ी ..	3	5	3	5	24	मोराझड़ी, करिया को रामसर से मिलाती है।
9.	रामसर सूरजपुरा ..	3	6	3	6	24	सूरजपुरा का रामसर बरोल रोड से मिलाती है।
10.	राताखेड़ा कानपुरा ..	8	2	8	2	24	नसीराबाद अराई का सीधा रास्ता है। बेवजा। डाल भिन्यानी को कानपुरा श्रीनगर तथा नसीराबाद से मिलाती है।
11.	कानपुरा तिहारी ..	3	2	3	2	24	कानपुरा से तिहारी को मिला कर अराई श्रीनगर डामर की सडक को पूरा करती है।
12.	श्रीनगर हाथी पट्टा ..	4	..	4	..	24	हाथी पट्टा व फारकिया ग्राम को श्रीनगर से मिलाती है।
13.	रामसर लोहारखेड़ा ..	5	..	5	..	24	रामसर से लोहारखेड़ा को मिलाकर रामसर से नसीराबाद देवली रोड का सीधा रास्ता है।
14.	बाघपुरी नाहरपुरा ..	1	4	1	4	24	नाहरपुरा को बाघपुरी भवानीखेड़ा को मिलाती है।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 479 की सूची)

निम्न सूची के अनुसार ठेकेदार को शेष चुकारा करना है :—

क्र.सं.	नाम ठेकेदार	बकाया राशि
		रु.
1.	आदर्श श्रमिक ठेका सहकारी समिति जोधपुर	558.13
2.	संगठित श्रमिक ठेका सहकारी समिति जोधपुर ..	13043.19
3.	लक्ष्मी वड एण्ड रंगिंग उत्पादक सहकारी समिति जोधपुर ..	2629.86
4.	ठेकेदार गनी पुत्र कालू	186.48
5.	ठेकेदार उदाराम	292.50
6.	यूनाइटेड श्रमिक ठेका सहकारी समिति जोधपुर	302.76
7.	ठेकेदार श्रीरामसिंह	2940.26
8.	सुयोग श्रमिक ठेका सहकारी समिति, जोधपुर	2698.73
9.	राजस्थान सप्लाई एण्ड डाइन कोपरेटिव लि. जोधपुर ..	3200.00
		25,851.91

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 481 की सूची)

जयनारायण व्यास नगर योजना	साईज प्लोट	संख्या प्लोट
	60'×90'	56
	50'×80'	156
	40'×80'	208
	30'×60'	728
	25'×45'	1986
		3144
मुक्ता प्रसाद नगर योजना ..	.. 100'×200'	7
	80'×120'	71
	60'×90'	319
	50'×80'	314
	40'×60'	108
	30'×60'	469
	25'×45'	584
		2082

	संख्या नीलामी द्वारा	संख्या आवंटन द्वारा
(अ) जयनारायण व्यास नगर	41	343
(ब) मुक्ता प्रसाद नगर योजना	..	39

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 486 की सूची)

प्रश्न 1 से संबंधित सुची :—

1. पाडसाला
2. मान्डिया
3. मनियानी
4. रूपवास
5. वाला
6. गुडाबिछु
7. दिगारी
8. कानला
9. केरला
10. गिरदारा
11. पुनायत
12. जीवाडिया
13. रामसिया
14. मांडली
15. मूंडिया
16. कान्डरा
17. सांली
18. गिरलोर
19. सुदेलाव
20. भावनगर
21. पाडराला
22. गोडावास
23. कसकादरा
24. सोवानिया
25. पानियावास
26. बयालपुरा
27. मादनी
28. पेणावा
29. डूंगरपुर

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 27 मार्च, 1968)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
2	अन्तिम	के	का
8	18	खतूरिया	कथूरिया
13	18	हए	हुए
17	14	सदस्य ने	सदस्य
17	17	चो ों	चोटों
19	15	श्री दैलतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
28	अन्तिम से 4	पया	पैसा
31	3	श्री मेघराज ' वार	श्री मेघराज पंवार
34	3	बढे	बडे
41	अन्तिम से 1	ता हूं	पूछता हूं
56	18	4741	474
63	4	जो जोर से	जोर जोर से
77	अन्तिम से 2	कन्डेन्ल कोर्स	कन्डेन्स कोर्स
92	2	भ खंडो	भू-खंडों
95	अन्तिम से 6	स्वीकृत	स्वीकृति
97	अन्तिम से 14	श्री रजी राम बुरडक	श्री हरजीराम बुरडक
103	17	ज ाब	जवाब
105	9	डेलीगेट	डेलीकेट
106	6	प्रणाली के भी	प्रणाली के लिये भी
106	13	श्री रघु ाथ वि नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
123	2	जी दाय	दी जाय
124	शीर्षक	अनुदानों की मांगों पर विचार	अनुदानों की मांगों का उपस्थापन
129	16	श्री मु ुट बिहारी लाल गोयल	श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल
132	1	श्री रावतराम (छापर सु.)	36. श्री रावतराम (छापर सु.)
132	1	36 मांग संख्या	मांग संख्या
132	13	मुल्ट	मुख्य
132	16	राजलदेस्र	राजलदेसर
132	अन्तिम से 12	शीर्षम	शीर्षक
133	9	चि कस्ता	चिकित्सा
133	18	कि ान्वित	क्रियान्वित
134	अन्तिम से 8	फ र्न	फर्म
135	16	संख ा	संख्या
136	1	चिकत	चिकित्सा
136	8	कर े	करने
139	अन्तिम से 4	मरुय	मुख्य
140	अन्तिम	पुलिरा	पुलिस
141	6	श्री विजय सि रावत	श्री विजयसिंह रावत
143	10	कर े	करने
144	10	सं . ं।	सम्बन्ध
144	21	म	में

2

1	2	3	4
145	शीर्ष	(श्री विजय रावत)	(श्री विजय सिंह रावत)
146	6	ोने	होने
146	11	ट	टूट
150	1	क	कम
153	10	करन	करने
154	11	ारम्भ	प्रारम्भ
158	16	लि	लिये
160	अन्तिम से 4	म	में
161	11	श्री चुन्नीलाल इंदलिया	श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा)
161	अन्तिम से 3	मग	मांग
161	अन्तिम से 2	2	21
162	अन्तिम से 3	मरूय	मुख्य
165	शीर्ष	(श्री चुन्नीलाल इदलिया)	(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)
165	5	ामों	ग्रामों
168	अन्तिम से 7	उदासी ता	उदासीनता
168	अन्तिम से 3	3	23
177	3	(बड़	(बड़े
177	अन्तिम से 8	नाल	हाल
180	अन्तिम से 11	मांग संरया	मांग संख्या
181	5	ए	हुऐ
181	अन्तिम 3	पचपदरा)	(पचपदरा)
185	15	मांग सां या	मांग संख्या
188	6	श्री गोकुल प्रसाद श ा ि	श्री गोकुल प्रसाद शर्मा
190	3	मां। संख्या	मांग संख्या
193	अन्तिम	ु लीर नें ने	पुलिस में से
194	4	श्री हीरा भई	श्री हीरा भाई
195	15	मांग संख्या-----मुख्य	मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक
195	16	चिकिसा में--कम	चिकित्सा में से 100) रु. कम
195	17	की--जनता	की कमी के कारण जनता
198	3	फइले	फाइलें
202	2	श्री नन्दा ल दडवासी	श्री नन्दलाल दंडवासी
205	अन्तिम से 5	असं ाेष	असंतोष
211	18	100 र	100) रु.
211-460	शीर्षक	मांग सं. 16, 17, 38, 12 पर कटौती प्रस्ताव	मांग सं. 16, 17, 38 व 12 पर विचार
216	19	ोफेशन	प्रोफेशन
217	अन्तिम से 3	दुनिय	दुनियां
223	अन्तिम से 9	िरे	धीरे
227	अन्तिम से 9	म ाा	मूल्या
229	16	नमें	इनमें
233	5	प्राइमं मिनिस्टर	प्राइमिनिस्टिर
242	अन्तिम से 8	लडकते	लुढ़कते
243	18		को
246	अन्तिम से 2	हृप्याये	हत्यायें
258	14	दें ें	देंगें

Page No. 249

1	2	3	4
262	3	बडीं	बडी
271	अन्तिम से 7	गोल	गोली
275	अन्तिम से 5	नाम्क	नामक
276	6	उन्हे ने	उन्होंने
296	18	अप्रल	अप्रेल
297	अन्तिम से 3	ग्रोस	प्रोग्रेस
302	17	उसका सारे के सारा का जितना प्रचार है	उसका जितना प्रचार है
309	9	की अब्दुल गफ्फार	श्री अब्दुल जब्बार
309	12	दिया दिया है	दिया है
315	19	इस तरह जका से	इस तरह से
323	10	वाले)	पर)
327	4	मझे	मुझे
327	अन्तिम से 1	नवदेन ह	निवेदन है
333	अन्तिम से 1	पदा	पैदा
335	अन्तिम से 11	ेकर	लेकर
344	अन्तिम से 6	ंग	ढंग
348	अन्तिम से 7	सरकारी समितियां	सलाहकार समितियां
348	अन्तिम से 3	सहकारी	सलाहकार
352	11	ह	है
369	4	श्रीसभानेत्री	श्रीमती सभानेत्री
370	10, 21, 25	,,	,,
373	1	बडेगी	बढेगी
373	2	हो ी	होगी
377	अन्तिम से 4	करें े	करेंगे
377	अन्तिम से 3	सं ोषजनक	संतोषजनक
378	12	फिग ं	फिगर्स
381	अन्तिम से 10	उनके	उनमें
384	15	श्री सतशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
385	अन्तिम से 13	रियायत नहीं जा सकती	रियायत नहीं की जा सकती
394	1	बता ूगा	बतादूंगा
394	2	स्पीज	स्पीच
398	11	चहता हूं	चाहता हूं
402	अन्तिम से 11	ि सपुर	बांसपुर
404	अन्तिम	रवानगी	रमानी
406	1	बाद अवश्यक	बाद में आवश्यक
408	4	श्री दीर्गजय ि ह	श्री दिग्विजय सिंह
410	3	श्री दामोदर लाल यास	श्री दामोदर लाल व्यास
410	3	में	मैं
410	9	पूछ े	पूछते
410	17	चहाता	चाहता
412	10	में	मैं
412	अन्तिम से 3	म्तहान	इम्तहान
414	10	दया	दिया
416	5	उसको	उसके

1	2	3	4
419	1	श्री दिग्वजय सिह	श्री दिग्विजय सिह
419	10	श्री दामेदर लाल व्यास	श्री दामोदर लाल व्यास
421	7	वारे एक	वारे में एक
421	18	अ	अव
422	8	ह आ	हुआ
422	15	का	को
426	अन्तिम से 6	गलत	गलती
430	4	है	करें
430	10	श्री आलज अली	श्री आलम अली
433	16	जा	जाय
435	19	होगे	होगी
435	अन्तिम से 8	श्री दामोदर ाल व्यास	दामोदर लाल व्यास
436	7	Condoms	Condomes
436	8	expeced	expected
436	11	dcided	decided
436	13	chass	chases
436	अन्तिम से 10	उन्होंने ने ही	उन्होंने ही
440	अन्तिम से 3	श्री विज सिंह रावत	श्री विजय सिंह रावत
441	1	श्री ामोदर लाल व्यास	श्री दामोदर लाल व्यास
443	1	श्री कृष्णकुमार गोय	श्री कृष्ण कुमार गोयल
446	1	श्री विजय सिंह	श्री विजय सिंह रावत
448	3	श्री स्तेश चन्द्र अग्रवाल	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल
448	अन्तिम से 9	कटमोशस	कटमोशन्स
449	2	कहां	कहीं
449	5	डिपार्टन्ट	डिपार्टमेन्ट
449	17	अदर	अन्दर
450	अन्तिम से 12	श्रीदामोदर ल.ल व्या : ाम ुर	श्री दामोदर लाल व्यास : धौलपुर
452	अन्तिम से 14	अ	ओ
452	अन्तिम से 10	को	जी
453	अन्तिम से 14	तफा श	तफतीश
453	अन्तिम से 12	श्री आलम प्रली	श्री आलम अली
453	अन्तिम से 10	सं	सु
454	7	श्री रामानन्द अग्रवा	श्री रामानन्द अग्रवाल
455	3	ह ारे	हमारे
455	14	राजस्थ	राजस्थान
455	21	प्रतुत	प्रस्तुत
456	17	जा ी	जाती
457	अन्तिम से 8	नह	नहीं
458	अन्तिम	प्रान	प्रदान
462	5	छा ाए	छात्रायें
473	11	मि ाकर	मिलाकर
474	4	ुसेदार	ठेकेदार
474	12	हकारी	सहकारी
474	13	ाइन	लाइन